खण्ड-387, अंक-1
सोमवार, 5 वैशाख, शक संवत् 1910
(25 अप्रैल, 1988 ई0)

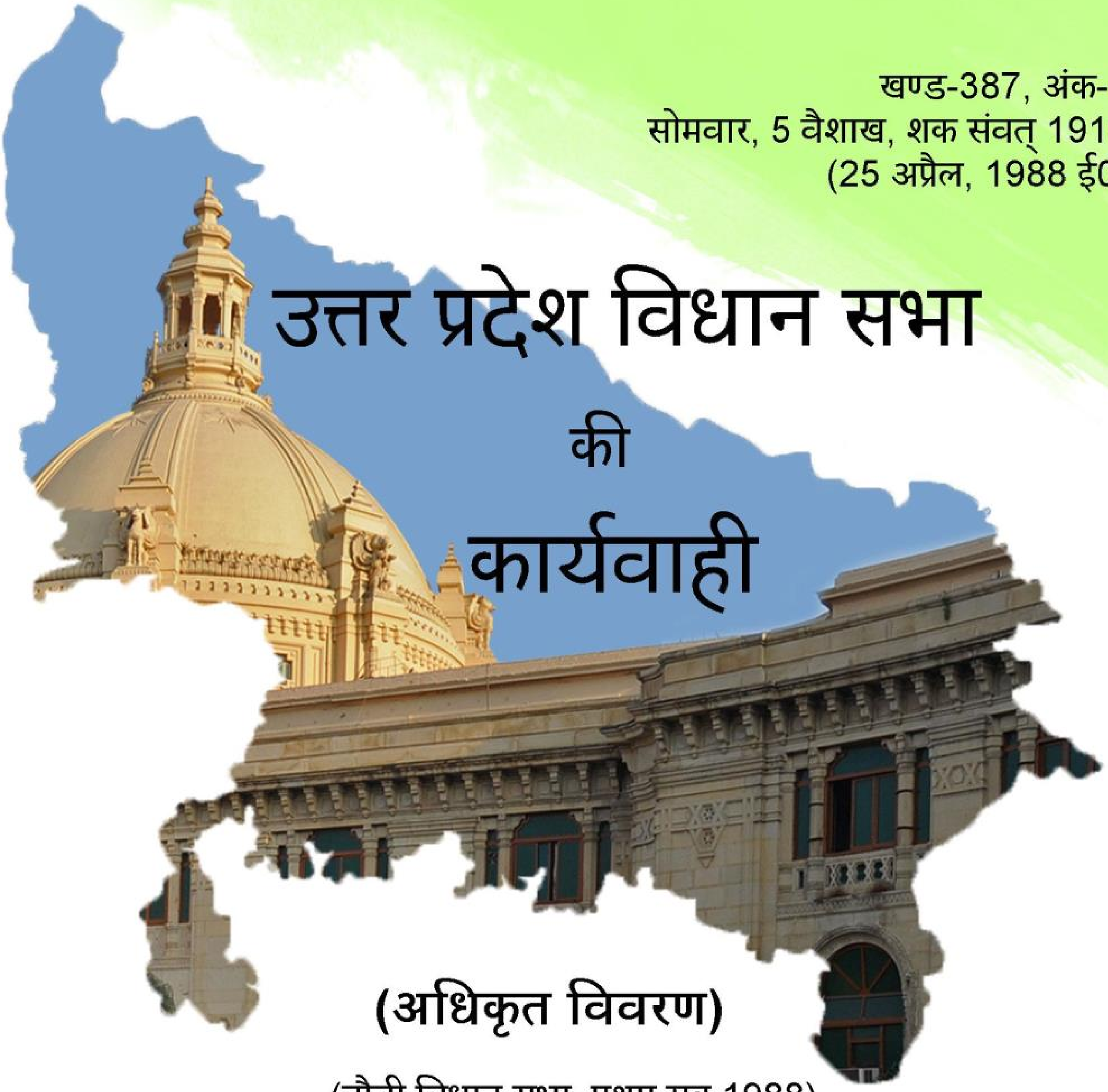

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1988)

खण्ड 387 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्यपाल, मंत्रि परिषद् तथा नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी, अधिष्ठाता मण्डल ..	क-घ
उपस्थित सदस्य ..	1-2
प्रश्नोत्तर ..	3-83
नवम् मण्डल सिंचाई कार्य बहराइच में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	83-84
जिला हरदोई की तहसील सण्डीला के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी कार्य में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84-85
जिला सीतापुर की नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अधोमानक से निर्मित शौचालय आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	85
नगरपालिका शाहगंज, जिला जौनपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
जिला मुरादाबाद के ग्राम छुमावली के मजरे आजादपुर की ग्राम समाज की भूमि बाढ़ पीड़ितों को न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
जिला बस्ती में आमी नदी द्वारा राप्ती नदी के जल को प्रदूषित किये जाने तथा मल्लाहों में भुखमरी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87
जिला हमीरपुर के थाना मझगवां में दो हरिजनों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87-88
तारांकित प्रश्न संख्या 106 का गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	88-89
नत्थी (ख) प्रश्न संख्या 1 से सम्बन्धित शिक्षा विकास शुल्क लगाये जाने से छात्रों की संख्या में कमी आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	89
प्रदेश में भयंकर ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों, दुकानदारों तथा बुनकरों का कर्ज माफ किये जाने आदि के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव लिये जाने की मांग ..	89-98

विषय	पृष्ठ-संख्या
सत्रकाल के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित किये जाने सम्बन्धी घोषणा सदन से बाहर करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	98–100
मुख्य मंत्री एवं सहकारिता मंत्री के मध्य गम्भीर मतभेद होने से प्रदेश प्रशासन पर संकट उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	100–102
गोण्डा जिले के मनकापुर में एक अधिकारी द्वारा श्री फजलुल बारी, सदस्य विधान सभा को अम्बेदकर जयन्ती में भाग लेने से रोके जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	102–103
प्रदेश में आतंकवादियों की गतिविधियां तेज होने के सम्बन्ध में जानकारी ..	103–104
उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1988 ·· (पुरःस्थापित किया गया) ..	104
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 ·· (पुरःस्थापित किया गया) ..	104
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 ·· (पुरःस्थापित किया गया) ..	104–105
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ..	105–119
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	119–133
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	133–134
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985, उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) निरसन विधयक, 1987 तथा उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन से सम्बन्धित मद सं0 14 से मद सं0 19 तक का स्थगन ..	134
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री मोहम्मद सोउद को कुख्यात तस्कर गुलाम ख्वाजा द्वारा विष देकर हत्या किये जाने विषयक सूचना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	135–1[illegible]
जनपद जौनपुर के थाना मुगरा बादशाहपुर में दिनांक 26 मार्च, 1987 को मुकदमा अ0 सं0 74/87, अन्तर्गत धारा 364 भा0 द0 वि0 को विवेचनाधिकारी द्वारा धारा 302/201 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	137–140
प्रदेश के जन स्वास्थ्य क्षिकों को काफी दिनों से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	140–141

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव में पुलिस की निष्क्रियता से होली के अवसर पर वर्गीय एवं खूनी संघर्षों से दो सौ लोगों के घायल होने आदि की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	141–148
महात्मा गांधी डिग्री कालेज, सम्भल, मुरादाबाद में उर्दू, हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षायें खोलने की इजाजत न मिलने से छात्रों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	148–152
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	152–155
ग्राम बनगवा थाना टिकैत नगर जिला बाराबंकी में पुलिस की साजिश से एक वृद्ध महिला की हत्या तथा उसके पुत्र को मुल्जिम बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	156–157
बरेली जनपद में स्थित विमको फैक्ट्री के मजदूरों द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन व उनकी गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन ..	157–158
दिनांक 26 मार्च, 1988 को पूर्णागिरि (नैनीताल) के मेले में हुई दुखद घटना एवं मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	158–161
जनपद जौनपुर के रूहट्टा मोहल्ले में स्थित गोपाल कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस पाइप फटने से जनता में असन्तोष एवं रोष के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	161–165
देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में संग्रह अमीनों द्वारा मारपीट किये जाने से अधिवक्ताओं के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	165–169
मद्य निषेध मुख्यालय द्वारा वर्ष 1987–88 में प्रचार सामग्री तथा सदन में वितरण हेतु पुस्तिका के मुद्रण में लाखों रुपये का घोटाला करने के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन ..	169
प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	169–173
कानपुर में नकली दवाओं की भरमार से उत्पन्न भयावह स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा ..	173–188
जनपद आगरा की नहरों में पानी की आपूर्ति न होने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा, प्रदेश में चीनी में प्रति कुन्तल चीनी की उत्पादन लागत एवं सरकार द्वारा गन्ने के निर्धारित समर्थन मूल्य में विसंगति के सम्बन्ध में चर्चा तथा प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं में हो रही सामूहिक नकल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन ..	188
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	188
नतिथयां ..	189–199

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मंत्रि-परिषद्

1—श्री वीर बहादुर सिंह	मुख्य मंत्री एवं मंत्री सामान्य प्रशासन, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन, सार्वजनिक निर्माण, वित्त, न्याय, गन्ना विकास, वन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, राष्ट्रीय एकीकरण, सूचना, पूर्त धर्मस्व, सिंचाई, खाद्य तथा रसद, आबकारी एवं मद्य निषेध, उद्योग, पशुधन, जेल एवं राजनैतिक पेंशन, नियोजन ।
2—श्री बल्देव सिंह आर्य	वन मंत्री ।
3—श्री लोकपति त्रिपाठी	जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ।
4—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी	हरिजन कल्याण, समाज कल्याण, एवं सैनिक कल्याण मंत्री ।
5—श्री नरेन्द्र सिंह	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उद्यान एवं फल उपयोग ।
6—श्री श्याम सूरत उपाध्याय	ग्राम विकास, पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री ।
7—श्री अरुण कुमार सिंह (सदस्य विधान परिषद्)	सहकारिता मंत्री ।
8—श्री सिब्ते रजी (सदस्य विधान परिषद्)	शिक्षा, मुस्लिम वक्फ मंत्री ।
9—श्री गोपीनाथ दीक्षित	गृह मंत्री ।
10—श्री अम्बार रिजवी (सदस्य विधान परिषद्)	संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री ।
11—श्री सईदुल हसन	श्रम, सेवायोजन मंत्री ।

राज्य मंत्री

1—श्री हुकुम सिंह	संसदीय कार्य, खाद्य एवं रसद तथा पशुधन मंत्री ।
2—श्रीमती पद्मा सेठ	नगर विकास, जल सम्पूर्ति एवं नगर भूमि तथा आवास मंत्री ।

3—श्री शिव बालक पासी	कृषि मंत्री ।
4—श्री ओम प्रकाश रिछारिया	वित्त तथा नियोजन मंत्री ।
5—श्री गौरी शंकर	राजस्व मंत्री ।
6—श्री मानपाल सिंह	खाद्य तथा रसद मंत्री ।
7—श्री प्रमोद कुमार तिवारी	ऊर्जा एवं पर्यटन मंत्री ।
8—श्री भोला शंकर मौर्य	सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।
9—श्री निसार अहमद अंसारी (सदस्य विधान परिषद्)	लघु उद्योग एवं हथकरघा मंत्री ।
10—श्री राम औतार दीक्षित	सहकारिता एवं पर्वतीय विकास मंत्री ।
11—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	गृह, न्याय एवं जेल मंत्री ।
12—श्री चेतराम गंगवार	प्राविधिक शिक्षा, बीस सूत्री कार्यक्रम ग्राम्य विकास, युवक कल्याण, पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री ।
13—श्री राम नरेश शुक्ल	सामान्य प्रशासन, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री ।
14—श्री सीताराम निषाद	मत्स्य, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री ।
15—कु0 सरस्वती अम्माल (सदस्य विधान परिषद्)	श्रम, हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री ।
16—श्री संकठा प्रसाद शास्त्री	शिक्षा मंत्री ।
17—श्री प्रवीण कुमार शर्मा	उच्च शिक्षा मंत्री ।
18—श्रीमती दीपा (सदस्य विधान परिषद्)	पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, विज्ञान एवं प्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य तथा सूचना मंत्री ।
19—श्री राम नाथ मुन्शी	आबकारी, परिवहन एवं गन्ना विकास मंत्री ।

उप मंत्री

श्रीमती प्रेमिला बुद्धवार मेहरा — पर्यटन एवं प्रोटोकाल मंत्री ।

नेता, विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री मियाज हसन

उपाध्यक्ष

त्रिलोकीचन्द्र

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिष्ठाता मण्डल

1--डा० कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा) ।

2--श्री खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर) ।

3--श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव) ।

4--श्री बनी प्रसाद वर्मा (बाराबंकी) ।

5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (सीतापुर) ।

6--डा० शिवानन्द नौटियाल (गढ़वाल) ।

7--श्री राम रतन सिंह (सीतापुर) ।

8--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय (गोण्डा) ।

9--श्री कौशिक रमाशंकर (मुरादाबाद) ।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1988 ई0

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अफसर यू0 अहमद, श्री (बस्ती)
अशोक सेहरा, श्री (आगरा)
आर0 एन0 पाठक, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (झांसी)
औलान सिंह, श्री (इटावा)
काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशन लाल बिलेर, श्री (अलीगढ़)
गंगा स्वरूप मदनागर, श्री (सीतापुर)
गजराज सिंह श्री (गाजियाबाद)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
जगदीश नरायन, श्री (हमीरपुर)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दूधनाथ, श्री (जौनपुर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (बस्ती)
धनराज यादव, श्री (बस्ती)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
फूल सिंह सौदाई श्री (मुजफ्फरनगर)
बसन्त सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
बाबू सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
महरम सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री (रायबरेली)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
राजेन्द्र शर्मा, श्री (मेरठ)
राधेश्याम, श्री (कानपुर)
रामनरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री (बलिया)
विमला सिंह, श्रीमती (गाजियाबाद)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सोन, श्री (आगरा)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री (टेहरी गढ़वाल)
सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)
सखावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हृदय नरायन दीक्षित, श्री (उन्नाव)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरजू नदी के घाटों पर जल-प्रदूषण विश्लेषण का विवरण

**1--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पांचवें मंगलवार के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 1 (नत्थी ख) के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके इस उत्तर का कि "सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर जल अधिक प्रदूषित नहीं है" आधार क्या है ? सरजू नदी के पानी का वैज्ञानिक विश्लेषण कब कराया गया और उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि विभिन्न नलकूपों से की जाने वाली पेयजल की आपूर्ति शुद्ध नहीं है और नगरपालिका कनेक्शन से मई, 1987 में मेसर्स अम्बर होटल, गजल रेस्टोरेन्ट, मोती बाग, फैजाबाद से लिया गया पीने के पानी का नमूना राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ की जांच में कठोर प्रदूषित तथा असंतोषजनक एवं 7 नवम्बर, 1987 को होटल प्रेम, रकाबगंज, फैजाबाद से लिया गया नमूना असंतोषजनक पाया गया है ? यदि हां, तो पेयजल की आपूर्ति को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुरोध पर अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 को 27 तारीख के लिये स्थगित करता हूं। इसे 27 तारीख को लिया जायेगा।

(अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर।)

उत्तर प्रदेश सचिवालय में शरीर सौष्ठव तथा भरोत्तोलन को प्रोत्साहित करने की योजना

**2--श्री अनुग्रह नारायण सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों के लिये शरीर सौष्ठव तथा भारोत्तोलन को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना चलाई जा रही है ? यदि हां, तो वह कब से और किस रूप में है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना लागू कराने का कष्ट करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां। उत्तर प्रदेश सचिवालय में शरीर सौष्ठव तथा भरोत्तोलन को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश सचिवालय वेट लिफ्टिंग एवं वेस्ट फिजिक क्लब वर्ष 1976 से चल रहा है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षा विकास शुल्क लगाने से छात्रों की संख्या पर प्रभाव

*1--श्री सूर्य प्रताप साही (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1987-88 से शिक्षा विकास शुल्क लगाये जाने के बाद से बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के छात्रों की संख्या में भारी कमी आयी है और सरकार के यह नीति संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के विरुद्ध भी है जिसमें 14 वर्ष तक की आयु के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की नीति को स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो जनहित में सरकार शिक्षा विकास शुल्क समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिद्धते रजी)--

जी नहीं ।

अभिदान, शुल्क नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[नस्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर ।]

श्री अध्यक्ष--

ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्यों को अब सदन से दिलचस्पी नहीं रह गई है ।

जिला शिक्षा सलाहकार समिति, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

*2--श्री हरेन्द्र सिंह, श्री लक्ष्मी नारायन चौधरी तथा श्री अमीर आलम खां--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 मार्च, 1988, जो जनपद मुजफ्फरनगर में जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29 अगस्त, 1987 के अनुसार नये जू0 हा0 स्कूल व प्राइमरी स्कूल खोलने तथा भवन बनाने के सम्बन्ध में था, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा को प्राप्त हुआ ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त पत्र पर माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को कुछ निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो वह आदेश क्या हैं ? क्या उन आदेशों का अनुपालन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)--

जी हां ।

जी हां । प्रकरण की जांच कराकर शिक्षा सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार विद्यालय खोलने व भवन निर्माण की व्यवस्था सम्बन्धी निर्देश दिये गये थे ।

जी हां । माननीय विधायकगण एवं माननीय सांसद की संस्तुति के आधार पर नियमों के अन्तर्गत प्रश्नगत मामले में व्यवस्था की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने सीधा सा प्रश्न किया था । क्या माननीय राज्य मंत्री जी के दिनांक 16 मार्च, 1988 के निर्देशों के अनुसार व शिक्षा सलाहकार समिति के निर्णयों के अनुसार कितने स्कूल आज तक वहां खोले गये । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है "जी हां" । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां पर माननीय मंत्री जी के आदेशों के बावजूद भी और शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक में हुए निर्णयों के अनुसार आज तक वहां पर भवन नहीं बनाये गये हैं । क्या माननीय मंत्री जी वहां पर तुरन्त विद्यालय खोलने के आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे और जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, 29 अगस्त, 1987 को जो बैठक हुई, उसमें दो माननीय विधायक मौजूद थे, उनका नाम है, श्री अमीर आलम खां व श्री हरेन्द्र मलिक जी । श्री अमीर आलम खां जी की अध्यक्षता में यह बैठक सम्पन्न हुई थी । उसमें 3 जूनियर हाई स्कूल व 11 प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उसी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि जो विधायक व सांसद बैठक में उपस्थित नहीं हैं, उनसे भी प्रस्ताव मांग लिये जायं । उन्होंने अपनी संस्तुति के साथ प्रस्ताव दिये अब उसी के अनुसार पूरे प्रकरण को ध्यान में रखकर ये विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जा रही है । इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जा रही है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक में जो दो विधायक उपस्थित थे और उन्होंने जो सुझाव दिये थे, जिन भवनों का निर्माण किया गया है क्या उन विधायकों के सुझावों के अनुसार किया गया है कि नहीं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, शिक्षा सलाहकार समिति व जिला शिक्षा समितियां-दोनों अलग-अलग होती हैं । कुल 7 जूनियर हाई स्कूलों व 17 प्राइमरी स्कूल खोलने का सुझाव दिये गये थे, जबकि 3 जूनियर हाई स्कूल खुलने थे 11 प्राइमरी पाठशालायें खुलनी थी । उसी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो विधायक उपस्थित नहीं हैं । उनसे भी संस्तुति मांग ली जाय और उनसे जो संस्तुति उसके आधार पर 5 हरिजन विद्यालय, हरिजन बाहुल्य क्षेत्र में खोलने थे, विद्यालय खोले गये और उसके बाद जो सुझाव आये, जिसको जिला शिक्षा समिति ने उचित समझा, विद्यालय खोलने की कार्यवाही कर दी गयी ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षा सलाहकार समिति की जब विधिवत बैठक हुई, जिसमें आपके कथनानुसार दो विधायक और अधिकारी थे, उसमें जो संस्तुतियां की गयीं, उनको न मानने का क्या आधार रहा और जब माननीय विधायकों और सांसदों को संस्तुति करने की छूट दे दी गयी, उनमें से ही नाम लेने का क्या औचित्य रहा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

इस बैठक में जो सुझाव आये, जूनियर हाई स्कूल के 7 विद्यालयों के आये थे, जब कि महज तीन विद्यालय खोलने थे और 11 प्राइमरी पाठशालायें खोलनी थीं ।

उसमें यह निर्णय लिया गया था कि अन्य माननीय विधायक और सांसदों की भी संस्तुति मांग ली जाय, सुझाव मांग लिये जायं । जब सुझाव आ गये, उसके अनुसार जो विद्यालय खोले उसमें पहला जूनियर हाई स्कूल, खड्डा है, जो कि हरिजन बाहुल्य क्षेत्र में है, दूसरा काजीखेड़ा में है, तीसरा बागूवाली में है । खड्डा वाला श्री फूल सिंह सौदाई की संस्तुति थी, काजीखेड़ा के लिये श्री हरेन्द्र सिंह और श्री बाबू सिंह की संस्तुति थी तथा बागूवाली के लिये श्री अख्तर हुसैन सांसद हैं, उनका सुझाव था । ऐसा नहीं है कि जो विधायक उपस्थित थे, उनके प्रस्ताव के अनुसार नहीं खोला गया । प्राइमरी पाठशालाओं के विषय में भी अगर आज्ञा हो तो बता दूं...

(अनुमति न मिलने पर)

जो लोग मौजूद थे बैठक में उनके सुझाव के अनुसार ही विचार किया गया है ।

श्री गया प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, हमारे जनपद इटावा में, ये जो जिला समिति की बात करते हैं, दो साल से कोई बैठक नहीं हुई है, तो क्या माननीय मंत्री जी जिला इटावा को निर्देश देंगे कि जब अन्य जिलों में बैठक हो रही हैं और स्कूल खोलने के लिये बैठकें हुई हैं, इटावा में भी क्या बैठक करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग प्रश्न हो गया ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक में तय हुआ था, सुझाव लिये गये थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा सलाहकार समिति और बेसिक शिक्षा समिति में क्या अन्तर है ? किस आधार पर इनके सुझावों पर कार्यवाही की जाती है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो एक अलग ही प्रश्न हो गया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि एक शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें दो माननीय विधायक मौजूद थे, उनकी संस्तुतियों के बाद आपका कहना था कि जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई, उसमें वित्त के हिसाब से कुछ विद्यालयों का संकलन किया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब माननीय सांसद और विधायकों का सलाहकार समिति से अनुमोदन आया था, तो जिला शिक्षा सलाहकार समिति के कौन पदाधिकारी हैं, कौन अधिकारी हैं, जिन्होंने जिला सलाहकार समिति की संस्तुति को विचार में नहीं रखा ? आपने क्या व्यवस्था की है ? मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है कि सलाहकार समिति जिसमें माननीय सांसद और विधायक थे उसको ओवर डाउन करने के लिये जिला सलाहकार समिति में जो संकलन किया गया, क्या जनतंत्र में आपने ऐसी कोई व्यवस्था की कि सलाहकार समिति की संस्तुति को न मान कर अधिकारीगण जो संस्तुति करेंगे उसी को आप मानेंगे ? इसको आप स्पष्ट कर दें ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है कि अधिकारियों की ही बात मानी जायेगी और विधायकों की नहीं। जो 29 तारीख को पिछली बैठक हुई थी उसमें जो सुझाव आये थे उसको देखते हुए केवल तीन ही विद्यालय खोले जाने थे जबकि उस बैठक में जूनियर हाई स्कूल के लिए सात और प्राइमरी पाठशाला के लिये 17 सुझाव आये थे। स्वाभाविक है कि नाम इनमें से ही छांटने थे जिनके लिये बैठक में तय हुआ था।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दो बातें बतलायी कि जो लोग मीटिंग में उपस्थित थे उनके परामर्श पर विद्यालयों के खोलने का निर्णय लिया गया था और जो लोग उस दिन वहां पर उपस्थित नहीं थे उनके लिये कहा गया था कि वे अपने सुझाव लिख कर भेज दें। उन पर विचार कर लिया जायेगा। जो लोग उपस्थित थे उन्होंने जो सिफारिशें विद्यालय खोलने के लिये की थीं वह स्वीकृत हो गयी थीं। अब निर्णय होना था कि जो सुझाव लिख कर आये उसमें से विद्यालय खोलने के लिये छांटे जांय या नहीं। जो लोग मीटिंग में उपस्थित थे उनके द्वारा जीवना और ताना में जूनियर हाई स्कूल खोलने की संस्तुति की गयी थी और स्वीकृत भी हो गयी थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों जगहों पर विद्यालय खुलवा दिये गये हैं या नहीं? यदि नहीं, तो जिन संस्तुतियों पर बैठक में स्वीकृति मिल गयी थी उन पर कार्यान्वयन न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, माननीय विधायक ने कहा कि जीवना में जूनियर हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शिक्षा सलाहकार समिति में केवल दो ही विधायक उपस्थित थे और उनकी संस्तुति सात स्थानों के लिये थी और उसमें से तीन स्थान पर विद्यालय खोले जाने थे जिसमें से दो स्थान हरिजन बाहुल्य क्षेत्र के लिये थे और एक स्थान सामान्य क्षेत्र के लिये था। जीवना उसमें नहीं आया। इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास उस दिन की मीटिंग की कार्य सूची है (कार्य सूची को दिखलाते हुए) इसमें लिखा है कि नवीन जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के लिये तीन विद्यालय स्वीकृत कर दिये गये जिसमें जीवना और ताना दोनों स्थानों का नाम भी है उन तीन नये खोले जाने वाले विद्यालयों में। अब जो विद्यालय उस मीटिंग में स्वीकृत कर दिये गये तो जिन्होंने बाद में लिख कर भेजा उनकी सूची के अनुसार आपने नये विद्यालयों को खोलने के लिये स्थान का चयन कर लिया। जब विद्यालय के स्थान के बारे में मीटिंग में स्वीकृति हो गयी थी, जबकि समिति का निर्णय अन्तिम माना जाता है फिर उस पर किसी दूसरे की संस्तुति कैसे थोपी जा सकती है? मेरे पास उस दिन की कार्यवाही की कापी है कि वहां जो तीन विद्यालय स्वीकृत हुए थे उसे न खोल कर आपने दूसरी जगह पर विद्यालय खोले, इसका कारण क्या है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी यही बात दोहराई थी फिर कह रहा हूं कि उस बैठक में दो माननीय विधायक उपस्थित थे, जिसमें 7 स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव आया था, जबकि महज तीन ही स्कूल खोले जाने थे, जो खोल दिये गये खण्डा का जो खेड़ा बागों वाली में और जो माननीय सदस्य मलिक जी कह रहे हैं, वह भी उसमें

सम्मिलित हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गयी है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, जबकि दिल्ली सरकार को माननीय सांसद और प्रदेश को माननीय विधायकगण चला रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय सांसदों की संस्तुति के आधार पर जूनियर हाई स्कूल की पाठशालायें खोले जाने का औचित्य क्या है जबकि प्रदेश को विधायक लोग चला रहे हैं और वही यहां की समस्याओं से ज्यादा वाकिफ हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जन-प्रतिनिधि आप भी हैं और वह भी हैं इसलिये इसमें कोई अन्तर पैदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि अभी सूचना दी है कि 7 स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव आये थे और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि उस बैठक में दो विधायक ही उपस्थित थे, जिनकी संस्तुति के आधार पर स्कूल खोल दिये गये, जबकि मान्यवर, हुआ यह कि हरिजन बाहुल्य क्षेत्र के जो दो स्कूल माना और जीवना खोले गये हैं वह सांसद सदस्य श्री मीर आलम साहब की संस्तुति पर खोले गये हैं और 7 स्कूलों के प्रस्ताव की जो बात कही गयी है वह मान्यवर, आप स्वंय 29 अगस्त, 1987 की कार्यवाही देख लें, जिसमें केवल तीन स्कूलों की सूची दी गयी थी और 4 स्कूल प्रतीक्षा सूची में रखे गये थे कि जब भी कोई प्रस्ताव कहीं का आयेगा तो इन्हीं 4 स्कूलों में से छांट कर खोल दिये जायेंगे और जब मैं माननीय मंत्री जी के कक्ष में जाकर मिला था तो माननीय मंत्री जी ने पूरी बात समझकर, कागजात देखकर जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को लिखा था, लेकिन आज तक माननीय मंत्री जी के उन आदेशों का पालन नहीं हो सका है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी आपसे उन आदेशों का अनुपालन कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय विधायक जी मुझ से मिले थे और इन्होंने जो बताया मैंने उसी के अनुसार आदेश दे दिये थे, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार काम नहीं हुआ, इसके अतिरिक्त काम हो गये, तो मैं कहना चाहता हूं कि उस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि जो भी विधायक, सांसदगण उपस्थित नहीं हैं, उनकी संस्तुति भी मंगा ली जाये और तद्नुसार उनकी संस्तुति को भी देखते हुये निर्णय लिये जाये, तो जो लोग उपस्थित नहीं हो सके थे, उनकी संस्तुति भी मंगाई गयी, फिर उसके अनुसार निर्णय हुये, इसलिये इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुयी है ।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो पत्र मैंने दिये थे, उसके साथ ही शिक्षा सलाहकार समिति की प्रोसीडिंग्स व जिलाधिकारी के फरमान आदि भी दिये थे और उस दिन की प्रोसीडिंग यदि देख ली जाये तो मालूम हो जायेगा कि जो लोग आज की बैठक में उपस्थित नहीं हैं, उनकी भी राय ले ली जायें, यह मेरा ही प्रस्ताव था इसी के अनुसार निर्णय

हुआ, यह ठीक है कि उनकी संस्तुति के हिसाब से भी काम हो गया परन्तु मेरे मामले में जो माननीय मंत्री जी ने आदेश दिये थे जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को जिन स्कूलों को खोले जाने के बारे में तो क्या माननीय मंत्री जी उन स्कूलों को खुलवाने का कष्ट करेंगे ?

(श्री हरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

हरेन्द्र सिंह जी, अब आप बैठिये ।

श्री मैनजर सिंह--

जिस स्थान के लिये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, यहां पर तो स्कूल खुलने ही चाहिये । बाकी के लिये संसद सदस्यों और विधायकों की राय लेनी चाहिये । जो कमेटी का प्रस्ताव था, उसको मान लेना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिये ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

आप मेरे प्रश्न को ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

वह मैं बाद में लूंगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

आप मेरे प्रश्न को ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

शाही जी, आप कहते हैं कि मैं घड़ी फिर उलट दूं ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मेरा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है । गाड़ी लेट हो गयी इसलिये मैं समय पर नहीं पहुंचा ।

श्री अध्यक्ष--

अगर समय रहा तो ले लूंगा ।

विकास खण्ड बाबागंज गनेशपुर तहसील नानपारा जनपद बहराइच की सड़कों की मरम्मत विषय पत्र पर कृत कार्यवाही

*3--श्री देवता दीन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 10 मार्च, 1987 का पत्र जो वि0 खं0 बाबागंज गनेशपुर, तहसील नानपारा, जनपद बहराइच

की सड़क की मरम्मत के विषय पर था, क्या उस पर जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम रहे ? क्या दोषी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सम्पूर्ण विवरण आदरणीय सदन के पटल पर रखेंगे ?

ग्राम्य विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

जी हां । प्रश्नगत पत्र की जांच प्राविधिक सम्प्रेक्षण कोष्ठ द्वारा कराई गई । जांच में पाया गया कि कार्य के त्रुटिपूर्ण मापन के कारण 1,420.00 रु0 की अनुमानित शासकीय क्षति हुई है । दोषी व्यक्तियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री देवता दीन--

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मापन में क्या-क्या कमियां थी, जो पायी गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जो जांच रिपोर्ट है, उसके अनुसार करीब 1,420.00 रु0 की अनुमानित शासकीय क्षति हुई है । इसकी जिम्मेदारी जूनियर इन्जीनियर और सहायक इन्जीनियर की थी और इसी कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर जो कार्यवाही मुनासिब होगी वह की जायेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जूनियर इन्जीनियर और सहायक अभियन्ता दोषी पाये गये हैं, उनको निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मैं माननीय वर्मा जी के विचार से सहमत हूं और उनका निलम्बन कर देना चाहिये था । मैं जूनियर इन्जीनियर और असिस्टेंट इन्जीनियर को निलम्बित कर दूंगा ।

श्री देवता दीन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि मापन में क्या-क्या कमियां थीं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मैंने कह दिया कि निलम्बित कर दूंगा और सारी कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय सदस्य ने पूछा है कि मापन में क्या-क्या कमियां पायी गयी हैं तो माननीय मंत्री जी ने निलम्बन की घोषणा कर दी, तो आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें कि क्या-क्या कमियां पायी गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, जो जांच कराई गई थी उसमें यह तथ्य प्रकाश में आये--

(1) मापों को अंकित करते समय कार्य स्थल की वास्तविक चैनिज माप पुस्तिका में अंकित नहीं की गयी और न ही चेकिंग के समय कोई आपत्ति की गई। इसके लिये श्री जे0 पी0 शर्मा, अवर अभियन्ता एवं चेकिंग करने वाले सहायक अभियन्ता श्री मंजूर अहमद उत्तरदायी हैं।

(2) नई ईटों के सीलिंग के कार्य की माप कार्य स्थल पर सही नहीं पायी गयी जिससे 1,420.00 रु0 की अनुमानित शासकीय क्षति हुई। इसके लिये श्री जे0 पी0 शर्मा, अवर अभियन्ता एवं श्री मंजूर अहमद, सहायक अभियन्ता को त्रुटिपूर्ण मापों की चेकिंग के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है।

(3) प्राविधिक कोष्ठ के प्रथम निरीक्षण के दौरान श्री मंजूर अहमद, सहायक अभियन्ता एवं श्री जे0 पी0 शर्मा, अवर अभियन्ता को नई एवं पुरानी ईंटों की सीलिंग के मार्किंग के सम्बन्ध में कोष्ठ को गलत सूचना दी।

श्री देवता दीन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो काम नहीं हुआ है क्या उसे आप जल्दी करवाने की कृपा करेंगे और इसे कितने दिन में पूरा करवायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इस प्रकरण की जांच होगी और जो भी मुनासिब कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पर्वतीय क्षेत्र के विकासार्थ पर्वतीय विकास परिषद् का गठन

*1--श्री पूरन सिंह माहरा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय क्षेत्र में समयबद्ध व योजनाबद्ध कार्य करने हेतु तथा वहां की गम्भीर समस्याओं के निराकरण हेतु क्या पर्वतीय विकास परिषद् का पुनर्गठन कर, उसकी सभी उप समितियों को भी पुनर्जीवित कर कार्य को तीव्र गति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित--)

शासन का पर्वतीय विकास परिषद् के पुनर्गठन का कोई विचार नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में समयबद्ध कार्य कराने हेतु जिला व मण्डल व राज्य स्तर पर नियोजन एवं अनुश्रवण का उपयुक्त प्रबन्ध पूर्व से ही उपलब्ध है। पर्वतीय विकास परिषद् को सात सेक्टर वार उप समितियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता नहीं है। मण्डलीय उप समितियां कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल के लिए कार्यरत हैं जिनकी बैठकें नियमित रूप से बुलाये जाने का प्रस्ताव है।

श्री पूरन सिंह माहरा--

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का उत्तर देकर माननीय मंत्री जी ने इस पर्वतीय विकास विभाग के बनाये जाने की सारी सैद्धान्तिक बातों को नकार दिया है। इस

पर्वतीय विकास परिषद् का गठन इस प्रकार हुआ है कि इसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी होते हैं, सीनियर उपाध्यक्ष माननीय मंत्री जी होते हैं और एक उपाध्यक्ष और भी होता है माननीय मंत्री जी ने उसका पुनर्गठन करने की बात को नकार दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो नियोजन और अनुश्रवण के लिये पर्वतीय विकास परिषद् का पूर्व में गठन होता रहा है उसको न करके उसके लिये अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष रखने की क्या आवश्यकता है ? जो नियोजन और अनुश्रवण के लिये वहां की समस्याओं के निराकरण हेतु पर्वतीय विकास परिषद् का पुनर्गठन नहीं कर सकती तो ऐसे विभाग को बनाये रखने की क्या आवश्यकता है ? इसलिये जो पर्वतीय विकास का विभाग बजट का ऐलोकेशन है उसको अलग न करके उसे मूल विभागों के बजट में सम्मिलित करने का आप सदन में आश्वासन देंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, पर्वतीय विकास परिषद् आल-रेडी गठित है।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में उप समितियां काम कर रही हैं ? मंत्री जी कृपया यह बता दें कि यह समितियां किन-किन तिथियों में अब तक अपनी बैठकें कर चुकी हैं और उनमें क्या-क्या निर्णय हुये हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर जो यह उप समितियां गठित की गई हैं उनमें गढ़वाल मंडल में सम्मानित सदस्य भी इसके सदस्य हैं। गढ़वाल मंडल की उप समिति में श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री गुलाब सिंह तथा श्री शूरबीर सिंह सजवाण सदस्य हैं। इनका दायित्व है कि वे इस समिति की बैठक बुलायें क्योंकि उसमें इनको मनोनीत किया गया है।

श्री पूरन सिंह माहरा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हास्यास्पद उत्तर दिया है। माननीय सुरेन्द्र सिंह तथा अन्य माननीय सदस्य जो इस समिति के सदस्य उन्होंने बताये हैं, वे कैसे इसकी बैठक बुला सकते हैं, किस अधिकार से बुला सकते हैं जब तक कि अध्यक्ष यानी मुख्य मन्त्री जी या उपाध्यक्ष यानी माननीय मन्त्री जी इसकी बैठक न बुलायें। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किस अधिकार के तहत हम विधायक इसकी बैठक बुलायें और अनुश्रवण और नियोजन की बात कहें ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, बैठक बुलाने के बारे में मैंने बात नहीं कही। मैंने कहा अगर बैठक की आवश्यकता समझते थे तो कृपा कर पत्र द्वारा सूचित कर देते कि इस वक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता है और बैठक बुला ली जाती। तो जहां तक बैठक बुलाने की बात है वह निकट भविष्य में बुला ली जायेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)--

माननीय मन्त्री जी का कहना है कि किसी विधायक ने बैठक नहीं बुलाई। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि शीघ्र माननीय मन्त्री जी इसकी डेट फिक्स करें।

श्री अध्यक्ष--

यह उसके लिये नहीं है ।

श्री राम औतार दीक्षित---

अगले महीने ही इसकी बैठक बुला ली जायेगी ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं माननीय पूरन सिंह तथा मेरी निश्चित जानकारी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने निर्देश दिया था कि पर्वतीय विकास परिषद् का गठन करके उप समिति बना दी जाय आज से 3 महीने पहले यह बात हुई थी तो क्या यह सत्य है ?

श्री राम औतार दीक्षित---

मान्यवर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

(प्रश्न संख्या दो के पुकारे जाने पर ।)

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, एक प्रश्न और कुछ पूंछ दें ।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं आगे बढ़ गया हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

इजाजत दे दें । मैं आपकी अनुमति से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय विकास परिषद् में कौन-कौन सदस्य हैं । क्या सदस्यों के बिना श्री अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्य कर रहे हैं ? तो क्या पर्वतीय क्षेत्र के सदस्यों को प्रत्येक जिले से उसमें नामित कर रहे हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित---

मान्यवर, इसमें सभी विधायक, सांसद सदस्य हैं तथा और जनप्रतिनिधि इसके सदस्य हैं । इस समय सूची मेरे पास उपलब्ध नहीं है । यदि आज्ञा दे तो मैं माननीय सदस्य को सूची उपलब्ध करा दूंगा ।

(प्रश्न संख्या 2, 3 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्त्ता सदस्यों के अनुपस्थित होने पर ।)

जानसठ विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में लगे निःशुल्क बोरिंग तथा पम्पसेट

*2---श्री दीपक कुमार--- (अनुपस्थित)

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1985-86 व 1987-88 में जनपद मुजफ्फरनगर में जानसठ विधान सभा क्षेत्र के कितने निशुल्क बोरिंग पर कितने पम्प सेट लग चुके हैं तथा उनके सापेक्ष अनुदान का समायोजन हो गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जानसठ एवं खतौली विकास खण्ड में वर्ष 1985–86 में 131 निःशुल्क बोरिंग पर समस्त बोरिंग पर पम्पसेट लग चुके हैं तथा सभी में अनुदान का समायोजन भी हो चुका है ।

वर्ष 1987–88 में 161 निःशुल्क बोरिंग के विरुद्ध 157 बोरिंग पर पम्पसेट तथा एक पर नलकूप लगाया जा चुका है और इन 158 मामलों में अनुदान का समायोजन किया जा चुका है ।

प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में नीति

*3—श्री हृदय नरायन दीक्षित (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबों में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आर्थिक आधार पर छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्या शासन आर्थिक दृष्टि से कमजोर गरीबी रेखा नीचे के आय वर्ग वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की किसी योजना पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

शिक्षा विभाग द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर पर मध्यम एवं निर्धन वर्ग के छात्रों की निर्धारित संख्या के अनुसार विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती हैं । छात्रवृत्तियों की सूची *संलग्न है ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में इस प्रकार की योजना पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 189 पर ।)

महाराष्ट्र एवं तमिलनाडू की भांति उत्तर प्रदेश में हर्ब डेवलपमेन्ट एवं मार्केटिंग कारपोरेशन बनाने की मांग

*4—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री तमिलनाडू व महाराष्ट्र प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में पायी जाने वाली जड़ी बूटी के व्यापार के लिये हर्ब डेवलपमेन्ट एवं मार्केटिंग कारपोरेशन बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम औतार दीक्षित—

जी नहीं । उत्तर प्रदेश में जड़ी–बूटी के संग्रहण एवं विपणन का कार्य पर्वतीय क्षेत्र में जिला स्तर पर सहकारी भेषज संघों द्वारा किया जाता है और इसके अतिरिक्त कुमायूं मंडल विकास निगम द्वारा भी यह कार्य कुमायूं मंडल में किया जा रहा है । प्रदेश स्तर पर जड़ी–बूटियों के विपणन हेतु उत्तर फल एवं जड़ी–बूटी सहकारी संघ लि0 का गठन हल्द्वानी जनपद नैनीताल में किया गया है । अतः तमिलनाडू एवं महाराष्ट्र की भांति पृथक से हर्ब डेवलपमेन्ट एवं मार्केटिंग कारपोरेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुये माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दो बार इसका स्थगन लेने के बाद आज यह उत्तर आया है, जी, नहीं। तो यह तो पहली बार ही आ सकता था। दोनों बार माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि तमिलनाडू और महाराष्ट्र सरकारों से इस सम्बन्ध में जानकारी कर रहे हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि हवाई जहाज से इसके लिये दो अधिकारी/कर्मचारी तमिलनाडू महाराष्ट्र भेजे गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि जड़ी-बूटी के व्यापार के लिये हर्ब डेवलपमेन्ट एण्ड मारकेटिंग डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के सम्बन्ध में महाराष्ट्र और तमिलनाडू से क्या रिपोर्ट आई है और उसको लागू करने में माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत है ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, तमिलनाडू से जो रिपोर्ट आयी है वह लगभग 30-40 पेज की है। यदि आज्ञा दें तो पढ़कर सुना दूं।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, ऐसे नकारात्मक उत्तर हैं, इसलिये आपका हमें संरक्षण चाहिए। दो बार नियम 31 का भी उल्लंघन करते हुए, आपने मेहरबानी करके स्थगन दिया कि रिपोर्ट मंगायी जायेगी और रिपोर्ट मंगायी भी गयी है। अब यह कहना कि 40 पेज की है। यहां जिस तरह से उत्तर दिया जाना चाहिए वह दिया जाना चाहिए, पढ़ दूं या नहीं, यह कोई उत्तर नहीं है। इसलिये रिपोर्ट का सार बता दें चूंकि इसका सम्बन्ध पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक विकास और जड़ी-बूटी से है।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, मैं भी आपका संरक्षण चाहता हूं। कारण यह है कि जब पिछली बार माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था और कुछ माननीय सदस्यों ने भी उसमें उत्सुकता जानने की चाही थी कि तमिलनाडू और मद्रास में अब तक कोई क्यों नहीं गया और मैनेजर सिंह जी ने कहा था कि हवाई जहाज मौजूद है चले जांय। बहरहाल किसी भी जरिए वहां अधिकारी को भेजा गया, रिपोर्ट आ गयी है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो वहां इस तरह का कोई कारपोरेशन नहीं है। तमिलनाडू की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिस पर स्टडी करने की आवश्यकता है।

फैजाबाद जनपद में निःशुल्क बोरिंग की छूट की धनराशि के भुगतान की मांग

*5—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में पिछले कई वर्षों की निःशुल्क बोरिंग की छूट की लगभग 60 लाख रुपये से अधिक की धनराशि अभी तक सम्बन्धित किसानों को न मिलने के कारण न तो वे इंजन (पंपिंग सेट) खरीद पाये हैं और न उन बोरिंग से सिंचाई ही हो पा रही है उल्टे उन किसानों पर ब्याज की रकम बढ़ती जा रही ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और सभी सम्बन्धित किसानों को छूट की रकम अविलम्ब दिलाने तथा भविष्य में बोरिंग के साथ-साथ छूट की रकम सम्बन्धित किसानों को दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

केवल योजना के प्रारम्भ से द्वितीय वर्ष 1987-88 तक निःशुल्क बोरिंग पर कुल पंपिंग सेट हेतु अनुदान धनराशि 62.009 लाख रुपया देना अवशेष है जिसके

विरुद्ध डी0 आर0 डी0 ए0 के खाते में 33.187 लाख रुपया उपलब्ध है। जिसके समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। निर्धारित लक्ष्यों से अधिक बोरिंग हो जाने के कारण छूट की रकम का भुगतान नहीं किया जा सका। कृषकों को अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में भविष्य में जितनी भी निःशुल्क बोरिंग की जायेगी उनके लिए वित्तीय व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 62.009 लाख रुपये देना अवशेष है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने लाभार्थियों और किसानों को दिया जाना चाहिए था? और 33.187 लाख रुपया कब उपलब्ध कराया गया, इससे कितने किसानों को भुगतान कर दिया जायेगा और कितने लोगों का पेमेन्ट शेष का रह जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, 33.187 लाख रुपया पहले से डी0 आर0 डी0 ए0 के पास उपलब्ध है जब कि कुल 62.009 लाख रुपये की मांग है और निर्देश दिये गये है कि इस रुपये से जो अनुदान देय है उसका समायोजन कर दिया जायेगा और जो बाकी रुपये की आवश्यकता होगी समायोजन के लिये उसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं, जानना चाहता हूं कि 62.009 लाख रुपये जो है यह कितनी बोरिंग पर कितने किसानों को दिया जाना चाहिए था और कितनी बोरिंग हुई एवं जो रुपया डी0 आर0 डी0 ए0 में उपलब्ध है उससे कितने किसानों का भुगतान किया जायेगा और उसके बावजूद कितने किसानों का रुपया तब भी बाकी रह जायेगा, यह बता दें?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह विभिन्न वर्षों में टोटल फैजाबाद में फ्री बोरिंग के लिए लक्ष्य 4898 था, वहां पर बोरिंग कर दी गई 4998 अब विभिन्न वर्षों में जो बकाया है, उसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। टोटल जो मांग की गई है, 62.009 लाख की मांग की गई है और 33.187 लाख रुपया उपलब्ध है, इसमें से जितने किसानों का समायोजन हो जाएगा कर दिया जाएगा।

श्री बाबू राम यादव--

मंत्री जी ने यह कहा कि जो लक्ष्य था उससे अधिक बोरिंग हो गई है, इसलिए इन बोरिंग का अनुदान देना सम्भव नहीं है, तो जो सरकार का लक्ष्य था, उससे ज्यादा बोरिंग कैसे हो गई? और अगर आश्वासन काश्तकारों को यह दिया गया है कि आपकी फ्री बोरिंग होगी, तो लक्ष्य से जितनी भी अधिक बोरिंग हुई है, उसका मंत्री जी कब तक भुगतान करा देंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जो चार वर्षों में बोरिंग की गई है वह लक्ष्य से 100 की और अधिक बोरिंग हो गई है।

श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता--

मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डी0 आर0 डी0 ए0 के खाते में इस मद का रुपया उपलब्ध था, इसके बावजूद बांटा नहीं जा सका है, जिसे अब मंत्री

जी ने बांटने की बात कही है, वह एक अच्छी बात है, लेकिन खाते में रुपया उपलब्ध होते हुए भी वितरित नहीं किया जा सकता, तो क्या इसके लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निश्चित की गई है और इस सम्बन्ध में वह कोई शिक्षात्मक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे कि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

गुप्त जी की राय से मैं सहमत हूं और डी0 आर0 डी0 ए0 के खाते में रुपया उपलब्ध होते हुए भी जो अनुदान किसानों को नहीं दिया गया है, उसके लिए फैजाबाद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जवाब-तलब किया है । यह देखेंगे कि रुपया उपलब्ध होने के बावजूद इन्होंने किसानों का अनुदान समायोजित क्यों नहीं किया है और मुख्यालय से मैं दो अधिकारियों की टीम भेज रहा हूं कि इस रुपये का शीघ्र से शीघ्र समायोजन करा दिया जाए और जो रुपया कम है, उसकी व्यवस्था शीघ्र शासन की ओर से की जाएगी । क्योंकि जो आपकी मंशा है कि किसानों को कोई तकलीफ न हो वह हमारी भी है ।

श्री मित्रसेन--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह बड़ी गम्भीर बात है कि पैसा होते हुए भी किसानों को अनुदान समय से नहीं दिया गया और यह बात साफ नहीं हो रही है कि कितने काश्तकार अनुदान से वंचित रह गये हैं, तो जो वंचित रह गये हैं, उनके ऊपर ब्याज बढ़ा है तो जो बैंक का ब्याज उन पर और बढ़ गया है, तो क्या उक्त ब्याज की धनराशि अनुदान के साथ उन्हें आप दिलाने की कृपा करेंगे ? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अनुदान की राशि किसानों को समय से न मिलने के कारण उनके कर्ज पर ब्याज बढ़ा है तो यह उसकी गलती नहीं है और यह जो लक्ष्य से ज्यादा बोरिंग की गई, यह इनके अधिकारियों की गलती है, तो उनको समय से अनुदान न मिलने के कारण हजारों रुपया उन पर कर्ज का ब्याज बढ़ गया, तो क्या इनके साथ वह ब्याज का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैंने माननीय गुप्ता जी के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि डी0 आर0 डी0 ए0 का रुपया उपलब्ध था तो उसको समायोजित करा देना चाहिए अधिकारियों को 1 रुपया समयोजित नहीं कराया गया इसीलिये फैजाबाद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से जवाब तलब किया गया है कि अनुदान की धनराशि क्यों नहीं समायोजित करायी गयी । मैंने यह भी बताया है कि जो भी अनुदान की धनराशि है उसको शासन शीघ्राशीघ्र समायोजित कराने की कार्यवाही करेगा ।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है यह केवल फैजाबाद का मामला नहीं है कि फर्जी बोरिंग और फर्जी भुगतान के चक्कर में सही लोगों का भुगतान नहीं होता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप फर्जी भुगतान की जांच करवायेंगे और जिन अधिकारियों ने कमीशन लेने के चक्कर में भुगतान अब तक नहीं किया है उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इस प्रकार का प्रकरण यदि प्रकाश में आयेगा तो कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बी0 एड0 प्रवेश हेतु परीक्षा

*6—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाद के कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दिसम्बर, 1987 में हुई बी0 एड0 की परीक्षाओं में सैकड़ों परीक्षार्थियों द्वारा फर्जी प्रवेश-पत्र के आधार पर परीक्षा देने का मामला प्रकाश में आया है ? क्या यह सही है कि इस प्रकार के फर्जी प्रवेश पत्रों को जारी करने में अवध विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बन्धित महाविद्यालयों के कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों और अध्यापकों के एक संगठित गिरोह का हाथ है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और इस षड़यंत्र में शामिल अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर उन्हें दण्डित करने में तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

26 परीक्षार्थियों का मामला प्रकाश में आया है ।

संज्ञान में नहीं है ।

फर्जी प्रवेश पत्रों के आधार पर परीक्षा में बैठने का प्रकरण प्रकाश में आने पर थाना कोतवाली, फैजाबाद में मुकदमा पंजीकृत कराया गया । भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए विश्वविद्यालय सतर्क है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि यह फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने में अब तक की जांच में किन-किन लोगों का हाथ पाया गया है ? उसमें क्या विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के कुछ प्राध्यापकों का हाथ पाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं आदरणीय तिवारी जी को सूचित करना चाहूंगा कि जैसा कि प्रश्न में उन्होंने यह बात उठायी थी कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों और अध्यापकों के एक संगठित गिरोह का इसमें हाथ है तो उत्तर में स्पष्ट कहा गया है कि यह संज्ञान में नहीं है । मैं यह बात बताना चाहूंगा कि जिस समय यह बात उस महाविद्यालय के प्राचार्य के संज्ञान में आयी तो उन्होंने तुरन्त ही विश्वविद्यालय को सूचित किया और अवध विश्वविद्यालय के जो वी0 सी0 हैं उन्होंने तुरन्त ही इस संबन्ध में 27 नवम्बर, 1987 को डिप्टी रजिस्ट्रार श्री कौशल किशोर और अन्य आदमियों को भेजा । 28 नवम्बर, 1987 को यह आदेश दिया कि ऐसी उत्तर पुस्तिकायें इक्जामिनर के पास न भेजें जिनकी प्रवेश वैधता प्रमाणित न हो । इसके अलावा उन्होंने एस0 एस0 पी0 तथा डी0 एम0 को भी लिखा । इस सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज करायी गयी है । इस सम्बन्ध में वी0 सी0 ने 22 अप्रैल, 1988 को दो आदमियों की एक जांच समिति बनायी है जिसमें डा0 एस0 एन0 सिंह जो प्रोफेसर हैं और हेड आफ डिपार्टमेन्ट मैथ तथा डीन हैं । इसके अलावा समिति में श्री कल्याण सिंह जो रीडर आफ फिजिक्स हैं तथा प्राक्टर हैं, इस समिति से एक माह में जांच रिपोर्ट मांगी गयी

है । तो मान्यवर, युनीवर्सिटी ने ऐक्शन लिया है, सम्बन्धित कापियां रोक दी गयी हैं । पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है । इसमें विवेचना जारी है । 26 में से 5 लोग श्री राम तेज, लेखराम, जगन सिंह, विनोद कुमार, प्रेम सिंह के खिलाफ 420 आई0 पी0 सी0 की चार्जशीट दाखिल कर दी गयी और न्यायालय में विचाराधीन हैं । इस बात के आदेश दे दिये हैं कि इस मामले की जांच गहराई से की जाय ताकि यह पता लगाया जाय कि इस मामले की जड़ विश्वविद्यालय में है या किसी दूसरे स्थान पर है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन पांच विद्यार्थियों के बारे में विवेचना पूरी हो गयी है और चार्जशीट दाखिल है, उसके बारे में पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उनको कैसे फर्जी प्रमाण-पत्र मिला, उसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कौन-कौन से अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित रहे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जितने परीक्षार्थियों के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है, उनमें से 5 के खिलाफ चार्जशीट लगायी गयी है, बाकी के बारे में संज्ञान में नहीं है, क्योंकि पुलिस विवेचना कर रही है । पांच के बारे में चार्जशीट भेज दी गयी है और वह न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि चार्जशीट पांच लोगों के खिलाफ न्यायालय में भेज दी गयी है । मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है कि जब यह चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है, तो उसके बाद पुलिस का विवेचना करने का अधिकार नहीं रह जाता है, तो मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह कोई दूसरी एफ0 आई0 आर0 है, जिसकी पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, माननीय उपाध्याय जी हमारे फैजाबाद मंडल के बहुत माने हुये वकील हैं । मान्यवर, मैंने यह कहा था कि इनमें 26 में से 5 के खिलाफ, जिनके खिलाफ साक्ष्य मिल गये हैं, चार्जशीट लगा दी गयी है और विवेचना जारी है । मान्यवर, एक कानून का सिद्धान्त है, जो मुझे बतलाया गया है कि आई0 पी0 सी0 इज नो लिमिटेशन । इसका मतलब मान्यवर, यह है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, पुलिस जितनी गहराई में जायगी, उसको और जानकारी मिलेगी । ऐसा नहीं है कि विवेचना बन्द हो गयी है ।

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष मैंने इस सवाल को नियम 301 के अन्तर्गत उठाया था, उस पर छान-बीन हुई । मैंने उस प्रश्न में यह दिखाया था कि प्रतापगढ़, सुलतानपुर, बहराइच, गोण्डा के सम्बद्ध विद्यालयों के छात्रों ने फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश पा लिया था और जो लोग फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश पाये हैं, उनकी तो जांच नहीं करायी गयी, लेकिन जो 26 विद्यार्थियों का मामला प्रकाश में आया है, उसमें पुलिस और विद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मिल कर जांच को प्रभावित कर रहे हैं । इसकी निष्पक्ष और स्वच्छ जांच के लिए क्या माननीय मंत्री जी सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, यह प्रश्न बी0 एड0 के सम्बन्ध में था और जो माननीय मित्रसेन यादव जी प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, गोण्डा आदि के बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में यदि वह लिखकर दे देंगे, तो उसकी जांच अवश्य करा लेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फर्जी प्रमाण-पत्र जहां से पाये गये, जिनकी सील से ये फर्जी प्रवेश हुये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी ? जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किये उनके क्या-क्या नाम हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? आपने तो पांच विद्यार्थियों के खिलाफ आरोप-पत्र भेज दिया है, लेकिन जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये फर्जी प्रमाण-पत्र दिया, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध थी और जितनी विवेचना हो चुकी है, वह मैंने बतलाया और एस0 एस0 पी0 यह आदेश दिये हैं कि इस मामले की बहुत गहराई से जांच की जाय ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न साफ है । जो फर्जी प्रवेश-पत्र छात्रों को मिले जिसके आधार पर वह परीक्षा में बैठे थे, तो यूनिवर्सिटी के कौन से बाबू, कौन से अधिकारी, कौन से रजिस्ट्रार इसमें दोषी थे जिसकी सील से वह गया । उस सम्बन्ध में आपके संज्ञान में किनके नाम आये हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है, यह बताने की कृपा करें ? छात्रों को तो आपने दंडित करा दिया लेकिन जो लोग वहां बैठे भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, आपने बहुत सुन्दर प्रश्न दुबारा किया है दूसरी भाषा में । मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा था कि जितनों के विरुद्ध मामले प्राप्त हो जायेंगे उतने के खिलाफ कारवायी की जायेगी । पुलिस विवेचना अभी चल रही है । यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यह भी देख लिया जायगा कि वह यूनिवर्सिटी में हैं या कहीं और हैं, तो इसमें आपको आश्वासन है । आप चिन्ता न करें । वी0 सी0 ने जांच समिति बैठाल दी है और पुलिस भी जांच में लग गयी है । सवाल आज किया गया है अगर 2 महीने बाद किया गया होता तो और भी ज्यादा बड़ा उत्तर आता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि किन लोगों का हाथ है यह अभी उनके संज्ञान में नहीं है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बी0 एड0 के सैकड़ों परीक्षार्थी इस सेन्टर पर बैठे थे परीक्षा के लिये और जब यह 26 मामले प्रकाश में आये तो क्या यह सही है कि सैकड़ों लोगों ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया ?

दूसरा यह कि बी0 सी0 ने दो आदमियों की एक कमेटी बना दी है ? क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि इसके पहले भी बी0 सी0 ने बी0 एड0 की परीक्षाओं में इसी प्रकार के भ्रष्टाचार की एक कमेटी बैठायी थी और उस कमेटी ने इसके पहले के सालों में जो संस्तुति की थी उसको नजरन्दाज कर उस परीक्षाफल को घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो उन परिस्थितियों को देखते हुये माननीय मन्त्री जी कोई उच्चस्तरीय जांच इस मामले में कराने की कृपा करेंगे, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जो तिवारी जी की चिन्ता है उसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह परीक्षायें 1987 के बी0 एड0 की हैं। यह 27.11 को हुई, 30.11 को हुयी, 2.12 को हुयी, 4.12 को हुयी, 7.12 को हुयी और 9.12 को हुयी। 27.11 को प्राचार्य ने पाया कि 23 परीक्षार्थी ऐसे बैठ रहे हैं जिनके बारे में सेन्टर के अभिलेखों में जिक्र नहीं है तो 28 तारीख को उसने सूचना भेज दी। तो 27 नवम्बर, 1987 को ऐसे 23 लोग थे, 30 नवम्बर, 1987 को 2 और का पता चला और 2 दिसम्बर, 1987 को एक और पता चला तो 23 और 2=25 और 1 मिलाकर 26 हुये। इस तरह से 26 आदमियों के मामले संज्ञान में आये हैं। आगे चलकर अगर कोई चीज और पता चलती है तो उसमें भी कार्यवाही की जायेगी। एक जो पहली बात बतलायी, उसकी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसका इसमें जिक्र नहीं था। उसकी सूचना उपलब्ध कराकर मैं आपको दे दूंगा।

[सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

महिला उप विद्यालय निरीक्षिकाओं की प्रोन्नति

*1--श्री पूरन सिंह माहरा--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के लिये पुरुष व महिला दो अलग-अलग सम्वर्ग हैं ? यदि हां, तो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उपविद्यालय निरीक्षक व निरीक्षिकायें, जो सन् 1969 में साथ-साथ चयनित होकर नियुक्त किये गये, में से कितने पुरुष निरीक्षक तथा महिला निरीक्षिका अलग-अलग प्रथम श्रेणी पा चुकी हैं ? महिला निरीक्षिकाओं को प्रोन्नति न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या भविष्य में सीनियारटी को मापदंड मानकर महिला अथवा पुरुष को वरीयता क्रम में प्रोन्नति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

जी हां।

महिला शाखा में प्रथम श्रेणी के कम पद होने के कारण।

वर्ष 1969 के लोक सेवा आयोग से चयनित 15 उप विद्यालय निरीक्षकों में से 14 प्रथम श्रेणी पा चुके हैं। 1969 में चयनित 10 उप बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं में से एक प्रथम श्रेणी पा चुकी हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि उत्तर प्रदेश एजूकेशनल सर्विस (क्लास-1) रूल्स 1945 के प्राविधानों के अनुसार अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित), उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनक्रम तथा उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा ज्येष्ठ वेतनक्रम 1,250-2,050, 1360-2,125 तथा 1,660-2,300 के सम्वर्ग पुरुष तथा महिला शाखा के अलग-अलग हैं और अपने-अपने सम्वर्ग के अलग-अलग प्रोन्नति के प्राविधान हैं ।

श्री पूरन सिंह माहरा--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उनके उत्तर के सन्दर्भ में कि वर्ष 1969 के लोक सेवा आयोग से चयनित 15 उप विद्यालय निरीक्षकों में से 14 प्रथम श्रेणी पा चुके हैं और 10 उप बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं में से एक प्रथम श्रेणी पा सकी है और माननीय मन्त्री जी के अनुसार इनके सम्वर्ग अलग-अलग हैं । मेरा सीधा प्रश्न है माननीय मन्त्री जी से कि जहां आज महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने की बात कही जा रही है, शासन की नीति भी है, तो चूंकि यह महिलाओं के लिये क्लास-1 की नौकरी करने का अवसर प्राप्त करने के लिये है, क्या माननीय मंत्री जी क्लास-1 के पदों के लिये दोनों अलग-अलग सम्वर्ग को समाप्त करके दोनों को एक ही सम्वर्ग में लेते हुये दोनों को प्रोन्नति के समान अवसर प्रदान करेंगे ? प्रथम श्रेणी में पुरुषों में 15 में से 14 की प्रोन्नति हो गयी, जबकि महिलाओं में 10 में से केवल एक ही प्रोन्नत हो सकी, यह महिलाओं के साथ असमानता है । मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि ऐसा सम्वर्ग, जो महिलाओं के प्रोन्नति की रास्ते में रोड़ा अटका रहा हो, उसे समाप्त करके महिलाओं को पुरुषों के समान प्रोन्नत करने के सम्बन्ध में आश्वासन देंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जैसा कि मैंने माननीय माहरा जी के उत्तर में बतलाया है कि इन दोनों के अलग-अलग सम्वर्ग हैं । महिला शाखा में प्रथम श्रेणी के 11 पद हैं और पुरुष वर्ग में 109 हैं । मान्यवर, यह जितना भी है यह मान्यवर, यू0 पी0 एजूकेशनल सर्विस (क्लास-1) रूल्स, 1945, जो कि उत्तर में भी दिया है, उसके अनुसार है । यह सारी चीजें नियमानुसार हैं और आप देख लें कि महिला शाखा में 11 पद हैं और पुरुषों में 109 पद हैं । प्रोन्नति भी उसी के अनुसार होगी । आपने एक बात कही कि नियमों को तोड़ दिया जाय या इस पर विचार करेंगे तो मान्यवर, यह दूसरी चीज हो गयी । आपने कारण पूछा मैंने बता दिया । नियम तोड़े जायें और नये नियम बनें यह कोई बात नहीं है ।

श्री पूरन सिंह माहरा--

मान्यवर, यह महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर दिये जाने का नीतिगत प्रश्न है । वहां पर दोनों के अलग-अलग सम्वर्ग होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि प्रथम श्रेणी के पदों में, जैसे कि विधायकों में अलग सम्वर्ग नहीं है, मन्त्रियों में अलग सम्वर्ग नहीं है और वहां पर महिलाओं और पुरुषों का अलग सम्वर्ग होने से महिलाओं का कितना बड़ा हरेसमेंट होता है कि महिला होने के कारण वे द्वितीय श्रेणी में पड़ी रह जाती हैं, जबकि पुरुष प्रथम श्रेणी में प्रोन्नत हो जाते हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि दोनों को अलग-अलग सम्वर्ग को समाप्त करके प्रथम श्रेणी के पदों में दोनों को एक ही सम्वर्ग में मानकर प्रोन्नत करने सम्बन्धी नियम बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, यह तो अपील कर रहे हैं। इस समय सम्प्रति में ऐसी कोई चीज नहीं है। जो नियम हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चपरासियों की नियुक्तियों पर कृत कार्यवाही

*2--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से बिना किसी रिक्ति के चौदह चपरासियों की नियुक्ति की गई हैं और जब भ्रष्टाचार के उक्त मामले का भण्डाफोड़ हुआ तो उन सबको सेवामुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया ? क्या यह सही है कि उसी आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् में सेवारत हुये मृत हुये लोगों के आश्रितों को भी सेवामुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और दोषी लोगों को दन्डित करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जी हां।

मामला प्रकाश में आने पर प्रश्नगत 14 अनियमित नियुक्तियां निरस्त की गईं जो रिक्तियां सुनिश्चित किये बिना की गई थीं। इस प्रकरण में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), फैजाबाद की जांच आख्या बेसिक शिक्षा परिषद् को प्राप्त हो गई है। प्रश्नगत मामले में शीघ्र निर्णय लेकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), फैजाबाद की जांच आख्या में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये हैं ? और उन व्यक्तियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, श्री अमरजीत सिंह, व्यायाम शिक्षक हैं तथा जो उपविद्यालय निरीक्षक कार्यालय फैजाबाद से सम्बद्ध हैं, उसी कार्यालय में उन्होंने यह रिपोर्ट किया कि 14 पद रिक्त हैं, उस पर भर्ती की जाय। श्री अमरजीत सिंह की इस रिपोर्ट पर संबंधित सहायक श्री राम वृक्ष सिंह एवं तत्कालीन इन्चार्ज प्रधान लिपिक श्री त्रिलोकीनाथ वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये, पुष्टि की। फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन मांगा गया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपना अनुमोदन दे दिया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, मैं बता रहा था कि तत्कालीन उपविद्यालय निरीक्षक श्री राम [illegible]न सिंह ने 23-10-87 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद से वित्तीय अनुमोदन

हेतु अनुरोध किया। उन्होंने अनुमोदन दे दिया। आपसुन लें, मैं पूरे तथ्य बता रहा हूं। इसके बाद नियुक्ति के लिये श्री राम स्वारथ सिंह, तत्कालीन उप विद्यालय निरीक्षक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से वित्तीय अनुमोदन मांगा। वित्तीय अनुमोदन भी प्राप्त हो गया। इस तरीके से सिलसिलेवार कार्यवाही की गयी। कार्यालय के बाबू व्यायाम शिक्षक की आज्ञा पर उप विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसका सत्यापन करना चाहिये था, उन्होंने सत्यापन भी नहीं किया, अनुमोदन दे दिया। इसके बाद जब श्री राम स्वारथ सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गये और वहां से चले गये, तो श्री बिन्देश्वर उपाध्याय जी आये फिर यह शिकायत आने पर मामला सामने आया कि गलत नियुक्तियां हो गयी हैं, पद बिल्कुल नहीं हैं, इन्हें निरस्त किया जाय। तो यह 6-1-88 को नियुक्तियां निरस्त कर दी गयीं। यह लोग जांच में ही दोषी पाये गये हैं। इसकी रिपोर्ट सहायक निदेशक (बेसिक) में परिषद् को दे दी है। परिषद् की तरफ से यह कर दिया गया कि इनके विरुद्ध जो भी यथोचित कार्यवाही हो, वह की जाय। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जांच में लोग दोषी पाये गये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दोषी पाये गये, उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही शासन करने जा रहा है? दूसरे, क्या जांच में यह भी बात प्रकाश में आयी कि यह नियुक्तियां पैसा लेकर के की गयी हैं। जब पद ही उपलब्ध नहीं थे, तब कैसे नियुक्तियां कर दी गयीं? मान्यवर, इसके अतिरिक्त, जो सेवारत लोगों के आश्रित थे, सेवारत मृतकों के आश्रित थे, उनकी भी नियुक्तियां रद्द कर दी गयीं हैं, उनको तो शासनादेश का फायदा दे कर नियुक्तियां की गयी थीं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जानना चाहा कि क्या कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं, मान्यवर, यह तो पूरा प्रकरण सामने है और जो भी कार्यवाही उचित बनेगी उसी तरह की कार्यवाही की जायेगी। जहां तक मृतकों के आश्रितों का मामला है, स्थान ही बिल्कुल 14 नहीं थे और ऐसी स्थिति में वह नियुक्ति की गयी थी। पद ही नहीं तो नियुक्तियां उचित नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये उसे निरस्त कर दिया गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने मान लिया कि नियुक्तियां अवैध हुई थीं, उसमें अभी दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, अभी जैसा माननीय तिवारी जी ने पूछा कि मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति के बारे में, उनको इनसे पृथक् रख कर विचार करेंगे?

तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे जो यह अवैध नियुक्तियां की गयी हैं, उनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी और अब कब तक कार्यवाही होगी? साथ ही जो नियुक्तियां रद्द कर दी गयी हैं, उन्हें सेवा में कब तक ले लिया जायेगा?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, इस मामले में अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी और जहां मृतकों के आश्रितों की नियुक्तियों का सवाल है, स्थान उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन अधिकारियों का नाम आपने, अपने उत्तर में गिनाया है, जिन्होंने अमुक-अमुक अवैधानिक कार्य किये हैं साथ ही जिन अधिकारियों ने बिना स्थान रिक्त हुये कर्मचारियों की आपूर्ति कर दी, जो बहुत बड़ी अनियमितता है, उनके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही करने में आपको क्या कठिनाई है ? जिन अधिकारियों ने पैसा ले लिया है, क्या उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही सुनिश्चित करने जा रहे हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, जहां तक पैसा लेकर नियुक्ति करने का सवाल है, इसके बारे में नीमय रघुवर दयाल वर्मा जी ही जानते होंगे मुझे तो यह नहीं मालूम है । लेकिन जहां तक कार्यवाही करने का सवाल है, निश्चित रूप से जिन लोगों के ऊपर दोष है, उसी के अनुसार उनपर कार्यवाही आवश्य की जायेगी ।

श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि पैसा लिया गया या नहीं लिया गया, इसकी जानकारी माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी को होगी । इस तरह की जानकारी होने का माननीय वर्मा जी को कोई औचित्य नहीं है । लेकिन कम से कम माननीय मंत्री जी को यह जानकारी अवश्य करानी चाहिये थी कि स्केन्डिल के रूप में जो चयन किया गया है, जबकि रिक्तियां थी ही नहीं । इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें पैसा लिया गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगर इन नियुक्तियों में पैसा लिये जाने की पुष्टि होती है, तो क्या माननीय मंत्री जी दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमें दायर करेंगे या नहीं ? जहां-जहां स्थान रिक्त है, वहां आपकी जानकारी में होने के बावजूद चयन द्वारा उनको भरा नहीं गया है, क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, जहां तक पैसा लेकर नियुक्ति करने का मामला है, अगर इस तरह की कोई जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । जहां तक मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति का सवाल है । यदि स्थान उपलब्ध होंगे, तो उसके 25 प्रतिशत भाग पर मृतक के आश्रित नियुक्त किये जायेंगे और जहां-जहां स्थान रिक्त होंगे उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ?

प्रदेश में रिक्त प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के पदों की संख्या एवं नियुक्तियां

*3--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिलों में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि इन रिक्त पदों हेतु जून 1987 में शासन द्वारा साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां, तो अब तक साक्षात्कार के परिणामों की घोषणा एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र न निर्गत किये जाने के क्या कारण है और चयनित अभ्यर्थियों को कब तक रिक्त पदों वाले जिलों में नियुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

बत्तीस जिलों में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त हैं।

जी हां।

मामला शासन के विचाराधीन है। निर्णय होने के पश्चात् अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार भी किया है कि 32 जिले अभी ऐसे हैं, जहां प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नहीं हैं। मान्यवर, इसके लिये जून, 1987 में, नियुक्ति के लिये चयन प्रक्रिया चली और उसमें मेरी जानकारी है कि उसमें कुछ लोग चयनित भी कर लिये गये। यदि मान्यवर, मेरी जानकारी सही है, तो उसे सही मानते हुये माननीय शिक्षा मन्त्री जी 25 लोगों की नियुक्ति पर सहमत हैं और 4 लोगों की नियुक्ति के लिये कार्मिक से राय लेने के लिये लिखा गया था, राय आ गयी है। इसके बावजूद भी चयनित लोगों की सूची प्रकाशित क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, माननीय विधायक बता रहे हैं कि कार्मिक विभाग से कुछ लोगों के बारे में राय ली जा रही है। मैं तो कह रहा हूं कि यह मामला शासन के विचाराधीन है। जो भी निर्णय होगा उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने तो 25 व्यक्तियों के बारे में अपनी सहमति दे दी है और पत्रावली पर आदेश भी दे दिये हैं केवल 4 व्यक्तियों के बारे में कार्मिक विभाग से राय मांगी गई है, मेरा प्रश्न यह है कि उन 25 व्यक्तियों को नियुक्ति के आदेश जारी क्यों नहीं किये जा रहे हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 25 पर मैंने सहमति दे दी है, इस सिलसिले में मुझे तो जानकारी नहीं है। हो सकता है कि माननीय विधायक जी ने फाईल देखी हो। मैं फाईल देख लूंगा और जो भी उचित होगा, उस पर शासन से राय-मशविरा करके कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अभ्यर्थियों का चयन करने से पहले ही कार्मिक विभाग की राय आ गई थी तब उसके बाद साक्षात्कार हुआ था ? दूसरा, यह भी नियम है कि चयन होने के बाद सूची की प्रतीक्षा एक साल तक की जाती है उसके बाद वह लैप्स हो जाती है ? जून, 1987 में साक्षात्कार हुआ था और जून 1988 में यह सूची लैप्स हो जायेगी। जैसा कि प्रश्नकर्ता ने भी कहा है कि माननीय मन्त्री जी भी सहमत हैं। क्या अधिकारी कोई इस तरह का षडयंत्र तो नहीं कर रहे हैं, ताकि जिन अभ्यर्थियों से उनका पूर्वाग्रह हो, उनकी नियुक्ति न हो सके और लिस्ट समाप्त हो जाय। क्या माननीय मन्त्री जी इन सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जून से पहले रुकवा गे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, इसमें अधिकारियों का कोई षडयंत्र नहीं है । मैंने बताया कि यह मामला शासन के विचाराधीन है, जैसे ही निर्णय हो जायेगा, निश्चित रूप से उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने सीधा सा प्रश्न किया था । मेरा पहला प्रश्न यह था कि क्या साक्षात्कार से पहले कार्मिक विभाग की राय आ गई थी ? दूसरा, यह कि एक साल बाद लिस्ट समाप्त हो जायेगी, इसलिये चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक साल के अन्दर कर दी जायेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पहले ही कार्मिक विभाग की राय इस पर आ गई थी तब उसके बाद साक्षात्कार हुआ था, दूसरा कि एक साल बाद लिस्ट की वैधता समाप्त हो जायेगी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह मामला शासन के विचाराधीन है । विचारोपरान्त जो भी निर्णय होगा, उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सूर्यप्रताप शाही--

मान्यवर, चयनित अभ्यर्थियों की सूची में माननीय मन्त्री जी के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, तो फिर उसे प्रकाशित न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि कैबिनेट स्तर के मन्त्री के पी0 आर0 ओ0 का उस साक्षात्कार में चयन नहीं हो पाया है, जिसके कारण यह सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है ? क्या माननीय मन्त्री जी इसे जून से पहले प्रकाशित करवा ेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, 32 व्यक्तियों का चयन किया गया था । कुछ मामले ऐसे आ गये थे, जिन पर शासन को विचार करना पड़ा...।

श्री सूर्यप्रताप शाही--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी पी0 आर0 ओ0 के बारे में नहीं बता रहे हैं । उसके नाम का चयन नहीं किया गया है, इसलिये सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्तियों पर रोक

*4--श्री विक्रमादित्य पांडेय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति पर शासन द्वारा रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो नियुक्ति पर लगी रोक को

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

सी0 टी0 वेतनक्रम के सीधी भर्ती के मौलिक रिक्तियों को भरने की अनुमति दिसम्बर, 1987 में दी जा चुकी है । शेष प्रवक्ता/एल0 टी0 वेतनक्रम के सीधी भर्ती के मौलिक रिक्तियों को भरने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गई है कि शेष आरक्षित समूह अध्यापकों की संख्या के सीमा तक पद आरक्षित करके नियमानुसार उक्त श्रेणी की नियुक्तियां भी करें ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय के स्थापना की मांग

*5--श्री दीपक कुमार--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र जानसठ में कोई भी स्नातक या स्नातकोत्तर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन कालेज की स्थापना करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

इस जनपद में उच्च शिक्षा की पर्याप्त सुविधा है ।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण की मांग

*6--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या है ? यदि नहीं, तो क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों का राष्ट्रीकरण करने का विचार करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्तवत ।

रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती में नियंत्रक नियुक्त किए जाने की मांग

*7—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजट सत्र 1986 के सातवें सोमवार 24 मार्च, 1986 को तारांकित प्रश्न सं0 18 में उन्होंने रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती के विरुद्ध राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 57 की कार्यवाही का आदेश दिये जाने की घोषणा सदन में की थी ? यदि हां, तो आज तक घोषणा के अनुरूप कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? क्या इसके पूर्व भी इस कालेज को धारा 57 की नोटिस दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी अविलम्ब प्रबन्ध समिति को भंग कर साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने तथा दोषी प्राचार्य को निलम्बित कर सम्पूर्ण मामले की उच्चस्तरीय जांच की घोषणा सदन में करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

शासन द्वारा धारा 57 के अन्तर्गत नोटिस संख्या 179—एम/15-11-86—19(18)/86, दिनांक 5 अप्रैल, 1986 द्वारा जारी की गई थी ।

जी हां ।

वर्ष 1982 में नोटिस संख्या 7161/15-82 (1)/3(62)/80, दिनांक 29 अक्तूबर, 1982 को जारी की गई थी । कालेज के प्रबन्धक से प्राप्त उत्तर पर शासन द्वारा आवश्यक विचारोपरान्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के पर्याप्त आधार नहीं पाये गये । राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 57 के आधार पाये जाने पर ही प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।]

प्रश्न ही नहीं उठता ।

माध्यमिक अध्यापकों के निरीक्षण पारिश्रमिक के भुगतान में विलम्ब

*8—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा गत वर्ष 1986-87 की परीक्षाओं के निरीक्षण का पारिश्रमिक अब तक सम्बन्धित अध्यापकों को न देने और विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा लेने वाले अध्यापकों का पारिश्रमिक तीन साल से बकाया रहने को लेकर माध्यमिक अध्यापकों में रोष है ? यदि हां, तो माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री राज बहादुर सिंह चंदेल ने निदेशक शिक्षा को इस आशय का पत्र लिखकर रोष से अवगत भी कराया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं, अध्यापकों को वर्ष 1986-87 की परीक्षाओं में निरीक्षण कार्य करने का तथा गत तीन वर्षों में विज्ञान के विभिन्न विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा लेने वाले अध्यापकों के पारिश्रमिक का भुगतान दावेदारों द्वारा देयक उपलब्ध कराने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अन्तर्गत किया गया है । अस्तु अध्यापकों में भुगतान न होने के कारण रोष होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

संदर्भगत पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सी0टी0 वेतम-क्रम के अध्यापकों को एल0 टी0 वेतनमान में प्रोन्नति करने की मांग

*9--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सी0 टी0 वेतन-क्रम के अध्यापकों को बेसिक के दीक्षा विद्यालयों में एल0 टी0 वेतनक्रम में प्रोन्नत किया जाता है तो एल0 टी0 के समान वेतनक्रम के प्रति उपविद्यालय निरीक्षक के पद पर क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

सी0 टी0 वेतनमान के अर्ह प्रसार अध्यापकों/शिल्प शिक्षकों को ही प्रति उपविद्यालय निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति किया जाता है ।

जनपद मथुरा के मांट क्षेत्र में तालाबों की खुदाई में सरकारी धन के व्यय में गोलमाल

*श्री कुशल पाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी में है कि सूखा राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 व 87-88 में मांट क्षेत्र जनपद मथुरा में कितने तालाब खुदवाये गये ? क्या यह सही है कि मांट क्षेत्र में खुदवाये गये तालाबों के कार्य में ज्यादा धन खर्च दिखाया गया है ? खुदे तालाबों को ही नया दिखाया गया है, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता ने जिला अधिकारी मथुरा से की, जिसकी जांच हेतु परगना मजिस्ट्रेट मांट व सहायक अभियन्ता, ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा की कमेटी बनाई गई ? यदि हां, तो इसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही पाया गया कि कार्य से ज्यादा सरकारी धन खर्च दिखाकर भारी गोलमाल तथा फर्जी मस्टर रोल भरे गये हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

वर्ष 1986-87 में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत कोई तालाब नहीं खोदा गया वर्ष 1987-88 में मांट क्षेत्र में दो तालाब गहरे कराये गए । यह सही नहीं है कि कार्य में ज्यादा धन खर्च दिखाया गया है ।

प्रश्नगत शिकायत की जांच परगना अधिकारी, मांट तथा सहायक अभियंता, ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा द्वारा कराई गई । जांच में पाया गया कि पुराने तालाबों को गहरा करने का कार्य खण्ड विकास अधिकारी, मांट को सौंपा गया था । यह सही नहीं है कि खुदे तालाबों को ही नया दिखाया गया । माप-पुस्तिका के अनुसार कार्य मौके पर पाया गया और उतने ही कार्य का भुगतान किया गया । सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों ने माप से अधिक धनराशि के मस्टर रोल भरे थे । इस सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है । ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है ।

गोपाल नारायन मिश्र, प्रवक्ता, सफीपुर, जनपद उन्नाव की नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन के भुगतान में विलम्ब

*11—श्री सुन्दर लाल—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांधी इण्टर कालेज, सफीपुर, जिला उन्नाव में सन् 1979 में हुए सेवा निवृत्त प्रवक्ता श्री गोपाल नरायन मिश्रा द्वारा, माननीय मुख्य मंत्री जी को वर्ष 1987 में भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ। उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोपाल नारायन मिश्र को नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान 9 वर्षों के बाद भी न करने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

प्रकरण के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को निदेशालय के अर्द्ध शासकीय पत्रांक सा0 1-11 3305-4/14-44, दिनांक 9-12-1987 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं।

नवीन पेंशन हेतु श्री मिश्र द्वारा विकल्प न दिया जाना।

बेसिक शिक्षा परिषद् को भंग कर विद्यालयों का संचालन नगर महापालिका एवं जिला परिषद् को सौंपने की मांग

*12—श्री राम नारायण पाठक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेसिक प्रा0 तथा जूनियर स्कूल की शिक्षण व्यवस्था कारपोरेशन क्षेत्र में महापालिका तथा कारपोरेशन क्षेत्र के बाहर ग्रामीण अंचलों में शिक्षण संचालन जिला परिषद् करती थी, जिससे भवन की दशा व पढ़ाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी ? सन् 1972 से जब से बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन हुआ है, तब से शिक्षा व्यवस्था बिलकुल चौपट होती जा रही है और विद्यालय भवनों की दशा बहुत जर्जर होती जा रही है तथा जो भवन किराये पर लिये गये हैं उनके भवन मालिक स्कूलों पर कब्जा कर रहे हैं जिससे सरकार की राजस्व की फिजूल खर्ची हो रही है तथा स्कूलों में अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिससे छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होने से विद्यालय टूटने की कगार पर हैं व कुछ स्थानों पर किराये के तथा निजी भवन भी उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बेसिक शिक्षा परिषद् भंग करके पुनः विद्यालयों की शिक्षा के संचालन का भार नगर महापालिका तथा जिला परिषद् को सौंपेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा की जाती थी व्यवस्था में सुधार हेतु उक्त परिषद् का गठन किया गया।

उपलब्ध सीमित संसाधनों के अनुसार शिक्षा में सुधार हेतु शासन प्रयत्नशील है तथा पुराने भवनों की मरम्मत तथा नये भवनों का निर्माण कार्य भी किया जाता है।

भवन मालिकों द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा की सूचना प्राप्त होते ही कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश हैं। राजस्व की फिजूल खर्ची का प्रश्न नहीं है।

प्रत्यक प्राइमरी विद्यालय के लिए 500.00 रु0 प्रतिविद्यालय तथा प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल के लिए 450.00 प्रति विद्यालय सामग्री दी जाती है । समग्र रूप से छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।

आवश्यकतानुसार किराये के भवन लिये जाते हैं । किराये में नियमानुसार वृद्धि भी की जाती है । उपलब्ध संसाधनों से नये भवन बनाये जा रहे हैं स्थानीय निकायों को बेसिक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् का गठन हुआ था ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा समाप्त करना

*13--श्री रमाकान्त यादव--

क्या ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वे संगठन उत्तर प्रदेश, लखनऊ में विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में, जब कि कर्मचारियों की निरन्तर सेवायें वर्ष से अधिक की हो चुकी हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

विभाग में कार्यरत प्रत्येक कार्य प्रभारित कर्मचारियों की 4 वर्ष से अधिक निरन्तर सेवा नहीं हुई है ।

*14--श्री विजय सिंह राणा--

[दिनांक 21 मार्च, 1988 को अता0 प्र0 सं0 38 द्वारा उत्तरित]

हलीम मुस्लिम महाविद्यालय, कानपुर में व्याप्त अनियमितता की जांच

*15 राजित प्रसाद यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हलीम मुस्लिम महाविद्यालय, कानपुर में व्याप्त अनियमितताओं की जांच में प्रबन्धतंत्र को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रबन्ध तंत्र को भंग कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा इस कालेज की जांच एवं विशेष आडिट कराया गया है ।

आडिट में पाई गई अनयिमितताओं के सम्बन्ध में कालेज के प्रबन्धतंत्र से अनुपालन आख्या मांगी गई है । अनुपालन आख्या के आधार पर अनियमिततायें पाये जाने पर विचारोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोरखपुर में खाद्यान्न योजना द्वारा निर्मित सड़क में श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान विषयक शिकायती-पत्र

*16--श्रीमती शारदा देवी--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग में 34 मजदूरों की मजदूरी भुगतान न किये जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 1985 को शासन को की गई थी ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु सम्प्रति उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । जनपद गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार 34 मजदूरों की मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई मामला अब लम्बित नहीं है । प्रश्नगत पत्र की प्रति सुलभ कराने पर इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है ।

*17--श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*18--श्री गौरी शंकर भइया--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

भारतीय विद्यालय हा0 से0 स्कूल, कायमपुर सौरिख, फर्रुखाबाद की प्रबन्ध समिति में चल रहे विवाद

*19--औसान सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री भारतीय विद्यालय हा0 से0 स्कूल, कायमपुर सौरिख, फर्रुखाबाद की प्रबन्ध समिति में विगत कई वर्षों से विवाद चल रहा है ? दिनांक 2 जुलाई, 1987 को जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद ने अपने पत्रांक छिब/12-3-87-88 द्वारा विवादित प्रबन्ध समिति को अंतिम निर्णय हेतु उप निदेशक शिक्षा, चतुर्थ मंडल, इलाहाबाद को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या उप-निदेशक द्वारा अंतिम निर्णय कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

जी नहीं ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक ने कतिपय जिज्ञासायें की हैं जिनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है । जिला विद्यालय निरीक्षक को शीघ्र उत्तर भेजने के लिए स्मरण कराया गया है ।

विकास खण्ड बेतालपुर, जनपद देवरिया के विरुद्ध की गयी सतर्कता जांच

*20--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, बेतालपुर, जनपद देवरिया के निवर्तमान खण्ड विकास अधिकारी के (भ्रष्टाचार) की गुप्तचर जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों को दोषी पाये जाने पर निलम्बित किया गया था ? निलम्बित कर्मचारियों में किस-किस को अब तक निलम्बन आदेश नहीं दिया गया है ? और क्यों ? वे कौन-कौन से न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं तथा उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही अब तक की गई है ? क्या इस जांच में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र देना एवं इसी आधार पर अनियमित कार्यों का होना भी सिद्ध पाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

विकास खण्ड, बेतालपुर में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच ट्रेप निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, देवरिया से कराई गई थी ।

जांचोपरान्त 16 कर्मचारियों के निलम्बन के आदेश निर्गत हुए थे । सूची संलग्न है ।

श्री स्वामी नाथ, ग्राम विकास अधिकारी पर निलम्बन आदेश की तामील उनकी नियुक्ति से नये स्थान पर कराई जा रही है ।

श्री राम चीज सिंह यादव, खण्ड विकास अधिकारी ने निलम्बन आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त किया है । श्री यादव के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

इस जांच में जन-प्रतिनिधियों द्वारा कोई फर्जी प्रमाण-पत्र देने की बात प्रकाश में नहीं आई है । अतः किसी जन-प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 190 पर)

अतारांकित प्रश्न

श्री हरिशंकर मिश्र, कनिष्ठ लिपिक, लघु सिंचाई विभाग, उरई, जालौन को पुनः सेवा में लेने की मांग

1--श्री श्याम बिहारी सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री हरिशंकर मिश्र जो लघु सिंचाई विभाग, उरई, जनपद जालौन में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थे और 1 अक्तूबर, 1982 से 24 अक्तूबर, 1986 तक गम्भीर बीमारी के कारण सेवा में अपना योगदान नहीं कर सके, को अब पूर्ण स्वस्थ्य हो जाने के उपरान्त भी सेवा में नहीं लिया जा रहा है जिससे उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है ? यदि हां, तो क्या श्री मिश्र को सेवा में तत्काल लिया जायगा और जिन अधिकारियों

की लापरवाही से उनको सेवा में लेने में विलम्ब किया जा रहा है उनको दंडित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी नहीं । बीमारी के कारण नहीं वरन स्वेच्छा से दिनांक 13 फरवरी, 1981 से बिना अवकाश पूर्व स्वीकृत कराये ही अनुपस्थित रहने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत् कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 15 अक्तूबर, 1982 को श्री मिश्र की सेवा समाप्त कर दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभाग को जानकारी नहीं है ।

जी नहीं । सेवा में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर जनपद में सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति

2—श्री अफजाल अंसारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में जिला परिषद् द्वारा इसी वर्ष मुहम्मदाबाद व भांवर कोल विकास खण्ड क्षेत्र में अनेक अनावश्यक सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ? क्या इस सम्पर्क मार्गों का प्राक्कलन स्वीकृत करने से पूर्व गवर्निंग बाडी से अनुमति प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता ने इसी विषय में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की है ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गयी और जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद गाजीपुर में मुहम्मदाबाद व भांवरकोल विकास खण्ड में जिला परिषद् द्वारा निर्मित 17 सड़कों का चयन जन-प्रतिनिधियों की संस्तुति पर एवं क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुये किया गया । सड़कों का निर्माण सूखा राहत योजना के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर किया गया । प्रश्नकर्ता का इस विषय का पत्र जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

भांवरकोल, जनपद गाजीपुर में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग

3—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद व भांवर कोल में सलाहकार समिति के सदस्य के नाते वित्तीय वर्ष 1986-87 में प्रश्नकर्ता ने एक प्राइमरी पाठशाला खोलने की मान्यता के साथ भवन निर्माण भी कराने का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो किन-किन गांवों के लिये सुझाव दिये गये थे और इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

माननीय सदस्य द्वारा वर्ष 1986-87 में विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी सुझाव दिये गये थे ।

प्रश्नगत सुझाव मुड़ेरा, बदौली व चांदपुर ग्रामों से सम्बन्धित थे । प्राइमरी पाठशाला बदौली के भवन निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है । प्राइमरी पाठशाला चांदपुर के भवन निर्माण हेतु धन आर0 ई0 एस0 को उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । धन उपलब्ध न होने के कारण जूनियर हाई स्कूल, मुड़ेरा के भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका ।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कार्यरत नियमित प्राविधिक सहायक

4--चौधरी लालता प्रसाद निषाद--

क्या पंचायती राज मंत्री प्रथम सत्र 1988 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में इस समय प्राविधिक सहायक (जियोलोजी) के पद पर कितने व्यक्ति नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं ? वरिष्ठता के आधार पर इनके नाम किस क्रम में हैं ? विभाग में प्राविधिक सहायक के स्थाई पद कब से रिक्त पड़े हैं तथा इसका संवर्गवार बंटवारा कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में इस समय प्राविधिक सहायक (जियोलाजी) के पद पर विनियमितीकरण द्वारा नियमित एवं लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कर्मचारियों को मिलाकर वर्तमान समय में कुल 15 व्यक्ति नियमित रूप से कार्यरत हैं ।

(ब) समस्त प्राविधिक सहायकों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है, अतः वरिष्ठता के आधार पर इनके नाम क्रम में दिये जाने का अभी प्रश्न नहीं उठता है ।

(स) विभाग में प्राविधिक सहायक के स्थाई पद 1 दिसम्बर, 1982 से रिक्त चल रहे है । तथा इन स्थाई पदों का संवर्गवार बंटवारा अभी विचाराधीन है ।

पेंशन पुनरीक्षित शासनादेश का बेसिक शिक्षकों पर लागू होना

5--चौधरी लालता प्रसाद निषाद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 जुलाई, 1987 को पेंशन पुनरीक्षित शासनादेश के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परीषदीय सेवा निवृत्ति प्राथमिक शिक्षकों पर कार्यान्वित हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और जब पेंशन कमिटेड एक्सपेन्डीचर है तो सेवा निवृत्ति प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस नियम को लागू न करके उन्हें पेंशन अनुदान योजना में क्यों रखा गया है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं, क्योंकि शासनादेश 28 जुलाई, 1987 को लागू करने के लिए शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा आदेश जारी होने हैं । स्वायत्त शासी संस्थाओं में वेतन/पेंशन

अनुदान से आहरित होने के कारण सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षकों की पेन्शन हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है ।

एस0 ए0 बी0 इन्टर कालेज, सैनी, सिराथू, इलाहाबाद से पुनः परीक्षा केन्द्र बनाने का औचित्य

6—श्री पुरूषोत्तम लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 ए0 बी0 इन्टर कालेज, सैनी, सिराथू, इलाहाबाद को वर्ष 1985 की परीक्षा में परीक्षार्थियों से जबरन धन लेकर सामूहिक अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाये जाने के कारण परीक्षा केन्द्र रद्द किया गया था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को पुनः किस स्थिति में परीक्षा केन्द्र वर्ष 1988 में बनाया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

हां । प्रश्नगत विद्यालय वर्ष 1985 की परीक्षाओं में सामूहिक अनुचित साधन के लिए दोषी परीक्षा केन्द्र रहा है । फलस्वरूप 1986 तथा 1987 की परीक्षा में यह विद्यालय केन्द्र नहीं बनाया गया था । वर्ष 1988 की परीक्षा केन्द्र निर्धारण की नवीन नीति के अन्तर्गत परीक्षार्थियों को समायोजित करने एवं विद्यालय सड़क पर होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर यह विद्यालय 1988 की परीक्षा का केन्द्र बनाया गया ।

7—श्री शारदानन्द अंचल—

[10वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

जंगलों, पशु बिहारों तथा पार्कों में आदमखोर कतिपय जंगली जानवरों को जान से मारने का आदेश एवं क्षतिपूर्ति हेतु मानकों का निर्धारण

8—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जंगलों, पशु बिहारों या पार्कों में यदाकदा शेर, चीता, भालू तथा अन्य जानवरों के द्वारा पालतू पशुओं और मनुष्यों को मारने पर उसे आदमखोर घोषित करने एवं तत्पश्चात् उसे मारने के लिए सरकार ने कोई मानक व नियम निर्धारित किये है ? यदि हां, तो किस शासनादेश द्वारा व किस-किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस आदमखोर घोषित जानवरों द्वारा किये गये पशु व जन धन की हानि के लिए कथित परिवारों को क्षतिपूर्ति करने हेतु मानकों का निर्धारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जंगली, पशु विहारों या राष्ट्रीय पार्कों में शेर, गुलदार तथा हाथी आदि हिंसक वन्य जीवों जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची एक में वर्णित हैं, द्वारा पालतू पशुओं को मारने पर इन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत पशुभक्षी घोषित करने तथा उन्हें मारने का कोई प्राविधान नहीं है ।

परन्तु उक्त अधिनियम की अनुसूची दो, तीन व चार में वर्णित वन्यजीवों के मनुष्यों या सम्पत्ति के लिए घातक कहीं जाने पर इन्हें नष्ट कराने का प्राविधान अधिनियम में है । शेर, गुलदार, भालू आदि हिंसक वन्य पशुओं द्वारा मनुष्यों को प्रदेश में कहीं

भी मारने पर इन्हें वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा आदमखोर घोषित कर उसे नष्ट करने का प्राविधान है।

शेर, गुलदार द्वारा यदि किसी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र की सीमा से पांच किलो मीटर की बाहरी परिधि में तथा किसी वन्य जीव बिहार की सीमा से पांच किलो मीटर अन्दर अथवा बाहर की परिधि में मवेशी मारा जाता है तो क्षतिपूर्ति हेतु मवेशी स्वामी को मवेशी की प्रजाति के अनुसार एक सौ रुपये से पन्द्रह सौ रुपया तक मुआवजा देने का प्राविधान है।

इसी प्रकार शेर, गुलदार, हाथी, लकड़बग्घा व भेड़िया हिंसक वन्य पशुओं द्वारा मनुष्यों को प्रदेश के किसी भाग में मारने पर क्षतिपूर्ति हेतु मारे गए प्रत्येक वयस्क के आश्रित को दस हजार रुपया तथा प्रत्येक अवयस्क व्यक्ति के आश्रित को पांच हजार रुपया की आर्थिक सहायता देने का प्राविधान है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों (उत्तरा खण्ड) के समुचित विकास हेतु पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक का निर्णय

9--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों (उत्तरा खण्ड) के समुचित विकास के लिये व्यापक विचार विमर्श कर अन्तिम निर्णय लेने के लिए बनाई गई पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक 1980 से 1987 के बीच क्रमशः किन-किन तिथियों को आयोजित की गई थी? क्या सरकार इस महत्वपूर्ण संस्था की बैठक उत्तरा खण्ड के विकास के परिपेक्ष्य में प्रत्येक तीन माह में एक बार आवश्यमेव करने हेतु वैधानिक नियम अतिशीघ्र बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पर्वतीय विकास परिषद् की बैठकें 1980 से 1987 के बीच क्रमशः निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गई थी :--

1--27 दिसम्बर, 1980।

2--18 सितम्बर, 1982।

3--13 अक्तूबर, 1983।

4--3 व 4 फरवरी, 1986।

पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक के अतिरिक्त मंडल स्तर पर गठित माननीय राज्य मंत्री जी, पर्वतीय विकास की अध्यक्षता में उप समितियों की बैठकें भी समय-समय पर बुलाई जाती हैं जिनमें माननीय सदस्यों द्वारा विकास कार्यों के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतः इस संस्था की बैठकें प्रत्येक तीन माह में एक बार अवश्य कराने हेतु वैधानिक नियम बनाये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल द्वारा बलिया जनपद के अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु खाता खोलने का आदेश तथा वेतन भुगतान आदेश

10--श्री गौरी शंकर भइया--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल ने अपने आदेश संख्या पृष्ठांकन सं0/परिषद् 660-02/87-88 दिनांक

16 जनवरी, 1988 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया को परिषदीय अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु खाता खोलने एवं कन्या जूनियर तथा प्रा0 पा0 रसड़ा की स0 अ0 श्रीमती विमला श्रीवास्तव को जुलाई, 87 से अब तक बकाये वेतन के भुगतान हेतु आदेश दिया है यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? तथा वेतन भुगतान तत्काल कराये जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक वेतन भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

विभागीय आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरित विद्यालय पर अध्यापिका द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण वेतन भुगतान नहीं किया गया है ।

बेसिक एवं जूनियर हाई स्कूलों जनपद टिहरी गढ़वाल में रिक्त अध्यापकों के पद

11--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में बेसिक एवं जूनियर हाई स्कूल परिषदीय विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? इन पदों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु क्या प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है और कब तक उपरोक्त रिक्त पद भरे जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों के रिक्त पद दिनांक 4-4-1988 को पदोन्नति द्वारा भरे जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोन्डा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गैसडी के भवन निर्माण की मांग

12--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा में विकास खण्ड गैसड़ी से सम्बन्धित भवन-विहीन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन बनाने की कोई सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक यह भवन बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

विद्यालय के भवन निर्माण हेतु अभी भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है, जिसके कारण सम्प्रति भवन बनाने की कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा जमूनी भाड, ब्लाक हरैया, आजमगढ़ में खड़जा ईट लगाने हेतु उपलब्ध धनराशि

13--श्री राम जनम--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, ब्लाक हरैया के ग्राम सभा जमूनी भाड को जिला पंचायत अधिकारी आजमगढ़ द्वारा खड़ंजा ईट लगाने

के लिए वर्ष 1985-86, 1986-87 में कुल 30 हजार रुपया दिया गया है ? यदि हां, तो क्या 30 हजार रुपये का खड़ंजा लगाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम सभा जमुनी भान, विकास खण्ड हरैया, जनपद आजमगढ़ के प्रस्ताव पर वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में ग्राम सभा के प्रधान को दो किस्तों में 30,000 रुपये माली खड़ंजा निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया है ।

स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यों की जांच अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से कराये जाने पर सम्पूर्ण धनराशि का कार्य कराया जाना नहीं पाया गया । सम्बन्धित दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित करके अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भी परगनाधिकारी को लिखा गया है ।

बंजरा मुहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ में कम गिट्टी तथा कम तारकोल द्वारा बनाये गये मार्ग की जांच की मांग

14—श्री राम जनम—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में बंजरा मुहम्मदाबाद, जिला परिषद् रोड पर वर्ष 1985-86 में कम गिट्टी तथा कम तारकोल द्वारा पिच (लेपन) करने का कार्य किया गया ? यदि हां, तो जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् आजमगढ़ के कंजरा महमूदाबाद (न कि बंजरा महमूदाबाद) रोड के कि0 मी0 5 व 6 में वर्ष 1985-86 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के अनुसार प्रथम कोट की पेंटिंग का कार्य कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अदीब माहिर उर्दू परीक्षा को इंटरमीडियेट के समकक्ष मानने का प्रस्ताव

15—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अदीब माहिर परीक्षा इण्टरमीडियेट के समकक्ष है ? यदि हां, तो उर्दू शिक्षकों के पद हेतु उनका चुनाव न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

उर्दू विषय के विशिष्ट सन्दर्भ में अदीब माहिर की परीक्षा इण्टरमीडियेट उर्दू विषय के समकक्ष है । अदीब माहिर की परीक्षा इण्टरमीडियेट सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा के समकक्ष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती कमला देवी, प्रधानाध्यापक, जू0 बे0 विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

16--श्री ईश्वरशरण विद्यार्थी--

विधान सभा 1987 के द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 113 के क्रम में शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर काउन्टरसाइन कराने के आदेश किस अधिकारी द्वारा तथा कार्यालय के किस पत्रांक व दिनांक द्वारा निर्गत किया गया था ? क्या इसकी प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचनार्थ भेजी गई थी ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रधानाध्यापक की आख्या दिनांक 7 जुलाई, 1982 के अनुसार क्षेत्रीय निरीक्षिक ने उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने के आदेश दिये । विद्याला स्तर पर प्रधानाध्यापक द्वारा अध्यापिका को मूल प्रमाण-पत्र में ओवर राइटिंग के कारण मूल रूप में वापस लौटा दिया गया । कार्यालय से श्रीमती कमला देवी को चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कराने हेतु कोई आदेश नहीं दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती कमला देवी (प्रथम), सहायक, अध्यापिका जू0 बे0 विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

17--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

विधान सभा 1987 के द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 16 के क्रम में शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब श्रीमती कमला देवी (प्रथम), सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी दोषी पाई गयी थी ? तो उन्हें जांच अधिकारी द्वारा कौन सा दण्ड प्रस्तावित किया गया था ? इसके अतिरिक्त मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया था कि सम्बन्धित विद्यालय का वातावरण दूषित एवं अध्यापकों के मध्य आपसी तालमेल का अभाव है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

प्रशासनिक आधार पर इन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया । जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अध्यापक/अध्यापिका में कहा-सुनी व तनाव चल रहा है जिससे विद्यालय का वातावरण दूषित हो गया है ।

18--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

[10वें सोमवार के लिये स्थगित ।]

श्रीमती मन्शा रस्तोगी, अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), बाराबंकी द्वारा अपनी पुत्री की अवैध नियुक्ति

19--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1983-84 में श्रीमती मन्शा रस्तोगी, अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), बाराबंकी ने अनियमित रूप से बिना समाचार-

पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराये ही अपनी पुत्री कु0 रेखा रस्तोगी को नियुक्ति कन्या डी0 ए0 वी0 जूनियर हाई स्कूल, बाराबंकी में किये जाने हेतु प्रबन्ध तन्त्र पर दबाव डाला तथा इस अनियमित नियुक्ति को अनुमोदित भी किया ? यदि हां, तो इस अवैध/अनियमित नियुक्ति को निरस्त कर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

प्रश्नगत नियुक्ति उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 के नियम 20 के अन्तर्गत सदर्थ रूप से की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को श्री राजेश कुमार खेरा, सहायक अध्यापक के वेतन भुगतान का निर्देश

20--श्री [illegible]र शरण विद्यार्थी, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने अपने तार दिनांक 30 जुलाई, 1987 एवं पत्रांक 20 जुलाई, 1987 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को श्री राजेश कुमार वर्मा, सहा0 अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, दरहरा, बाराबंकी का अवशेष वेतन भुगतान किये जाने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या भुगतान सम्बन्धित अध्यापक को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस भुगतान के विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर भुगतान कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक बे0 शि0 प0/अपील/34039/प्रबन्ध-4/87-88, दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 के अनुपालन में अवशेष वेतन का भुगतान सम्बन्धी चेक लेखाधिकारी द्वारा निर्गत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ह्यूम पाइप खरीद के आदेश

21--श्री बलराम--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि एन0 पी0 तृतीय ह्यूम पाइप को ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर प्रयोग करने पर प्रतिबन्धित किया गया है तथा प्रमुख अभियन्ता' सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने पत्र सं0 12/53/ई0 जे0/85, दिनांक 23 जनवरी' 1985 द्वारा समस्त विभागों को आदेशित भी किया है ? यदि हां, तो इसके बावजूद भी आजमगढ़ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1986-87 में लाखों रुपये की

उक्त ह्यूम पाइपें खरीदी गई हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त अनियमितता का दोषी कौन है ? क्या उसे दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रमुख अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रश्नगत आदेश उक्त विभाग का आन्तरिक आदेश है जिसके अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । अतः इस संदर्भ में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आजमगढ़ द्वारा ह्यूम पाइप के क्रय में अनियमितता किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

21-अ--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

[दिनांक 29 फरवरी, 1988 को अता0 प्र0 सं0 21 द्वारा उत्तरित ।]

पर्वतीय क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इन्टर कालेजों के प्रान्तीयकरण की मांग

22--श्री काश सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29 फरवरी, 1988 तक पर्वतीय क्षेत्र के कितने सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक एवं इन्टर कालेजों के प्रान्तीयकरण के प्रस्ताव शासन (पर्वतीय विकास विभाग) को प्राप्त हुए हैं ? ऐसे प्रस्तावित विद्यालयों को प्रान्तीयकृत किए जाने के कौन से मानक एवं नीति तय की गयी है ? इस आधार पर वित्तीय वर्ष 1988-89 में कितने व किन-किन विद्यालयों को प्रान्तीयकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1987-88 में दिनांक 29 फरवरी, 1988 तक 23 विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे । ऐसे विद्यालयों के प्रान्तीयकरण हेतु मुख्यतया निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य के अन्तर्गत प्रान्तीयकरण किया जाता है :--

1--विद्यालय सहायता प्राप्त हो,

2--विद्यालय किसी प्रकार विवाद ग्रस्त एवं ऋण ग्रस्त न हो,

3--माल विभाग के अभिलेखों में विद्यालय की भूमि, भवन का इन्द्राज विद्यालय के नाम हो,

4--विद्यालय की प्रबन्ध समिति, बिना शर्त विद्यालय के प्रान्तीयकरण हेतु प्रस्ताव पारित करे,

5--विद्यालय के सभी शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीगण शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों को स्वीकार करने के लिये तैयार हो । उनकी नियुक्ति विभाग द्वारा अनुमोदित हो ।

6--विद्यालय की चल एवं अचल सम्पत्ति को विद्यालय की प्रबन्ध समिति बिना मूल्य एवं शर्त के शिक्षा विभाग को देने के लिये सहमत हो ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 में एक विद्यालय के प्रान्तीयकरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है । शिक्षा निदेशक से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत प्रान्तीयकरण किये जाने का निर्णय लिया जायेगा ।

शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की प्रोन्नति

23--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों में प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित कोटे का प्रतिशत क्या है ? क्या फरवरी, 1988 में पर्वतीय संवर्ग के अन्तर्गत की गई अध्यापकों की प्रोन्नतियों में उक्त वर्ग के अध्यापकों को आरक्षित कोटे के अनुसार प्रोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और इस कोटे को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

शिक्षा विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के निमित अनुसूचित जाति हेतु 18 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 2 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है ।

फरवरी, 1988 में तदर्थ पदोन्नति हेतु हुये चयन के समय अर्ह/पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित कोटे के अनुसार पदोन्नति नहीं दी जा सकी ।

अर्हता प्राप्त उपयुक्त अध्यापकों के उपलब्ध होने पर ही आरक्षित कोटा पूरा किया जा सकेगा ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा हरदोई के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

24--श्री राम पाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांकित 28 अगस्त, 1987 मय संलग्नक अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा हरदोई से सम्बन्धित प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां । मामले में टेक्निकल आडिट सेल, ग्राम्य विकास विभाग से जांच करायी जा रही है ।

25--श्री राम पाल वर्मा--

[10 वें सोमवार के लिए स्थगित]

फर्रुखाबाद जनपद में हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कक्षाओं के परीक्षा केन्द्र

26--श्री महरम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद में हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षा के लिए वर्ष 1988 में किन-किन विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाये गये ? जिले की समिति जिला विद्यालय निरीक्षक ने उप निदेशक शिक्षा इलाहाबाद को किन-किन विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाने की संस्तुति की थी ? उनमें से क्या कुछ ऐसे विद्यालय है जिनमें माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद ने परीक्षा

केन्द्र बनाना अस्वीकृत कर दिया है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन हैं और उनके क्या-क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1988 की परीक्षाओं हेतु, फर्रुखाबाद जनपद में कुल 58 विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया । सूची संख्या-1 संलग्न है †

जनपदीय समिति, जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद ने 67 विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की संस्तुति की थी, जिनमें से 55 विद्यालयों को केन्द्र बनाया गया । सूची संख्या-2 संलग्न है †

इनके अतिरिक्त 3 परीक्षा केन्द्र परिषद् स्तर पर बनाये गये । सूची संख्या-3 संलग्न है †

जनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावित 67 विद्यालयों में से कुल 12 विद्यालय ऐसे रहे हैं, जिन्हें परिषद् स्तर से परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया । सूची संख्या-4 संलग्न है :†

आवश्यकता न होने तथा कुख्यात एवं भ्रष्ट विद्यालय होने की शिकायतों के फलस्वरूप इन 12 विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया ।

जनपद फर्रुखाबाद में छात्रों एवं छात्राओं के परीक्षा केन्द्र विषयक माननीय मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री के आदेश

27--श्री महरम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में छात्रों तथा छात्राओं की सुविधा हेतु परीक्षा केन्द्र बनाने के लिये कुछ विद्यालयों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् को निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाने के लिये आदेश दिये गये और माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा क्या-क्या निर्णय किये गये ? क्या उन निर्देशों के अन्तर्गत किसी विद्यालय में परीक्षा केन्द्र स्थापित किया गया ? यदि हां, तो किस-किस में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

हाँ । निम्नलिखित विद्यालयों को परीक्षा का केन्द्र बनाये जाने के निर्देश दिये थे :

(1) सुशीला शर्मा विज्ञान मन्दिर उ0 मा0 विद्यालय, शान्तिनगर गदनापुर, फर्रुखाबाद ।

(2) पं0 जवाहर लाल नेहरू उ0 मा0 विद्यालय, जरारी, फर्रुखाबाद ।

(3) जनता आदर्श उ0 मा0 विद्यालय, टिलिया, फर्रुखाबाद ।

(4) भारतीय इन्टर कालेज, मतोली, फर्रुखाबाद ।

इनमें से सुशीला शर्मा, विज्ञान मन्दिर, उ0 मा0 विद्यालय, शान्ति नगर, गदनापुर, फर्रुखाबाद वर्ष 1988 की परीक्षा का केन्द्र पूर्व से ही निर्धारित था । शेष तीन विद्यालयों को केन्द्र निर्धारित करना विभिन्न कारणों से सम्भव नहीं हुआ ।

नोट--†शासन से सूची प्राप्त नहीं की इसलिये छापी नहीं गई ।

जनहित उ0 मा0 विद्यालय, भोलनापुर, जनपद जौनपुर की मान्यता विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

28—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जनहित उ0 मा0 विद्यालय, भोलनापुर, करंजाकला, जौनपुर की मान्यता के सम्बन्ध में भेजे गये पत्र दिनांक 7 मई, 1987 पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी उक्त विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत पत्र में संदर्भगत विद्यालय को इंटर साहित्यिक वर्ग की मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया गया था । परन्तु संदर्भगत विद्यालय ने उक्त मान्यता हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् को कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । अतः प्रश्नगत विद्यालय को उक्त मान्यता प्रदान करना नियमानुसार सम्भव नहीं हो सका ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनता जनार्दन इंटरमीडिएट कालेज, बासोपुर चकिया, जौनपुर के प्रबन्धक के भ्रष्टाचार विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

29—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1987 को जनता जनार्दन इण्टर कालेज, बासोपुर चकिया मंडला, जौनपुर की प्रबन्ध समिति के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, और जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति मंत्री जी के पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 1987 द्वारा दी थी, पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

लेखा परीक्षकों द्वारा विशेष सम्परीक्षण किया गया तथा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा जांच की गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्षेत्रीय निदेशक सा0 वा0 अवध क्षेत्र, लखनऊ में हुई कनिष्ठ लिपिक परीक्षा की प्रतीक्षा सूची

30—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 में क्षेत्रीय निदेशक सा0 वा0 अवध क्षेत्र लखनऊ में हुयी कनिष्ठ लिपिक परीक्षा की प्रतीक्षा सूची के सफल अभ्यर्थी श्री राममूर्ति, श्री उजागर सिंह तथा श्री अशोक कुमार मिश्र से कनिष्ठ श्री अमर श्रीवास्तव की नियमित नियुक्ति मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अवध क्षेत्र के पत्र संख्या 162/2-45-1, दिनांक 10 सितम्बर, 1985 के संदर्भ में क्षेत्रीय

निदेशक, सामाजिक वानिकी बृज भूमि क्षेत्र, आगरा द्वारा वनादेश संख्या 45/2-4-5, दिनांक 19 अक्तूबर, 1985 से कर दी गई जबकि श्री श्रीवास्तव उक्त तीनों अभ्यर्थियों से कनिष्ठ हैं ? यदि हां, तो क्या अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

अनियमितता के लिये जांच की जा रही है ।

श्री लखपति राम, सेवा मुक्त अध्यापक, जू0 हाई स्कूल, महोलिया, ब्लाक गंज मुरादाबाद, उन्नाव के बकाये वेतन, पेन्शन आदि का भुगतान

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखपति राम, सेवा मुक्त अध्यापक, जू0 हाई स्कूल महोलिया, ब्लाक गंज मुरादाबाद, जिला उन्नाव उ0 प्र0 को सेलेक्शन ग्रेड के अनुसार पेन्शन एवं सन् 1979 जुलाई से अवशेष वेतन जो अब तक देय है का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो, क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

दिनांक 15 अक्तूबर, 1979 से देय सेलेक्शन ग्रेड के अनुसार पेन्शन स्वीकृत कर दी गयी है । अवशेष वेतन की देय धनराशि का भुगतान उक्त अध्यापक को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के बैतालपुर-बारपार मार्ग हेतु जमीन अधिग्रहण

32—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के बैतालपुर विकास खंड में जिला परिषद् देवरिया के द्वारा बैतालपुर-बारपार मार्ग का अधिग्रहण या निर्माण किस वर्ष किया गया और उसके निर्माण पर अब तक कितना धन व्यय किया गया ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि भारी धनराशि व्यय किये जाने के बाद भी उक्त सड़क की हालत खस्ता है ? यदि हां, तो उसके लिये दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रसंगत मार्ग हेतु भूमि का अधिग्रहण जिला परिषद्, देवरिया द्वारा वर्ष 1959-60 से 1963-64 के मध्य किया गया, जिस पर वर्ष 1979-80 से 1987-88 तक कुल 3,92,648.80 रुपये व्यय किये गये ।

बैतालपुर गन्ना मिल के निकटवर्ती क्षेत्र में यह एक मात्र कंकड़ धरातल की सड़क है । गन्ना सीजन में भारी वाहनों द्वारा ढुलाई के फलस्वरूप मार्ग का खराब होना स्वाभाविक है, इसमें कोई दोषी नहीं है, जिसके फलस्वरूप किसी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद चमोली में गौरीकुन्ड से केदारनाथ तक सड़क निर्माण की मांग

33—श्री राम सागर राव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में गौरीकुन्ड से केदारनाथ तक सड़क निर्माण कार्य शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गौरीकुन्ड से केदारनाथ 14 किमी0 पैदल मार्ग का सुधार कार्य दो चरणों में क्रमशः अप्रैल, 1983 तथा दिसम्बर, 1986 में कुल 49.85 लाख रु0 की लागत पर स्वीकृत हैं। कार्य शीघ्रातिशीघ्र (1988) में पूर्ण हो जावेगा।

34—श्री राज किशोर सिंह—

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

झांसी जनपद के कतिपय ब्लाकों में डी0 पी0 ए0 पी0 योजनान्तर्गत ग्रामों का विकास

35—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के विकास खंड बामौर एवं गुरसराय में वित्तीय वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में क्या-क्या कार्य कराये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

डी0 पी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1985-86, 1986-87 में झांसी जनपद के विकास खंड बामौर एवं गुरसराय के ग्रामों में कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 191 पर)

36—श्री शारदा प्रताप—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

इलाहाबाद के कतिपय ग्रामों में सड़क निर्माण की मांग

37—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम अहमदपुर पाबन, परगना चायल, जनपद इलाहाबाद के मन्दिर तक की सड़क पक्की करने की कार्यवाही कब प्रारम्भ की गयी ? क्या उक्त सड़क पर डामर पेन्टिंग का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा जनपद में इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्री लगाने में सबसिडी की मांग

38--श्री मुस्तमंद अली खां--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा डिवीजन में ताजमहल के कारण एक पैरामीटर के अन्दर कुछ तरह की इंडस्ट्री नहीं लगायी जा सकती है और सरकार ने घोषणा की है कि इस इलाके में इलेक्ट्रानिक्स की इण्डस्ट्री लगायी जा सकती है ? क्या सरकार इलेक्ट्रानिक्स की इण्डस्ट्री लगाने वाले उद्योगपतियों को उतनी सबसिडी जितनी कि पिछड़े क्षेत्र में मिसाल के तौर पर नैनीताल में एलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्री पर सबसिडी दी जाती है ? देने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, इसमें केवल इलेक्ट्रानिक्स तथा अन्य प्रदूषण-रहित उद्योग लगाये जा सकते हैं ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नैनीताल को "ए" श्रेणी का पिछड़ा जनपद घोषित किया गया है जब कि आगरा पिछड़ा जनपद घोषित नहीं है । वर्तमान नीति के अनुसार सर्वाधिक पिछड़े जनपदों में औद्योगिक प्रोत्साहन सुविधा की दर अपेक्षाकृत अधिक रखी गयी है । आगरा क्षेत्र की स्थिति पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में भिन्न होने के कारण वहां नैनीताल जैसी औद्योगिक प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के विकास खंड अधिकारी रामकोला द्वारा भूमि आवंटियों को दिये गये अनुदानों में से किया गया कटौती का औचित्य

39--श्रीमती शारदा देवी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खंड विकास अधिकारी रामकोला, जिला देवरिया ने करीब एक लाख 17 हजार रुपया ग्राम खोटही विकास खंड, रामकोला के भूमि आवंटियों को अनुदान के रूप में दिया है और क्या यह भी सच है कि उक्त धनराशि की दस प्रतिशत की कटौती करके वितरण किया गया है तथा जो व्यक्ति घर पर नहीं है, बाहर नौकरी करते हैं उसके नाम पर भी रुपया वितरण दिखाकर स्वयं खंड विकास अधिकारी ने अपने पास रख लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

खंड विकास अधिकारी रामकोला, जनपद देवरिया को विकास खंड, रामकोला के सम्पूर्ण क्षेत्र के भूमि आवंटियों को अनुदान वितरण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 1,17,600 रु0 दिया गया था । जिसमें से ग्राम खोटही के 174 भूमि आवंटियों को 1,07,280 रु0 वितरित किया गया । अनुदान वितरण में किसी प्रकार की कटौती से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है वितरित अनुदान की प्राप्ति की रसीदें उपलब्ध हैं । इस बात की छानबीन की जा रही है कि लाभार्थियों में बाहर नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं है । जांच का परिणाम प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद देवरिया के श्री शिवराम भट्ट, विकास खण्ड अधिकारी, रामकोला के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

40--श्रीमती शारदा देवी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करगे कि श्री शिवराम भट्ट, खण्ड विकास अधिकारी, रामकोला, जनपद देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 1986 से 25 अक्तूबर, 1986 तक कितनी शिकायतें शासन व प्रशासन को प्राप्त हुई है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्न में संदर्भित शिकायती-पत्रों की जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

41--श्रीमती शारदा देवी--

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

42--श्रीमती शारदा देवी--

[6 वें शुक्रवार में अता0 प्रश्न संख्या 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री मजीद अन्सारी, रेन्ज प्रभारी, दुद्धी के निलम्बन आदेश तथा डिविजनल फारेस्ट अफसर, मिर्जापुर द्वारा जारी बकाया राजस्व की वसूली

43--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संरक्षण, दक्षिणी वृत्त, उत्तर प्रदेश (श्री आर0 एस0 माथुर) ने अगस्त, 1985 में श्री मजीद अन्सारी के विरुद्ध कुछ आरोप लगाकर निलम्बन हेतु पत्र जारी किया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें निलम्बन के बजाय दुद्धी रेन्ज का चार्ज दे दिया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस विषय की जांच कराकर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 1987 में श्री एच0 एम0 डी0 श्रीवास्तव, डिविजनल फारेस्ट अफसर, मिर्जापुर ने श्री मजीद अन्सारी को 40 हजार रुपये का चेक बकाया राजस्व जमा करने के लिये, जब वे दुद्धी रेन्ज में थे, जारी किया था ? क्या वे रुपये श्री अन्सारी ने जमा किये ? यदि नहीं, तो क्या बकाया राजस्व जमा न होने के विरुद्ध कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सम्बन्धित पत्र अगस्त, 1985 के स्थान पर सितम्बर, 1985 में जारी किया गया है ।

मामले में जांच की जा रही है ।

सामान्य वानिकी में लगाये जाने वाले पौधों की किस्में तथा शासनादेश के विरुद्ध मथुरा जनपद में लगाये गये पौधों का औचित्य

44--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा सामान्य वानिकी के अन्तर्गत किस-किस किस्म के पौधे लगाने का प्राविधान किया गया है ? क्या यह सही

है कि मथुरा जनपद में वन विभाग द्वारा सामान्य वानिकी म शासन के प्राविधान के विपरीत पार्किंग सौनिया, केसिया, गोल्ड मोहर, अमलतास आदि के पौधे लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सामान्य वानिकी से माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित सामाजिक वानिकी से है। सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत मृदा एवं स्थानीय कारकों के अनुरूप ईंधन, लघु प्रकाष्ठ, चारा, तैलीय बीज, फलदार एवं फूलदार प्रजाति के वृक्षों को लगाने का प्राविधान है।

प्रजाति विशेष का रोपवन मृदा तथा स्थानीय कारकों के अनुसार होता है। प्रश्नगत वृक्षों का रोपवन शासन के प्राविधान के विपरीत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जवाहर लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भागलपुर, जनपद देवरिया में रिक्त दफ्तरी के पद पर नियुक्ति

45--श्री हफीज भारती--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने श्री जवाहर लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिरासो, पो0 भागलपुर, जनपद देवरिया के नवसृजित दफ्तरी पद, जो पदोन्नति द्वारा भरा जाना था, उसको सीधी भरती से भरा गया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतायेंगे कि प्रबन्धक/जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं।

दफ्तरी की नियुक्ति प्रधानाचार्य द्वारा की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की सूचनानुसार कोई परिचालक पदोन्नति के लिये सुपात्र न होने के कारण प्रधानाचार्य ने सीधी भर्ती द्वारा दफ्तरी की नियुक्ति की है।

46--श्री राम सागर राव--

[आठवें बुधवार में अता0 प्रश्न संख्या 136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के विकास खण्ड अधिकारी, सोहांव के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

47--श्री गौरी शंकर भइया--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को दिनांक 17-2-88 को ब्लाक प्रमुख, सोहांव, जनपद बलिया ने विकास खण्ड अधिकारी, सोहाव, बलिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाते हुए, उनकी जांच और स्थानान्तरण की मांग की है ? क्या उस पर मंत्री

जी ने सम्बन्धित खन्ड विकास अधिकारी के स्थानान्तरण एवं जांच के आदेश जिलाधिकारी, बलिया को दिये हैं ? यदि हां, तो स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बलिया द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां। प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है। सम्बन्धित खन्ड विकास अधिकारी के स्थानान्तरण का प्रकरण विचाराधीन है।

सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत बलिया जनपद के कतिपय ब्लाकों में स्वीकृत मार्गों का निर्माण

48--श्री गौरी शंकर भइया--

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में "सूखा राहत कार्य" के अन्तर्गत जनप्रतिनिधियों की सलाहकार समिति ने विकास खन्ड सोहांव, गड़वार, हनुमानगंज में कितनी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी है ? इन सड़कों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किस तारीख को दी गयी तथा इन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद बलिया में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत जनप्रतिनिधियों की सलाहकार समितियों ने विकास खन्ड सोहांव में 10, गड़वार में 13 तथा हनुमान गंज में 17 सड़कों के निर्माण की संस्तुति की है।

सलाहकार समिति की संस्तुतियों के विपरीत निम्नलिखित तिथियों को उनके सम्मुख अंकित सड़कों का निर्माण किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है :

1--विकास खन्ड सोहांव में 4 सड़कें जिनकी स्वीकृति की तिथि क्रमशः 30-11-87, 30-12-87, 30-12-87, 22-3-88 हैं।

2--विकास खन्ड गड़वार में 9 सड़कें तिथि क्रमशः 14-12-87, 19-12-87 20-12-87, 20-12-87, 7-1-87, 8-1-88, 30-12-87, 15-1-88 एवं 15-1-88 हैं।

3--विकास खन्ड हनुमानगंज में 6 सड़कें तिथि 30-12-87/16-3-88, 3-12-87, 8-1-88, 16-3-88, 16-3-88, 16-3-88 हैं।

सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये इन कार्यों को 31-3-88 तक पूर्ण करने का प्राविधान है।

गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, कछला (बदायूं) में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की मांग

49--श्री नरेशपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के विधायकों द्वारा दिये गये 20 नवम्बर, 1985 के प्रत्यावेदन के बावजूद भी अभी तक गोविन्द बल्लभ पंत डिग्री कालेज, कछला (बदायूं) में शासन द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति क्यों नहीं की गई जबकि उच्च शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद तथा कुलपति, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

द्वारा आवश्यक जांच कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री सिब्ते रजी--

इस कालेज में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने सम्बन्धी प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं ।

जनपद गोण्डा में शिया-सुन्नी वक्फ की संस्था तथा उनसे होने वाली आय तथा आय बढ़ाने की योजना

50--श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)--

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कुल कितने शिया-सुन्नी वक्फ हैं और वर्ष 1987 में इन वक्फ प्रापर्टियों के माध्यम से कुल कितनी आय हुई है ? वर्ष 1988 में उक्त वक्फ की आय बढ़ाने की क्या-क्या योजनायें सरकार द्वारा बनाई गयी हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

जनपद गोन्डा में 138 सुन्नी अवकाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हैं । इनसे वक्फ बोर्ड को उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत अंशदान के रूप में 9,383·65 रु0 प्राप्त हुआ है, जो कि सम्पूर्ण आय का 6 प्रतिशत है ।

उक्त जनपद में 10 शिया अवकाफ पंजीकृत हैं, जिनमें 9 वक्फ अलल-औलाद हैं और केवल एक वक्फ अलल-खैर हैं, जिसकी सालाना आमदनी रु0 1250 है । शेष 9 अलल-औलाद अवकाफ की आमदनी का विवरण शिया वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है ।

इन अवकाफ की आय बढ़ाने के लिये फिलहाल कोई योजना नहीं बनायी गयी है ।

अनवर शाह तकिया, जनपद गोण्डा के हित में सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गये पत्र

51--श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)--

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ सं0 84, अनवर शाह तकिया, जनपद गोण्डा के हित में दफा 57-ए की नोटिस सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी, गोण्डा को भेजने की कोई योजना है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रश्नगत वक्फ से कथित अवैध कब्जे हटाने के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 57-ए के अन्तर्गत 18 अभियाचन दिनांक 29 दिसम्बर, 1987 को कलेक्टर, गोण्डा को भेजे गए थे । किन्तु कलेक्टर, गोण्डा ने उन अभियाचनों को बोर्ड को इस आधार पर वापस कर दिया कि प्रश्नगत भूमि नजूल भूमि है जिसे उनके द्वारा पट्टे पर दिया गया है तथा इस मामले में बोर्ड द्वारा अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व कलेक्टर/राज्य सरकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । इस स्थिति में बोर्ड द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है । जिसके पश्चात् उनके द्वारा यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गया प्रसाद गुप्त, जिला विकास अधिकारी उन्नाव के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

52—श्री सुन्दर लाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के जिला विकास अधिकारी (श्री गया प्रसाद गुप्त) के विरुद्ध श्रीमती जयति चन्द्रा, तत्कालीन जिलाधिकारी, उन्नाव ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं0 727/2 विकास 1986-87 दिनांक 1 जुलाई, 1987 के द्वारा विशेष कार्याधिकारी ग्राम विकास को जांच हेतु भेजा था ? क्या उप विकास आयुक्त इसकी जांच कर रहे हैं ? उप विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल के विरुद्ध गम्भीर आरोप की दशा में किसी निष्पक्ष उच्चाधिकारी द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी हां ।

उप विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल के विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप शासन के संज्ञान में नहीं हैं । अतः किसी अन्य अधिकारी से इस मामले की जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ए0 के पाण्डेय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उन्नाव का नवाबगंज वन रेन्ज अधिकारी को बारहसिंघा पकड़वाने विषयक निदेश

53—श्री सुन्दर लाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी निदेशक, श्री ए0 के0 पाण्डेय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, उन्नाव ने अपने पत्र सं0 2308/3551 दिनांक 16 जनवरी, 1988 के द्वारा वन रेंज अधिकारी, नवाबगंज को निर्देशित किया था कि एक बारहसिंघा को प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा अपने अनाधिकार कब्जे में कर लिया है, को पकड़कर नवाबगंज डीयर पार्क में लाकर रखे ? इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री ए0 के0 पाण्डे प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उन्नाव ने सूचित किया है कि जिलाधिकारी, उन्नाव के टेलेक्स सन्देश प्राप्त होने पर उन्होंने अपने पत्र संख्या 2308/35-5-1 दिनांक 16 जनवरी, 1988 द्वारा वन रेंज अधिकारी नवाबगंज को निर्देश दिया कि एक बारह सिंघा ब्लाक प्रमुख औरास, हसनगंज के कब्जे में है, उसे तुरन्त पकड़कर उन्नाव जनपद में स्थित नवाबगंज डियर पार्क में लाकर रखें । नवाबगंज रेंज से एक वनविद व सहायक वन्य जीव प्रतिपालक, औरास ब्लाक के ग्राम बछौली में बारहसिंघा प्राप्त करने गए । वहां इन कर्मचारियों को जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 10 या 11 जनवरी, को एक बारहसिंघा गांव में आ गया था जिसे पकड़कर बांधा गया था परन्तु यह रात में ही रस्सा तोड़कर कहीं भाग गया । काफी खोज बीन के बाद भी बारहसिंघा का कोई पता नहीं चला ।

54—श्री सुन्दर लाल—

[आठवें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रा0 पा0 भवन ग्राम निरगाजनी डा0 भेपा, जनपद मुजफ्फरनगर के निर्माणार्थ कतिपय व्यक्तियों के पत्र पर कृत कार्यवाही

55—श्री दीपक कुमार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 को शिक्षा मंत्री जी को सम्बोधित विक्रम सिंह व महावीर सिंह, निवासी निरगाजनी डा0 भेपा, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर का कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित प्रा0 पा0 भवन के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मानागढ़ी व लोहई में चल रहे आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

56—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि मांट क्षेत्र से मानागढ़ी व लोहई गांवों में जिला परिषद्, मथुरा द्वारा आयुर्वेदिक अस्पताल चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इनमें कितने साल से कोई डाक्टर नहीं है ? क्या सरकार उपरोक्त गांवों में जिला परिषद् द्वारा कागजों पर चलाये जा रहे अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् मथुरा की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण परिषद द्वारा मांट क्षेत्र के मानागढ़ी व लोहई गांव में चल रहे आयुर्वेदिक चिकित्सालय को दिनांक 12 मार्च, 1987 से बन्द कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आत्मा राम, भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा के विरुद्ध की जा रही जांच

57—श्री विष्णु देव—

विधान सभा के अता0 प्र0 सं0 161, दिनांक 7 फरवरी, 1983 के उत्तरानुसार क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा, श्री आत्माराम के विरुद्ध संयुक्त निदेशक (पशुधन) रामगंगा कमाण्ड से जांच पूर्ण करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सहित कृत कार्यवाही से मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज में निरक्षर महिला एवं पुरुष की संख्या की जांच

58—श्री विष्णु देव—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज एवं तरवा में वर्ष 1985–86 में सरकारी आंकड़े के अनुसार कुल 49 हजार निरक्षर जिनमें 18,000 पुरुष एवं 31,000 महिला निरक्षर हैं, परन्तु प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा 55,000 साक्षर किये गये पुरुष 28,000 तथा महिला 27,000 दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच करा कर गलत आंकड़े के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिद्दते रजी—

जी नहीं ।

विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड लालगंज एवं तरवा में वर्ष 1985–86 में 15 से 35 आयु वर्ग के कुल निरक्षरों की संख्या 55,480 थी । इन विकास खण्डों में वर्ष 1981–82 से वर्ष 1985–86 तक केन्द्रीय संसाधनों से संचालित एक शासकीय प्रौढ़ शिक्षा परियोजना के माध्यम से 15 से 35 आयु वर्ग के कुल 52,120 निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया है जिसमें से 28,269 पुरुष एवं 23,851 महिलायें थीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायत अधिकारी, देवरिया को प्रशासन से प्राप्त धन का ब्योरा

59—श्रीमती शारदा देवी—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के जिला पंचायत अधिकारी ने माह जून, 1986 से 14 सितम्बर, 1986 तक कितनी धनराशि शासन से प्राप्त की थी तथा उसमें से किस–किस मद पर कितना धन अब तक खर्च किया है ? यदि धनराशि खर्च नहीं की गई, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

60—श्रीमती शारदा देवी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

मथुरा जनपद में स्कूल नर्सरी लगाने का प्रस्ताव

61—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के अन्तर्गत वर्ष 1987–88 में मथुरा जनपद में वन विभाग द्वारा किसानों को सहयोग कर स्कूल नर्सरी तैयार कराई गई है ? यदि हां, तो कहां–कहां और कितनी ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन नर्सरियों से वन विभाग मथुरा द्वारा शासन के निर्देशानुसार कोई पौधे खरीदे गये ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

स्कूल नर्सरी वन विभाग के सहयोग से स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा बनायी जाती है किसानों द्वारा नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्ष 1987-88 में बनाई गई स्कूल नर्सरियों के पौधे वर्ष 1988 वर्षा ऋतु में रोपण योग्य होंगे । इसलिए अभी तक इन पौधों के क्रय करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

टिहरी-गढ़वाल जनपद के विकास खन्ड मिलगना में अर्ध निर्मित मिलन केन्द्र का भुगतान का औचित्य

62--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

क्या ग्राम्य विकास व पंचायती राज मंत्री को विदित है कि टेहरी-गढ़वाल जनपद के विकास खन्ड मिलगना में मिलन केन्द्र भवन गत वर्ष से 93,00 रु0 (तिरानबे हजार रुपया) ठेकेदार को अदा कर दिये जाने के बाद भी अधूरा पड़ा है . यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या यह बात सही है कि उक्त भवन का निर्माण क्षेत्र विकास समिति का सदस्य करवा रहा है ? यदि हां, तो जिस अधिकारी ने उक्त ठेका दिया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खन्ड मनकापुर, जनपद गोंडा में एक कन्या हाई स्कूल की मांग

63--श्री राम विशुन आजाद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा के वि0 खं0 मनकापुर क्षेत्र की छात्राओं की सुविधा और विकास हेतु एक कन्या हाई स्कूल की कमी को दृष्टि में रखकर कन्या हाई स्कूल की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में कराने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धे रजी--

भूमि एवं भवन की उपलब्धता तथा अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति के अभाव में फिलहाल इस प्रकार की घोषणा किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बांदा के ग्राम केशरुवा एवं कीरतपुर को अलग ग्राम सभा घोषित करने विषयक पत्र पर की गयी कार्यवाही

64--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ बांदा जनपद के ब्लाक महुवा के ग्राम शरुवा तथा कीरतपुर के निवासियों का पत्र दिनांक 20 अक्तूबर, 1986 को ग्राम केशरुवा तथा कीरतपुर को

अलग ग्राम सभा घोषित करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मौजूदा समय म उपरोक्त गांवों की वोटर संख्या तथा आबादी क्या है तथा ये कब तक ग्राम सभा घोषित हो जायेंगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

ग्राम केशरूवा एवं कीरतपुर की कुल आबादी 1981 की जनगणना के आधार पर 460 है तथा वोटर संख्या 250 है । प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद वाराणसी की गांव सभा शाहपुर व विरथोलपुर, ब्लाक पिन्डरा में प्राइमरी पाठशाला खोलने की स्वीकृति

65--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा शाहपुर व विरथोलपुर, ब्लाक पिन्डरा, जिला वाराणसी में आज तक बेसिक प्राइमरी पाठशाला नहीं खोला गया है, जबकि दोनों गांवों की आबादी दो हजार से ऊपर है । यदि हां, तो क्या सरकार 1987-88 के वित्तीय वर्ष में स्थान शाहपुर में एक बेसिक प्राइमरी पाठशाला की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि जिला योजना में वर्ष 1987-88 में नये विद्यालय खोलने हेतु कोई परिव्यय निर्धारित नहीं हो सका है ।

जिला प्रतापगढ़ के करामत अली, सेवा निवृत्त प्रधान अध्यापक, जूनियर बेसिक विद्यालय, शाहबरी के बकाये धनराशि की मांग

66--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि श्री करामत अली, जून, 1979 में प्रधान अध्यापक के पद से जूनियर बेसिक विद्यालय, शाहबरी, जिला प्रतापगढ़ से सेवा निवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें जी0 पी0 एफ0, पेंशन, ग्रेच्युटी, जीवन बीमा आदि की धनराशि दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त फंड उन्हें शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

1--जी0 पी0 एफ0 का भुगतान हो चुका है ।

2--पेंशन का भुगतान माह फरवरी, 1988 तक किया जा चुका है ।

3--ग्रेच्युटी बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों को देय नहीं है ।

4—सामूहिक जीवन बीमा का भी भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा, तहसील एतमादपुर की हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था

67—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की एतमादपुर तहसील में वर्ष 1986-87 व 1987-88 में अब तक हरिजन बस्तियों में कुल कितने हैण्ड पम्प तथा पानी पीने के कुएँ बनाये हैं और उनमें प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च हुई है ? क्या मन्त्री जी को यह भी जानकारी है कि विगत दो वर्षों में हरिजनों के नाम पर आवंटित हैण्ड पम्पों को सवर्ण बस्तियों में लगाया गया है जहां पानी की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

आगरा जनपद की एतमादपुर तहसील में वर्ष 1986-87 में एक हैण्ड पम्प और 1987-88 में चार हैण्ड पम्पों की स्थापना की गई है । इन दोनों वर्षों में पानी पीने के लिए कोई कुआं नहीं बनवाया गया है । वर्ष 1986-87 में स्थापित एक हैण्ड पम्प पर 11,000 रु0 और वर्ष 1987-88 में स्थापित चार हैण्ड पम्पों पर 44,000 रु0 की धनराशि खर्च हुई है । हरिजन पेयजल योजनान्तर्गत वर्ष 1986-87 व 1987-88 में जो हैण्ड पम्प स्थापित किये गये हैं, वे हरिजन बस्तियों में ही लगाये गये हैं ।

विकास खण्ड सोहांव, जिला बलिया के कतिपय प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण में विलम्ब का औचित्य

68—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव में प्राइमरी पाठशाला टुटुआरी एवं प्राइमरी पाठशाला नसीरपुर के भवन निर्माण हेतु "ग्रामीण अभियंत्रण सेवा", बलिया को आदेश दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि धन एवं भूमि की व्यवस्था होने के बाद भी उक्त भवन का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । प्राइमरी पाठशाला भवन टुटुयारी एवं नसीरपुर के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण तथा इसमें निर्धारित लागत से अधिक व्यय निहित होने के कारण निर्माण कार्य समय से शुरू नहीं कराया जा सका । प्राइमरी पाठशाला भवन टुटुवारी के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है, जो माह जून, 1988 तक पूर्ण हो जायेगा ।

प्राइमरी पाठशाला भवन नसीरपुर के लिए अभी अतिरिक्त धनराशि जिला परिषद्, बलिया से प्राप्त नहीं हुई है, जिसके प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ।

जनपद मथुरा में लाभार्थियों को भैंस उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मेले पर व्यय धनराशि

69--श्री जगवीर सिंह तथा श्री कुशल पाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी में है कि मथुरा जनपद में लाभार्थियों को भैंस उपलब्ध कराने के लिये जिला प्रशासन द्वारा पशु मेला वर्ष 1986-87 व 1987-88 में लगाये गये थे ? यदि हां, तो यह कहां-कहां पर लगाये गये और उन पर कितना-कितना व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि मथुरा जनपद में मेला लगा कर कम कीमत की भैंसे ज्यादा कीमतों में लाभार्थियों को सम्बन्धित मेला व्यवस्थापकों द्वारा खरीदवाई गई जिससे लाभार्थियों को अतिरिक्त धन साहुकारों से ऊंची ब्याज पर लेना पड़ा ? यदि हां, तो कितने लाभार्थियों को प्रशासन द्वारा स्वकृत ऋण से ज्यादा कीमत की भैंसे खरीदवाई गयीं जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता ने कई बार जिलाधिकारी, मथुरा से की ? यदि हां, तो उन लाभार्थियों की इस खुली लूट के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मेलों पर सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए कोई कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद मथुरा में लाभार्थियों को भैंस उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1986-87 में कोई मेला नहीं लगाया गया था। वर्ष 1987-88 में जिला मुख्यालय पर 2 तथा सादाबाद, मांट छाता एवं मथुरा तहसील मुख्यालयों पर एक-एक मेला लगाया गया। इन मेलों पर कुल 32,972·40 पैसे व्यय किया गया।

व्यवस्थापकों द्वारा अधिक कीमतों पर भैंसे क्रय कराने के सम्बन्ध में कोई शिकायत किसी लाभार्थी से प्राप्त नहीं हुई। 94 लाभार्थियों ने अपनी स्वेच्छा से कीमत निर्धारित कर स्वकृत ऋण से औसतन 200-300 रु0 अधिक की भैंसे क्रय की थीं। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1988 प्राप्त हुआ चूंकि लाभार्थियों ने अपनी स्वेच्छा से भैंसे पसन्द की और स्वयं ही कीमतों का निर्धारण किया था, अतः लाभार्थियों की लूट, सरकारी धन के दुरुपयोग एवं किसी अधिकारी से विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

उन्नाव जनपद में सूखा राहत योजनान्तर्गत ग्राम हबूसा से पुरवा मिर्री रोड तक सम्पर्क मार्ग का सत्यापन

70--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले में सूखा राहत योजना में ग्राम हबूसा से पुरवा मिर्री रोड तक का सम्पर्क मार्ग बनाया गया है ? यदि हां, तो सम्पर्क मार्ग कितने मीटर बना ? कितने श्रम दिवस सृजित हुए ? क्या यह सच है कि मस्टर रोल पर दर्ज मजदूरों के नाम फर्जी हैं ? यदि नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी मस्टर रोलों पर दर्ज मजदूरों के नाम हुए भुगतान का सत्यापन किन्हीं वरिष्ठ अधिकारी से करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूखा राहत योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में ग्राम हबूसा से पुरवा मिर्री तक 0·720 कि0 मी0 सड़क के निर्माण पर कुल 2181 मानव दिवस सृजित हुए हैं।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गई जांच में मस्टर रोल पर अंकित मजदूरों के नाम सही पाये गए तथा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी नियमानुसार पाया गया है। इसका सत्यापन कराया जा रहा है।

पिपराइच, जनपद गोरखपुर में बालिका पूर्व माध्यमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग

71--सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद गोरखपुर पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में बालिकाओं का कोई भी पूर्व माध्यमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या पिपराइच विधान सभा क्षेत्र की जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिये पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक या दो पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय खोलने का तत्काल आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं।

माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, अतः इनके खोलने का प्रश्न नहीं उठता है। धन के अभाव में पिपराइच में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने पर विचार किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

72--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की हर तहसील में एक बालिका माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं ? क्या इसी प्रकार प्रदेश की समस्त टाउन एरिया में भी एक-एक बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने की कोई योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया, पिपराइच में इस वर्ष बालिका माध्यमिक विद्यालय खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

हर तहसील में नहीं बल्कि केवल उन तहसीलों में जिनमें बालिकाओं का कोई हाई स्कूल/इंटर कालेज संचालित नहीं है।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में कोई योजना बनाने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

नहीं।

सेवा-निवृत्त वरिष्ठ लिपिक श्री गया सिंह चौहान, जिला विकास कार्यालय, मैनपुरी की मिलेट्री सेवा को पेंशन लाभार्थ सिविल सेवा से जोड़ने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

73--श्री शिव बख्श सिंह राठौर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गया सिंह चौहान, सेवा-निवृत्त वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय, जिला विकास अधिकारी, मैनपुरी के दिनांक 17 नवम्बर, 1941 से 31 मार्च, 1946 तक की मिलिट्री सेवाओं को पेंशन लाभार्थ सिविल सेवा से जोड़ने सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जो प्रश्नकर्ता द्वारा राज्य मन्त्री, वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 29 अक्तूबर 1987 में दिया गया है, पर क्या कार्यवाही हुई है ? क्या इसी प्रकार के एक मामले में श्री बृजभूषण पाण्डे, सेवा-निवृत्त वरिष्ठ लिपिक, जिला विकास कार्यालय, मैनपुरी को ग्राम्य विकास अनुभाग-1 (उत्तर प्रदेश सरकार) के पत्रांक 10958/38-1--1559-79, दिनांक 18 अप्रैल, 1987 के द्वारा उनकी मिलिट्री सेवा दिनांक 13 मार्च, 1943 से 31 मार्च, 1946 को पेंशन लाभार्थ सिविल सेवा से जोड़ने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो उसी आधार पर श्री गया सिंह चौहान के उक्त मामले में कब तक अनुमति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्न में वर्णित पत्र दिनांक 29 अक्तूबर, 1987 में निहित बिन्दुओं का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री बृज भूषण पाण्डे के मामले में मिलेट्री सेवा का लाभ लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में दिया गया है । उक्त निर्णय के आधार पर अन्य प्रकरणों में भी समान लाभ देने अथवा न देने के बिन्दु पर परीक्षण किया जा रहा है और अन्तिम निर्णय होने पर प्रश्नगत मामले में भी तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री काशी राम, प्रबन्धक, बापू बालिका विद्यालय, नई बस्ती, सीतापुर का भवन माप एवं स्थायी मान्यता विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

74--श्री दीप चन्द्र सोनकर--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री काशी राम, प्रबन्धक, बापू बालिका विद्यालय, नई बस्ती, सीतापुर का कोई पत्र दिनांक 1 फरवरी, 1988 का भवन माप में छूट एवं स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

स्थायी मान्यता हेतु शर्तों में छूट देने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दी संस्थान द्वारा झांसी मण्डल के पुस्तकालयों को प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दी गयी पुस्तकें

75--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में हिन्दी संस्थान द्वारा झांसी मण्डल के किस-किस पुस्तकालय को किस-किस वर्ष में, कितने-कितने मूल्य की पुस्तकें प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी हैं ?

श्री सिद्दते रजी—

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा व्यवहृत हो रही हिन्दी के उत्तम साहित्य की पुस्तकों के क्रय की योजना के अन्तर्गत झांसी मण्डल के विभिन्न पुस्तकालयों को आपूर्ति की गई पुस्तकों का वर्षवार विवरण संलग्न† है ।

आपूर्ति की गई पुस्तकों के मूल्य की सूचना प्रतीक्षित है ।

राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, कलकत्ता द्वारा झांसी मण्डल के पुस्तकालयों को पुस्तकीय एवं अन्य सहायता का विवरण

76—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, कलकत्ता द्वारा झांसी मण्डल के किस-किस पुस्तकालय को गत पांच वर्षों में क्या-क्या पुस्तकीय और अन्य सहायता प्रदान किए जाने की संस्तुति की गयी है ?

श्री सिद्दते रजी—

झांसी मण्डल के पांच पुस्तकालयों को राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन परियोजना के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में पुस्तकीय सहायता प्रदान की गई है । विवरण निम्नवत् है :

पुस्तकालय का नाम	वर्षवार पुस्तकीय सहायता की धनराशि (लगभग रुपये हजारों में)				
	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
1—नागरी प्रचारक पुस्तकालय एवं वाचनालय, सिविल लाइन्स, झांसी	5.5	5.5	10	10	10
2—श्री लक्ष्मी ब्रिगेड पुस्तकालय, नई बस्ती, झांसी	5.5	5.5	10	10	10
3—सार्वजनिक पुस्तकालय नगरपालिका, ललितपुर	5.5	5.5	10	10	10
4—सेवा समिति व्यास पुस्तकालय, कालपी, जालौन	5.5	5.5	10	10	10
5—आध्यात्म सत्संग पुस्तकालय, राम मार्ग, उरई, जालौन	5.5	5.5	10	10	10

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 194 पर ।

स्वामी विवेकानन्द पुस्तकालय एवं वाचनालय, कोंच (जालौन) को हिन्दी संस्थान द्वारा पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग

77--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्ष से स्वामी विवेकानन्द पुस्तकालय एवं वाचनालय, कोंच (जालौन), हिन्दी संस्थान को प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा है और फिर भी उक्त पुस्तकालय को अभी तक पुस्तकें देना प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब पुस्तकें देना प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री सिद्धे रजी--

स्वामी विवेकानन्द पुस्तकालय एवं वाचनालय, कोंच, जालौन को वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 में क्रमशः रु0 2,000, रु0 5,000, तथा रु0 2,000 की पुस्तकीय सहायता उपलब्ध कराई गयी । वर्ष 1985-86 तथा वर्ष 1986-87 की पुस्तकीय सहायता की पुस्तकें उक्त पुस्तकालय को उपलब्ध कराई जा चुकी है । वर्ष 1987-88 की पुस्तकें शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

78--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु ली गयी परीक्षा

79--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु अप्रैल, 1985 में आयोजित की गयी परीक्षा के अन्तर्गत उत्तीर्ण प्रतीक्षा सूची में रखे गये अभ्यर्थियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 जनवरी, 1988 संलग्न करते हुए संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास अनुभाग-2 ने अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 3 एम/1/54-2-88 द्वारा निदेशक भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो संयुक्त सचिव के पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे और उन पर क्या आख्या दी गयी है ? यदि आख्या नहीं दी गयी है तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

संयुक्त सचिव के पत्र में मुख्य बिन्दु यह थे कि यदि विभाग में 3 आलेखक व प्रालेखक एवं दो मुख्य लिपिक के पद रिक्त हों तो उनका पूर्ण विवरण एवं प्रश्नकर्ता के पत्र पर आख्या शासन को उपलब्ध कराई जाय । इस परिपेक्ष्य में निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा यह आख्या प्रेषित की गई थी कि कनिष्ठ लिपिक के पदों पर चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति हेतु 15 आरक्षण के अनुसार 8 पद भरे हुए हैं तथा वर्तमान में 2 पद वरिष्ठ लिपिक/आलेखक व प्रालेखक तथा 3 पद मुख्य लिपिक के रिक्त हैं, जिन्हें नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, फैजाबाद का मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित-पत्र पर कृत कार्यवाही

80—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, फैजाबाद के अ0 शा0 पत्र सं0 44/अ0 लि0/जनप्रति/88 जिलाधिकारी निवास दिनांक 17 फरवरी, 1988 तथा उन्हीं के अ0 शा0 पत्र संख्या 21/जनप्रति/87, दिनांक 24 अक्तूबर, 1987 और अ0 शा0 पत्र संख्या 12/आ0 लि/ज0 प्रति/87, दिनांक 19 अगस्त, 1987 जिलाधिकारी निवास द्वारा लिखे गये पत्र जो श्री एस0 के0 अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित हैं और प्रश्नकर्ता को भी पृष्ठांकित हैं, के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत पत्र दिनांक 17 फरवरी, 1988 जो परगनाधिकारी, बीकापुर को सम्बोधित है द्वारा ग्राम परसपुर सथरा में निर्माणाधीन मार्ग के स्थल निरीक्षण हेतु परगनाधिकारी, बीकापुर, फैजाबाद को निर्देशित किया गया था। तदनुसार जांच की जा रही है। जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1987 के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1987 के संदर्भ में 24 सम्पर्क मार्गों के विषय में निर्देश दिये गये थे कि नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। प्रश्नगत पत्र दिनांक 24 अक्तूबर, 1987 में 5 सम्पर्क मार्गों की जांच एवं कार्य रोकवाने के निर्देश दिये गये तथा 4 सम्पर्क मार्गों का नियमानुसार निर्माण कराने के निर्देश दिये गये थे। प्रश्नगत दोनों पत्रों से सम्बन्धित सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की गयी एवं 10 सम्पर्क मार्गों को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर धनराशि अवमुक्त की गयी। 5 सम्पर्क मार्ग जिसका निर्माण रोकवाना था, के लिए धन अवमुक्त नहीं किया गया।

सुल्तानपुर के एन0 एच0 कालिकागंज से गौरा सफीपूर सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति

81—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 मार्च, 1987 को चांदा, सुल्तानपुर की विशाल जनसभा में उन्होंने जनता की मांग पर यह घोषणा की थी कि एन0 एच0 कालिकागंज से गौरा सफीपुर मार्ग को जनहित में यथाशीघ्र बनाये जाने के लिये आर0 ई0 एस0 विभाग को तीन लाख रुपया धन दिया जायगा और मार्ग को यथाशीघ्र बना दिया जायगा ? यदि हां, तो आज तक निरन्तर जनता की मांग पर उस मार्ग को क्यों नहीं निर्मित कराया गया ? क्या मंत्री जी उस मार्ग को यथाशीघ्र निर्माण किये जाने के लिए घोषणा किये गये धन को जिलों में भेजेंगे ? क्या यह सत्य है कि उस मार्ग को बनाये जाने के लिए स्वीकृति जिला योजना से थी और अब अस्वीकृत कर दी गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण की मांग ग्राम्य विकास मन्त्री जी के समक्ष रखी गई थी। इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है।

उक्त मार्ग को बनाये जाने का कोई प्राविधान जिला योजना में नहीं था अतः उसके अस्वीकृत किये जाने का भी प्रश्न नहीं उठता ।

82--श्री नरेन्द्र पाल सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

श्री एस0 के0 दुबे, वित्त अधिकारी, कुमाऊं विश्वविद्यालय का स्थानान्तरण तथा कुलपति द्वारा वित्तीय मामलों में मनमानी किये जाने पर कृत कार्यवाही

83--श्री नरेन्द्र पाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 के0 दुबे, वित्त अधिकारी, कुमाऊं विश्वविद्यालय का मई, 1987 में शासन द्वारा रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण किया गया था ? यदि हां, तो शासन आदेशों की अवहेलना करके उनको योगदान क्यों नहीं कराया गया, जब कि वह 27 मई, 1987 को योगदान हेतु पहुंचे थे एवं इसी पद पर अन्य व्यक्ति की शासन से क्यों मांग की गई है ? क्या यह सही है कि उस समय से लेकर आज तक उक्त विश्वविद्यालय में कोई भी वित्त अधिकारी नियुक्त नहीं है तथा कुलपति महोदय वित्तीय मामलों में मनमानी कर रहे हैं, यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

रुहेलखंड विश्वविद्यालय में श्री दुबे पहले भी वित्त अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके थे । अतएव, विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्हें वित्त अधिकारी के पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण कराना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

विश्वविद्यालय परिनियम 2'03 के अन्तर्गत वित्त अधिकारी की व्यवस्था की गई है ।

शासन के संज्ञान में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद पर अनियमित नियुक्तियां

84--श्री नरेन्द्र पाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति ने पूर्वांचल के लगभग 40 व्यक्तियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद पर 10 माह पूर्व दैनिक वेतन पर नियुक्त किया था, जब कि इन नियुक्तियों का न तो विज्ञापन किया गया न ही बरेली सेवायोजन कार्यालय से अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त किये गये और न ही कोई परीक्षा एवं साक्षात्कार किया गया और सभी को नियम विपरीत माह मार्च,

1988 में नियमित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सभी अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्वांचल के छः व्यक्ति दैनिक वेतन पर लगाये गये ।

विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि नियुक्तियां पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर की गई हैं जिन्हें वे किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं ।

जनपद जालौन के नयी गांव के पंचायत सेक्रेटरी मान सिंह निरंजन को निर्माण कार्य के लिए आवंटित धन के दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में कार्यवाही

85—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी यह सूची दिलाने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के नदीगांव ब्लाक में कार्यरत पंचायत सेक्रेट्री मान सिंह निरंजन को गत तीन वर्षों में किस-किस निर्माण कार्य के लिए कब-कब कितना-कितना धन दिया गया और उस धन का कितना सदुपयोग हुआ ? सदुपयोग न होकर दुरुपयोग के किस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री मान सिंह निरंजन को विगत तीन वर्षों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कुल 4,24,052·00 रुपये की धनराशि दी गई । निर्माण कार्य सहित वर्षवार, तिथिवार *सूची संलग्न है । कुल स्वीकृत धनराशि 4,24,052·00 रुपये में से रुपये 3,57,279·88 पैसे का उपयोग कर लिया गया है तथा 66,772·12 रु0 के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जा रहे हैं । श्री मान सिंह निरंजन के विरुद्ध निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त होने पर इन्हें दिनांक 25 मार्च, 1987 को निलम्बित किया गया था । इनके निलम्बन के प्रकरण में सभी कार्यवाहियां पूर्ण होने पर इन्हें दिनांक 17 अक्टूबर, 1987 को, इनकी वेतन वृद्धि रोकने, भविष्य में निर्माण कार्य न देने तथा इनकी चरित्र पंजिका में विपरीत उल्लेख करने के दण्ड देकर इन्हें बहाल कर दिया गया ।

*(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 197 पर)

जिला परिषद्, इटावा की कार संख्या यू0 एच0 के0 2525 की क्रय अवधि एवं रख रखाव पर व्यय

86—श्री धनराज यादव, श्री किशन लाल दिलेर तथा श्री महाराज सिंह यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, इटावा की कार सं0 यू0 एच0 के0 2525 कब खरीदी गई और इसकी खरीद से पूर्व शासन एवं आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस कार का प्रयोग क्या परिषदीय लाभ के कार्यों में किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस कार की क्रय तिथि से एक वर्ष में इस पर कितना व्यय इसके अनुरक्षण एवं पी0 ओ0 एल0 में खर्च हुआ जिसका भुगतान किस फर्म को किस कार्यालय से किया गया और क्या अनुरक्षण व पी0 ओ0 एल0 व्यय न्यायसंगत है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन इस विषय पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 के पर्वतीय क्षेत्रों के लेन्टीना नामक झाड़ियों के भीषण प्रकोप से पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोक की मांग

87--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर देहरादून व नैनीताल के तराई क्षेत्र व जनपद पिथौरागढ़ में घाट क्षेत्र में लेन्टीना नामक झाड़ियों का भीषण प्रकोप है जिस कारण वहां की भूमि उर्वरा है व छोटी घास झाड़ियों के विकास में अत्यन्त दुष्प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इन झाड़ियों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो कब किन परिणामों के साथ ? इस झाड़ी को निर्मूल कर पूर्णतया समाप्त करने हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

इन झाड़ियों द्वारा प्रकोपित क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लेन्टीनाग्रस्त क्षेत्रों में वनीकरण हेतु जो भूमि ली जाती है उसमें गड्ढों के चारों ओर लेन्टीना को दो तीन वर्ष तक काटकर साफ किया जाता है ताकि पौधों की बढ़त में इसका प्रभाव न पड़ सके । इस झाड़ी को निर्मूल कर पूर्णतया समाप्त करने का अभी तक कोई स्थायी हल नहीं निकाला जा सका है ।

आजमगढ़, के श्री राजेन्द्र तिवारी, कार्य अधिकारी, जिला परिषद् का वेतन शीघ्र भुगतान करवाने हेतु की गयी कार्यवाही

88--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजेन्द्र तिवारी, कार्य अधिकारी, जिला परिषद्, आजमगढ़ का स्थानान्तरण गोरखपुर के लिये कई माह पूर्व कर दिया गया एवं श्री तिवारी कार्य-भार ग्रहण भी कर लिये, किन्तु तीन महीने हो गये अभी तक गोरखपुर में उनसे कार्य नहीं लिया जा रहा है तथा उन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

शासन के आदेश सं0 543-विम/33-2-900 (9)/87, दिनांक 17 फरवरी, 1988 द्वारा श्री राजेन्द्र तिवारी, कार्य अधिकारी, जिला परिषद्, आजमगढ़ को उसी हैसियत से जिला परिषद्, गोरखपुर में स्थानान्तरित कर तैनात किया गया । वे इस समय कार्य अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा उनके वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मोहम्मद इदरीस मेकरानी, स्थानापन्न प्र0 व0 स0, उप विकास आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर के मूल पद पर प्रत्यावर्तन पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश

89--श्री मैनेजर सिंह तथा श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मोहम्मद इदरीस मेकरानी स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक उप विकास आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया और उन्हें लखनऊ हाईकोर्ट बेंच से उस आदेश के विरुद्ध 29 जनवरी, 1986 को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो कार्यवाही न किये जाने का क्या औचित्य है । क्या निकट भविष्य में स्थगन आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु उप विकास आयुक्त, गोरखपुर को आदेशित किया गया है ।

रिट याचिका का विरोध किये जाने के लिये विविध परामर्श प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जा रही है ।

सैय्यद तकी हसन, कन्ट्रोलर, शिया बोर्ड द्वारा रामपुर में वक्फ असकरी बेगम की जायदाद को बेचने की अनुमति देने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

90--श्री कृष्ण दत्त उर्फ बालराज--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैय्यद तकी हसन, कन्ट्रोलर, शिया बोर्ड ने किन परिस्थितियों में रामपुर में वक्फ असकरी बेगम की जायदाद बेचने की स्वीकृति दे दी ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रश्नगत वक्फ सम्पत्ति की बिक्री की अनुमति शिया वक्फ बोर्ड द्वारा अपने आदेश दिनांक 1 नवम्बर, 1975 द्वारा दी गयी थी । उस समय श्री सैय्यद तकी हसन, शिया वक्फ बोर्ड के कन्ट्रोलर नहीं थे । उक्त आदेशों में कुछ त्रुटियां थीं, जिनका निराकरण श्री सैयद तकी हसन के कार्यकाल में किया गया है । इसमें कोई अनियमितता नहीं दृष्टिगोचर हुयी है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के0 ए0 द्विवेदी, निलम्बित अवर अभियन्ता, जिला परिषद् इटावा द्वारा शासकीय धनराशि का दुरुपयोग तथा सतर्कता विभाग की जांच आख्या

91--श्री औसान सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दो बार मजिस्ट्रीयल जांच व सतर्कता विभाग की जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् भी श्री के0 ए0 द्विवेदी

निलम्बित अवर अभियन्ता, जिला परिषद्, इटावा के अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिये जाने में क्या कठिनाई है ? क्या उक्त जांच आख्यायें श्री द्विवेदी के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही शासन व जिला स्तर पर की जा रही है और इनके विरुद्ध अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब क्यों हो रहा है ? क्या विलम्ब के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

श्री कृष्ण अवतार द्विवेदी, अवर अभियन्ता, जिला परिषद्, इटावा द्वारा शासकीय धनराशि के दुर्विनियोग किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय जांच के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया अपराध गठित होने पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 5(2) व भा0 द0 वि0 की धारा 409/477 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोग स्थापित किया गया है, जो विचाराधीन है ।

सतर्कता विभाग द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है । सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट एवं संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, इटावा के माध्यम से श्री द्विवेदी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है जिस पर अंतिम निर्णय लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री द्विवेदी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और अपर जिलाधिकारी इटावा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । प्रकरण में अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना है । विधि प्रक्रियाओं के कारण विलम्ब हुआ है । इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, अतएव उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

92--श्री औसान सिंह--

[10वें सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद मथुरा के नन्दगांव की वर्चावली के पंचायत सेक्रेटरी द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में गांव के सदस्यों के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

93--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या ग्राम विकास मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद के नन्दगांव ब्लाक की वर्चावली पंचायत सेक्रेट्री श्री कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव के खिलाफ सरकारी धन के गबन, पंचायत घर के निर्माण, खड़ंजा निर्माण व मिट्टी कार्य में अनियमितता के बारे में गांव के सदस्य काशीराम, सामता, लक्ष्मन आदि ने दिनांक 19 जनवरी, 1988 को जिला पंचायत राज अधिकारी, मथुरा को कोई शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस शिकायती-पत्र की जांच दिनांक 20 जनवरी, 1988 को श्री ओ0 पी0 बाथम, ए0 डी0 पी0 आर0 ओ0, मथुरा को दी गई थी ? जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग व गबन के चार्ज साबित हो चुके हैं ? यदि हां, तो जिला प्रशासन ने उक्त कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की थी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

जांच अभी जारी है ।

लखनऊ में गिरधारी सिंह इंदर कुंवर इंटर कालेज के संस्थागत छात्र को संशोधित जन्म-तिथि प्रमाण-पत्र शीघ्र उपलब्ध करवाये जाने की मांग

94--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गिरधारी सिंह इन्दर कुंवर इंटर कालेज, लखनऊ ने वर्ष 1976 के संस्थागत छात्र के अनुक्रमांक 275447 की जन्म-तिथि संशोधित करने हेतु सिविल न्यायालय का निर्णय हुआ था जिसकी प्रति शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद को 1 जून, 1987 को प्रस्तुत की गयी थी ? यदि हां, तो संशोधित जन्म-तिथि प्रमाण-पत्र अब तक उपलब्ध न कराये जाने का क्या कारण है ? शासन विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके प्रश्नगत संशोधित प्रमाण-पत्र कब तक उपलब्ध करा देगा ?

श्री सिब्ते रजी--

हां ।

क्योंकि माननीय मुन्सिफ न्यायालय, लखनऊ के निर्णय दिनांक 2 अप्रैल, 1987 के विरुद्ध माननीय न्यायालय सिविल जज, लखनऊ के यहां रिवीजन दायर है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पारस नाथ, प्रधानाचार्य माधव विद्या मंदिर इंटर कालेज, पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के समय शैक्षिक अनुभव

95--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पारस नाथ, प्रधानाचार्य, माधव विद्या मंदिर इंटर कालेज, पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के समय निर्धारित शैक्षिक अनुभव था ? यदि हां, तो किस-किस वेतनक्रम में तथा कितने-कितने वर्ष तक का ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

उन्हें निम्नांकित अनुभव था :--

(1) अप्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम में वर्ष 1959-60 का ।

(2) प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम में वर्ष 1961-62 से जून, 1964 तक का

श्री रजवन्ता सिंह, लिपिक, माधव विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, मिर्जापुर को काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पुस्तकालय कर्मचारी के रूप में दिखाकर बी0 ए0 का परीक्षा कार्य करवाना

96--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रजवन्ता सिंह, लिपिक, माधव विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, मिर्जापुर द्वारा पद पर रहते हुये काशी विद्यापीठ, वाराणसी

से पुस्तकालय कर्मचारी पद दिखाकर बी0 ए0 का फार्म भरने हेतु 18 माह पुस्तकालय कर्मचारी पद पर निरन्तर नियुक्ति दिखायी गयी और फार्म भरवाया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त फर्जी कार्य कराने के दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

प्रकरण के सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा त्रुटिवश नियुक्त श्री कौशल किशोर की सेवा समाप्ति

97--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1988 के चौथे मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि भूतपूर्व लिपिक श्री कौशल किशोर की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा त्रुटिवश की गयी थी तो इसके लिये लिपिक श्री कौशल किशोर कहां तक दोषी है और त्रुटि के कारण श्री किशोर को सेवा से निकाले जाने का क्या औचित्य है ? क्या श्री कौशल किशोर को निकाले जाने के बाद 6 लिपिक पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं और श्री कौशल किशोर को पुन: सेवा में नहीं लिया गया है ? जिससे उनकी उम्र भी निकल गयी ? यदि हां, तो क्या श्री कौशल किशोर को पुन: सेवा में लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । श्री कौशल किशोर की आयु निकल जाने के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं है क्योंकि सेवा समाप्ति के बाद वे अन्यत्र सेवा करने हेतु पूर्णतया स्वतन्त्र थे ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि स्थान रिक्त होने पर नियुक्ति नियमानुसार चयन प्रणाली द्वारा की जाती है तथा कोई भी अर्ह व्यक्ति आवेदन-पत्र दे सकता है ।

98--श्री औसान सिंह--

[10वें सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय ग्रामों के किसानों द्वारा अपने भूमि पर वन लगाने हेतु की गयी जमीन की स्वीकृति

99--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बीबीपुर, जलालाबाद, परगना खिजरावा, तहसील कैराना के किसान श्री हरियाव सिंह एवं श्री नाहर सिंह ने अपनी भूमि खाता सं0 60, खसरा नं0 17, रकबई 12-9-0 बीघा को वन विभाग को भूमि से बदलना चाहा है ? यदि हां, तो अब तक इस कार्य में क्या प्रगति हुयी है ? क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को उक्त हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक प्रक्रिया (तबादले की) के पूर्ण न होने का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि विनिमय के मामले में भारत सरकार की पूर्वानुमति मांगी गयी थी, जो कतिपय शर्तों के अधीन प्राप्त हो गयी है।

शासन को प्राप्त विधिक राय के अनुसार प्रश्नगत विनिमय "डीड आफ एक्सचेंज" द्वारा किया जाना है तथा उसे विधीक्षित करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

वन कन्जरवेटर, मेरठ के पत्र पर मुख्य वन संरक्षक (पर्वतीय), उत्तर प्रदेश द्वारा कृत कार्यवाही

100—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वन कन्जरवेटर, मेरठ के पत्र सं0 3715/14-10-डी0 आई दिनांक 15-2-88 जो मुख्य वनसंरक्षक (पर्वतीय) उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है, पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ का पत्र संख्या 3715/14-10, दिनांक 15 फरवरी, 1988 उनके पत्र संख्या 2851/14-10, दिनांक 29 दिसम्बर, 1987 का अनुस्मारक है, जो जनपद मुजफ्फरनगर में बीबीपुर जलालाबाद फारेस्ट ब्लाक की वनभूमि से सर्वश्री नाहर सिंह व दरियाव सिंह की काश्तकारी भूमि के विनिमय से सम्बन्धित है। "विनिमय डीड" का आलेख्य नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र, दिनांक 21 मार्च, 1988 द्वारा शासन को विधीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है, जिसे विधीक्षित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद आगरा में गूलों तथा मार्गों के निर्माण में रामगंगा कमान्ड के अधिकारियों पर बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप

101—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 व वर्ष 1987-88 में प्रश्नकर्ता की तहसील एतमादपुर, जनपद-आगरा में रामगंगा कमान्ड के अधिकारियों ने गूलों तथा मार्गों के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की है तथा कहां-कहां पर ? क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि गूलों तथा मार्गों पर अर्थवर्क तथा निर्माण के नाम पर घटिया माल लगाकर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है और जो निर्माण किया भी गया है वह किसानों के लिये उपयोगी नहीं है ? क्या उक्त निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने की जानकारी मन्त्री जी को है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उपरोक्त निर्माण कार्यों की मौके पर जांच कराने की तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

तहसील एतमादपुर, जनपद आगरा में भूमि संरक्षण इकाई, रामगंगा कमान्ड परियोजना, फिरोजाबाद द्वारा वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गूलों एवं चकमार्गों का निर्माण कराया गया, जिस पर वर्ष 1986-87 में 8,74,218.63 रु0 एवं वर्ष 1987-88 में (29 फरवरी, 1988 तक) रुपये 2,66,317.40 व्यय किया गया। कार्यों का कुलाबावार विवरण संलग्न† है।

†छापा नहीं गया।

कार्यों का सत्यापन (टेस्ट वेरीफिकेशन) रामगंगा कमाण्ड मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गठित टोली द्वारा किया गया जिसमें निर्माण कार्यों में घटिया माल लगाया जाना नहीं मिला। निर्माण कार्य कुलाबों पर किसानों की गठित चक समिति एवं चक सभा के सदस्यों की राय तथा संतुष्टि के अनुसार कराया गया है और वह किसानों के लिए उपयोगी पाया गया। इन कार्यों में अनियमितता न पाये जाने के कारण जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

युवराजदत्त महाविद्यालय लखीमपुर खीरी के तत्कालीन वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी द्वारा नियमों का उल्लंघन

102--डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1985-86 (एम0 काम0 प्रथम वर्ष) तथा 1986-87 (एम0 काम0 द्वितीय वर्ष) में कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा में युवराजदत्त महाविद्यालय लखीमपुर खीरी के तत्कालीन वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी की अपनी पुत्री परीक्षा में बैठी तथा वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी ने नियमों का उल्लंघन करके तीनों मीटिंगों में कार्य किया तथा उसके पास प्रश्न-पत्र एवं परीक्षकों के पते आदि गोपनीय दस्तावेज रहे ? यदि हां, तो युवराजदत्त महाविद्यालय के वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी जो कि महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य भी हैं, के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी ने उन सत्रों में जिनमें उनकी पुत्री परीक्षा में बैठी, 1985-86 की परीक्षा में कार्य किया परन्तु 1986-87 की परीक्षा में कार्य नहीं किया।

विश्वविद्यालय नियम में कोई प्राविधान नहीं है कि अगर किसी अध्यापक की पुत्री परीक्षा में बैठे तो वह केन्द्र प्रभारी का कार्य नहीं कर सकता।

खन्ड विकास अधिकारी सरोजनीनगर, लखनऊ के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

103--श्री शारदा प्रताप शुक्ल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में नव सम्पत्ति सृजन हेतु विकास खण्ड, सरोजनी नगर, लखनऊ को 1,62,400 रु0 की धनराशि प्रदत्त की गयी थी तथा उपरोक्त धन के वितरण में धांधली के सम्बन्ध में खन्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध एक जांच मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ द्वारा परगनाधिकारी लखनऊ से करायी गयी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रकरण में खन्ड अधिकारी, सरोजनी नगर लखनऊ के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

खन्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध परगनाधिकारी, लखनऊ से जांच कराई गई। जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

ग्राम हरखपुर कोडहा के निवासी जो फर्जी जाति के आधार पर रहे लाभ के विरुद्ध शिकायत-पत्र पर कृत कार्यवाही

104—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद का पत्र संख्या 205/7-पा/विधान सभा प्रश्न 85 माह अक्तूबर, 1985 जो माननीय गौरी शंकर भइया, सदस्य विधान सभा द्वारा तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम हरखपुर कोढ़हा के निवासी द्वारा फर्जी जाति के आधार पर शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त के सम्बन्ध में था, विभाग को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम नारायण मौर्य सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल, शाहगंज जनपद फैजाबाद के पेंशन भुगतान की मांग

105—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राम नारायण मौर्य, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल शाहगंज, विकास क्षेत्र हरतीनगंज, जनपद फजाबाद माह जून, 1984 में सेवा निवृत्त हुये थे ? यदि हां, तो क्या उनके पेंशन का भुगतान प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है और उसके लिये कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी है ? पेंशन का भुगतान कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद के बेसिक शिक्षकों के भविष्य निधि का धन एन0 एस0 सी0 के रूप में जमा करने की योजना

106—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सरकार को जानकारी है कि बलिया जनपद में जिला बेसिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की भविष्य निधि या कोई धनराशि को एन0 एस0 सी0 के रूप में जबरन नियम विरुद्ध जमा करवाने की शिकायत शासन को करके जांच की मांग की है ? यदि हां, तो उस सन्दर्भ में क्या कारवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

भविष्य निधि का कोई भी धन एन0 एस0 सी0 के रूप में जमा नहीं किया गया है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) का कार्यालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित करने की मांग

107—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र की शिक्षा सम्बन्धी कार्य देखने के लिए अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) के कार्यालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित करने हेतु कोई राजाज्ञा है ? यदि हां, तो कब तक उस राजाज्ञा का क्रियान्वयन होकर अपर शिक्षा निदेशक पर्वतीय का कार्यालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) के पद का सृजन राजाज्ञा दिनांक 23 नवम्बर, 1984 द्वारा किया गया था । उस समय यह उल्लेख किया गया था कि उक्त पद का कार्यालय पर्वतीय क्षेत्र में होगा, किन्तु उक्त राजाज्ञा में यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि इसके बारे में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे । यह पृथक आदेश जारी नहीं किये गये हैं । उक्त कार्यालय का लखनऊ में ही स्थापित रहना प्रशासकीय दृष्टिकोण से आवश्यक है । अतः उक्त कार्यालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

108—श्री काशी सिंह ऐरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बेसिक शिक्षा परिषद्, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक श्री लाखन सिंह के पत्र पर की जा रही जांच

109—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लाखन सिंह यादव के शिकायती-पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 1984 जो बेसिक शिक्षा परिषद् कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था तथा जिसकी जांच की जा रही थी, उसे पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या पीड़ित पक्ष को न्याय व उत्पीड़क पक्ष को कोई दण्ड दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित श्री लाखन सिंह यादव का एक शिकायती पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 1984 प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में जांच के आदेश दिनांक 16 मार्च, 1985 को बेसिक शिक्षा परिषद् को भेज दिये गये थे ।

जांच के परिणाम की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

पर्वतीय विकास विभाग में दैनिक वेतन पर की जा रही अवैधानिक नियुक्ति विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

110—श्रीमती शारदा देवी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास विभाग में दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध तथा नियुक्त करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र कुमार एम0 एल0 ए0 का पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

दिनांक 29 दिसम्बर, 1987 का पत्र दिनांक 23 मार्च, 1988 को प्राप्त हुआ, जिस पर माननीय विधायक से उक्त पत्र के भेजे जाने की जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही की गई । माननीय विधायक द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा वर्ग का उल्लेख न किये जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा विभाग में कतिपय रिक्त पदों को रिक्त रखने का औचित्य

111—श्री मनोहर लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक, उच्चतर शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं राजकीय इण्टर कालेजों में वरिष्ठ सहायकों एवं अधीक्षक ग्रेड-1 एवं 2 के पद विगत काफी वर्षों से रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो उस पर आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

उच्चतर शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद में प्रश्नगत पद रिक्त नहीं है । अन्य कार्यालयों में वरिष्ठ सहायकों के पद रिक्त हैं ।

रिक्तियों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

बलिया जनपद में मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न जातियों का आरक्षण कोटा

112—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में मान्यताप्राप्त व अनुदान प्राप्त कितनी माध्यमिक शिक्षण संस्थायें हैं जिसमें विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियों में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का कोटा पूर्ण है ? क्या सरकार मान्यता प्राप्त व अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण कोटा पूर्ण कराना सुनिश्चित कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

इक्याम्नबे संस्थायें हैं ।

उपरोक्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं की नियुक्तियों में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति का कोटा पूर्ण नहीं है ।

शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने सूचित किया है कि कोटा पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

गाजीपुर जनपद में सड़कों के निर्माण हेतु अवैध चयन विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

113--श्री अफजाल अंसारी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में जिला परिषद द्वारा अनावश्यक सड़कों का प्राक्कलन तैयार करके जनहित के बदले ठेकेदारों के हित के लिए कार्य कराये जाने और कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सड़कों के चुनाव में मनमानी किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 448/87, दिनांक 30 अक्तूबर, 1987 जिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री महोदय यह निदेश देने का कष्ट करेंगे कि गवर्निंग बाडी की स्वीकृति के बिना नयी सड़कों पर कार्य न कराया जाय और न ही उस मार्ग पर धन आवंटित किया जाय जिसकी स्वीकृति गवर्निंग बाडी ने न दी हो ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र दिनांक 30 अक्तूबर, 1987 जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं है । इसकी प्रतिलिपि सुलभ कराने की दशा में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी के अनुमोदन के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराने के आदेश पूर्व से ही लागू हैं ।

शाहजहांपुर म कक्षा 9 के छात्रों से लिये गये शुल्क का व्यय विवरण

114--श्री नवाब सिकन्दर अली खां--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जिला स्तर पर सम्पन्न हुई कक्षा 9 (नौ) की सपुस्तकीय परीक्षा हेतु सत्र 1986-87 तथा 1987-88 में छात्रों से ली गई कुल जमा धनराशि (परीक्षा) शुल्क का छात्र हित में किन-किन मदों में व्यय हुआ ?

श्री सिब्ते रजी--

सत्र 1986-87 तथा 1987-88 में छात्रों से ली गई कुल जमा धनराशि (परीक्षा-शुल्क) का छात्रहित में निम्नलिखित मदों में व्यय हुआ :--

वर्ष 1986-87	वर्ष 1987-88
1--प्रश्न पत्रों की छपाई, परीक्षा कार्यक्रम की छपाई, निर्देशों की छपाई, कैन्वस के थैलों आदि पर व्यय	1--प्रश्न पत्रों की छपाई।
2--पेट्रोल पर व्यय	2--स्कीम की छपाई।
3--स्टेशनरी पर व्यय	3--निर्देशों की छपाई।
4--अर्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम की छपाई	4--प्रश्न पत्रों के वितरण पर वाहन ईंधन व्यय
	5--स्टेशनरी पर व्यय।
	6--परीक्षा की गोपनीयता बनाये रखने हेतु मार्ग व्यय।

हरदोई जनपद की कतिपय संस्थाओं के आय-व्यय का विवरण

115--श्री राम पाल वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत, हत्याहरण तीर्थ इन्टरमीडिएट कालेज, ग्रामीण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरी कोथावां तथा जनता इण्टर कालेज भरावन के पास भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल है ? प्रतिवर्ष उससे कितनी आय होती है और वह आय किस मद में जमा की जाती है ? वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में उपरोक्त कालेजों की आय क्या रही है ?

श्री सिब्ते रजी--

जनपद हरदोई के उक्त विद्यालयों के पास निम्नवत् भूमि है :--

1--हत्याहरण तीर्थ/24 बीघा 16 बिस्वांसी इंटर कालेज।

2--ग्रामीण उ0 मा0 वि0/49 बीघा 10 बिस्वांसी गौरी कोथवा।

3--जनता इन्टर कालेज/26 बीघा 13 बिस्वा 1 भरावन।

1--हत्याहरण तीर्थ इंटर कालेज में वर्ष 1985-86 में कुल 6607.80 रु0 तथा वर्ष 1986-87 में 6610.75 रु0 की आय हुयी जिसमें से 2,000 रु0 वर्ष 1986-87 में आरक्षण निधि तथा 4,607.80 रु0 वर्ष 1985-86 तथा 4,610.75 रु0 वर्ष 1986-87 में विद्यालय के कृषि फंड खाता संख्या 19159 के अन्तर्गत डाकघर कल्यानमल में जमा की गई।

2--ग्रामीण उ0 मा0 वि0, गौरी कोथावा वर्ष 1985-86 में 1,600 रु0 तथा 1986-87 में 1,600 रु0 की आय हुई जो कहीं भी जमा नहीं की गई है।

3—जनता इन्टर कालेज, भरावन में वर्ष 1985-86 में 1,300 रु0 वर्ष 1986-87 में 1,300 रु0 की अर्जित हुई जो प्राभूत कोष में जमा की गई है।

मथुरा जनपद के कतिपय विकास खंडों में अवैध नियुक्तियों के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

116—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री आर0 डी0 गुप्ता, जिला अध्यक्ष एवं प्रान्तीय संयुक्त मन्त्री, नियोजन एवं विकास कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 2 जनवरी, 1986 को मथुरा जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु विकास खंडों में कनिष्ठ लिपिक तथा लेखा लिपिक के पदों पर नियुक्ति में की गयी अनियमितताओं के बारे में प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या इन पदों पर नियुक्ति हेतु किसी दैनिक अखबार में विज्ञापन कराया गया था और निर्धारित प्रणाली को अपनाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जिला स्तर पर जांच की गयी। चयन हेतु किसी दैनिक अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया किन्तु जांच में पाया गया कि चयन विधिवत हुआ है एवं नियुक्तियां श्रेष्ठता के आधार पर की गयी हैं।

श्रीमती कमला देवी, स0 अ0, प्रा0 पा0, नसड़ा, विकास खंड सरसौल, कानपुर के प्रशिक्षित वेतन का भुगतान

117—श्री जौहरी लाल त्रिवेदी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, स0 अ0, प्रा0 पा0, नसड़ा, विकास खंड सरसौल, कानपुर नगर का प्रशिक्षित वेतन भुगतान का आदेश सम्बन्धित अधिकारी को सितम्बर, 1985 ई0 में प्राप्त हो गये ? सम्बन्धित अध्यापिका का प्रशिक्षित वेतन के अन्तर का अवशेष धन जुलाई, 1972 ई0 से नवम्बर, 1985 तक के भुगतान में बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

दिनांक 2 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था।

भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

118—श्रीमती शारदा देवी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

समथर-पीपरी कलां मार्ग जनपद झांसी के दोनों तरफ नाली बनाने की मांग

119--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 7 जुलाई, 1987 का ग्राम साकिन, तहसील मोठ, जिला झांसी के मध्य से समथर-पीपरी कलां मार्ग के दोनों ओर नालियां बनवाये जाने के आश्वासन विषयक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है तथा उक्त मार्ग के दोनों ओर ग्राम साकिन के बीच के हिस्से में नालियां कब तक बनवा दी जायेंगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी, झांसी को समुचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है क्योंकि प्रस्तावित कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

उन्नाव जनपद के कतिपय अध्यापकों को काम करने का अवसर देने विषयक आदेश का पालन

120--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

विधान सभा के प्रथम सत्र 87 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि दोनों अध्यापक श्री उमाकृष्ण सिंह व दिनेश कुमार शुक्ल सेवारत थे तथा क्या यह सत्य है कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव को माह जुलाई, अगस्त, 1987 में कोई आदेश इसी आशय का भेजा है कि इन अध्यापकों को काम करने का अवसर दिया जाय ? यदि हां, तो आदेश के परिपालन में कठिनाइयां क्या थीं ? क्या यह सच है कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने विद्यालय के अध्यापकों का वेतन भी रोक दिया था ? यदि हां, तो क्यों तथा वेतन देने के आदेश किसने किये ? क्या मन्त्री जी अध्यापकों को पुनः काम पर लिये जाने के आदेश देंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

जी नहीं ।

सम्बन्धित अध्यापकों को कार्य पर लेने के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव द्वारा दिये गये ।

प्रबन्धक द्वारा आदेश का परिपालन नहीं किया गया ।

जी नहीं ।

सम्बन्धित उक्त अध्यापकों के स्थान पर नियुक्त अध्यापकों का वेतन रोकने का आदेश मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), लखनऊ द्वारा दिये गये ।

पूर्व से कार्यरत उक्त दोनों अध्यापकों के स्थान पर की गयी नियुक्ति अनियमित थी ।

वेतन देने के आदेश नहीं दिये गये । सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित प्रबन्धक को आदेश दिये जा चुके हैं ।

प्राइमरी स्कूल लच्छी खेड़ा, जिला उन्नाव का जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण

121--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 के अंत में जिलाधिकारी, उन्नाव ने हिलौली ब्लाक के लच्छी खेड़ा प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया था और उन्होंने अध्यापकों की अनियमितता पर भी कोई टिप्पणी की थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी के निरीक्षण नोट पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सिब्ते रजी:--

जी हां ।

अध्यापकों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित न होने के कारण एक अध्यापक को उक्त विद्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया तथा दूसरे अध्यापक को चेतावनी दी गई ।

श्री अभिलाष प्रसाद हरिजन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा वाराणसी को नियमित करने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

122--श्री राज किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास व पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ को सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 फरवरी, 1988 जिसके साथ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा वाराणसी के दैनिक वेतन भोगी (वर्क चार्ज) कर्मचारी श्री अभिलाष प्रसाद हरिजन का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 फरवरी, 1988 संलग्न है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो श्री अभिलाष प्रसाद को नियमित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र मय संलग्नक के प्राप्त हुआ था । इसके सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता वाराणसी से आख्या मांगी गई है ।

जनपद जालौन एवं झांसी के हाई स्कूल विद्यालयों को क्षतिपूर्ति एवं अनुदान आदि के लिये स्वीकृत धनराशि

123--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि जालौन एवं झांसी जनपद के किन-किन विद्यालयों (हाई स्कूल स्तर तक के गैर सरकारी विद्यालय) को पिछले तीन वर्षों में किन-किन निमित्त कितनी-कितनी धनराशि क्षतिपूर्ति एवं अनुदान आदि के लिए स्वीकृत की गई है ?

श्री सिब्ते रजी--

जनपद जालौन एवं झांसी के अशासकीय प्राइमरी एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित सूचना संलग्न† है ।

अशासकीय हाई स्कूलों के सम्बन्ध में सूचना सम्प्रति अप्राप्त है ।

---

†छापी नहीं गई ।

फैजाबाद में 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

124--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25 सितम्बर, 1987 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने में शासन और सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं पहले नियम 300 व 301 ले लूं फिर आपकी व्यवस्था सुनूंगा ।

नवम् मण्डल सिंचाई कार्य बहराइच में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 26 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 7 सूचनाएं सर्वश्री मयंकर सिंह, रामपाल वर्मा, राजेन्द्र कुमार गुप्त, बीपचन्द्र सोनकर, कौशिक रमाशंकर, सुखपाल पाण्डे तथा राम सजीवन जी की शलाका द्वारा स्वीकृत हुई हैं ।

यदि आपकी सबकी अनुमति हो तो इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

*श्री मयंकर सिंह--

[महोदय, उक्त सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की निजी स्वार्थलिप्सा के कारण व्यापक रूप से सरकारी धन की लूट की जा रही है । अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सरयू मुख्य नहर के कि0मी0 38·500 से 39·500 तथा 39·700 से 39·800 के मध्य केवल इसी रीच पर मूंजा लगाने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है । इस रीच पर इनके अत्यन्त ही चहेते अवर अभियन्ता द्वारा मूंजा लगाने का 63,000·00 रुपये का भुगतान किया गया है जबकि कार्यस्थल पर मूंजा उपलब्ध नहीं है । इन्हीं अवर अभियन्ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

द्वारा एक टैक्सी यू0 एम0 टी0 1459 चलायी जा रही है, इसके ड्राइवर को विभागीय मास्टररोल से वेतन दिया जाता है तथा इनके द्वारा डिवाटरिंग हेतु लिया गया डीजल इस टैक्सी में प्रयुक्त किया जाता है। इस अवर अभियन्ता द्वारा डीजल में की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध खंड 3 में लिखा पढ़ी भी चल रही है। खण्डों में यांत्रिक अभियन्ता उपलब्ध हैं, फिर भी इन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इनसे डिवाटरिंग जाब कराया जाता है। उक्त टैक्सी इन्होंने जगराम पुत्र दुखहरन नानपारा, बहराइच के नाम से श्रावस्ती ग्रामीण बैंक नानपारा से बतौर जमानत के अपने 40,000 रुपये के एफ0 डी0 आर0 लगाकर खरीदी है। जगराम इनके घर पर खाना पकाने का काम करता है तथा कोई भी सरकारी काम नहीं करता है। फिर भी खण्ड 3 में मास्टररोल नं0 2559 में जग राम पुत्र दुखहरन जिनवां-बस्ती तथा मस्टररोल नं0 2571 में जगराम पुत्र दुखहरन केयोटिहा-बस्ती दर्ज किया जाना इस बात का द्योतक है कि इनके द्वारा डिवाटरिंग स्टाफ के मास्टररोलों में व्यापक रूप से अनियमितता बरती जाती है। इन्हीं अवर अभियन्ता के विरुद्ध नगर कोतवाली बहराइच में एक एफ0 आई0 आर0 अपराध संख्या 118/87 धारान्तर्गत 468, 469, 471 व 420 भी दर्ज हुई है, परन्तु इन्होंने अपने पैसों के बल पर पुलिस कार्यवाही निष्क्रिय करवा दी है, जबकि यह मामला लाखों रुपया सरकारी धन की चोरी से भी सम्बन्धित है। जनपद में इस अवर अभियन्ता के कारनामों में जनाक्रोश व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की ओर प्रभावी कार्यवाही हेतु सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।]

जिला हरदोई की तहसील सण्डीला के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी कार्य में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम पाल :—

[मान्यवर, जनपद हरदोई की तहसील संडीला के अन्तर्गत ग्राम जंबर तथा अरसलिया ग्राम के मजरा बेलई में चकबन्दी प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है। चकबन्दी अधिकारियों व कर्मचारियों की धनलोलुपता व स्वार्थी तत्वों की साजिश से चकबन्दी में घोर अनियमितताएं की गयी हैं जमीन की मालियत आंकने व भूमि आवंटन में हेरा-फेरी करके गरीब किसानों की रोजी-रोटी छीनकर उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है चकबन्दी कार्य में दलाली करने वालों को अवैध लाभ पहुंचाने वालों को, अच्छी जमीन आवंटित की गयी, तथा दूसरी तरफ उसके विपरीत गरीब

हरिजन अनपढ़ किसानों की अच्छी भूमि के बदले अनपजाऊ ऊसर भूमि दी गयी है। इस चकबन्दी द्वारा उत्पीड़ित किसान दर-दर भटक रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है।

अतः आदरणीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह मांग करता हूं कि उक्त मामले की शीघ्र जांच करा कर दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया जाय। तथा गरीब हरिजन, किसानों के साथ न्याय कर उन्हें उनका हक दिलाया जाय।]

जिला सीतापुर की नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अधोमानक से निर्मित शौचालय आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[महोदय सीतापुर में बड़े पैमाने पर बनाये जा रहे शुष्क शौचालयों के निर्माण में भीषण भ्रष्टाचार है। निर्माण अत्यन्त अधोमानक है। घटिया ईंटा तथा मानक से कम सीमेन्ट लगाई गयी। सड़कों पर बेतरतीब निर्माण हुआ। सड़क लेबिल से कहीं ऊंचा कहीं नीचा व गड्ढा खोदने के बाद उस पर रूलेप डालने में विलम्ब जिससे आवागमन में दुर्घटनायें हो रही हैं। स्थानीय स्तर पर अनेक बार ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी कोई रोक-थाम नहीं हुई कमीशन के लालच में अन्य नगरों की तुलना में ठेका भी अधिक कीमत पर दिया गया। सब स्टैण्डर्ड बनने के कारण एक ही वर्षा मौसम में गड्ढों के ढह जाने जिससे कि पड़ोस के मकानों को भी खतरा है। इसी प्रकार नगरपालिका की शिथिलता से नगर में भीषण पेयजल संकट है। जनता पानी के लिए तरस रही है। शुष्क शौचालय जो पूर्ण हो चुके, उनमें पानी के अभाव में सफाई नहीं हो पाती, परिणाम स्वरूप भीषण गंदगी का साम्राज्य है।

सब स्टैण्डर्ड तथा बेतरतीब निर्माण, अधिक लागत का ठेका, निर्माण में में विलम्ब, जल संकट आदि की उच्चस्तरीय जांच, दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने तथा निर्माण में सुधार की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगरपालिका शाहगंज, जिला जौनपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीप चन्द्र सोनकर--

[महोदय, आपका ध्यान अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, शाहगंज जौनपुर के द्वारा किये गये काले कारनामों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अधिशासी अधिकारी शाहगंज वर्ष 1981-82 से यहां पर कार्यभार ग्रहण किये हैं। इनके द्वारा नगरपालिका की जमीन पर बिना नक्शा पास किये अवैध धन लेकर सैकड़ों भवन तामीर कराते चले जा रहे हैं। जनता द्वारा विरोध करने पर अवैध काम करने वाले कर्मियों का ही सहयोग करते हैं। कलेक्टरगंज बाजार की सीमा में 16×22 फिट भूमि जो लाखों रुपये की सम्पत्ति है, बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के अवैध धन लेकर कब्जा करा दिये जिस पर जिला प्रशासन ने शिकायत के उपरान्त कोई ध्यान नहीं दिया। लाखों रुपये चुंगी चोरी नगरपालिका में इनकी मिली भगत से होती है जिससे सरकार को लाखों रुपया राजस्व का नुकसान हो रहा है। नाली व सड़क के निर्माण के नाम पर लाखों रुपया खा गये। शिकायत से उपरान्त भी शासन खामोश है जिससे जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के बिन्दु पर मैं यह मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही करने हेतु शासन को निर्देश दें तथा सम्पूर्ण प्रकरण पर गुण-दोष के आधार पर चर्चा कराने का कष्ट करें।]

जिला मुरादाबाद के ग्राम खुमावली के मजरे आजादपुर की ग्राम समाज की भूमि बाढ़ पीड़ितों को न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर--

[महोदय, जनपद मुरादाबाद की तहसील हसनपुर के ग्राम खुमावली में गंगा की बाढ़ से पीड़ित टीकों वाली गांव के व्यक्तियों को बसाया गया था और खुमावली के मजरे आजादपुर की भूमि इन बाढ़ पीड़ितों को कृषि-कार्य हेतु आवंटित करने का आश्वासन शासन द्वारा दिया गया था। किन्तु दो वर्ष के करीब हो गये लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों को कृषि-भूमि आवंटित नहीं की गई है। इसके विपरीत उक्त ग्राम की भूमि को बेनामी नामों से पट्टों पर एक ही परिवार को आवंटित कर दी गई है। इस फर्जी आबंटन के जिम्मेवार राजस्व विभाग के कर्मचारीगण हैं। शिकायत करने पर तहसीलदार हसनपुर ने आवश्यक जांच-पड़ताल की है और उसमें आरोप सही पाये गये हैं।

मान्यवर, सदन के माध्यम से मैं शासन का ध्यान इन बाढ़पीड़ितों के कष्टों की ओर आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि बाढ़ पीड़ितों को तुरन्त भूमि आवंटित की जाये, फर्जी पट्टे निरस्त किये जायं और दोषी कर्मियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला बस्ती में आमी नदी द्वारा राप्ती नदी के जल को प्रदूषित किये जाने तथा मल्लाहों में भुखमरी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखपाल पाण्डे--

[महोदय, आपका ध्यान एक लोकमहत्व के प्रश्न जिसमें अनेक मनुष्य एवं जानवर एवं मल्लाहों के भूखों मरने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

आमी नदी के मगहर जिला बस्ती से होते हुए राप्ती नदी में पानी बह कर गिरता है । मगहर में पैथर मील बनने के कारण प्रदूषित जलमुक्ति नदी में गिरने के कारण पानी दूषित हो गया है जिससे हजारों पशु नहाने के कारण आंख विहीन हैं दुधारू जानवर हो गये हैं । उक्त नदी से जीवन निर्वाह करने वाले मल्लाह जाति के लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि पानी प्रदूषित होने के नाते मछलियां मर गयी हैं । पानी पीने व नहाने से भयंकर बीमारियां उस क्षेत्र में फैल रही हैं । ऐतिहासिक स्थान मगहर कबीर की स्थली को देखने के लिये आने वाले पर्यटक अनभिज्ञता के कारण उस नदी में स्नान करने से उनके आखों पर एवं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । पैथर मील का प्रदूषित जल आमी नदी में गिरने को रोकने के लिये उस क्षेत्र की जनता ने तमाम शिकायत किया है लेकिन आजतक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । दुधारू जानवर, भूखों मर रहे मल्लाहों एवं पर्यटकों, नदी की मछलियों तथा इनके हितों को ध्यान में रखकर तथा उस क्षेत्र की जनता में फैले असन्तोष को ध्यान में रखकर पैथर मील के प्रदूषित जल को आमी नदी में गिरने से रोकने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।]

जिला हमीरपुर के थाना मझगवां में दो हरिजनों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सजीवन--

[हमीरपुर जिले के मझगवां की थाने के अन्तर्गत ग्राम नोरया के पिता पुत्र दो चमारों हरिजनों की निर्मम हत्या 2 फरवरी, 1988 को कर दी गयी । मृतक पिता हर प्रसाद की लाश गायब कर दी गई जिसको पुलिस आजतक बरामद नहीं कर सकी । मुलजिमों ने उनकी सामूहिक हत्या से पूर्व एक अन्य व्यक्ति डाल चन्द्र की हत्या की थी । मुलजिमों द्वारा डाल चन्द्र की हत्या के मुकदमें की पैरवी के लिये मृतक हरिजनों से दस हजार रुपये मांगे गये थे । रुपये न देने पर मुलजिमों ने उन हरिजनों को मारापीटा था जिसकी रिपोर्ट थाने में की गयी थी । पुलिस ने दोनों पक्षों को बराबर मानकर दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 की कार्यवाही की । जबकि शिकायत कर्ताओं के विरुद्ध 107/116 की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं था । इससे मुलजिमों का हौसला बढ़ गया था । मुलजिमों ने अदालत में मुकदमें की पैरवी करके घर वापस आते समय रास्ते में उक्त दोनों हरिजनों की हत्या कर दी । हरिजनों को अनावश्यक रूप से अपराधियों के समकक्ष मानकर 107/116 के मामलें में फंसाय गया था । यह हरिजनों पर घोर अत्यचार का मामला है । सवर्णों ने

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हरिजन-निर्बल वर्गों पर अत्याचार किया है। मृतक हरिजनों के पीड़ित परिवारीय जनों को दस-दस हजार रुपयों की आर्थिक सहायता तुरन्त दी जाय। दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय, मृतकों के परिवार जनों को जानमाल का खतरा है मुलजिमों द्वारा मार डालने की धमकियां दी जा रही हैं।

इस निर्मम हत्याकांड से क्षेत्र की जनता में भीषण रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन और सरकार के संज्ञान में लाकर तुरन्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

(इस समय 12 बजकर 22 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में बात हो जायगी तो निस्तारण हो जायगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 106 का गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, बलिया जनपद के सम्बन्ध में आज के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 106, जो श्री शारदानन्द अंचल द्वारा किया गया है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार को जानकारी है कि बलिया जनपद में जिला बेसिक शिक्षा संघ ने शिक्षकों की भविष्य निधि या कोई धनराशि को एन0 एस0 सी0 के रूप में जबरन नियम विरुद्ध जमा करवाने की शिकायत शासन को करके जांच की मांग की है? यदि हां, तो उस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? इसका जवाब आया है कि जी हां, भविष्य निधि का को भी धन एन0 एस0 सी0 के रूप में जमा नहीं किया गया है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इस सन्दर्भ में मेरी जानकारी है और निश्चित सूचना देना चाहता हूं कि बलिया में अध्यापकों का करोड़ों रुपया भविष्य निधि का जमा किया गया है और श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री ने गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर पहले विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

नोटिस दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री मंनेजर सिंह--

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के गलत उत्तर खासकर शिक्षा विभाग से आते हैं। हम जानते हैं कि लाखों रुपया भविष्य निधि का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमा करवा दिया है, मंत्री जी कहते हैं कि नहीं जमा है । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बलिया भेजिये, वे जांच करें, गलत हो तो जो सजा दें भुगतने के लिये तैयार हूं । शिक्षा मंत्री जी गलत बात कहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

नोटिस दे दीजिये आप ।

(व्यवधान)

नत्थी (ख) प्रश्न संख्या 1 से सम्बन्धित शिक्षा विकास शुल्क लगाये जाने से छात्रों की संख्या में कमी आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, आज नत्थी (ख) का प्रश्न संख्या 1 मेरा था । प्रश्न मेरा यह था कि क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1987-88 से शिक्षा विकास शुल्क लगाये जाने के बाद से बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों की संख्या में भारी कमी आयी है और सरकार की यह नीति संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के विरुद्ध भी है जिसमें 14 वर्ष तक के आयु के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की नीति को स्थापित किया गया है ? इन्होंने जवाब दिया है "जी नहीं" । मान्यवर, मैंने पूछा है कि क्या छात्रों की संख्या में कमी आयी है । लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे प्रश्न की जो मूल भावना है जिसमें स्पष्ट रूप से पूछा जा रहा है कि विकास शुल्क लगाये जाने के बाद छात्रों की संख्या में क्या कमी आयी है ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसका जवाब चाहता हूं कि इस पर आपकी क्या व्यवस्था है ?

प्रदेश में भयंकर ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों, दुकानदारों तथा बुनकरों का कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव किये जाने की मांग

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं नियम 311 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुलायम सिंह जी, आप पहले 311 को पढ़ लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैंने पढ़ दिया है, आप पहले हमको सुन तो लीजिये तब अपनी रूलिंग दीजिये । सदन के संज्ञान में जब कोई बात आ जाय तो आप पहले माननीय सदस्यों को सुन लीजिये कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आप जो निर्णय देंगे, वह तो हमें शिरोधार्य ही है । अब पहले मैं प्रस्ताव को पढ़ता हूं कि "आज किसानों तथा खेती से जुड़े लोगों, छोटे दुकानदारों तथा बुनकरों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है । अतः सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश के उक्त लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाय" ।

आज किसान एक तरफ तो सूखे से पीड़ित है, कहीं अति वृष्टि से तो कहीं ओला वृष्टि से पीड़ित हैं और परेशान हैं। आज खेती पर लगे लोगों की संख्या लगभग 76 सैकड़ा है। इसी तरह से छोटे दुकानदारों की तथा बुनकरों की, गरीब मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब है। एक तरफ तो यह सब बेचारे दैवी आपदा से दुखी हैं तो दूसरी तरफ सरकार उन पर जुल्म ढा रही है। वसूली हो रही है, किसानों के खेत नीलाम हो रहे हैं, ट्रैक्टर नीलाम हो रहे हैं। यद्यपि सरकार की तरफ से ऐसी तमाम योजनायें दी जा रही हैं जो कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये हैं। लेकिन वह उन तक पहुंचते-पहुंचते ऐसी रह जाती हैं कि उनको दो सैकड़ा भी लाभ नहीं पहुंचता है। अगर यह सरकार सीधे-सीधे कर्जा माफ कर दे तो 76 सैकड़ा लोग जो कि खेतिहर किसान हैं, छोटे-छोटे दुकानदार हैं, बुनकर हैं, यदि इन सबका कर्जा माफ कर दिया जाय तो बीच में एक सैकड़ा भी पैसा बर्बाद नहीं होगा और सीधे-सीधे 80 सैकड़ा लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि किसानों, खेतिहर मजदूरों, छोटे दूकानदारों तथा बुनकरों व गरीब मजदूरों का कर्जा माफ किया जाय। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्बार रिजवी)--

मान्यवर, यह प्रश्न कई बार इस सदन में आ चुका है।

(घोर व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप एक मिनट सुन तो लें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था यह है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो यहां पर प्रस्ताव पेश किया है जिसकी आज्ञा भी आपने दे दी।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इजाजत नहीं दी है। इजाजत नहीं दी उन्होंने कहा कि हम एक मिनट बोल लें, तो उन्हें बोलने का मौका दिया था। मैंने प्रस्ताव पेश करने की अनुज्ञा नहीं दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं ग्राह्यता के बारे में बात करूंगा, आप हमें सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बोल रहे हैं, उनको सुन लूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं आपको और माननीय मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि 311 के अन्तर्गत जो विषय यहां पर उठाया गया है वह निश्चित रूप से गम्भीर है और इस समय इस विषय पर मैं समझता हूं कि यहां पर बहस करने की जरूरत नहीं है, इसलिये इस विषय पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर लेनी चाहिए या फिर हम लोगों को भी इसमें भाग लेने का अवसर दीजिये। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह कुछ समय पहले यहां पर नेता विरोधी दल भी रहे हैं और विपक्ष के सम्मानित नेता हैं और आने वाले

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनों में वह विपक्ष की अगुवाई भी करने वाले हैं। इसलिये जो प्रस्ताव इन्होंने रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी प्रस्ताव जो सदन में चर्चा हेतु आयेगा, उसका आप निलंबन करें या न करें यह आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसके लिये इतना तो अवश्य निश्चित ही कर लिया जाये कि इस पर चर्चा करा दी जाये और जहां तक सरकार की बात है वह अपने कहे हुए वचनों को स्वयं भंग कर रही है, और हर जगह किसानों और गरीब बुनकरों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस प्रकार से यह सरकार ने जितने भी वायदे इस सदन के अन्दर किये हैं, उन सभी को तोड़ने का काम कर रही है, मैं नियम 311 के तकनीकी मामले में नहीं जाता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि इस मामले में आप चाहें तो अलग से ही चर्चा करा लें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य कहूं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसकी मेरिट पर नहीं जाता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि यह प्रस्ताव बहुत सही है और आज सारे नियमों को निलम्बित कर इसको ही लिया जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे देश और प्रदेश की गरीब जनता का सीधा सम्बन्ध है परन्तु सरकार कहेगी कि हमारे वित्तीय संसाधन पहले से ही कम हैं, इस पर कैसे विचार करें इस सम्बन्ध में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि लोक सभा में एक प्रश्न आया जिसके उत्तर में कहा गया कि 6 पब्लिक अन्डरटेकिंग्स ऐसे हैं जिन पर 2.85 करोड़ रु० की हानि हो रही है और इसी प्रकार से 22 65 करोड़ रु० मात्र भारत महोत्सव में खर्च कर दिया गया। इस प्रकार से जहां करोड़ों का नुकसान ऐसे पब्लिक अंडर टेकिंग्स में अनुभवहीन और भ्रष्ट लोगों की नियुक्ति कर और दूसरे अर्थहीन कार्यों में खर्च करके हो रहे हैं तो क्या गरीब किसानों, बुनकरों के ऋण माफ करने का काम कम्परिटेबली गलत होगा यह मान्यवर, देखने की बात है। अभी अखिल भारतीय स्टेज पर हमारी पार्टी की बैठक आगरे में हुयी थी, जिसमें यह निर्णय लिये गये थे कि इन गरीब किसानों व अन्य लोगों के कर्ज माफ कराने का प्रस्ताव किये जायेंगे तो यह इनका प्रस्ताव मान्यवर, पार्टी की नितियों के अनुकूल है, इसलिये मैं इनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपसे अनुरोध है कि नियम 311 से सभी नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा स्वीकार करने की कृपा करें हालांकि इससे नुकसान हमारा ही होगा क्योंकि आज का दिन पूरा का पूरा विपक्ष का ही है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जिन अवसरों पर यह निर्णय लेने आवश्यक हो जाते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

नियम 311 के अन्तर्गत निलम्बन का जो प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह जी लाये हैं, यदि उसे आप शुरू में ही अग्राह्य कर दिये होते या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उस पर शुरू में ही विरोध जाहिर कर दिये होते तो नियमानुसार किसी को इस पर कोई आपत्ति न होती और फिर मैं कम से कम ऐसे मामले में....

(व्यवधान)

और श्रीमन् तब मैं बल न देता, लेकिन जब मुलायम सिंह जी को आपने सुन लिया और उनको नियम विरुद्ध सुना और उसकी महत्ता को समझते हुये शासक दल ने कोई आपत्ति नहीं की तो अब कोई विकल्प नहीं रह जाता है। जब शासक दल का नैतिक कर्त्तव्य

हो जाता है कि इसका विरोध न करे । मेरा मुलायम सिंह जी से निवेदन है कि उसी प्रस्ताव में यह भी जोड़ दें कि गेहूं का समर्थन मूल्य 350 रु0 प्रति क्विंटल हो क्योंकि जो समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, उससे जनता में आक्रोश है और असंतोष है तो मान्यवर, यह प्रस्ताव पेश हुआ माना जाये और इस पर आप चर्चा करा दें ।

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, पहले मैं आपको बधाई दे दूं कि कई साल के बाद एक अच्छा काम आपने किया है । मान्यवर, मैं सरकार में बैठने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, प्यारे भाइयों, जो एन0 आर0 पी0 की स्कीम है, ग्राम्य विकास मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, इनको समझाइये, यह सुन नहीं रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी जो एन0 आर0 पी0 और डी0 आर0 डी0 ए0 की जो स्कीमें हैं और जो तरह-तरह के कार्यक्रम हैं, इनका एक भी पैसा सूखा राहत में लोगों को नहीं दिया जा रहा है । सारा का सारा पैसा अधिकारियों की जेब में जा रहा है आपकी जेब में जा रहा है । जो प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह जी ने रखा है उसकी मैं पुरजोर ताईद करता हूं और कितना अच्छा काम चलते सदन में हो जायेगा । अम्मार साहेब आप अमर हो जाओगे । आपकी जो स्कीमें हैं, वह गलत हैं । उनमें आप कटौती करो, तो मुलायम सिंह का जो प्रस्ताव है, उसकी पूर्ति हो जायेगी । तिवारी जी ने जो कहा है, मैं आपको बता दूं कि आज ही एक किसान को छुड़वा कर आया हूं । रोज बारिश हो रही है, जितना लोग तैयार करते हैं, वह भीग जाता है तो किसान दूसरी मुसीबत में फंस गया है । आप उसका कर्जा माफ करो, उसकी पूर्ति हो जायेगी, मैं भी हाथ उठा दूंगा ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

जो प्रस्ताव मुलायम सिंह जी ने रखा है, उसको अगर सत्ता पक्ष मान लेता है, तो उससे अच्छा और क्या होगा, लेकिन मान्यवर, अभी तक सत्ता पक्ष में जितने भी काम किये हैं चाहे वह बुनकरों के हों चाहे वह छोटे व्यापारियों के हों चाहे वह किसानों के हों और चाहे नौजवानों की बेकारी के हों सभी विरोधी काम किये हैं । पूरे प्रदेश में असंतोष का वातावरण बना हुआ है । आज किसानों को जैसा कि तिवारी जी ने कहा, समर्थन मूल्य जो घोषित किया गया है वह अपर्याप्त है उससे लागत मूल्य भी नहीं निकलता है जब इस सम्बन्ध में सवाल किया जाता है तो कृषि मंत्री उत्तर देते है कि जनहित में बताना सम्भव नहीं है कि लागत मूल्य कितना आता है । वह बड़ी हास्यास्पद बात है कि सरकार की ओर से कहा जाता है कि किसानों की लागत मूल्य को बताना सम्भव नहीं है आज प्रदेश में एक बार नहीं अनेकों बार ओले पड़े हैं पानी बरसा है और किसानों का गेहूं सड़ गया है लेकिन सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं है सौ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश वित्त निगम का बट्टे खाते में डाल दिया गया है और बड़े-बड़े पूंजी-पतियों का पैसा माफ कर दिया गया है । ब्याज सहित माफ करते हैं तो क्या जैसा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि किसानों के कर्जे, छोटे व्यापारियों के कर्जे, बुनकरों के कर्जे आप माफ नहीं कर सकते हैं । मुझे उम्मीद है कि इनके ऊपर भगवान की कृपा होगी कि वह इनको बुद्धि दे जिससे इस सदन में रिजवी साहब जो स्वयं सक्षम हैं इस बात को करने के लिये, घोषणा करेंगे कि किसानों के कर्जे माफ कर दिये गये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आप सुन लीजिये । आप भी किसान हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कितनी देर तक सुना जाय ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि माननीय तिवारी जी ने इस पर जो संशोधन पेश किया है वह मेरे प्रस्ताव में जोड़ दिया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आप इनकी बात सुन लें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो अपनी भावनायें प्रकट करना चाहते हैं, आप उनको जरूर सुन लें । लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो नियम 311 का हवाला दिया है, क्या आपने उस पर इजाजत दे दी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इजाजत नहीं दी है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे भी आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

ग्राह्यता पर कितनी देर तक चर्चा होगी ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

इस प्रस्ताव पर मतदान करा लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई मतदान की बात नहीं है ।

*श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, उन्होंने नियम 311 में जो आपको सूचना दी है उसके दो भाग हैं । बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूं । किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, या कोई घोषणा सरकार यहां पर करे क्योंकि जितने भी आश्वासन छोटे किसानों के लिये सरकार ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहां पर दिये हैं चाहे उनकी खेती की मशीनरी, उनके पम्प सेट आदि के लिये दिये गये हैं, उसके बजाय सरकार उनको पकड़कर जेलों में बन्द करवाती है और सरकार की घोषणाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। जितने भी जनप्रतिनिधि अपनी बात यहां पर रखते हैं, यह सरकार उनके लिये जितनी भी घोषणायें करती है, उनका कोई असर नहीं होता है, सरकारी वसूलियाबी मुल्तवी करने के लिये भी तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष किसानों के कर्जे को, ब्याज को माफ नहीं कर सकती है। किसान दो सूखों से पीड़ित है। उसकी सारी फसल मारी गयी है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके दो भाग हैं। एक तो नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव है जिसके लिये आपने उन्हें अनुज्ञा दे दी है तभी वे खड़े हुये और तभी उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है कि आज के एजेन्डे की मदों को निलम्बित करके इस प्रस्ताव को ले लिया जाय। अब विचार करने की बात यह है कि यह प्रस्ताव आपको सदन के समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ेगा कि नियमों के निलम्बन का जो प्रस्ताव रखा गया है उसके पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। पहले यह प्रस्ताव सदन में आना चाहिये और नियमों का निलम्बन आवश्यक है। आज लाखों लोग भूखों मर रहे हैं। किसान अपनी फसल को क्या बचा पायेंगे, जहां पर फसल बची ही न हो। सरकार यह घोषणा करती है कि हमने भू-राजस्व माफ कर दिया है। आज स्थिति यह है कि करोड़ों रुपया विद्युत् परिषद् के ऊपर बकाया है, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के ऊपर बकाया है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के ऊपर बकाया है। उनसे वसूल नहीं किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस प्रस्ताव को अविलम्ब सदन में प्रस्तुत करें और नियमों को निलम्बित करके इस प्रस्ताव पर चर्चा करा दें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह कहा जाता है कि नियमों में प्राविधान नहीं है। यह सदन और इस सदन का नियम जनता के लिये है और उसी के लिये बनाये गये हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो प्रश्न उठाया गया है उसका अन्दाजा सरकार में बैठे लोग नहीं लगा सकते हैं। आज किसान की खरीफ की फसल सूखे से तबाह हो गयी रबी की ओलावृष्टि से नष्ट हो गयी। यह सरकार किसानों को पकड़कर जेलों में भर रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का करोड़ों का बकाया बट्टे खाते में चला जाता है और माफ कर दिया जाता है। तो किसान जो 100 में 70 इस प्रदेश में हैं और उनके लिये बराबर सरकार कहती है उनके हित की बात कर रहे हैं चाहे सूखा राहत हो या दूसरे कार्य हों। भले ही वह राहत यहां से गये लेकिन उन तक नहीं पहुंचती है। केन्द्र सरकार ने अभी लोक सभा में घोषणा की कि उनके लिये विशेष राहत देने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनकी घोषणाओं पर और अमल में जमीन और आसमान का अन्तर है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं तो जो माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है उसका स्वीकार होना चाहिये और उसका मैं और मेरा दल समर्थन करता है। आज उन्होंने यहां पर जनता की आवाज रखी है। मान्यवर, सितम्बर 1987 में एक बहुत बड़ा आन्दोलन किसानों का उत्तर प्रदेश किसान सभा नेतृत्व में चला जिसमें कर्जा माफी की मांग की गयी थी और करीब 70 हजार लोगों ने उसमें गिरफ्तारियां दी। लेकिन इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। यह प्रस्ताव तो आपने स्वीकार कर लिया है इस पर चर्चा कराइये।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, आपने सरल भाव से एक किसान का बेटा होने के नाते माननीय मुलायम सिंह जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इसके तकनीकी कारणों में भी आप नहीं गये ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी जो कुछ चाहे कह सकते हैं मैंने तो स्वीकार नहीं किया । आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, उसमें जो चाहे कहते रहते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

हमारा फर्ज है कि आपका अभार प्रकट करें । आज किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है । जो भी जवाब माननीय संसदीय कार्यमन्त्री देना चाहें दे सकते हैं लेकिन उनकी हालत वह भी जानते हैं । आज प्रदेश में कुपोषण और कुशिक्षा के शिकार किसान हैं । उनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही है । मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में 32 सौ करोड़ रुपये की किसानों को लागत मूल्य न मिलने के कारण हानि हुयी है । ऐसा कोई पेशा नहीं होगा जो लाभप्रद न होने पर भी चलता रहे । केवल किसान ही ऐसा सौदा करता है जिसे घाटा होने पर भी करता आ रहा है आपको पैदावार दे रहा है । इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है कि आज 76 फीसदी जनसंख्या जिंदा रहने की स्थिति में नहीं है । सरकार ने पिछले साल ही 10 करोड़ रुपया आबकारी का बट्टे खाते में डाला है । लेकिन किसान से ब्याज लिया जाता है उसकी सख्ती से वसूली होती है । उसे जेल भेजा जाता है । उसको सहकारी ऋणों में फंसाया जा रहा है । माननीय मुलायम सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिये । मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने इसे मान ही लिया है, अगर आवश्यकता हो तो इसमें मत भी डलवा दें ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलता ही नहीं है । इसलिये नियम की चर्चा करना, नियमों की दुहायी देना उसकी तौहीन है । आपने माननीय मुलायम सिंह जी को यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी अब ग्राह्यता की बात नहीं है । बीच-बीच में आप स्वीकृति के नाम पर चौंक जाते हैं । आपने माननीय मुलायम सिंह जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका दे दिया, मौन ही में सही क्योंकि "मौन सम्मति लक्षणम्" । हमारे विद्वान साथी माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने उसमें संशोधन प्रस्ताव किया है उसे भी आपने स्वीकार कर लिया है । आप भी वही चाहते हैं क्योंकि आप भी किसान के बेटे हैं । अब जो प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया है उस पर हमारे विद्वान साथी माननीय लाल प्रताप सिंह जी बेचैन हैं वह कानूनी पोथी लेकर बोलना चाहते हैं । तो यह नियमावली और कानून से सदन नहीं चलता है । आप इसे चलने दें । किसानों की समस्या पर चर्चा होने दें और सरकार से किसानों के कर्जे माफी की घोषणा कराइये ।

*श्री लाल प्रताप सिंह

मान्यवर, एक कहावत है "नादान दोस्त से विद्वान दुश्मन अच्छा है" । हमारे मुलायम सिंह यादव, श्री राम शरण दास और विपक्ष के सम्मानित सदस्य किसानों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के नादान दोस्त हैं और इनको किसानों के हित का कोई ध्यान नहीं है । अभी कहा गया कि श्री मुलायम सिंह किसान के बेटे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि किसान का बेटा ही क्या रथ पर चलेगा । अब राजनीति को विरोध पक्ष ने नौटंकी बना लिया है । इसलिये कोई नेता रथ पर चलेगा, कोई नेता नदियों का पानी लायेगा, यही काम उनका रह गया है और किसानों के हित से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है ? अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव कोई किसान के हित में है ही नहीं । यह तो एक स्लोगन है, इससे हमारे सारे विकास के कार्य रुक जायेंगे, इसलिये इसको कंसीडर करने का कोई सवाल ही नहीं है । इसलिये नादान दोस्त होने से कोई लाभ नहीं है, इससे तो नुकसान ही है ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं मुलायम सिंह जी के प्रस्ताव के ग्राह्यता पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी नियम 311 के बारे में चर्चा हो रही थी, आपने भी नियमों को पढ़ा और मैंने भी पढ़ा है । जब प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत हो गया और इस पर विस्तार से चर्चा हो गयी तो कहना कि प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं हुआ, तो आप कैसे कह देते हैं कि प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ । अब तो इस पर विस्तार से चर्चा कराने का आपको निर्देश देना चाहिये क्योंकि जो कार्यसूची में विषय है, उसके अति-महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित प्रस्ताव श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में प्रस्तुत किया है । इससे प्रदेश के जनमानस, दबे और कुचले एवं तमाम अल्पसंख्यक लोग इससे जुड़े हैं । मान्यवर, अभी सरकार ने बड़े-बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ कर दिया है, बैंक ने कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है और बड़े-बड़े व्यापारियों एवं फैक्टरियों का कर्जा माफ कर दिया है लेकिन छोटे किसानों से कर्जा चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूला जाता है और कलेक्शन चार्ज तक लिया जाता है, इस प्रकार छोटे किसानों की जो स्थिति आजादी के पहले कर्जदार की होती थी और उन किसानों की कर्ज में जमीनें तक चली जाती थीं, भूमिहीन हो जाते थे वैसी ही स्थिति आज सरकार ने पैदा कर दिया है कि गांव में किसान ने जो थोड़ा सा कर्जा लिया है उससे वह भूमिहीन होता जा रहा है । इसलिये मैं प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करें और करोड़ों रुपये का कर्जा माफ करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

संसदीय कार्य मन्त्री.....(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग बैठ जायं । अब मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और राजस्व का बजट जब प्रस्तुत हुआ था तो उस दिन भी इस पर चर्चा हुई थी । जहां तक इसके महत्व का सवाल है कि जो किसानों और बुनकरों ने कर्जा लिया है तो बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं । केन्द्रीय सरकार के बैंक हैं और जो वित्तीय एजेंसियां हैं, जहां से कर्जा लिया जाता है और वापस नहीं किया जाता है तो जो रुपये का सरकुलेशन है वह रुक जायेगा ।

इसके बाद भी हमने अनुरोध किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल भारत सरकार से ही नहीं, अपने यहां जहां-जहां लोन दिया है, इस बात का प्रयास किया है कि जितने दिन तक उसको रोक सकें, रोक दें और वह रोका गया है । इसके अलावा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो अधिक से अधिक राहत दी जा सकती थी, वह किसानों को भी दी गई है और बुनकरों के बारे में बैठक हुई थी और केन्द्र सरकार से भी इस पर अनुरोध किया था, जो बैंक्स हैं, जो रुपया दिया गया है, वह उनसे कुछ देर से वसूल किया जाये, इस समय उनसे वसूली न हो यह सारे कार्य किये जा रहे हैं। लेकिन किसी प्रकार से, जैसा लाल प्रताप सिंह जी ने कहा, जो विकास कार्य हो रहे हैं, लोनिंग एजेंसी को बिल्कुल बन्द कर दिया जाये तो क्या यह चीज किसानों या अन्य लोन लेने वालों के हित में होगी ? जो हमारे सीमित साधन हैं उससे बुनकरों, छोटे दुकानदारों और किसानों का जो अधिक से अधिक सहायता दे सकते हैं, देंगे और हम दे रहे हैं। जिन माननीय सदस्यों ने इसका लेकर चिन्ता व्यक्त की, मैं आपके माध्यम से उनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों को भी इसकी चिन्ता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जिसमें कुछ चीज चाहते हुये भी नहीं हो सकती हैं। जबतक फसल नहीं आई थी, सरकारी कर्जे भी रोके थे, किन्तु अब फसल आ गई है, गन्ना आ गया है, इसलिये इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्स से वसूली की जा रही है और मान्यवर, यह 311 में आता नहीं है, जैसा आपसे अनुरोध किया है। चूंकि इसपर चर्चा हो चुकी है और अनेक दलों के माननीय सदस्य अपनी-अपनी तरह से इस पर बोल चुके हैं राजस्व बजट पर चर्चा के समय भी इस पर काफी कहा जा चुका है और आप नियमों में देखें तो एक ही बात को कई बार नहीं यहां उठाया जा सकता है। वैसे तो आपकी उदारता है, आपने इस पर इतनी बड़ी चर्चा करा दी, लेकिन आपकी अनुमति के बिना चर्चा हो नहीं सकती थी। किसानों को हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुचाना चाहते हैं। नियम 311 में इस वक्त स्वीकार करने का इसमें कोई औचित्य नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, संसदीय कार्य मन्त्री जी ने सारे तथ्यों को छिपाकर जो अभी उत्तर दिया है, वह छोटे किसानों, बुनकरों और दुकानदारों के बिल्कुल विरोधी है और उससे स्पष्ट है कि इस सरकार का, आम जनता विरोधी रवैया है। इसलिये हम आज इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

सरकार द्वारा उन्हें साढ़े तीन सौ रुपया न देकर केवल 172 रुपया दिया गया है, इसलिये हम भी इस सदन का त्याग करते हैं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने सदन को गलत रिपोर्ट देकर गुमराह किया है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आपकी कोई व्यवस्था हो जाये। अभी बुनकरों के बारे में कहा गया कि उनको कर्ज दिया गया, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह कर्ज उन्हें बैंकों से 10 से 20 प्रतिशत तक कमीशन लेकर दिये गये हैं। लाखों रुपयों के बेनामी और झूठे कर्जे दे रखे हैं...।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

चूंकि मन्त्री जी की यह घोषणा किसान विरोधी है, बुनकर विरोधी है, इसलिये हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

सहकारिता विभाग द्वारा 5–5 महीने तक बुनकरों को बकाया नहीं दिया गया है और जो कर्ज दिये जा रहे हैं, उसमें 10 से 20 परसेंट कमीशन लिया जा रहा है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस सम्बन्ध में शासन ने जो रुख अपनाया है, उसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 311 में नियमों के निलम्बन के लिये आवश्यक है कि उसमें अध्यक्ष की अनुमति हो और वह विषय सदन के समक्ष लम्बित हो, किन्तु चूंकि इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष मामला लम्बित नहीं था तथा मैंने इसको पेश करने की अनुमति भी नहीं दी, अतः यह नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नियम 300 में मेरी सूचना है, जो मैंने दी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें पहले श्री शतरुद्ध प्रकाश जी की सूचना है ।

सत्रकाल के दौरान मुख्य मन्त्री द्वारा ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित किये जाने सम्बन्धी घोषणा सदन से बाहर करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा आपसे यह निवेदन है कि 21 अप्रैल को प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री वीर बहादुर सिंह ने यह एलान किया कि ग्राम पंचायतों के चुनाव उप चुनाव के बाद कराये जायेंगे । इलाहाबाद के संसदीय उप चुनाव और प्रदेश में 2 स्थानों के विधान सभा के उप चुनाव कराये जाने के बाद ग्राम पंचायतों के चुनाव कराये जायेंगे यह । घोषणा वीर बहादुर सिंह जब दिल्ली से आये तो कर दी । 16 अप्रैल को लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि 74,110 ग्राम पंचायतों, 8,792 न्याय पंचायतों और 895 क्षेत्र समितियों के चुनाव अतिशीघ्र कराये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जायेंगे और मई से यह चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी और दो-ढाई महीने में तारीख तय कर दी जायेगी, तारीख सदन के अन्दर तय की जायेगी क्योंकि मान्यवर, सदन अभी चल रहा है। लेकिन सदन में तारीख तय करना तो दूर रहा बल्कि सदन के बाहर एलान कर दिया कि यह चुनाव उप चुनाव कराये जाने के बाद कराये जायेंगे। उप चुनाव के बारे में राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा उसमें टालने की बात की है। इलाहाबाद में जहां पर श्री वी0 पी0 सिंह विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं सरकार की हिम्मत नहीं है कि वहां चुनाव करायें। वहां पर इसके उम्मीदवार अमिताभ बच्चन मैदान छोड़कर भाग गये हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से श्याम सूरत उपाध्याय को बलि का बकरा बनाने के लिये भेजा जा रहा है लेकिन वह भी तैयार नहीं है।

मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि हमारे वीर बहादुर सिंह खुद इलाहाबाद का उप चुनाव लड़ लें। मेरी चुनौती है कि अगर वीर बहादुर सिंह जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं तो इलाहाबाद से चुनाव लड़कर देख लें। उन्होंने दिल्ली में ऐसा तिकड़म किया कि चुनाव आयोग ने तारीख बदल दी। मेरा आपसे कहना है कि इस समय मानसिक संतुलन वीर बहादुर सिंह का खो गया है। कभी वह भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को अनाप-शनाप कहते हैं कभी वी पी0 सिंह का हौवा उनके ऊपर चढ़कर बोल रहा है तो उप चुनाव कराने की हैसियत और ताकत इस सरकार की नहीं रही है। पंचायतों के चुनाव टाल रहे हैं। इस सदन के बाहर वीर बहादुर सिंह ने एलान किया जिसका एलान सदन में करना चाहिये था। इससे इस सदन की अवमानना हुई है। इलाहाबाद का चुनाव सरकार हारने जा रही है। हमारे वीर बहादुर सिंह को सिर्फ अपनी कुर्सी नजर आ रही है। एक ही जाति के दरोगाओं को वहां पर लगाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है। आप सरकार को डांटें।

(श्री अम्मार रिजवी के खड़े होने पर)

और वीर बहादुर सिंह जी को बुलवायें, यह बेचारे क्या बोल पायेंगे ?

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय शत्रुघ्न प्रकाश जी ने कुछ रहम तो हमारे ऊपर किया बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, क्या कहा मुख्य मंत्री जी ने ? अखबारों में क्या चीज आई ? इस पर तो औचित्य का प्रश्न बनता नहीं यह मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं। मान लिया जाय कि चुनाव की बात उन्होंने कही तो इस सदन में कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने घोषणा की है कि यह चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायेंगे। जहां तक नीति की बात है तो कोई कंट्राडिक्टरी बात उस सम्बन्ध में नहीं कही गई है। जो बात सदन में कही गई है। वही बात बाहर भी की गई है, अगर कही गई है तो। अखबारों में क्या कहा गया है इसका मुझे नहीं पता। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। जहां तक इलाहाबाद के चुनाव का प्रश्न है शत्रुघ्न जी ने कहा कि न जाने दिल्ली में क्या बात बनाई गई तो मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि विरोधी पक्ष के लोगों ने लोक सभा में प्रश्न उठाया था कि चुनाव रमजान में न कराये जायें आगे बढ़ा दिये जायें। जिन लोगों ने ऐसा कहा तो माननीय शत्रुघ्न प्रकाश जी या तो उन तमाम लोगों पर आक्षेप लगा रहे हैं या जो सत्यता थी वह सामने आ गई है। इलाहाबाद के चुनाव का जहां तक प्रश्न है माननीय वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन करायेगी उससे पीछे हटने की कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 में यह नहीं आता इसलिये इसको अस्वीकार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के पुकारे जाने पर ।)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठिये ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, रमजान का बहाना लेकर यह सरकार चुनाव टाल रही है । मान्यवर, रमजान में कौन से काम नहीं हो रहे हैं ? रमजान में सारे काम हो रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

*श्री राम शरण दास--

अभी यह इशारा किया गया कि एक अधिकारी की बीबी माननीय मुख्य मंत्री से सिफारिश करने के लिए गई या किसी मंत्री से सिफारिश करने के लिए गई, तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया । मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि अगर किसी अधिकारी की बीबी किसी मंत्री या मुख्य मंत्री से कोई सिफारिश करने के लिए जायगी, तो उस अधिकारी को क्या सस्पेंड कर दिया जायगा ? माननीय मुख्य मंत्री से एक अधिकारी की बीबी ने सिफारिश किया, तो उस अधिकारी को मुख्य मंत्री ने सस्पेंड कर दिया । क्या मान्यवर यदि किसी की बीबी, मुख्य मंत्री या किसी मंत्री के पास सिफारिश करने के लिए आवे, तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय राम शरण दास जिसे इधर भेजें, उसका स्वागत है ।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री एवं सहकारिता मंत्री के मध्य गम्भीर मतभेद होने से प्रदेश प्रशासन पर संकट उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, संविधान के अनुसार मंत्रिमण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व है और वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है । उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह तथा सहकारिता मंत्री श्री अरुण कुमार सिंह के बीच गम्भीर मतभेद सार्वजनिक रूप से पैदा हो गया है । मुख्य मन्त्री ने उनसे त्यागपत्र मांग लिया है, परन्तु अभी उनकी पार्टी के केन्द्रीय नेताओं के हस्तक्षेप से त्यागपत्र नहीं देने दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस मतभेद से संवैधानिक संकट उत्पन्न होकर प्रदेश का प्रशासन प्रभावित है। मुख्य मंत्री के संयुक्त सचिव श्री एम0 पी0 सिंह कोई हैं, उन्होंने 29 मार्च, 1988 को एक राजाज्ञा संख्या 1879/सी0एम0-दो/88 के जरिये सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन स्तर से सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटियों के नामांकन बिना मुख्य मंत्री की पूर्व अनुमति के न किये जायें। हमारे संविधान में एक व्यवस्था है, एक कार्य-संचालन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अगर शासन द्वारा नामांकन होना है, तो उस पर सहकारिता मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये। अगर वह कोई बात समझते थे, तो वह सहकारिता मंत्री से कह सकते थे, तब तो यह बात समझ में आती है, लेकिन इस तरह से डाइरेक्ट रूप से अपने पास पत्रावली मंगाने का मतलब यह है कि मंत्रिमण्डल में मतभेद है। इसमें या तो मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये या सहकारिता मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये। यह इनका संयुक्त उत्तरदायित्व का मामला विफल हो गया है। ऐसे संवैधानिक संकट के समय में क्या व्यवस्था की जानी चाहिये? मान्यवर, आप अपनी पीठ से स्वतः व्यवस्था देने की कृपा करें क्योंकि इस समय एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, यह पहली बार राजेन्द्र गुप्त जी से सुना कि कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। एक पुराना किस्सा है, एक साहब थे आम खाने का बड़ा शौक था उन्हें। वह खुद दरख्त पर चढ़ नहीं पाते थे, दरख्त के नीचे जाकर खड़े हो गये कि कोई आम गिर जाय तो खा लें। मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रिमंडल का प्रश्न है तो उसमें न तो किसी प्रकार की छूट है और न कोई संवैधानिक संकट है, न कोई मतभेद है। जहां तक संयुक्त उत्तरदायित्व की बात है यह स्वयं जानते हैं कि कोई भी मंत्री किसी भी पत्रावली को मंगा सकता है। कोई विभाग का मन्त्री किसी विभाग की पत्रावली मंगा सकता है, मुख्य मन्त्री किसी भी विभाग की पत्रावली मंगा सकते हैं तो जो भी निर्णय हुआ है वह आपस में बात-चीत करके, परामर्श करके हुआ है। वैसे एक बार नहीं कई बार इस पीठ से रूलिंग दी जा चुकी है कि यह प्रशासनिक मामला है इस पर किसी प्रकार का औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। तो मान्यवर, इस तरह की कोई बात नहीं है यह मैं आपके माध्यम से माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए अस्वीकार किया जाता है।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए जो इन्होंने जवाब दिया है उसमें क्या किया है? एम0 पी0 सिंह ने एक राजाज्ञा जारी की है तो क्या ज्वाइन्ट सेक्रेट्री किसी मंत्री के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगा सकता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है बाकी और कोई बात हो तो यह आप जानें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उनके सेक्रेट्री द्वारा कोई पत्रावली उनके पास नहीं भेजी जायेगी, सीधे इनके पास आ जायेगी। किसी मंत्री की कोई पत्रावली मंगाने का इनका अधिकार नहीं है यह साफ-साफ मन्त्री पर अविश्वास प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रशासनिक मामला है, मुख्य मन्त्री सबकी फाइल मंगा सकते हैं।

गोंडा जिले के मनकापुर में एक अधिकारी द्वारा श्री फजलुल बारी, सदस्य विधान सभा को अम्बेदकर जयन्ती में भाग लेने से रोके जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मसला है। 14 अप्रैल को पूरे देश में जगह-जगह अम्बेदकर जयन्तियां मनाई जा रही थी। डा0 बाबा भीमराव अम्बेदकर जो थे यह इस देश के संविधान निर्माता कमेटी के चेयरमैन थे। उनका यह एहसान है कि उन्होंने मेहनत और लगन से संविधान को बनाया जिससे जस्टिस मिला और इसी वास्ते हर साल 14 अप्रैल को उनको याद मनाई जाती है। मान्यवर, हमारे यहां मनकापुर में एक टेलीफोन का कारखाना है, वहां के कर्मचारी डा0 अम्बेदकर की जयन्ती मनाने जा रहे थे, उन्होंने मुझको भी दावतनामा भेजा था। मैं जब वहां पर गया तो गेट पर जो चौकीदार था, गार्ड्स उसने यह कहकर रोक दिया कि सिक्योरिटी आफिसर आर0 एस0 त्रिपाठी ने मना किया है कि कोई बाहर का आदमी इसमें शामिल नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर एक आदमी जो विधायक चुना गया है क्या उसको कहीं पर भी दाखिल होने से रोक जा सकता है ? हां रोकने के लिए अगर कोई प्रक्रिया है तो नियमों के अन्तर्गत 1923 का जो सिक्योरिटी एक्ट है उसके मुताबिक पास इश्यू किया जायेगा। मैंने कहा पास इश्यू कीजिए तो इन्होंने जिस तरह की भाषा डा0 अम्बेदकर और उनके अनुयायिओं के लिए इस्तेमाल की, मैं उसको सदन में नहीं कहना चाहता लेकिन यह अफसोसनाक बात है कि जिस संविधान के निर्माता ने जो आपको स्थान दिया है और आप उस कुर्सी पर बैठे हैं या हम लोग सदन में बैठे हुए हैं।

यह सरकारी कर्मचारी हमारे अधीन काम करते हैं वह ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने इस देश में हरिजनों को ऊपर उठाने का कार्य किया उनको न्याय दिलाने का कार्य किया उनके खिलाफ उसने बुरे लफ्ज बयान किये, मैं आपसे औचित्य के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसका हनन हुआ है। मुझको आई0 टी0 आई0, मनकापुर में दाखिल होने से रोका गया, पास इशू करा कर दाखिल होना चाहा तो वहां के सेक्योरिटी आफिसर आर0 एस0 त्रिपाठी द्वारा रोका गया। इसलिए निवेदन है कि इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दें।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मुझे अभी इनकी जानकारी मिली। मैं इसको दिखवा लूंगा कि क्यों नहीं माननीय बारी जी को फैक्ट्री के अन्दर जाने दिया गया। जहां तक डाक्टर अम्बेदकर जी के सम्बन्ध में, संविधान के बारे में माननीय बारी साहब ने कहा उस दिन कोई फंक्शन था जिसमें उन्हें बुलाया गया था। उन्हें जाने देना चाहिये था। मैं इसकी पूरी जांच करूंगा कि क्या स्थिति है। माननीय बारी साहब ने एक बात और कही कि माननीय बारी साहब हर जगह विधायक होने की हैसियत से जा सकते हैं, शायद हर जगह जाने के लिए छूट नहीं है। हो सकता है कि पुराना इतिहास ऐसा रहा हो कि सबको जाने दिया गया हो और माननीय बारी साहब को रोक दिया गया हो। मैं सारे मामले की जांच करके आपको बता दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम 300 में नहीं आता है। जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी की कत्याल जी के बारे में सूचना है, उस पर दो घन्टे की चर्चा लगी हुई है।

प्रदेश में आतंकवादियों की गतिविधियां तेज होने के सम्बन्ध में जानकारी

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसमें केवल दो मिनट सुन लें। मान्यवर, मेरा केवल इतना ही कहना था कि जब कत्याल जी की हत्या के बारे में कार्यस्थगन प्रस्ताव यहां पर आया तो सरकार की ओर से एक बात कही गयी कि आतंकवाद की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सबको चिंता है क्या मामला है? हम जानना चाहते हैं कि सरकार के पास कोई जानकारी है तो वह अधिकृत जानकारी से सदन को अवगत करायें कि आतंकवादियों की कितनी पहुंच हो गयी है और सरकार द्वारा उन पर रोक लगाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिल रही है वह बहुत ही भयावह और गम्भीर है जिससे साबित हो रहा है कि सरकार पूरी तरह से शिथिल और अनभिज्ञ है परिस्थितियों को रोकने में। वर्ष 1986 में जो आतंकवाद विरोधी सेल बना था उसमें आज तक एस0 पी0 की नियुक्ति नहीं हो पायी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अब तक सरकार के पास जो जानकारी आयी, आतंकवाद को रोकने की सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार पूरी तरह से शिथिल है और अकर्मण्य है। इससे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था की हालत ज्यादा गम्भीर है।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो नोटिस दिया है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि यह किस नियम के अन्तर्गत आती है।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी नियम में नहीं है, मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, केवल नियम का पता लगवा लें, मुझे भी आपके माध्यम से जानने का हक है।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम संदर्भित नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो मामला सदन के संज्ञान में आ चुका है, तो ऐसे मामले में हम अपनी जिज्ञासा की जानकारी सरकार से मांग सकते हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इन्होंने जान-बूझ कर नियम 300 नहीं लिखा है। नियम 300 में जानकारी नहीं मांग सकते। इन्होंने बहुत खूबसूरती से नियमों का हवाला नहीं दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, नियम 300 में है ही नहीं। यह सामान्य नियम प्रक्रिया है कि जो मामला सदन के संज्ञान में हो, उस पर कोई स्पष्टीकरण चाहता हो, आपके माध्यम से पूछा जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर चर्चा लगी है, चर्चा हो जायेगी ।

]समय 1 बजकर 20 मिनट पर]

उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1988†

*श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करता हूं ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988††

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1988†††

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† दिनांक.....के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

†† दिनांक.....के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

††† दिनांक.....के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक 25 अप्रैल, 1988 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं :

1--कुंवर रेवती रमण सिंह	उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ।
2--सर्वश्री शारदानन्द अंचल, बुनियाद हुसैन अंसारी तथा बलराम यादव	तदेव
3--श्री यदुनाथ सिंह	तदेव
4--श्री राम शरण दास	जनपद सहारनपुर के ग्रामों में हुए अग्नि कांड से लाखों की सम्पत्ति आदि नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में ।
5--श्री देव कुमार यादव	ग्राम अतर्रा, तहसील मौदहा, जनपद हमीरपुर में हुए अग्निकांड के सम्बन्ध म ।
6--श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय	प्रदेश के अधिकांश जनपदों में उत्पन्न पेयजल समस्या के सम्बन्ध में ।
7--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह	बाराबंकी नगर में उत्पन्न पेयजल समस्या ।
8--सर्वश्री सरदार सिंह, कुशल पाल सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी तथा मुस्तमन्द अली खां	मथुरा जनपद में उत्पन्न पेयजल समस्या के सम्बन्ध में ।
9--श्री गोपाल दास यादव	इलाहाबाद जनपद में उत्पन्न पेयजल समस्या के सम्बन्ध में ।
10--श्री पारस नाथ यादव	जल निगम अभियन्ताओं की हड़ताल से पेयजल आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में ।
11--डा० दिनेश जौहरी, श्री श्याम श्री बिहारी सिंह, श्री किशन लाल तथा श्री अवनीश कुमार सिंह	तदेव

12--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मयंकर सिंह	वेतन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित करके लागू न किये जाने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष।
13--श्री जमुना प्रसाद बोस	नगरपालिका बांदा द्वारा छोटे दुकानदारों को पुलिस के बल पर उजाड़े जाने के सम्बन्ध में।
14--श्री सुख पाल पाण्डे	बस्ती जिले के सहकारी समितियों के रिक्त सचिव पदों पर चयन न हो पाने के सम्बन्ध में।
15--श्री फजलुल बारी	नानपारा शुगर मिल, बहराइच के प्रबन्धक द्वारा गन्ना किसानों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।
16--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी	आजमगढ़ जिले के चिरैयाकोट कस्बे में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में।
17--सर्वश्री अकबर हुसैन बाबर, राज किशोर सिंह, राम सजीवन तथा श्री मित्र सेन	आगरा जनपद में समसाबाद-फतेहाबाद मार्ग पर धरना दे रहे किसानों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में।
18--सर्वश्री राम आसरे वर्मा, हरिशंकर तिवारी तथा श्री राम पाल वर्मा	प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों को तथा कथित आरोपों के घेरे में लाये जाने के सम्बन्ध में।
19--श्री मनोहर लाल	श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी अवस्थी खेड़ा, थाना कोतवाली, उन्नाव को जिला जेल में जहर देकर मार डालने के सम्बन्ध में।
20--श्री देवता दीन	विधान सभा क्षेत्र, नानपारा के गन्ना किसानों की वयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।
21--सर्वश्री विजय सिंह राणा, रिछपाल सिंह बंसल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, हरेन्द्र सिंह, कनक सिंह तथा श्री जगवीर सिंह	गाजियाबाद में नवीन-औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
22--सर्वश्री रघुवर दयाल वर्मा, विजय सिंह राणा तथा श्री मनेजर सिंह	सरकार द्वारा किसानों से गेहूं को क्रय केन्द्रों पर 173 रु0. प्रति कुन्तल खरीदे जाने के सम्बन्ध में।
23--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी	गंगा में गिरने वाले नालों को बन्द करने के नाम पर लाखों रुपये का घोटाले के सम्बन्ध में।
24--श्री बदन सिंह	आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पांच हजार पशुओं के मर जाने के सम्बन्ध में।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो निगम बनाये गये थे, वह इसलिये बनाये गये थे कि उससे लाभ कमाकर सरकार को फायदा पहुंचाया जाये और आम जनता को उससे लाभ मिल सके। मान्यवर, आज देखने में यह आ रहा है कि यह निगम अफसरों की चरागाह बन गये हैं। खनिज विकास निगम में श्री वी० पी० मिश्रा नाम के एक महाप्रबन्धक 20 अक्तूबर, 1986 को नियुक्त किये गये। यह जहां-जहां भी रहे, इनका कार्यकाल बड़ा स्वर्णिम रहा। जब यह भूमि विकास बैंक में रहे, वहां इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया। और सुरेश नाम के एक चपरासी को इतना पीटा, कि वह मर गया। इसके बाद यह केन फडरेशन में रहे, वहां भी इन्होंने घपला किया बजाय इनको नौकरी से निकाला जाता, इनको पदोन्नति करके के इनको महाप्रबन्धक बना दिया गया। जब किसी नियमावली के हिसाब से इनकी नियुक्ति अब नहीं की जा सकती। इन्होंने आते ही 20 अक्तूबर के बाद इतना घपला किया कि जो खनिज विकास निगम फायदे में चल रहा था, आज वह घाटे में आ गया। मान्यवर, इन्होंने अखबारों में तमाम विज्ञप्तियां निकलवाकर यह पब्लिसिटी कार्यवाही की कि खनिज विकास निगम फायदे में चल रहा है, आज केवल 19 प्रतिशत इसका उत्पादन रह गया है। इसके अतिरिक्त खनिज विकास निगम में एक विशेष जाति के 177 कर्मचारी नियुक्त किये गये। इसमें केवल 10-15 लोग ही अन्य जातियों के हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति बिना किसी नियम के बिना किसी नियम समिति के कर दी गयी। किसी भी नियम को इन नियुक्तियों में तरजीह नहीं दी गयी और न ही कोई इन्टरव्यू किया गया लगभग 57 हरिजन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और जो हरिजनों का कोटा होना चाहिये, वह वहां पर पूरा नहीं हुआ है।

मान्यवर, इस निगम में आज इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि वहां पर तमाम मंत्रियों के लड़के व दामाद सलाहकार के रूप में नियुक्त हैं और जो 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह ले रहे हैं। इसमें जो प्रोन्नति की गयी, वह बी० ए० थर्ड डिवीजन पास लोगों को की गयी, जो नियमतः नहीं हो सकती थी। आज यह उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम जो बहुत महत्वपूर्ण निगम है, घाटे में चल रहा है और वहां पर डेढ़ करोड़ रुपये का घपला हुआ है। आज निगम में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि इसमें विजीलेन्स इन्क्वायरी के आदेश दिये जायें, जिससे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके और जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपये का घपला और हरिजनों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसका भी पर्दाफाश हो सके।

*श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, लगभग 15 दिनों से लगातार राज्य खनिज निगम के बारे में अखबारों में छप रहा है। वहां के महाप्रबन्धक के कुकृत्य कोई नए नहीं हैं। जब वह परिवहन निगम में थे तो उन्होंने अपने जनपद के और अपनी बिरादरी के लोगों से पैसा लेकर नियुक्त किया था। जब उस समय शोर मचा तो उनको वहां से हटाये जाने के बजाय भूमि विकास बैंक में भेज दिया गया। वह मुख्य मंत्री जी के परिवार से इतने सम्बन्धित हो चुके हैं कि भ्रष्टाचार में पूर्णतया लिप्त हो गये हैं। पैसा लेकर गलत तरीके से लोगों की नियुक्ति करते हैं। मुख्य मंत्री के भाई श्री गुलाब सिंह व उनके चेले चपाटों को गलत तरीके के ठेके देते हैं, जहां भी ये महाप्रबन्धक जाते हैं, भ्रष्टाचार ही फैलाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं या मुख्य मंत्री जी पर बोल रहे हैं ।

श्री शारदानन्द अंचल--

47 गरीब हरिजन/पिछड़े जाति के कर्मचारियों को इन्होंने सेवा से निकाल दिया है और स्व जाति के लोगों को वहां पर नियुक्ति दे दी है । आज इन्होंने वहां पर हरिजन/पिछड़ी जाति के लोगों के साथ घृणा की स्थिति पैदा कर दी है । वहां पर क्या कोई हरिजन/पिछड़ी जाति व अल्प संख्यक का आदमी काम नहीं कर पायेगा ? बी0 ए0-III डिवीजन के पास लोगों को सलाहकार बनाया गया है । यही नहीं भूमि विकास बैंक में सुरेश यादव कर्मचारी को इस महाप्रबन्धक ने बुरी तरह से पीटा जिससे उसकी हत्या हो गई । चूंकि शासन में इनकी पैठ है, जिनकी वजह से इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । हो सकता है कुछ लोगों को जो शोषण कर रहे हैं, उन्हें, यह कटु-सत्य अच्छा न लगे । आज इस बी0 पी0 मिश्रा की वजह से पूरा खनिज निगम सराबोर हो चुका है । अलोकतांत्रिक पद्धति से यह महाप्रबन्धक हरिजन/पिछड़ी जाति के लोगों को सेवा से निकाल रहा है । अपने मन से लोगों का पैसा लेकर नियुक्ति कर लेता है । श्री गुलाब सिंह को बिना टेन्डर के 3 करोड़ रुपए का ठेका बोलडरों का दे दिया गया है । कितने बोल्डर वहां पहुंचे, इसकी कोई जानकारी नहीं है, किन्तु उसे 3 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है । इसकी जांच की जानी चाहिए । इसलिए आप इस महत्वपूर्ण विषय पर आज इस सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, श्री मिश्रा जी ने बी0 पी0 चमरासी को मारा था और जिस पुलिस अधिकारी ने उसकी जांच की, अब वह रिटायर हो गया है और उसकी उम्र 64 साल की हो गई है, उसे यह ढाई हजार रुपए दे रहे हैं सलाहकार बनाकर (श्री के0 डी0 पी0 शर्मा को ढाई हजार रुपए दे रहे हैं, श्री तेज बहादुर उपाध्याय को 5 हजार रुपए दे रहे हैं और श्री अशोक कुमार शुक्ला को 5 हजार रुपए दे रहे हैं । श्री मिश्रा जी यह खैरात में पैसा बांट रहे हैं । क्या यह इनके बाप का पैसा है । जनता की गाढ़ी कमाई को यह बांट रहे हैं । श्री हरदेव जी यहां पर बैठे हैं, इन्हीं के हरिजन भाईयों को उसने सेवा से निकाल रखा है, यही वहां पर चले जांय निरीक्षण करने के लिए । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस मामले को स्वयं देखें ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, आज खनिज विकास निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है । इन्होंने 1986 में जिन 176 व्यक्तियों की नियुक्ति की थी, उसमें कोई भी अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ी जाति व अल्प संख्यक वर्ग का नहीं है । केवल एक ही जाति के लोगों को रखा गया है । इन पदों के लिए इन्होंने कोई बांट भी नहीं निकाली और न ही किसी को काल लेटर भेजा गया । अपने आप इन्होंने नियुक्ति कर दी ।

विभाग में सब घाटा ही घाटा है । मिश्रा खुले आम कहता है कि मैंने मुख्य मंत्री जी के दामाद को नौकरी दी है, इसलिये कोई भी आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता । चाहे पूरी सरकार लग जाय उसका बाल बांका नहीं हो सकता । एक तरफ तो किसानों की, वसूली के लिये, गिरफ्तारी हो रही दूसरी तरफ एक आदमी जो करोड़ों रुपये का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घोटाला कर रहा है, उसको बचाने का काम सरकार कर रही है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता। इस पर चर्चा करायें। मेरी मांग है कि सी0 बी0 आई0 की इन्क्वायरी की घोषणा के बाद भी इस पर चर्चा होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी नियम 56 के अन्तर्गत माननीय रेवती रमण जी ने और माननीय शारदानन्द अंचल जी ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है और जिसमें काफी तथ्यों को आपके सामने लाये, उनको दोहराना मैं नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे अभी माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने जो फाइल दी है उसमें आरोप एक दर्जन से ज्यादा हैं और वह सारे आरोप प्रमाणित हैं। मौका दे दें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

ग्राह्यता पर मैं चार बातें कहना चाहता हूं। जब यह भूमि विकास बैंक में थे, उस समय इन्होंने खुद अपने हाथों से एक चपरासी की हत्या कर दी। सारे राज्य कर्मचारियों और सरकार की जानकारी में यह कान्ड हुआ, फर्रुखाबाद का रहने वाला वह फोर्थ क्लास का कर्मचारी था, उस मामले को दबा दिया गया। जब यह केन फेडरेशन में थे, दर्जनों गम्भीर आरोप इन पर लगाये गये लेकिन पूरी की पूरी पत्रावली गायब कर दी गयी। उसके बाद यह खनिज निगम में जब आये तो लगभग 200 नियुक्तियां हुईं, उनके बारे में कोई सर्कुलर नहीं, कोई चयन समिति नहीं, बिना चयन की प्रक्रिया को पूर्ण किये हुए थर्ड डिवीजन वालों को 3,000 रु0 से 5,000 रु0 प्रति माह की नौकरियां दे दीं। जब यह सब मामले सामने आ गये हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। इसलिये नहीं हो रही है क्योंकि कहा गया है कि उन्होंने गृह मन्त्री जी के लड़के को भी नौकरी दी है, इलाहाबाद के एक मन्त्री हैं उनके लड़के को नौकरी दी है, कांग्रेस की एक विधायिका हैं उनके लड़के को नौकरी दी है, मुख्य मंत्री और उनके परिवार को लाभ पहुंचाया है।

मैं पूछता हूं कि अब क्या होना चाहिये? मुझे उनसे ज्यादा शिकायत नहीं है है जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में नौकरी पा ली है, लेकिन जहां 200 नियुक्तियां की गयी हों, उनमें से 176-177 अपनी जाति के लोगों को ही कर दिया हो, तो इतनी ज्यादा पिछड़ी जाति की उपेक्षा भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुझे तो ताज्जुब होता है कि माननीय हरदेव जी क्या कर रहे हैं? वहां पर 57 हरिजनों को निकाल दिया गया, इतने गम्भीर आरोप प्रमाणित हैं, उसके बाद भी उस अधिकारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मन्त्री और पूरी सरकार उसके पक्ष में है, इसलिये चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो और विजिलेन्स की जांच हो। मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री आज ही घोषणा करें, अगर नहीं करेंगे तो यह इतना गम्भीर मामला है, हम अपने नेताओं पर, मन्त्रियों पर, विधायकों पर, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों पर आरोप लगा कर ऐसे भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों को भी बचा लेते हैं।

इसलिये आज यह मामला आया है, इसलिये आज इसमें कोई दल का सवाल नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस पक्ष के लोग और उस पक्ष के लोग मिल कर के उस अफसर

के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग करें। अगर उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो इस मामले को गम्भीरता से लेना पड़ेगा। विधायकों को रोजाना गालियां दी जाती हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं विपक्ष के लोग अधिकारियों के विरुद्ध एसे ही आरोप लगाते हैं, उनको बदनाम करते हैं इसलिये आज हम इस बेईमान अफसर के विरुद्ध आरोप लेकर यहां आये हैं हमारा आरोप है कि एक ऐसा अफसर जिसने करोड़ों रुपया का नुकसान पहुंचाया है, बिना नियम और कानून के नियुक्तियां की हैं, ऐसा लगता है कि जसे उसकी निजी फैक्ट्री है। इसलिये मेरी मांग है कि इस पर विजिलेंस की जांच हो और सरकार आज यहां घोषणा करें इस बात के लिये जिससे हम लोगों को भी अशोभनीय कार्य करना न पड़े।

मेरा आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए अधिकारियों पर आज हम आरोप न लगा करके एक ऐसे अधिकारी के प्रति आरोप लेकर आये हैं, हमने सजा का नाम नहीं लिया है लेकिन हम चाहते हैं कि उसे तुरन्त खनिज निगम से हटा करके विजिलेन्स से उसकी जांच करायी जाय। इस पर विचार किया जाय जिससे यह पूरी पत्रावली है इसके सारे आरोप आप सबके सामने आ जाय और मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी से चाहूंगा कि आपके मार्फत इस पत्रावली की फोटो स्टेट कापियां माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भेज दी जाय ताकि उनको जांच के समय में यह काम आवें।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इसे सौभाग्य कहिये या दुर्भाग्य मुझे भी इसके बारे में जानकारी है कि मेरे इलाके में भी इसने तमाम लोगों के नाम से पैसा लिया है। पहले इसके पास 15-20 बीघा खेत था लेकिन एक साल में गांव-गांव में इसने जमीनें खरीद ली हैं, ट्रैक्टर ले लिया है और तमाम रुपया लगा दिया है इन सब कामों में। भूमि विकास बैंक में जब यह था तो बहुत लूट की है। मैं चाहता हूं कि जो मामला माननीय मुलायम सिंह जी ने उठाया है वह बहुत ही गम्भीर है और इसकी तुरन्त जांच होनी चाहिये।

*श्री हरदेव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो विचार यहां पर आया उससे मैं स्वयं ही बहुत चिन्तित हूं। इस बात के लिये। हमारा मतलब यह है कि सही जांच कराने के लिये दोषी अधिकारी पर अगर यहां विचार हो तो उसमें किसी मंत्री का नाम या मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर इससे जोड़ना, उस विषय पर परदा पड़ जाता है। माननीय वीर बहादुर सिंह का न इससे संबंध है और ना ही गुलाब सिंह जी का इससे संबंध है, जो लिस्ट मिली है उसमें 153 व्यक्तियों की नियुक्ति उसने की है बिना अपने पद का विचार किये हुए। इस संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के 300 सदस्य इससे जाकर मिले भी क्योंकि उनको वहां से निकाल दिया गया था। यह सही है कि बिना नियम और कानून के इस अधिकारी ने 153 व्यक्तियों की नियुक्तियां की हैं और जितना वेतन देने का उसे अधिकार था, उन लोगों को उतन वेतन दिये जाने का अधिकारी बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये था। जब वह पर्यटन निगम में गया था वहां भी ऐसा ही किया। इसी तरह से फैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय में डाक्टर कीर्ति सिंह ने भी ऐसा ही किया है। कोई भी पदाधिकारी हो जिसको अधिकार दिया जाता है उसे अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये, ऐसा नहीं करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उसके लिये पूरे प्रदेश की चिन्ता एक होती कि 18 प्रतिशत, 15 व 9 प्रतिशत के आरक्षण में गरीब व पिछड़ी हुई जातियों को संविधान के तहत नौकरी देने का अधिकार उसे नहीं है और अपनी जाति के लोगों को 200 से लेकर 400 तक लोगों को नौकरी दे दे, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को उसके पद से हटाकर मामले की सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराई जाये और माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बात उठाई है। यदि वह इसी बात को इस प्रकार से न उठाकर यह कहते कि इसमें मुख्य मंत्री जी का और न ही माननीय गुलाब सिंह जी का कोई आदमी नहीं है, बस केवल इसी बात से मुझे तकलीफ हुयी इसीलिए मैंने यह बात कही और हमारे ही तथाकथित माननीय विधायक अंचल जी ने जो बातें कहीं और आरोप लगाये, ऐसा नहीं करना चाहिये इसमें किसी भी मंत्रीगण का कोई हाथ नहीं है, मामला अपनी जगह पूरी तरह से गम्भीर है, इसलिए इस मामले में तुरन्त जांच करायी जाये और इस मामले की सूचना मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को पहले ही दे चुका हूं और वह इस पर कार्यवाही भी कर रहे हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, यहां पर केवल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ही बैठे हैं। मैं चन्द बातें इनके सामने रखना चाहूंगा आपके माध्यम से गिट्टी कटाई का ठेका खनन निगम को कितने रुपयों का मिला और कितने रुपयों की गिट्टी पहुंचाई गयी और यह ठेके जिन कांट्रेक्टर्स को मिले हैं, उनमें से कितने लोग मंत्री-परिषद् के सदस्यों से सम्बद्ध हैं। इसलिए मान्यवर, यह मामला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी उत्तर प्रदेश में निगम हैं, उन सभी में 18 प्रतिशत का हरिजन आरक्षण कोटा मौजूद है, केवल यही एक ऐसा निगम है जहां पर इस प्रकार का कोई कोटा नहीं है और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो 15 प्रतिशत का कोटा पिछड़ी जाति के लोगों का होता है, वह भी गायब है और जब माननीय मंत्री जी ने अपने उद्योग विभाग के बजट भाषण को प्रस्तुत करते समय एक लम्बी चौड़ी व्याख्या प्रस्तुत की थी जिसमें लगभग 30 लाख रु0 का मुनाफा दर्शाया था। मान्यवर, यह निगम का मुनाफा नहीं था बल्कि जो रायलटी 30 लाख का लोगों की जमा थी, उसी को मुनाफे की शकल दे दी गयी। इस प्रकार मान्यवर, इसमें बड़ा ही घपला है, आप समस्त प्रकरण की जांच करा लीजिए सारी स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जायेगी और चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेवा में निवृत्त लोग जो 64 साल, 68 साल और 71 व 72 सालों तक सेवा करने के बाद भी जिनके पीछे भ्रष्टाचार का एक लम्बा चौड़ा पुलिन्दा भी लगा हुआ है, फिर ऐसे ही लोगों को नौकरी में रख लेने का औचित्य क्या है? इसलिए मान्यवर, मेरी मांग है कि पहले ऐसे भ्रष्ट लोगों को उनके पदों से हटाकर सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराई जाय और इस मामले में आज ही यहां चर्चा कराई जावे।

*श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

मान्यवर, मैं गुण और दोष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि अगर कोई आफिसर भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्यवाही सरकार को ही करनी पड़ेगी। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी केवल यहां पर बैठे हैं अकेले, इनके अन्दर भी माननीय वीर बहादुर सिंह जी वाली बात गुण-दोष की आ गयी है जैसे उन्होंने सारे विभागों को अपने हाथ में ही ले रखा है। ठीक उसी प्रकार से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी का हाल है कि सारे विभागों के मामलों का जवाब देने वह स्वयं खड़े हो जायेंगे चाहे जानकारी उन्हें उपलब्ध हो या न हो और यही नहीं मान्यवर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतने कमजोर करके इन्हें यहां बैठा दिया गया कि यदि यह किसी भी मामले में कोई खिलाफ कार्यवाही करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं और दूसरी बात में समझता हूं कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला उससे बड़ा भ्रष्ट होता है। इसलिए मान्यवर, मेरी स्पष्ट मांग है कि ऐसे भ्रष्ट आफिसर के खिलाफ आज ही सदन में घोषणा की जाय कि कार्यवाही की जायेगी और मामले की पूरी जांच होगी जो आरोप माननीय मुलायम सिंह जी माननीय रेवती रमण सिंह व अन्य माननीय सदस्यों ने लगाए हैं, जो बहुत ही स्पष्ट हैं लेकिन जब अफसर पर आरोप आ जाता है और प्राइमा फेसाई मामला साबित हो जाता है और सरकार की ओर से कोई जांच का एलान नहीं किया जाता है तो इससे साफ-साफ अंदाज निकलता है कि सरकार ऐसे अफसरों को पनपा रही है और भ्रष्टाचार करवा रही है विधायकों के लड़कों को, मंत्रियों के रिश्तेदारों को लाभ के पद पर रखा जाता है तो अम्मार साहब की मजबूरी झलक जायेगी। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी किसी जांच का एलान नहीं करते हैं तो जो बलिया के सदस्य बैठे हैं रसड़ा के सदस्य हरदेव जी बैठे हैं उन्होंने यह बात कही है अलगर्जी की बात कही है तो वह साबित नहीं होगी। यह तभी साबित होगी जब माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी कहें कि ऐसे भ्रष्ट अफसर को हटाया जा रहा है और विजीलेंस की जांच कराई जा रही है नहीं तो कहा जायेगा कि मुख्य मन्त्री जी दोषी हैं और यह सारी चीजें उन्हीं के इशारे पर हो रही हैं और अम्मार रिजवी साहब समय बर्बाद कर रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

यह जो शिकायत की गयी है और जो बातें कही गयी हैं वह काफी गम्भीर हैं। जहां तक किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के बचाने की बात है या उसको संरक्षण देने का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसे किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, हरदेव जी ने एक बात कही कि जब किसी अफसर के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसको पोलिटिकल एण्ड से नहीं लेना चाहिए कि अफसर के बारे में शिकायत आयी है, गम्भीर रूप से शिकायत आयी है, जो पत्रावली आयी है और हरदेव जी ने कहा है तथा उधर के कई माननीय सदस्यों ने कहा है उन सारी बातों से प्राइमा फेसाई इस बात का अंदाज होता है कि जो कुछ किया गया है वह सही तरीके से नहीं किया गया है। चाहे कोई अधिकारी हो या मंत्री हो जिसको पब्लिक के सामने उत्तर देना पड़ता है वह चाहे जिस प्रकार का कार्य पड़े, उसको ऐसा करना चाहिए कि वह अपना जस्टीफिकेशन जनता के सामने दे सके।

जो आरोप आये हैं, सदन में और माननीय हरदेव जी ने रखे हैं, शतरुद्र प्रकाश जी ने रखे हैं, मुलायम सिंह जी ने रखे हैं और तथाकथित विधायक श्री अंचल जी ने रखे हैं। इसकी जांच विजिलेंस द्वारा करायी जायेगी। यहां पर यह बात नहीं है कि कोई बात छिपाई जाय, दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया जायेगा और सारी चीजें सामने आ जायेंगी। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा अवश्य मिलेगी, कोई भी अधिकारी हो उससे वह बच नहीं सकता है। उसके साथ न्याय होगा गलत और सही काम का उसको जायजा देना होगा, हिसाब चुकाना पड़ेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, कमाल साहब ने उनकी सम्पत्ति के बारे में कहा तो जो पत्रावली आपके सामने है उसमें उसका जिक्र नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसमें उनकी सम्पत्ति की जांच का भी मामला जोड़ लें दूसरी बात यह है कि प्राइमा फेसाई इसको मान लिया है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसको मान लिया है तो ऐसी स्थिति में उसके स्थानान्तरण की घोषणा करें, अगर नहीं करेंगे तो जांच सही नहीं हो सकती है

और विजिलेंस की जांच का कोई महत्व नहीं रह जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उसके स्थानान्तरण की घोषणा भी करें संसदीय कार्य मन्त्री जो जो हमारी आप से बात हो चुकी है उसको मैं यहां पर नहीं कहना चाहता हूं। मंत्रियों पर हमला होता है और उनकी आड़ में बेईमान अफसर बच जाते हैं तो राय मान लें कि जांच तब तक सही नहीं होगा जब तक सरकार उसका स्थानान्तरण नहीं करेगी, आप इसकी भी जांच करवा लें। उसने अपने हाथों से एक चपरासी को मार डाला और आपने उसके जांच कर्ता अधिकारी को सलाहकार बना दिया। आज सारे तथ्य आपके समक्ष आ गये हैं और उसको कोई सजा नहीं दी गई है। आप उसके स्थानान्तरण की घोषणा नहीं करते हैं तो हम यह मानते हैं कि सरकार पूरी तरह से उस बेईमान अधिकारी को संरक्षण दे रही है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, बड़ी मुश्किल की बात यह है कि अगर कोई बात उन्होंने कही है तो सही तरीके से हम उन्हें समझा नहीं पाते। जहां तक आरोपों का प्रश्न है जो हमारे पास आये हैं वह गम्भीर लगते हैं। वह कैसे हैं यह तो इन्क्वायरी के बाद ही साबित हो सकेगा। जो प्रापर्टी की बात कही गई है हम इस प्रश्न को भी वहां भेज देंगे और यहां की जो कार्यवाही है उसमें जो-जो बिन्दु उठाये गये हैं वह भी भेज देंगे। लेकिन जो प्रक्रिया है उसे पहले पूरा करना होगा। पहले जांच शुरू होगी। अगर किसी प्रकार से उनके वहां पर रहने से कोई अवरोध होगा और उनका वहां से हटाया जाना उचित होगा तो जो कुछ भी अपेक्षित होगा, वह किया जायेगा लेकिन कानूनी तौर पर जो प्रक्रिया होनी चाहिए जिसको अपनाया जाना जरूरी होगा, उसको अवश्य किया जायेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, अगर तत्काल नहीं हटा सकते हैं तो सही जांच कैसे हो पायेगी, वहां से कोई कागज लेना हो तो वह विजिलेंस को कैसे मिल पायेगा। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि जब आप इतना मान रहे हैं कि यह प्राइमाफेसी केस बन गया है, तो उसको वहां से हटा दें। नहीं हटा सकते हैं तो प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी जब तक न हो जाय तब तक के लिए उनको वहां से छुट्टी पर भेज दें, हटा दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

इतना बड़ा उल्लंघन हुआ है, आप हटा नहीं सकते हैं आप इसमें खुद हस्तक्षेप कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

जांच के दौरान जो प्रक्रिया अपनायी जायेगी, उस समय वह कर ली जायेगी।

*श्री विजय सिंह राणा--

उस अधिकारी के वहां पर रहते यह जांच सम्भव नहीं है। भूमि विकास बैंक के एक चपरासी को मार दिया गया। इससे साबित हो गया कि उस अधिकारी के वहां पर रहते हुए इन्क्वायरी निष्पक्ष नहीं हो पायेगी यह सम्भव नहीं है। इसलिए उसको वहां से हटा दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह--

वहां पर एक चपरासी को मार दिया। इस मामले की जिस पुलिस अधिकारी ने जांच की थी, इसका मतलब क्या है कि उसी को उसका सलाहकार बना दिया। इससे यह बात साफ हो जाती है कि उस अधिकारी को वहां पर रखने का क्या औचित्य है ?

श्री विजय सिंह राणा--

यह सही कह रहे हैं। यह आरोप तो स्वयं सिद्ध है। जिस अधिकारी ने जांच की थी उसी व्यक्ति को बड़ी तनख्वाह पर नियुक्ति दे रखी है। इसलिए उसको वहां से हटा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मैं एक सुझाव दे रहा हूं। हम टकराव नहीं चाहते। एक अधिकारी के जितने कारनामे हैं वह हमने आपके सामने रख दिये हैं। हम इतना निवेदन करना चाहते हैं इन आरोपों में एक से एक गम्भीर आरोप हैं। अगर संसदीय कार्य मन्त्री जी आज शाम तक यह पता लगा लें अपने विवेक से कि यदि इनमें से एक भी शिकायत सही होगी तो उसे आप कल हटा देंगे। चाहे वह नियुक्ति का सवाल हो, चाहे एक वर्ग के लोगों को लगाने का सवाल हो।

वह चाहे दर्जा 5 पास को रखें या बी0 एड0 पास रखें चाहे अनुभवहीन को रखें जिसको चाहे वह रखें लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर एक आरोप भी सही साबित हो जाय तो उसे हटा दें आज शाम तक आप देख लें अगर सही न हो तो मत हटाइए।

श्री अम्मार रिजवी--

जिस एजेंसी से जांच के लिए माननीय सदस्यों ने कहा मैंने उसी एजेंसी से जांच के आदेश दिए हैं। उसके पास शिकायत जायेंगी अगर प्राइमाफेसाई आरोप सही होते हैं तो उसे हटाना ही नहीं और भी कार्यवाही जो होनी होगी, होगी लेकिन प्रक्रिया के अनुसार कार्य होगा उस प्रक्रिया से हटने का सवाल नहीं है।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

इससे साबित हो गया कि माननीय मुख्य मंत्री का संरक्षण प्राप्त है।

श्री अम्मार रिजवी--

इससे यह साबित हुआ कि सरकार न्याय करना चाहती है, करप्सन के खिलाफ पूरा जिहाद है और उसकी जांच करके पब्लिक के सामने सरकार पेश करना चाहती है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, पी0 यू0 सी0 के अन्डर यह आता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष --

मैंने राम सरन दास जी को बुलाया है। नियम 56 में उनका जो विषय है उस पर बोलने के लिए कहा है।

श्री विजय सिंह राणा--

मेरा सुझाव सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस पर काफी हो गया।

(व्यवधान)

इसमें जांच की बात हो गई इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

पहले उसका ट्रांसफर तो कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मेरा सुझाव है कि यह मामला पी0 यू0 सी0 के अन्डर में आता है। उसे यह मामला दे दीजिए वह कमेटी चार दिन में अपनी रिपोर्ट दे दें। अगर उसमें प्राइमरी तौर पर मामला बनता है तो उसे हटा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पान्डे--

हमारी बात भी सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसको समाप्त करें

(व्यवधान)

मैंने राम शरण दास जी को बुला लिया है।

श्री सुखपाल पान्डे--

हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

क्यों बैठें आप पढ़े-लिखे हैं आपकी बात सुन ली जाती है

(व्यवधान)

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आप सदन की भावना देख रहे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी देख रहे हैं। जब प्राइमाफेसाई रूप से आपको लगा कि आरोप गम्भीर है तो आप इससे सहमत होंगे कि बिना उसे हटाए कैसे जांच हो पाएगी। जांच से अगर वह निर्दोष साबित हो जाता है तो फिर उसे रख दीजिए हमें इसमें कोई एतराज नहीं होगा लेकिन पहले उसे वहां से हटा दीजिए। एक बार पहले भी उसने सुरेश नाम के व्यक्ति को मारा। उसमें जिसने जांच की उस अधिकारी को 64 साल की उम्र पर सलाहकार नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार के प्रलोभन तो उसके हाथ में है ही। जब आप यहां पर हमसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत लाइए तब हम कार्यवाही करेंगे तो जब हम सबूत लाते हैं तो उस पर आप कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं हैं।

फिर क्या रास्ता है, आप बतायें ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, प्राइमा फेसाई बात लगना और साबित होना, दोनों मे फर्क है । बात साबित हो जायेगी तो कार्यवाही कर दी जायेगी, इसके अतिरिक्त मुझ कुछ नहीं कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राम शरण दास ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम शरण दास--

मेरे सामने एक मजबूरी आ गई कि मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव पर कैसे बोलूं । पहले आप सदन को व्यवस्थित करें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य शांत रहें । आप लोग बैठ जायं ।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मेरे पास उस अधिकारी के खिलाफ शिकायतों का एक पुलिंदा है, वह अधिकारी बहुत भ्रष्ट है । आपके ऊपर कौन सी आफत आ गई है कि उसको आप वहां से हटा नहीं सकते हैं ?

(व्यवधान)

पहले आप उसको वहां से हटाकर दूसरे निगम में कर दें या आप अपना उसको सलाहकार बना लें । तुरन्त उसको वहां से हटायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रक्रिया के तहत कह तो रहे हैं कि हटायेंगे । तुरन्त हटाने का मैं निर्देश नहीं दे सकता हूं ।

(शोर)

श्री मंनेजर सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि यह मामला गम्भीर है । तो संदेह तो, इन्होंने मान लिया है, जांच के बाद प्रमाणित हो जाएगा तो वह तो दण्डित होगा ही आपको फिर क्या करना होगा ?

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष --

यह प्रकरण समाप्त हो गया है । आप बैठ जायं ।

श्री मंनेजर सिंह--

अभी यह प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है मैं चाहता हूं कि उसको वहां से आप हटायें, नहीं तो जांच नहीं हो पायेगी और जो जांच के लिए वहां जायेगा उसको वह प्रभावित करेगा, इसलिए उसका वहां रहना ठीक नहीं है ।

यदि संसदीय कार्य मंत्री जी को स्थानान्तरण करने में कोई कठिनाई हो तो सदन से वह समय मांग लें और मुख्य मंत्री जी से परामर्श करके उसको वहां से जल्दी से जल्दी हटायें । इस पर आप निर्णय दें ।

श्री उपाध्यक्ष —

इस पर निर्णय हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल—

उसको वहां से हटाने के लिए आप मान्यवर, सरकार को निर्देश दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैंने तो निवेदन किया, सब कुछ बता दिया । मैनेजर सिंह ने नयी बात कही कि जो भी जाएगा, उसको कुछ न कुछ करके वह अपनी ओर मिला लेगा । वह सबके लिए एक तरह की बात न करे, सब पर शक न करें । दुनियां में ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें बड़े से बड़े प्रलोभन भी अपने रास्ते से नहीं डिगा सकते हैं । इस तरह की बात सोचना सारे सिस्टम पर शकी सुबह करना है । जो विरोध पक्ष की बात थी और हरदेव जी की बात थी और जो पत्रावली यहां पर उस सम्बन्ध में आई थी । उसको देखा है, एवं जांच के आदेश दे दिए हैं और उस पर जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी और इसके अलावा न्याय के रास्ते से हटकर अन्याय नहीं किया जा सकता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

संसदीय कार्य मंत्री जी हम यह मानते हैं कि आपके सामने दबाव बहुत है, लेकिन जनतन्त्र में आपको हर शक के बारे में और हर बेइंसाफी के बारे में आपको देखना है, कार्यवाही करनी है । इस बारे में वह आपके माध्यम से अच्छी तरह से कह चुके हैं । एक मंत्री जी का लड़का लगा है या नहीं लगा है, लेकिन अब तीन-तीन जगहों-भूमि विकास बैंक और केन फेडरेशन और यहां से बात सामने आ गई है । तो कैसे हमें विश्वास हो जाए कि उसके ऊपर आपका हाथ नहीं है । मैं तो ट्रांसफर की ही बात कहता हूं, ट्रांसफर कोई सजा नहीं है, वही आप कर दें । लेकिन वह भी आप नहीं करना चाहते हैं, इससे स्पष्ट है कि कोई बात तो है, जिससे आप और आपकी सरकार उससे दबती है । उसका दबाव तो है ही, दबाव न होता तो इस सदन की बात का आप आदर करते हुए उसके विरुद्ध एक्शन अवश्य लेते और कम से कम ट्रांसफर तो कर ही देते । आप उसका ट्रांसफर अवश्य कर दें और मैं तो कहता हूं कि उसका आप यहां से किसी और बड़ी जगह पर ट्रांसफर कर दें, किसी बेहतरीन जगह पर भेज दें, वरना हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हैं और इसी तरह खड़े रहेंगे ।

श्री शत्रुद्र प्रकाश—

इनसे आप उम्मीद कर रहे हैं, यह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उससे दबे हुए हैं ।

(कई सदस्य अपने स्थानों पर शान्त खड़े रहें)

श्री बाबू राम यादव—

आप मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था हो तब तो सुनें ।

श्री राम शरण दास--

अफसर को आप जेल न भेजें तो हमें ही जेल भेज दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

उसको नहीं हटा सकते तो हम लोगों को ही आप निकाल दें । एक तो काम आप कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जांच के बाद हो जायगा, थोड़ा बहुत काम तो चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

सरकार को मैं निर्देश तो दे रहा हूं कि सरकार अपनी बात कहे और उसने अपनी बात कह दी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

रिजवी साहब हाटलाइन पर मुख्य मन्त्री से दिल्ली में बात कर लें इस पर । यह इतने डरपोक हो जायेंगे हमें पता नहीं था ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, कोई रास्ता तो आप निकालें, रोजे में हम लोगों को इस तरह तंग न करें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आपके माध्यम से इनसे अनुरोध है कि वह कृपया बैठें । यह सदन केवल दो पक्षों में बंटा नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में इसकी हैसियत अदालत है । इसलिये जो आदमी यहां मौजूद नहीं है, जिसका पक्ष यहां कोई कहने वाला नहीं है, उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिये । कोई कत्ल का भी मामला होता है, तो उसे अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है ।

जो व्यक्ति यहां पर अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत कर सकता उसके लिये न्याय होना चाहिये और मैं समझता हूं कि न्याय की प्रक्रिया माननीय सदस्यगण अपनायेंगे और जो जांच के आदेश दिये गये हैं उनको चलने दें, उसके बाद जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, वह की जायेगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया बैठ जायें और सदन की कार्यवाही चलने दें ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, हम कौन सा दुराग्रह कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि उसको आप इसी भी अच्छी पोस्ट पर भेज दें लेकिन यहां से हटा दें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा कि जांच की प्रक्रिया चलने दें उसके बाद हटा दिया जायेगा। तो पहले भी जांच की प्रक्रिया चली थी जब इन्होंने एक आदमी को पीट कर मार दिया था उस बार यह निर्दोष साबित हो गये थे। क्या मन्त्री जी चाहते हैं कि यह फिर निर्दोष साबित हो जायं इसलिये नहीं हटा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा अनुरोध है कि आप लोग आसन ग्रहण करें और आगे का काम चलने दें।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आप व्यवस्था तो दें।

(कई सदस्यों द्वारा निरन्तर खड़े रहने तथा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन को पौने तीन बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 2 बज कर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित कर दी गयी। 2 बज कर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है। तद्परान्त गणपूर्ति के अभाव में 3 मिनट विलम्ब से अर्थात् 3 बज कर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, हमारे जनपद सहारनपुर में पिछले दिनों इतनी भयंकर आग लगी कि 5-6 गांवों में कुछ नहीं रहा। हमारे जनपद के विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फराबाद के ग्राम मिर्जापुर, जहानपुर, पथरबा गोमतीपुर, नौकराप्रेट, बुधवासीद में भीषण अग्निकांड से लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी है। मान्यवर, मिर्जापुर पोल में 8 अप्रैल, 1988 से आग लगी और 15 अप्रैल, 1988 तक आग जलती रही। वहां के अधिकारियों को वहां की जनता को यह रहस्य ही नहीं मिल पा रहा है कि यह आग एक हफ्ता जलती कैसे रही। कभी एक घर में आग लगी कभी दूसरे घर में आग लगी। यही नहीं मुहल्ले के मुहल्ले तबाह हो गये। बाल्मीकियों का मुहल्ला जल गया वहां 15 तारीख को आग लगी। मैं वहां गया हूं। कुम्हारों का मुहल्ला जल गया तमाम छोटे गरीब लोगों के घर जल गये। एक बनिया परिवार का घर ऐसा जला कि उनके छोटे-छोटे बच्चे आसमान के साये में बैठे हैं उनका 25 से 30 हजार का माल जल गया।

दूसरा गांव बिहारी गढ़ क्षेत्र में था जहां पूरे का पूरा गांव जल गया है वहां हरिजन का घर था, बंजारे का घर था। वहां लोग मैदान में बैठे हैं क्योंकि वहां पर तो पेड़ भी जल गये हैं। वहां पानी का कोई साधन नहीं है। वहां ऐसी हालत हो गयी है कि कोई देख नहीं सकता है, हर आदमी को आंसू आ जाता है। हम तो 3-4

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांवों में गये थे हमारी छाती दहल गयी । मान्यवर, राहत कार्य में जो किया है उसमें कुछ लोगों को 500 से 800 रुपये तक दिया है । वहां के सब लोगों को राहत नहीं मिली है । खुद मैंने अपनी आंख से हरिजनों के छप्पर देखे हैं इसलिये शिकायत कर रहा हूं । यह सब पटवारियों के रहम पर छोड़ दिया है । मान्यवर, जो कुछ उनका तय हो जाता है तो वह राहत कार्य के लिये नाम रिकमेन्ड करते हैं तो वहां की हालत इतनी बिगड़ गयी है कि कोई भी भला आदमी नहीं देख सकता है । मान्यवर, वह ऐसा एरिया है कि वहां पथरीली पथरीली जमीन है, ट्यूबवेल है नहीं, नहरें हैं नहीं और न निजी ट्यूबवेल हैं । यह जो आग बुझने वाली इनकी गाड़ियां होती हैं पुलिस की यह पहले हर साल एक बेहट कस्बा है चकरौता रोड पर और बिहारीगढ़ रोड पर वहां गर्मी के दिनों में रहती थी ।

श्रीमन्, इस साल वह दोनों गाड़ियां वहां पर नहीं हैं । आग लगती रही, लेकिन सहारनपुर जाने के लिये और उन लोगों के पास सूचना भेजने के लिये कोई साधन न होने से गांव के गांव तबाह हो गये हैं । हरिजन, बाल्मीकि, बंजारे, कुम्हार, बढ़ई इनके घर जले हैं । लोग तबाह हो गये हैं । वहां पर आतंक सा फैल रहा है । हवा चल जाती है और उस एरिया में फूस के छप्पर हैं । टीन के लिंटर और मकान नहीं हैं । गड़रियों के छप्पर के मकान हैं । एक गांव में आग लगते ही चिंगारी दूसरे गांव में पहुंच जाती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको सहायता दें तो 500 रुपये, 800 रुपये न देकर उनको टीन मुहैय्या करावें, टीन दे देंगे तो उनकी परमानेंट सहायता हो जायेगी। उसमें वर्षों लोग रहेंगे और आग की संभावना से बच जायेंगे । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां पर राहत का कार्य करावें, तत्काल राहत कार्य करावें और वहां पर दो गाड़ियां हमेशा रहनी चाहिये, बिहारीगढ़ में और मेठ में ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, बस्ती जिले में माइनस करके अनुदान दिया जा रहा है । वहां पर अहेतुक सहायता के लिये धन नहीं है ।

*श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, 6 अप्रैल को मैंने सारे प्रदेश में अग्निकाण्ड के बारे में और विशेष रूप से उन्नाव के अग्निकाण्ड के बारे में बात उठायी थी । उस दिन माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने 6 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि जिनके घर जल गये हैं उनको 3,000 रुपया अलग से दिया जायेगा और तालाबों को भरने की व्यवस्था की जायेगी । आज 25 तारीख है, 4 या 6 अप्रैल को मामला उठाया गया था, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो राम शरण दास जी ने अग्निकाण्ड का मामला उठाया और भी तमाम लोगों ने उठाया है, यह पूरे प्रदेश का मामला है, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने जो आश्वासन दिया था, उसको पूरा करें । जो सहायता के लिये पैसा है, वह जिलों में नहीं है । उन्नाव में पैसा नहीं है । वहां पर आग लगी, 11 लोग मर गये, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ । आप इसके बारे में बता दें ।

*श्री सुखपाल पाण्डे--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बस्ती जिले में जो यह सहायता देने की बात है, वहां पर कोई पैसा नहीं है । यही नहीं वहां के अतिरिक्त जिलाधिकारी ने आदेश भेज दिया है कि 200 रुपये से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ,

अधिक न दिया जाये । हमारे क्षेत्र में एक गांव में 75 घर जल कर खाक हो गये । साठ दिन दौड़ने के बाद किसी तरह से 1,200 रुपया दिया जा सका है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बस्ती जिले की जो स्थिति है कि फूस के मकान जल गये हैं और उनको अहेतुक सहायता आज तक प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि धन नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर तत्काल धन की व्यवस्था करावें और जो आश्वासन दिया था कि एक हजार या बारह सौ रुपये एक घर को देने से वहां पर छाजन नहीं हो सकता और फूस को छवाया नहीं जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय पाण्डेय जी अब आप समाप्त करें ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

इस प्रकार से जो सहायता की धनराशि है वह वहां पहुंचायी जाय और दूसरे, जैसा कि माननीय मनोहर लाल जी ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पूर्व आश्वासन की ओर ध्यान आकृष्ट किया, उसके अनुसार शीघ्र कार्यवाही करें । बस्ती में समुचित पैसा भिजवाने का आप आश्वासन दें ।

*श्री पारसनाथ यादव—

मान्यवर, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब जवाब दें तो उसमें इसे जोड़ लेंगे । मान्यवर, जब आग लगती है, तो किसानों की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है, उनके मकान नष्ट हो जाते हैं । मान्यवर, संभवतः शासन के कोई ऐसे निर्देश हैं कि जिनकी 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनको कोई सहायता नहीं दी जायेगी । मान्यवर, जिनकी पूरी फसल खलिहान में जल गयी, खाने को कुछ नहीं बचा, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, तो क्या वे जमीन को खायेंगे ? 5 एकड़ से ज्यादा अगर किसी की जमीन है तो उसे सहायता नहीं दी जायेगी, इसका कोई औचित्य नहीं समझ में आता ? मैंने जौनपुर के एम0 डी0 एम0 और जिलाधिकारी से बात की थी इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्देश हैं, सहायता नहीं दे सकते हैं । एक तो जितना उनका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तो आप करवाते नहीं, दूसरे मानवीय आधार पर भी मिलने वाली सहायता से आप उनको वंचित कर देते हैं । मेरा कहना है कि मानवीय आधार पर उनको भी कुछ सहायता मिलनी चाहिये जिनकी 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है । इसका आप आश्वासन दें ।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय राम शरण जी ने प्रश्न उठाया, उसके बाद दूसरे सम्मानित सदस्यों ने भी अग्निकांड की घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की । मान्यवर, इधर आग लगने की जो घटनायें हैं वह ज्यादा हो रही हैं । हम आज भी देख रहे थे कि शिकायतें आयी थी कि कितनी जगहों पर आग लगी है । माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि मैंने कहा है कि 3 हजार रुपये दिये जायेंगे । मान्यवर, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त मैंने यह कहा था कि कुछ टिन की व्यवस्था या खपरैल डाल कर मकान बनाये जायें तो आग को रोका जा सकता है । जिस प्रकार से गांव में मकान बनते हैं, जरा सी कहीं आग लगने के बाद जिस तरफ हवा हुई, उस हवा के झोंके में आस-पास के मकान भी प्रभावित हो जाते हैं । मैं जिस वक्त यह बात कह रहा था, उस वक्त माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी भी मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि हडको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

आदि से लोनिंग की बात है, हम इसके अन्दर लोनिंग करायेंगे, टिन और खपरैल के मकान वह भी बनाने की व्यवस्था की जायेगी । मान्यवर, यह एक लांग टर्म पालिसी की बात है कि उसे किया जाय । कुछ न कुछ उसकी शुरुआत कर दी जायेगी, ताकि आगे चलकर आहिस्ता-आहिस्ता इस दिशा में कार्यवाही कर पूरा कर सकें । मान्यवर, सरकार के पास जो संसाधन हैं उनमें प्रायरटीज फिक्स करनी पड़ती है । उसमें देखना पड़ता है कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको कितना फायदा पहुंचाया जा सकता है । माननीय सदस्य ने कहा कि 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले लोगों को भी सहायता दी जाय । मान्यवर, यह बात सही है कि 5 एकड़ क्या अगर किसी के पास और ज्यादा भी जमीन है और पूरा खलिहान जल गया, तो उसकी साल भर की मेहनत 6 महीने की मेहनत खत्म हो जाती है । लेकिन, हमें देखना पड़ता है, जैसा कि मैंने कहा कि कम आमदनी वाले लोगों को ज्यादा सहायता करें । कुछ जिलों बस्ती, गोण्डा और सहारनपुर के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर सहायता नहीं पहुंची है या कम पहुंची है, तो सहायता भेजवायेंगे । माननीय राम शरण जी ने जिन गांवों के बारे में कहा कि पटवारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां के सम्बन्ध में आज ही जिलाधिकारी से कहेंगे और यह कहेंगे कि सहायता वहां पर भेजी जाय ।

श्री पारस नाथ यादव--

मान्यवर, जौनपुर के बारे में भी कुछ कह दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, राहत आयुक्त को निर्देश देंगे कि अन्य जिलों की स्थिति भी पूछ ली जाय, आग जहां ज्यादा लगी है, यहां पर सहायता दी जाय । माननीय पारस नाथ जी में सभी के यहां की बात कह रहा हूं । मान्यवर, मैं 58 जिलों का नाम नहीं ले रहा हूं, एक जनरल सरकुलर पूरे प्रदेश में भेजवा रहा हूं कि जो स्थिति है बिल्कुल ताजा स्थिति है उससे हमें अवगत करायें । जितना पैसा नियमानुसार दे सकते हैं उस पैसे को तुरन्त भेजा जाय । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं तकावी भी वह लोग ले सकते हैं, तकावी का प्राविधान किया गया है, उसके लिये भी अलग से आदेश आज से 15-20 दिन पहले जारी किये गये थे कि जो गांव के लोग, जिनके यहां आग लग गयी है, तकावी के लिये पैसा ले सकते हैं । जितनी संभव सहायता हो सकती है और जो हमारे सीमित साधन हैं, उनको देखते हुये सहायता दी जायेगी.... ।

श्री विजय सिंह राणा--

तकावी का ब्याज माफ करा दीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

जो दो सुझाव आये हैं 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले लोगों को सहायता देने के लिये और तकावी के ब्याज माफी के लिये । इस पर हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस पर विचार अवश्य करूंगा । राम शरण दास जी के बारे में जो बात कही गयी, उनका सम्बन्ध सहारनपुर से है और जो बात मैं कहता हूं वह उनके समझ में आ जाती है ।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में इस वर्ष शताब्दी का भयंकर अग्निकांड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

14 तारीख को गांव अतर्रा हमीरपुर, तहसील मौदहा में हुआ और वहां पर 11 दिन के बाद भी आग को बुझाया नहीं जा सका है। कई मशीनें वहां पर आग बुझाने में लगी हुयी हैं और लगभग 15 हजार की आबादी वहां पर प्रभावित हुयी है। इस अग्निकांड में चार व्यक्तियों की जानें चली गयीं और 30-40 जानवर जलकर भस्म हो गये तथा लगभग 15 करोड़ रुपये की सम्पति का नुकसान हुआ।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह वहां पर आवें और क्षेत्र में आकर राहत कार्यक्रमों का आयोजन करावें। यह कोई मामूली अग्निकांड नहीं, एक बहुत बड़ी दैवी आपदा है। मान्यवर, उस संभाग के कमिश्नर महोदय, उस जिले में गये थे, लेकिन उस गांव में देखने नहीं गये। लोग वहां पर खुली धूप में सो रहे हैं और दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं, वहां जानवरों के लिये भूसा तक नहीं है, खलिहान तक जल गये हैं। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को यह आदेश करें कि माननीय राजस्व मंत्री वहां जायें और राहत कार्यों को संचालित करने के लिये फौरन कदम उठा कर वहां के लोगों को राहत प्रदान करें जहां तक सहायता की बात है, वह काफी नहीं है। ऐसे मामलों में कानूनी बातों को छोड़कर उदारतापूर्वक सहायता दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वन विभाग को आदेश करें कि वहां पर बांस, बल्ली और जो इमारती सामान है, सब्सिडी के रेट पर उपलब्ध करायें, ताकि जो कुछ पैसा आप देने वाले हैं, उससे वह अपनी झोपड़ियों को फिर से खड़ा कर सकें। अन्यथा दूर-दूर से लकड़ी लाने में ही उन का सारा पैसा खर्च हो जायेगा। मान्यवर, वहां पर श्मशानों की बहुत कमी है। प्रदेश के हर तहसील में अग्निशमन सेवायें स्थापित की जायें, जिससे आग जल्दी बुझाई जा सके, अन्यथा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की सम्पत्ति और जानवर जलते रहेंगे। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी स्वयं कुछ ऐसा आश्वासन दें, जिससे वहां पर कुछ राहत की कार्यवाही की जा सके।

श्री अम्बार रिजवी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस मामले में मैं श्री देव कुमारजी से स्वयं परामर्श कर लूंगा, आज सदन के बाद या कल सबेरे। जैसा वह परामर्श देंगे, वैसे ही कार्यवाही की जायेगी।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, इस समय जनपद बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बांदा, आगरा तथा प्रदेश के कई अन्य इलाकों में तथा पर्वतीय अंचलों में और जो पूर्वांचल के जिले हैं, वहां पेयजल का गंभीर अभाव उत्पन्न हो गया है, जबकि अभी तो गर्मी की शुरुआत है। गर्मी की शुरुआत में ही पानी का अभाव उत्पन्न हो जाये, यह बहुत खतरनाक बात है और इसके साथ ही साथ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल सरकार ने जो घोषणा की थी, कि चापाकल लगाये जायेंगे, कुओं की खुदाई की जायेगी।

(समय 3 बज कर 29 मिनट)

अभी तक न तो कोई चापाकल लगाया गया है और न ही किसी कुंए की खुदाई की गई है। बनारस के ग्रामीण अंचलों में व शहर में पीने के पानी के लिए बच्चों को तरसना पड़ रहा है। अभी लखनऊ में 11 अप्रैल को जब जनता पार्टी ने पीने के पानी के लिए प्रदर्शन किया था 200 के लगभग लोगों को जिसमें महिलायें भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शामिल हैं, गिरफ्तार किया गया। बांदा में इस समय 2 रुपये बाल्टी पानी मिल रहा है। पर्वतीय अंचल में 7-7 व 8-8 किलोमीटर तक पीने का पानी नहीं है। पिछले साल 100 लोगों की मौत हो गई थी। यदि यही हालत रही तो मैं समझता हूं कि पीने के पानी के अभाव के कारण डेढ़ सौ से लेकर 200 व्यक्तियों की मौत हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मई, जून का महीना आने वाला है, भीषण गर्मी पड़ेगी, यदि वक्त रहते हुए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, बांदा व पर्वतीय अंचल में पीने के पानी की तत्काल व्यवस्था कराई जाय, नहीं तो हालत बहुत ही खतरनाक होने जा रहे हैं। मान्यवर, आप भी जनपद बुलन्दशहर से आते हैं, वहां से भी जो रिपोर्ट आई है, पानी का बड़ा हा-हा कार वहां पर मचा हुआ है। जो पानी दिया जा रहा है, वह इतना प्रदूषित है कि उसको पीने के बाद आदमी का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, इसलिए आप सरकार को निर्देशित करें कि पूरे प्रदेश में पीने के पानी की तुरन्त व्यवस्था कराई जाय ताकि भविष्य में पेयजल का जो खतरनाक संकट आने वाला है, उससे उबारा जा सके।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर चर्चा लगी हुई है। बाद में अपनी बात इस पर आप कह लीजियेगा। चर्चा में इसको शामिल कर लिया गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मनुष्यों के लिए पीने के पानी के सम्बन्ध में सरकार से आग्रह करके व्यवस्था कर ली जायगी, लेकिन आज तो पशुओं के लिए भी पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मेरे जिले में इस समय तो नहीं मरे हैं लेकिन पिछले साल पानी के अभाव के कारण गदहे व लोमड़ी आदि जंगली जानवर मर गये थे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं। यह सरकार की जिम्मेदारी है। अगर यह सरकार कल्याणकारी राज्य के तहत शासन चलाने की बात करती है तो इसे अभावग्रस्त इलाकों में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। 1971 की जनगणना के अनुसार जिन जिलों व इलाकों को अभावग्रस्त घोषित किया गया था, वहां पर आज तक जल निगम हैंड-पम्प नहीं लगा पाया है। अपने ही जिले में 7 हजार गांवों में से केवल ढाई हजार गांवों में हैंड-पम्प लग पाये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पीने के पानी की तत्काल व्यवस्था कराई जाय और सरकार को आप भी निर्देशित करें और इस पर आप चर्चा करायें।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, कल ही आगरा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल की समस्या पर बैठक हुई है। हैंड-पम्प लगाने के लिए वहां पर एक भी पैसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपा करके आप बैठ जायं। चर्चा में आप अपनी बात कह दीजियेगा।

*श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मथुरा राजस्थान की सीमा पर लगा हुआ है, वहां पर खारा पानी है। मनुष्यों के लिए, मवेशियों के लिए, जंगली जानवरों के लिए व पशु-पक्षियों के लिए पानी की भीषण समस्या बनी हुई है। यमुना का पानी सूख गया है। अपर गंगा कैनाल, लोअर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गंगा कैनाल व माठ ब्रांच सब बन्द पड़े हुए हैं। पानी के लिए वहां पर हा-हाकार मचा हुआ है। अभी बृन्दावन में 23 तारीख को लोगों ने इसी पानी की समस्या के लिए जुलूस निकाला था। सारा बाजार बन्द रहा। बुरी तरह से लोगों के ऊपर लाठी-चार्ज करवाया गया। कई लोगों को चोटें आईं व सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह मथुरा में रोजाना चक्का जाम हो रहा है, लोग परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है, भू-गर्भ जल का स्तर भी नीचे चला गया है। माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ताजेवाला हेड वर्क्स से यमुना नदी में पानी छोड़ दिया जाय, माठ ब्रान्च गंगा नहर अपर एवं लोअर आगरा कैनाल में पानी छोड़ दिया जाय जिससे तालाब इत्यादि भर जायं और पशु-पक्षियों को पानी मिल जाय, जानवरों-मवेशियों को पानी मिल जाय।

श्री कुशल पाल सिंह--

मान्यवर, मथुरा जनपद में सूखे के बारे में और पेयजल संकट के बारे में कहा गया। मांठ ब्रांच में जो पानी आ जाता है, वह भी बन्द होने को है। कई बार मीटिंग बुलायी गयी, लेकिन किसी भी आदेश का परिपालन नहीं हुआ है। दो महीने से जल निगम के कर्मचारियों जे0 ई0 की स्ट्राइक के कारण न हैंड पाइपों की मरम्मत का कार्य हो पा रहा है न कोई और नये हैन्डपम्पों के लगाने का कार्य हो पा रहा है, पानी का घोर संकट है। लोग कई-कई किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। मथुरा-वृन्दावन में जो लाखों तीर्थ यात्री आते हैं वह भी जनप्रतिनिधियों को गाली देते हुए जा रहे हैं कि यहां पर तो पीने का पानी भी नहीं है। मेरी मांग है कि यहां पर पानी की तत्काल व्यवस्था करायी जाय। जल निगम जे0 ई0 की स्ट्राइक समाप्त करायी जाये।

*श्री लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कोई भी दिन ऐसा नहीं है मथुरा जिले में जब कर्मचारियों और अधिकारियों का घेराव न किया जाता हो। रोजाना कहीं लाठीचार्ज होता है कहीं पकड़कर जेल भेजा जाता है। इतने मितभाषी संसदीय कार्य मन्त्री हैं, हम तो समझते थे कि और मन्त्रियों के ही यहां ढोल की पोल है, लेकिन इन्होंने भी सदन में जितने आश्वासन दिये, आज तक एक भी योजना पर काम शुरू नहीं हुआ, एक भी हण्डपम्प ठीक नहीं हुआ। सिंचाई मन्त्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि तालाबों का वेरीफिकेशन कराया जायगा, लेकिन एक भी अधिकारी तालाबों के वेरीफिकेशन के लिये चलने को तैयार नहीं है। अगले आने वाले महीने में बीसों लाख यात्री मथुरा, वृन्दावन और गोवर्धन में जाते हैं, लेकिन वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं है, सारे तालाब सूखे पड़े हैं। मेरी मांग है कि तत्काल पेयजल की व्यवस्था की जाय।

श्री मनोहर लाल--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि रमजान के महीने में 24 घंटे पानी मिलेगा। वह बात तो अलग हो गयी लेकिन इस समय पूरे प्रदेश के अन्दर चाहे उन्नाव हो, वाराणसी हो, आगरा हो, मथुरा हो गम्भीर जल संकट छाया हुआ है। कानपुर में उन्नाव में गम्भीर जल संकट है। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा तो लगी हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, इलाहाबाद में पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत् की आपूर्ति सही न होने के कारण हजारों लोग रमजान के महीने में बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को जब कि नमाज अदा होनी थी, 8 घंटे तक इलाहाबाद में बिजली नहीं रही जिससे नमाजियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो रमजान का बहाना लेकर उप चुनाव को टाल दिया लेकिन आज लाखों मुसलमान भाई पानी को तरस रहे हैं। हमारे यहां बिसाना, मदारीपुर, असावत कलां, सांभलखुर्द, दामूपुर, केसरिया तथा शहर में रसूलपुर, अटाला, दोंदीपुर, अहमदगंज, सब्जीमंडी, सिन्हाजपुर आदि मुहल्लों में पानी का गम्भीर संकट है। मेरी मांग है कि शीघ्र पानी की व्यवस्था की जाय और हमारे शहर में अटाला, रसूलपुर, सब्जी मण्डी आदि स्थानों पर सारे मुसलमान भाई समझते थे कि सरकार हमारे साथ है और हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होगा, लेकिन यही सरकार अब उनको पानी के लिये तरसा रही है। इस रमजान के महीने में मुसलमान लोग वजू करने के लिये पानी नहीं पा रहे हैं इस गम्भीर मसले पर मैं चाहता हूं कि आज आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा दें।

श्री फजलुल बारी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय गोपाल दास यादव जी ने जो बात उठाई है वह बहुत ही इम्पार्टेन्ट है। या तो पानी उपलब्ध कराओ या फिर चुनाव कराओ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस विषय पर चर्चा लगी हुई है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, बाराबंकी में लोग एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं इसका कारण यह है कि बाराबंकी नगरपालिका ने आज तक जनरेटर नहीं खरीदा है। इस साल एक रोड रोलर सेकेन्ड हैण्ड खरीद करके अपनी फिजूलखर्ची का नमूना पेश किया है। पानी के सिलसिले में अधिकारियों से मिलने-जुलने से, प्रदर्शन करने से, घेराव करने से कोई नतीजा नहीं निकला है। यह रमजान का महीना है, रोजे के समय में इतना पानी का संकट है कि रमजान में रोजा अफतारी के लिये वक्त पर आदमी को पानी नहीं नसीब होता है कि कहां से वह पानी लावे। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि बाराबंकी के पेय जल के संकट को दूर करने के लिये वहां एक जनरेटर खरीदवा दें और इस सिलसिले में वहां के जिलाधिकारी को तत्काल निर्देशित करें कि वह वहां की जनता के लिये तत्काल पानी की व्यवस्था करें।

श्री देव कुमार यादव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, बांदा में भी पानी का घोर संकट है यहां पर दो-दो और चार-चार रुपये में एक बाल्टी पानी मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय देव कुमार जी, इस पर चर्चा लगी हुई है, आप तब कह लीजियेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, अब जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि अब की पहाड़ों पर बर्फ कम गिरने से, मैदानों में बारिश कम होने से यहां का वाटर लेविल नीचे चला गया है। इसी वजह से जगह-जगह पर ट्यूबवेलों ने काम करना छोड़ दिया है, उनको अब बड़े गहरे लेबिल तक खोदना है। कई जगहों पर कुएं का पानी खुश्क हो गया है इसकी भी रिपोर्ट आयी है। जहां तक कार्य किये जाने का प्रश्न है, इस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इलाहाबाद के क्षेत्रों में टैंकर के जरिये से पानी भिजवाया जा रहा है। बांदा में भी टैंकर की व्यवस्था की गयी है। जैसा कि अभी माननीय लक्ष्मी नारायण जी ने स्वयं कहा और भी अन्य सम्मानित सदस्यों ने कहा है आगरा और मथुरा के बारे में वहां के लिये रुपया स्वीकृत हो गया है, इसमें थोड़ा समय लगेगा अभी केवल 15 दिन ही तो हुए हैं कार्यवाही को शुरू किये हुए। पूरा प्रयास किया जा रहा है ऐसी स्थिति में जब कि शताब्दी का भंयकर सूखा इस वर्ष पड़ा, दैवी आपदाओं से प्रदेश दो-चार हुआ, इस सबका कैसे सामना किया जाय ? इसमें सारी व्यवस्थायें की जा रही हैं। बनारस में भी कई जगहों के नाम आये हैं, जिन-जिन जगहों के नाम आये हैं और माननीय सदस्यों ने अभी जिन जगहों की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जहां पर पानी की समस्या महसूस की जा रही है, जहां पर जो होना चाहिये, किया जा रहा है और सभी जगहों के नामों को उसमें जोड़ा जायेगा। और आपकी उसमें विस्तृत रूप से बात हो जायेगी लेकिन इस पर इस समय ज्यादा बात नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

बनारस की रिपोर्ट भी मंगवा लें और जहां-जहां की रिपोर्ट न आयी हो उन जगहों की रिपोर्ट भी मंगा लें, यही माननीय सदस्यगण चाह रहे हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

जैसा कि माननीय गोपाल दास जी ने और माननीय सदस्य बाराबंकी ने जो सूचनाएं दी हैं कि उनके यहां पानी नहीं मिल रहा है। इसमें चाहे रोजदार हों या रोजदार न हों पानी तो हरेक के लिए जरूरी है और जिन जगहों की सूचना यहां पर दे दी गयी है और इसके अतिरिक्त भी सूचना माननीय सदस्यगण चाहते हों तो वह हमें बाद में लिखकर दे दें, हम उस सूचना को भी मंगवा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर इनको इस पानी वानी की व्यवस्था की क्या फिक्र है इन्हें अय्यासी से ही फुर्सत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

अय्यासी तो फजलुलबारी से सभी लोग सीखते हैं, क्योंकि इनसे अच्छा इस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता है।

श्री पारसनाथ यादव--

मान्यवर मैं आपका ध्यान एक ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में पेयजल की समस्या है जिसे आप स्वयं

कार्य-स्थगन के रूप में आज सुन रहे हैं। यह मान्यवर सरकार की गलत नीतियों व वायदा फरोशी का मात्र एक कारण है। यह समस्या आये दिन मान्यवर बढ़ती जा रही है ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों यह संकट भी अपनी जगह बढ़ता जा रहा है। यह पेयजल समस्या कैसे हल होगी, जबकि इस सरकार के जो हाथ-पैर हैं, जो इनके आदेशों का पालन करते हैं, वह जूनियर इन्जीनियर्स 31 मार्च से हड़ताल पर हैं, सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, पानी का प्रदेश भर में हा-हाकार मची हुयी है, जबकि इनकी मांगे वाजिब हैं दूसरों को आपने यह वेतनमान दे रखे हैं, वही वेतनमान 620 से 1100 के मूल वेतन की मांग यह कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जबकि इसी मसले को लेकर इससे पहले 17 मार्च को माननीय राज्य मंत्री नगर विकास के नेतृत्व में बैठक हुयी, जिसमें इनकी यह सारी मांगे मान ली गयीं, फिर इन लोगों ने अपनी हड़ताल को 25 मार्च तक के लिए वापस ले ले, जब 25 मार्च, तक इनकी मांगे नहीं मानी गयीं तो फिर इन्होंने 28 से हड़ताल करने की बात कही और जब सरकार अपने वायदे पर नहीं जमी तो फिर इन्होंने 31 मार्च तक से फिर अपनी बेमियादी हड़ताल कर दी है। मान्यवर, जो लोग इनके हाथ-पैर हैं और प्रदेश के एक प्रमुख अंग हैं, क्या माननीय मंत्री जी हैण्ड-पम्प लगायेंगे या माननीय मंत्री जी पानी की व्यवस्था को करेंगे तो जो इनकी वाजिब मांगे हैं और हरेक निगम को मिल भी चुकी है यह सुविधा तो इनको देने में आपको क्या ऐतराज है? इसलिए मान्यवर, मेरी मांग है कि इस ओर फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दें और आज की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराएं, यह बहुत ही अहम् मसला है।

*डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, जल निगम के जूनियर इंजीनियर्स की जो बमियादी हड़ताल चल रही है इस सम्बन्ध में जो भी बातें माननीय सदस्य ने कहीं हैं, मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता। इस सम्बन्ध में मान्यवर एक समिति गठित की गयी थी जिसमें इन्हें रु0 620 से 1100 रु0 का वेतनमान दिए जाने की बात तय हुई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन न हो पाने की वजह से यह इंजीनियर्स हड़ताल पर चले गये, अब तक पानी टंकियों से सप्लाई हो रहा था हमारे यहां बरेली में 3 टंकियां बन रही थीं और उम्मीद यह थी कि एक माह के अन्दर यह टंकियां बन जायेंगी, लेकिन इस हड़ताल की वजह से सारा काम ठप हो गया है और बिहारपुर व सिविल लाईन में कहीं पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ सरकार इस तरह की नीति अपनाए हुये है कि इन जूनियर इंजीनियर्स से बात तक नहीं कर रही है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पानी का संकट पूरे प्रदेश में है। जूनियर इन्जीनियर जो पानी के लिये कार्य करते हैं, वही इस समय हड़ताल पर हैं, काम नहीं कर रहे हैं। पम्प लगने हैं, लेकिन वह नहीं लग पा रहे हैं, जिनकी मरम्मत होनी है, वह ठीक नहीं कराये जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर सरकार की पूरी हमदर्दी है और दिनेश जौहरी जी ने कहा कि एक सब कमेटी बना दी गयी है, जो उनकी मांगों पर विचार कर रही है। जहां तक उनकी जायज मांगों का सवाल है, उनको हर समय माना जा सकता है, लेकिन जब कोई ब्लैक मेल करना चाहता है, तो सरकार उनके सामने झुकने वाली नहीं है। जब पानी की आवश्यकता है और पानी की व्यवस्था करना है, जनता को पानी की आवश्यकता है, तो उस समय हड़ताल की गयी, तो सरकार ब्लैकमेल नहीं हो सकती है, लेकिन जहां तक सही मांगों का प्रश्न है, उनके कार्यान्वयन पर सरकार हमदर्दी से विचार करेगी। इनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो जायज मांग है, उनको मानने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वह कार्य कर रहे हैं, और जिस समय कर रहे हैं, उसकी सजा पूरे प्रदेश को नहीं दी जा सकती है। यह परिपाटी शुरू हो गयी है कि जब किसी कार्य की जरूरत होती है, उससे जनता को तकलीफ होती है, तभी हड़ताल की जाती है। अगर आवश्यकता होती तो वैकल्पिक व्यवस्था की जायगी, हमें उनके साथ हमदर्दी है, जूनियर इन्जीनियरों ने जो हड़ताल किया पानी के संकट को देखते हुये उनको नहीं करना चाहिये, उनको अपने काम पर वापस आ जाना चाहिये और जनता को राहत पहुंचायें और हम उनके साथ हमदर्दी से बात करेंगे।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, जहां तक जूनियर इन्जीनियर्स की हड़ताल का प्रश्न है, सरकार झुके या आसमान में चली जाये, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो संकट है वह दूर होना चाहिये। यह हड़ताल और भी विकराल रूप धारण करने जा रही है। 28 तारीख से सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई विभाग के भी जूनियर इन्जीनियर्स इसमें शामिल होने जा रहे हैं। सरकार और इन लोगों की लड़ाई में जनता पिस रही है, इसलिये मेरा आग्रह है कि इसको तत्काल समाप्त कराया जाये और जो बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है और जो संकट आने वाला है, उसको दूर कराने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक बड़े गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश के समस्त राज कर्मचारी, शिक्षक, स्थानीय निकाय और निगमों के कर्मचारी आन्दोलित हैं, उसका कारण यह है कि पे कमेटी सरकार ने गठित की थी और उसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है और सरकार ने कहा कि उसका प्रकाशन तब होगा जब स्थानीय और निगमों के कर्मचारियों की रिपोर्ट आ जायेगी। अब उनकी भी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन सरकार ने किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है और एक बहुत बड़ी विसंगति उत्पन्न हो गयी है। राज्यपाल महोदय ने इस कमेटी का गठन करके टर्म आफ रेफरेंस बनाये और अब मेरी जानकारी में आया है कि उद्योग विभाग जो सचिव है उन्होंने वेतन आयोग को पत्र सं0 1215-18-3-88-2057-87, दिनांक 9 मार्च, 1988 को लिखा है और कहा है कि उससे अपट्रान का निकाल दिया जाये। और सचिव के कहने से वेतन समिति ने उनकी बात मान ली और उसके अनुसार सरकार को अपट्रौन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। उससे अपट्रौन और निगम के कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, उसकी घोषणा होनी चाहिये। इसलिये सरकार यह बता दे कि वह रिपोर्ट कब तक घोषित कर दी जायेगी।

मैं इस बात पर इसलिये बल दे रहा हूं कि कर्मचारियों ने संगठित रूप से आन्दोलन करने का फैसला किया है। वे तीन दिन तक सरकार के काम का बहिष्कार करने वाले हैं, उसके लिये वे तिथि की घोषणा भी करने वाले हैं। रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जायेगी तो वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे। निगमों के और सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का प्रभाव यह होगा कि सम्पूर्ण प्रदेश का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार समय रहते अपनी नीति की घोषणा करे। जब सरकार ने स्वयं इस बात की घोषणा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है हमारी मांग पर कि कर्मचारी दुखी हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है इसीलिये वह ये कमेटी बनायी गई है। सरकार ने घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के वेतनमान एक होने चाहिये लेकिन उसके निर्धारण की क्या प्रक्रिया होगी, इसीलिये यह वेतन समिति गठित की गई थी। इसलिये सरकार वेतन समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित करे, उसकी अनुशंसाओं को लागू करे और आप आज का कार्य रोक कर इस विषय पर चर्चा करा दें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सरकार की जो नीति है, वह जब राज्य कर्मचारियों से समझौता हुआ था उस समय यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई थी। उसमें परिवर्तन की कोई बात नहीं है। लेकिन माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने किसी पत्र का हवाला दिया है। उसको हम देखेंगे। उन्होंने कहा है कि किसी विभाग अपट्रौन को इससे अलग किया है। इसे हम देख लेंगे। लेकिन जो समझौता राज्य सरकार के कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में हुआ है उसके अनुसार ही यह किया जायेगा। जहां तक राज्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है हम लोगों की कितनी हमदर्दी है वह इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है और पूरी हमदर्दी के साथ उसको माना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप यह बता दें कि कब तक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जायेगी। कर्मचारियों की यह मुख्य मांग है कि कब तक यह रिपोर्ट प्रकाशित हो जायेगी और उसके क्रियान्वयन की क्या तिथि है। यह सदन भी उस रिपोर्ट को प्राप्त करने का हक रखता है। वह रिपोर्ट कब-सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि अब समय बहुत हो गया है।

श्री बदन सिंह--

मेरे यहां दूध देने वाली एक हजार भैंसे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसको कल दे दीजिये।

(व्यवधान)

वर्मा जी अब बैठ जायं।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

श्रीमन्, जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल के सम्बन्ध में मैंने माननीय सदस्यों की भावनाओं को सुना और समझा। जल निगम और जल संस्थान के जूनियर इंजीनियर मुझसे मिले थे दो-ढाई महीने पहले। उन्होंने मुझसे अपने वेतन की बात कही थी। शासन स्तर में इसकी चर्चा हुयी और यह तय हुआ कि जिस समय वेतन निर्धारण

किया जायेगा, वेतन समिति की रिपोर्ट आने के बाद उनके वेतन में जो विसंगतियां रह गई हैं उसको सुधारा जायेगा । अन्य निगमों के जो जूनियर इंजीनियर हैं उनके समकक्ष ही उनका वेतन कर दिया जायगा । यह बात हो गयी थी और जूनियर इंजीनियरों को यह बात बता दी गई थी । उनसे हमने कहा भी था कि आप अपनी हड़ताल वापस लो और उन्होंने हड़ताल न करने की बात भी हमें बतायी थी कि हड़ताल नहीं होगी । फिर वे पुनः बिना किसी सूचना के हड़ताल पर चले गये । अब और कौन सी स्पष्ट बात उन्हें बतायी जायेगी ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

सरकार उनके सामने कमजोर है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सरकार जनता के सामने कमजोर है क्योंकि वह जनता के द्वारा गठित होती है । जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल अवैध है । उनके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती है । जब उनसे कहा गया कि वेतन समिति की रिपोर्ट में कोई विसंगति होगी तो उसमें सुधार किया जायेगा तो फिर हड़ताल करने का कोई औचित्य नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, हमारे उन्नाव का एक मसला है ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, हमारी भी बात एक मिनट सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बदन सिंह जी कल दे दीजिये ।

श्री मित्रसेन--

मेरा एक अनुरोध है, कल ले लें कोई परेशानी नहीं है । लेकिन एक निर्देश दे दें कल उनको प्रायोरिटी पर ले लिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

लिख कर देना होगा

(व्यवधान)

कल ले लेंगे ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

जल निगम के बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया जो भ्रामक है । जल निगम के जूनियर इंजीनियरों के सम्बन्ध में 84 में एक बात हुयी कि उनको अन्य निगमों के समान मान लिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, यह रिकार्ड में आ जाय कि उन्होंने हड़ताल की सूचना दी है। कहा गया कि वेतनमान स्वीकार नहीं किये गये तो हम 31 मार्च से हड़ताल पर जायेंगे। सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है हठवादिता अपनाये हैं इस कारण हड़ताल हुयी है जिससे आम जनता परेशान है पानी का संकट खड़ा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

जरा सुन लें। श्री राम शरण दास की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, श्री देव कुमार यादव की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री कुशल पाल सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री मुश्तमंद अली खां तथा इसी में श्री गोपाल दास यादव का भी सम्मिलित है की चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं। श्री पारस नाथ यादव, डा० दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री किशन लाल श्री अवनीश कुमार सिंह की सूचना पर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, का ध्यान आकर्षित करता हूं, श्री जमुना प्रसाद बोस की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, श्री फजलुल बारी की सूचना पर ध्यान आकर्षित करता हूं। श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री राज किशोर सिंह, श्री राम सजीवन, श्री मित्रसेन की सूचना पर ध्यान आकर्षित करता हूं, श्री मनोहर लाल की सूचना पर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका कल होगा। मनोहर लाल जी आपकी सूचना पर ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री विजय सिंह राणा--

ध्यान आकर्षण में आप क्या अपेक्षा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

उसके लिये 28 तारीख को मीटिंग बुलाई है

(व्यवधान के मध्य)

पाण्डे जी कल होगा। शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं। मित्रसेन जी आप बैठें सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है। जो रह गयी है कल ले आयें।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

नियम 56 की बाकी सूचना का क्या किया जिनको नहीं सुना।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा कि कल दोबारा दे दें ।

श्री मित्र सेन--

जिनको नहीं सुना उनको कल प्रायोरिटी पर लेने की बात कही है ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने अभी कृपा करके यह कहा था कि जो सूचनायें बची हैं उन्हें कल लिखकर देना पड़ेगा और तब ले ली जायेंगी । यह व्यवस्था आपकी हो गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कल दोबारा दे दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

उस व्यवस्था के बाद भी जिसको नहीं सुना उन पर भी कुछ निर्देश आपने दे दिया, इस तरह की बात आपकी पीठ से होगी, आपसे निवेदन है आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं देना चाहता हूं बल्कि आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करता हूं, लेकिन कभी-कभी हमारे अन्दर फीलिंग होती है कि जिस पर आज चर्चा लगी थी उस पर 12-14 लोगों को आपने सुना और जिस पर चर्चा नहीं लगी थी उन पर एक बार निर्देश दिया कि कल लिखकर दे दें ले लिया जायेगा । फिर श्री जमुना प्रसाद बोस ने सूचना दिया जिस पर बिना सुने ही निर्देश दे दिया, तो लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इससे हमारी भावनाओं को आघात लगता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया तो वह हमारा विवेक है, इसलिये आप चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जिस पर चर्चा लगी थी उस पर आपने दर्जनों को सुन लिया तो वह किस नियम के अन्तर्गत आपने सुना, क्या आप नियम के ऊपर हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

नियमों के ऊपर नहीं हूं, लेकिन मैंने आपकी भावनाओं का आदर करते हुये सुना ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[+ + +]

तो हमने भी तय किया है कि हम नहीं बैठेंगे अन्यथा आप निर्देश दें ।

नोट--[+++] यह अंश उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नाराज न हों । उन लोगों की भावनाओं को जिन पर चर्चा लगी थी उनमें जुड़ जायेंगे इसलिए एक-एक मिनट उनके आग्रह पर सुन लिया तो कौन नियम के विरुद्ध काम हो गया ? आप कहते हैं कि आपको सुना नहीं जाता है तो यह आरोप ठीक नहीं है । जैसे कि श्री बदन सिंह से कहा कि कल आप कह लें ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो कहा है वह सही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह भी आपके ही साथी हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

नियमों से आप चलें, नियम सभी पर लागू होंगे । मेरे साथ आज भेदभाव किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे मन में कोई बात ऐसी नहीं नहीं है कि आपका या उनका अनादर करूं । सदन को चलाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्री मित्रसेन के कहने पर आपने व्यवस्था दे दिया कि हम सुनने के लिए बाध्य नहीं हैं, इसलिए. . .। जब आप एक बार यह कहते हैं कि जो सूचना आज नहीं सुनी गई, उसे कल लिखकर देंगे तो ले ली जाएगी । मैंने उस पर कहा था कि इतना कर दें कि उस पर आप प्राथमिकता दे दें, तो आपने कहा "हां" । फिर उसके बाद दूसरी व्यवस्था आने लगी । इसके लिए आप कार्यवाही निकाल कर देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कुछ कहा होगा, तब कहा होगा मैंने । मैंने तो कहा है सुनूंगा, कल सुनूंगा । यह मैंने कहां मना किया है और हमेशा हम सुनते हैं । यह कोई नई बात थोड़े हो रही है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985, उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (निरसन) विधेयक, 1987 तथा उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम् प्रतिवेदन से सम्बन्धित मद स0 14 से मद सं0 19 तक का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 14, 15, 16, 17, 18 व 19 स्थगित किये जाते हैं । मद संख्या 14 से 17 तक 26 अप्रैल, 1988 के लिए स्थगित किये जाते हैं और मद संख्या 18 व 19, 27 अप्रैल, 1988 के लिए स्थगित किये जाते हैं ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री मोहम्मद सोउद को कुख्यात तस्कर गुलाम ख्वाजा द्वारा विष देकर हत्या किये जाने विषयक सूचना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

अब मद संख्या 20....

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 9 जनवरी, 1988 को डा0 वाहिद खां....

श्री खान गुफरान जाहिदी--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाए ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

[निवासी ग्राम वरगी, थाना खेतासराय, जनपद जौनपुर द्वारा थाना खेतासराय में गुलाम ख्वाजा, निवासी खेतासराय, जनपद जौनपुर व उसकी पुत्री एवं पत्नी के विरुद्ध मोहम्मद सउद, एडवोकेट द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की एक लिखित सूचना दी गई कि उक्त लोगों ने चाय और पान में जहर देकर मोहम्मद सउद की हत्या का प्रयास किया है । इस सूचना पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 328 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष, खेतासराय द्वारा प्रारम्भ की गई । विवेचना से गुलाम ख्वाजा और एडवोकेट मोहम्मद सउद के मध्य एक जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद होना पाया गया । इस सम्बन्ध में चकबन्दी न्यायालय में एक मुकदमा भी विचाराधीन है । अब तक की गई विवेचना से जहर देने सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं । मोहम्मद सउद के पेट की धोवन रासायनिक जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0 प्र0, लखनऊ भेजी गई है । जिला चिकित्सालय, जौनपुर में मोहम्मद सउद बराबर होश में तथा बात करने में समर्थ रहे । उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी है । थाना खेतासराय, जौनपुर के अभिलेखों में गुलाम ख्वाजा के तस्करी में लिप्त होने की कोई सूचना अंकित नहीं है और न ही उसके विरुद्ध इस आशय की कोई शिकायत ही प्राप्त हुयी है ।

अभियोग की विवेचना प्रचलित है । रासायनिक जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव है । इस मामले में पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये हैं ।]

*श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, यह एक तस्करी से सम्बन्धित मामला है जिसके सिलसिले में मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कह दिया कि तस्करी की कोई शिकायत नहीं है । मान्यवर, जितना तस्करी का काम हो रहा है । वह सब पुलिस की मदद से और उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जरिये से हो रहा है । अभी हमारे गोंडा जनपद में ऐसा ही हुआ है। लाखों रुपये की रोज पुलिस तस्करी करा रही है, उसके एक आदमी को मार डाला और मंत्री जी ने इसमें यह कह दिया कि थाना खेतासराय, जौनपुर के अभिलेखों में गुलाम ख्वाजा के तस्करी में लिप्त होने की कोई सूचना अंकित नहीं है । आज पुलिस ही तस्करी करा रही है, जिसमें देश का अरबों रुपया जा रहा है, लाखों रुपये के रेवेन्यु का लास देश को हो रहा है, इसके लिए तस्करों के साथ इनको पुलिस भी बराबर की दोषी है, तो मैं मन्त्री जी से पूछता हूं कि क्या गुलाम ख्वाजा के विरुद्ध तस्करी और फ्राड का कोई मामला जौनपुर की किसी अदालत में चला है अथवा नहीं ; या कोई शिकायत दर्ज है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मेरे संज्ञान में कोई ऐसा मुकदमा नहीं चला ।

श्री फजलुल बारी--

मेरी जानकारी को सही मानते हुये, क्योंकि उसी जौनपुर में पिछले वर्ष 1987 में 4 लाख 46 हजार रुपये का कैश पकड़ा गया था, जिस पर फरार का मुकदमा वहीं पर दर्ज हुआ इसके अलावा लाखों रुपयों के इलेक्ट्रानिक्स के सामान और पालियस्टर के कपड़े वगैरह पकड़े गये जिसमें गुलाम ख्वाजा के खानदान के लोगों पर मुकदमा चला जिसमें सऊद इनके वकील थे । तो क्या गुलाम ख्वाजा के खानदान के लोगों पर मुकदमे चलाने की जानकारी मंत्री जी को है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, गुलाम ख्वाजा और मुहम्मद सऊद के बीच जमीन के विवाद के कारण मुकदमेबाजी चलती रही है । मान्यवर, जहर देने की बात सत्य नहीं पाई गई । चूंकि मोहम्मद सऊद और गुलाम ख्वाजा के बीच जमीन का विवाद चल रहा है इसलिए मान्यवर, यह सब बातें बनावटी चल रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है जहां पर जहर देना पाया गया हो ।

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए :)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मंत्री जी ने वक्तव्य में बताया है कि विसरा जांच के लिए भेजा गया है उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है । तो उसके पहले मंत्री जी किस आधार पर एलान कर रहे हैं कि जहर नहीं दिया गया है । उसकी विसरा को एनालिसिस के लिए लखनऊ भेजा गया है, जब तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है तो कैसे कह रहे हैं कि जहर देने का मामला नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जब यह अस्पताल में दाखिल हुए तो जैसा कि नोटिस में कहा गया है कि इनकी हालत बहुत खराब थी तो वैसा कुछ नहीं पाया गया । पर डाक्टरों ने जो जांच की तो इनकी पल्स नार्मल थी, ब्लड प्रेशर नार्मल था । अच्छी खासी बात कर रहे थे कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, जब तक विसरा की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यह कैसे कहा जा सकता है कि यह जहर खुरानी का मामला नहीं था । अगर विसरा की जांच रिपोर्ट आई है तो वह क्या है ?

श्री अधिष्ठाता--

बयान में स्वतः लिखा है कि रासायनिक जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, जो पुलिस ने समझा दिया है वही बात कह रहे हैं । क्या पूरे प्रकरण की जांच मंत्री जी किसी दूसरी एजेंसी से कराने की कृपा करेंगे किस आधार पर मंत्री जी कह रहे हैं कि जहर नहीं दिया गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, यह बहुत साफ मामला है । किसी उलझे हुये मामले को दूसरी एजेंसी को देने की आवश्यकता होती है । मैंने निवेदन किया कि जो डाक्टर की रिपोर्ट है, प्राइमाफेसी के आधार पर दिखायी देता है कि जहर देने का मामला नहीं है, जहर देने के कोई सिम्टम नहीं पाये गये ।

एट दि टाइम आफ एडमीशन पेशेन्ट वाज कानशस, पलस वाज 114/एम0 टी0 बी0 पी0 128/86 एम0 एम0 एच0 जी0, डीहाईड्रेशन वाज प्रजेन्ट । चेस्ट । एबडोमन सेयर नार्मल, पेशेन्ट वाज टाकिंग रीलेवेन्टली । हिज जनरल कन्डीशन वाज केयर ।

मान्यवर, मैं, इस आधार पर कह रहा हूं कि इस आधार पर प्रथम दृष्टतया जहर देने का मामला नहीं लगता । घर गये हैं, बीबी बच्ची के बीच बैठकर चाय पी है । अच्छी खासी बातें कर रहे हैं तो जहर देने की बात कहां बनती है ।

जनपद जौनपुर के थाना मुगरा बादशाहपुर में दिनांक 26 मार्च, 1987 को मकदमा अ0सं0 74/87 अन्तर्गत धारा 364 भा0 दं0 वि0 को विवेचनाधिकारी द्वारा धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

प्राप्त सूचनानुसार श्री राजपति पटेल, निवासी ग्राम कमालपुर, थाना मुगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर ।

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

[निवासी ग्राम कमालपुर, थाना, मुगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर के भट्ठे पर कार्यरत श्री मिठाई लाल के कथित अपहरण/हत्या के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा श्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

राजपति पटेल को अपराध के अन्तर्गत धारा 364/302/201 भा0 दं0 वि0 में झूठा फंसाकर दिनांक 30-6-87 को आरोप-पत्र प्रेषित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस मामले का कथित मृतक मिठाई लाल दिनांक 11-11-87 को न्यायालय प्रथम, अति0 सत्र न्यायाधीश जनपद जौनपुर में उपस्थित हुआ। जिसे थाना लाइन बाजार, जौनपुर की पुलिस द्वारा दिनांक 12-11-87 को डाक्टरी परीक्षण के उपरान्त उसके पिता श्री विशुन पटेल को सुपुर्द कर दिया गया।

प्राप्त सूचनानुसार माननीय विधायक श्री सरजू प्रसाद सरोज के पत्र दिनांक 23-4-87 के आधार पर पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा इस मामले के चेक-अप के आदेश दिए गए थे तथा इस मामले की जांच की प्रगति आख्या तीस दिन में मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया था किन्तु इस मामले की गम्भीरता एवं स्थानीय पुलिस की भूमिका की संदिग्धता को देखते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की जांच द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा को दिनांक 16-2-88 को सौंप दी गयी है।

सम्प्रति इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग की जांच प्रचलित है तथा इस अभियोग के तथाकथित मृतक मिठाई लाल के जीवित होने एवं उपलब्ध होने की स्थिति में नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रेषित करने के औचित्य एवं सही रूप से विवेचना न किये जाने के लिए दोषी पुलिस जनों की भूमिका व दायित्व की जांच की जा रही है।

यह कहना सही नहीं है कि शासन को दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कोई प्रगति आख्या प्राप्त हो गयी है। अपराध अनुसंधान विभाग की जांच पूर्ण हो जाने के उपरान्त दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सम्प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये हैं।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के संबंध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता कि अन्तिम विवेचक महिमा प्रताप राव ने एस0 पी0, सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 के के दिनांक 27-4-87 के रेडियोग्राम आदेश को भलीभांति जानने के बाद भी बिना अतिरिक्त साक्ष्य जुटाये हुये दिनांक 30-6-87 को षडयंत्रपूर्ण ढंग के झूठा हत्या का आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया, जब कि यह स्पष्ट निर्देश थे कि जब तक सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 का चेक-अप पूरा न हो जाय, तब तक न ही फाइनल रिपोर्ट और न ही चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जायगी। लेकिन इस निदेश का स्पष्ट उल्लंघन करने से बावजूद उसे अभी तक निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इसमें इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर कर दिया गया है। पुलिसजनों का क्या उत्तरदायित्व रहा है, इसकी जांच अभी चल रही है, इनके कंडक्ट के बारे में जैसे ही जांच आख्या आ जायेगी, वैसे ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, इसमें देख लें आप कि इतना महत्वपूर्ण मामला है, एस0 पी0, सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 ने आदेश दिया था कि जब तक सी0 आई0 डी0 का चेक-अप न हो जाय, न चार्जशीट और न ही फाइनल रिपोर्ट लगाई जायेगी। इसके बावजूद धारा 302 के अन्तर्गत चार्जशीट लगा कर न्यायालय में सबमिट कर देना, एक सुपरियर आफीसर

के निर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन का गम्भीर मामला है, पुलिस जैसे अनुशासित बल में इस प्रकार की अनुशासनहीनता करके चार्जशीट दाखिल करना एक गम्भीर अपराध है, इसके बावजूद सस्पेन्ड न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इसमें स्वयं इन्सपेक्टर ने संबंधित अदालत में दरख्वास्त दिया कि चूंकि इसमें से सी0 आई0 डी0 जांच चल रही है, इसलिए इसकी आगे की कार्यवाही रोक दी जाये। यह इन्सपेक्टर ने लिखकर स्वयं अदालत में प्रार्थना किया है।

श्री पारस नाथ यादव--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो वक्तव्य आपने दिया है, उसमें सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 की अंतरिम रिपोर्ट में पुलिस के चरित्र को संदिग्ध पाया गया है। मान्यवर, डी0 जी0 पी0 ने एक आदेश दे दिया और उनके आदेश की स्पष्ट अवहेलना की गयी। इससे मान्यवर, पुलिस का चरित्र संदिग्ध दिखाई देता है। जब सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 की स्पष्ट रिपोर्ट आ गयी है, तो इन्सपेक्टर को ससपेंड न करने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 की अन्तिम रिपोर्ट अभी शासन को उपलब्ध नहीं हुई है। मैं सम्मानित सदस्य को, सम्मानित सदन को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इसमें किसी भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जायेगा। जो बिन्दु उठाया है, उसके बारे में शासन को अभी तक इस तरह की कोई जांच आख्या उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास महत्वपूर्ण विभाग है और इनके पास महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। मान्यवर, जिनके मट्ठे पर गायब होना दिखाया जाता है, वहां पर कोई ऐसा मट्ठा है ही नहीं। जिस व्यक्ति की हत्या दिखाई गयी, वह व्यक्ति अदालत में आकर समर्पण करता है कि मैं जिन्दा हूं।

मान्यवर, इतना साफ मामला झूठा बनाया गया और लोगों को 11 महीने तक जेल में रखा गया और इस जांच का प्रभाव हुआ कि उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने जांच के लिए रोक दिया कि सी0 आई0 डी0 चेकअप के बाद फाइनल रिपोर्ट लगायी जाय। इतने स्पष्ट सवाल के बाद इतने स्पष्ट मामले में माननीय मंत्री जी और शासन स्वयं इस बात से संतुष्ट होगा कि इस मामले में पुलिस ने ज्यादती की है और दण्ड के भागी हैं। उसके बाद उस दारोगा को निलम्बित न करना उसको नौकरी से बर्खास्त न करना, कोई कार्यवाही न करना सिर्फ सी0 आई0 डी0 की जांच का बहाना लेकर सच्चाई को छिपाना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा प्रदेश की जनता का शासन पर विश्वास बना रहे इसलिए इतने छोटे दारोगा जैसे पुलिस कर्मी के अपराध को न छिपावें और न उसका पक्षपात करें।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस दारोगा को निलम्बित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अधिष्ठाता--

मेरे ख्याल से इसमें वह कह चुके हैं ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, उत्तर दिलवाइये ।

श्री अधिष्ठाता--

किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता ।

प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों को काफी दिनों से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाये ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)--

[विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों को काफी दिनों से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जन-स्वास्थ्य रक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं अपितु स्वयं सेवक हैं जिन्हें तीन माह का प्रशिक्षण देकर ग्रामों में सेवा के लिये भेजा जाता है । जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण काल में 200 रु0 प्रति माह की दर से तथा उसके पश्चात् 50 रु0 प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाता है ।

2--जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत प्रति एक हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक जन-स्वास्थ्य रक्षक के रखे जाने का प्राविधान है । वर्तमान में 85,220 जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यरत हैं । वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा इस योजना की विवेचना की गयी और यह निर्णय लिया गया कि पुरुष जन स्वास्थ्य रक्षकों के स्थान पर महिला जन-स्वास्थ्य रक्षकों को रखा जाय तथा 1 जुलाई, 1986 से पुरुष जन-स्वास्थ्य रक्षकों को मानदेय एवं औषधि पेटिकाओं की आपूर्ति न की जाय । भारत सरकार के उक्त निदेशानुसार 1 जुलाई, 1986 से पुरुष जन-स्वास्थ्य रक्षकों को मानदेय एवं औषधि पेटिकाओं की आपूर्ति बन्द कर दी गयी ।

3--भारत सरकार के उक्त निर्णय के विरोध में कतिपय जन स्वास्थ्य रक्षक न्यायालय की शरण में चले गये । इसी दौरान माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में यह आदेश पारित किये कि किसी भी जन-स्वास्थ्य रक्षक को सेवा से पृथक् न किया जाय । उक्त निर्णय की पृष्ठ भूमि में भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिये कि जन स्वास्थ्य रक्षकों को, जो कि कार्य से हटा दिये गये हैं, पुनः वापस ले लिया जाय । भारत सरकार के उक्त आदेशों के अनुपालन में दिसम्बर, 1986 से हटाये गये जन स्वास्थ्य रक्षकों को पुनः मानदेय दिए जाने के सम्बन्ध

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में आदेश जारी किये गये । इस प्रकार 1 जुलाई, 1980 से नवम्बर, 1986 तक के बकाया मानदेय के भुगतान का प्रकरण भारत सरकार/राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

4--भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षक योजना की उपर्युक्त विवेचना एवं पुनर्विचार के कारण जन स्वास्थ्य रक्षकों को वर्ष 1987-88 के मानदेय के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में राज्य के आय-व्ययक में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं करायी जा सकी, जिसके कारण 1 अप्रैल, 1987 से जन-स्वास्थ्य रक्षकों को उनके मानदेय का भुगतान नहीं कराया जा सका । अब दिनांक 30 मार्च, 1988 को जन स्वास्थ्य रक्षकों के 1 अप्रैल, 1987 से 31 मार्च, 1988 तक के बकाया मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में जन-स्वास्थ्य रक्षकों को मानदेय के भुगतान हेतु रु0 5,46,00,000 का प्राविधान भी करा दिया गया है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, गुप्ता जी तो हैं नहीं ।

श्री लोक पति त्रिपाठी--

शाही जी बैठे हैं उनकी रूचि है ।

श्री विजय सिंह राणा--

यह रुचि का नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो नियम 51 में है, छोड़िये ।

जनपद उन्नाव में पुलिस की निष्क्रियता से होली के अवसर पर वर्गीय एवं खूनी संघर्षों में दो सौ लोगों के घायल होने आदि की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद उन्नाव में होली त्यौहार से सम्बन्धित कोई अप्रिय घटना अथवा वर्गीय संघर्ष होना नहीं पाया गया । तथापि जनपद उन्नाव के कतिपय थानों के अन्तर्गत कुछ घटनायें घटित हुई हैं जो आपसी मारपीट एवं दुर्घटना से सम्बन्धित होना पायी गई हैं । जिनके सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :

थाना फतेहपुर चौरासी के अन्तर्गत ग्राम फकीरे खेड़ा में श्री परमसुख एवं चन्द्रपाल आदि के मध्य खेत में नहर से सिंचाई के मामले को लेकर मारपीट में परमसुख, राज बहादुर व अन्य 7 को चोटें आयी जिनका इलाज जिला अस्पताल में कराया गया । मामले में दिनांक 4 मार्च, 1988 को मुकदमा अ0 सं0-35/88 धारा 307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हो कर विवेचना प्रचलित है ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय ।

ग्राम गोपाल खेड़ा में खेत से चना उखाड़ने के मामले को लेकर पुत्तो लोध आदि ने देवी चमार एवं उसके लड़के को मारा-पीटा जिस पर थाना फतेहपुर चौरासी में दिनांक 3 मार्च, 1988 को अहस्तक्षेपीय अभियोग अन्तर्गत धारा 323 भा0 दं0 वि0 हरिजन बनाम सवर्ण पंजीकृत किया गया। देवी वा बाबू को गोलियों से चोट आना नहीं पाया गया।

ग्राम सेंता, थाना फतेहपुर चौरासी निवासी जमील खां के गोलियों से घायल न होने बल्कि दिनांक 5 मार्च, 1988 को मोटर साइकिल से दुर्घटनाग्रस्त होकर जिला अस्पताल में अपना उपचार कराये जाने की पुष्टि हुई है।

थाना कोतवाली क्षेत्र में ग्राम मौनी खेड़ा में दिनांक 4 मार्च, 1988 को लुल्ली व सुरेन्द्र को आपस में लड़ाई झगड़ा एवं फौजदारी पर आमादा होने पर पुलिस द्वारा उन्हें धारा 151/107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। दिनांक 4 मार्च, 1988 को हुसैन नगर निवासी श्री बीरपाल यादव की सूचना पर कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध अहस्तक्षेपीय अभियोग अन्तर्गत धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। राम सुमेर नामक किसी व्यक्ति द्वारा थाना कोतवाली पर कोई सूचना पंजीकृत कराया जाना नहीं पाया गया और न ही थाने से किसी मामले में डॉक्टरी कराई गई।

दिनांक 5 मार्च, 1988 को थाना अचलगंज के अन्तर्गत ग्राम बन्थर में गया बख्श सिंह द्वारा शराब की दुकान न खोलने व शराब न देने के मामले को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस सम्बन्ध में गया बख्श सिंह की सूचना पर थाने पर मुकदमा अपराध सं0 47/88, धारा 147/148/149/307 भा0 दं0 वि0 एवं श्री शिव लखन सिंह की सूचना पर मुकदमा अ0 सं0 47ए/88 धारा 147/323 भा0 वि0 पंजीकृत हुआ। अपराध संख्या 47 में श्री लल्लू सिंह, धरमपाल सिंह, राम बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह व दिनेश को चोटें आयीं जबकि अपराध संख्या 47ए में शिव लखन व छोटे लाल व शंकर को लाठियों की चोटें आयीं। उक्त मुकदमों की विवेचना प्रचलित है।

दिनांक 5 मार्च, 1988 को श्री बच्चू निवासी खम्बार खेड़ा थाना अचलगंज द्वारा कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध प्रार्थी, उसके पुत्र मुनेश्वर व बलराम को मारने पीटने की सूचना थाना अचलगंज पर दिये जाने पर अहस्तक्षेपीय अभियोग अन्तर्गत धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। दिनांक 5 मार्च, 1988 को ही श्री राम निवास खम्बारखेड़ा ने जमीन के विवाद को लेकर मुनेश्वर, शिवराम आदि द्वारा गालियां देने एवं लाठियों से मारने के फलस्वरूप राम निवास, चन्द्र शेखर, लल्लन को चोटें आने के सम्बन्ध में मुकदमा अ0 सं0 48/88 धारा 147/323/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया जिसकी विवेचना प्रचलित है।

श्री धनी राम निवासी दौलतपुर के स्कूटर दुर्घटना में घायल हो कर अस्पताल में भर्ती होने की बात प्रकाश में आयी है। इस सम्बन्ध में थाने पर कोई सूचना अंकित होना नहीं पायी गई।

दिनांक 4 मार्च, 1988 को ग्राम रऊकरना, थाना माखी निवासी सुन्दर एवं मक्खा लाल आदि में पानी सिंचाई सम्बन्धी विवाद को लेकर मारपीट हुई जिसमें सुन्दर को चोटें आयीं। इस सम्बन्ध में अपराध संख्या 29/88 धारा 325/323/504 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हो कर विवेचना प्रचलित है।

दिनांक 5 मार्च, 1988 को थाना माखी के अन्तर्गत रूऊकरना में मकान बटवारा सम्बन्धी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट होने तथा राम स्वरूप, उसकी पत्नी सुन्दारा एवं पिता गजोधर को चोटें आने के सम्बन्ध में अहस्तक्षेपीय अभियोग अन्तर्गत धारा 323/504 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया ।

दिनांक 5 मार्च, 1988 को रजपाल, निवासी रूपऊ, थाना माखी को कैलाश व कमलेश द्वारा मारने पीटने के सम्बन्ध में अहस्तक्षेपीय अभियोग अन्तर्गत धारा 323/504 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ । बाद में दोनों पक्षों में सुलह हो जाना पाया गया ।

दिनांक 4 मार्च, 1988 को ग्राम रैनापुर में दो पक्षों के मध्य जमीन सम्बन्धी विवाद पर झगड़ा हुआ जिसमें दोनों पक्षों को धारा 151 भा0 दं0 संहिता में गिरफ्तार करके उनका धारा 107/116 दं प्र0 सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया । उक्त घटना के सम्बन्ध में घायल हुये गया प्रसाद, राम चरन व रज्जू की चोटों का इलाज जिला अस्पताल में किया गया ।

दिनांक 4 मार्च, 1988 को श्री रज्जन लाल, निवासी केसरी खेड़ा, थाना अजगंन एवं धनीराम आदि के बीच जमीन सम्बन्धी विवाद को लेकर मारपीट व गाली-गलौज हुई । इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध अहस्तक्षेपीय अभियोग पंजीकृत कराया गया । पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के व्यक्तियों को धारा 151 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार करके उनका चालान किया गया । घटना में घायल रज्जन लाल का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया ।

थाना औराल के ग्राम धरकटा निवासी श्री मुनेश की भाभी द्वारा श्री विश्राम के विरुद्ध पंजीकृत कराये गये मुकदमा अ0 सं0 23/88 धारा 354/323 भा0 दं0 वि0 के सिलसिले में मुनेश की साधारण चोटें आयीं, जिसका इलाज जिला अस्पताल में कराया गया ।

दिनांक 4 मार्च, 1988 को ग्राम नदौली में गोबर गैस प्लांट के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें राम स्वरूप व उसके लड़के को मामूली चोटें आयीं जिसका इलाज जिला अस्पताल में कराया गया । मामले में जांचोपरान्त पुलिस द्वारा धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की रिपोर्ट दिनांक 8 मार्च, 1988 को न्यायालय प्रेषित की गई ।

दिनांक 4 मार्च, 1988 को थाना पुरवा के ग्राम मंगल खेड़ा निवासी मेड़ी लाल ने कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध प्रार्थी को लाठी से मारने की सूचना दर्ज कराई, जिसपर अहस्तक्षेपीय अपराध अन्तर्गत धारा 323 पंजीकृत हुआ । मेड़ीलाल का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया जिसे साधारण चोटें थीं ।

दिनांक 4 मार्च, 1988 को थाना गंगाघाट के ग्राम पोनी निवासी बच्चू लाल ने कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध उसे लाठी डण्डों से मारने-पीटने एवं गाली देने की सूचना दी, जिस पर अहस्तक्षेपीय अभियोग अन्तर्गत धारा 323/504 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट होता है कि जनपद उन्नाव में होली त्योहार के अवसर पर पुलिस की सतर्कता के परिणामस्वरूप होली त्योहार को लेकर कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई । जो भी घटनायें हुई हैं वे साधारण मारपीट आदि की होना पाई गई हैं । यह कहना सही नहीं है कि होली के अवसर पर जनपद की पुलिस गृह मन्त्री के यहां होली मनाने में व्यस्त रही । जनपद पुलिस उक्त अवसर पर अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में चुस्ती से कार्यरत रहीं । जांच से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि जनपद में होली के अवसर पर घटित कथित वर्गीय एवं खूनी संघर्षों में दो सौ लोग घायल हुये, 60 अस्पताल में भर्ती तथा दो दर्जन व्यक्तियों की हालत चिंताजनक है ।

जांच से जनपद में भय, आतंक व आक्रोश व्याप्त होने तथा किसी गम्भीर घटना के घटित होने की सम्भावना नहीं पायी गयी बल्कि जनपद में शान्ति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है ।]

*श्री मनोहर लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप उस दिन भी चेयर पर थे जिस दिन यह मामला आया था और आगे के लिए पोस्टपोन हो गया था और आज भी जब यह मामला आया है तो आप हैं यह बड़ा सौभाग्य है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि आपका उन्नाव से बड़ा लगाव है और लगाव के कारण ही आपने उस दिन दिलचस्पी दिखाई थी । म चाहता हूं कि वैसे ही संरक्षण आज भी मिले । मान्यवर, जो वक्तव्य माननीय मन्त्री जी ने दिया है, माननीय गृह मन्त्री होते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन वह तो पी0 एम0 ड्यूटी में लगा दिये गये हैं, वह कानपुर में लगे हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप सवाल पूछिए ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एक तो वक्तव्य जो आपने पहले दिया था गृह राज्य मन्त्री जी ने, उसमें आपने स्वीकार किया था कि होली के अवसर पर जो झगड़ा हुआ है उसमें 63 लोग घायल हुए हैं जिनकी चिकित्सा वगैरह हुई है । तो 63 लोग इस होली के अवसर पर यानि 4-5 तारीख के बीच में पूरे उन्नाव जनपद के अन्दर घायल हुए जिनकी दवा चिकित्सा की गयी अस्पताल के अन्दर और आज मान्यवर, जो वक्तव्य आपने दिया है उस वक्तव्य में आपने साफ कह दिया कि वहां पर कोई आदमी घायल ही नहीं हुआ । यह जो आपने 3 पन्ने का दिया है जिसको पढ़ा हुआ मान लिया गया है । इसको अगर आप देखें तो कहीं पर जिक्र ही नहीं किया गया है । तो पहले जो वक्तव्य दिया था उसमें आपने स्वीकार किया था लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही डकार गये हैं और कह दिया कि होली के अवसर पर कहीं कोई झगड़ा नही हुआ । मान्यवर, जो मैंने घटना बताई थी कि उन्नाव जनपद में कुल 13 थाने हैं उनमें से 7 थानों में झगड़ा हुआ । यह झगड़ा होली के अवसर पर या होली के दूसरे दिन हुआ । आपने कहा कि कोई भी झगड़ा होली से सम्बन्धित नहीं था । आपका मकसद यह था कि होली को लेकर या होली को जलाने को लेकर या किसको मानते हैं कि होली से सम्बन्धित झगड़ा माना जाय । होली के दिन जो झगड़ा हो रहा है ...

(समय 4 बज कर 20 मिनट पर)

मान्यवर, आज होली है, आज झगड़ा हुआ तो हम मानते हैं कि झगड़ा होली से सम्बन्धित है । आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कोई झगड़ा नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सवाल पूछें ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, जो पहले वक्तव्य दिया था, जो स्थगित हुआ था, इस शर्त पर स्थगित किया गया था कि पूरी रिपोर्ट नहीं दी गयी है । आज 3 पन्ने की रिपोर्ट दी लेकिन अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मन्त्री जी से जानना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि जितने थानों में झगड़े हुये, होली के दिन हुए, यह बताने की कृपा करेंगे ? दूसरे कहा कि होली के दिन अमन चैन कायम रहा और न्याय व्यवस्था कायम रही । मेरे पास तमाम पेपर्स की कटिंग हैं । उन्नाव में पुलिस की निष्क्रियता . . .

श्री अधिष्ठाता--

इनका कहना है कि पहले आपने जो बयान दिया था उसमें कहा था कि 63 आदमी घायल हुए थे, लेकिन आज उसको स्वीकार नहीं किया ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर समझ का अन्तर है । कहने की मंशा यह है कि जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा, वह घटनाएं होली से सम्बन्धित नहीं थी । हुई होली के मौके पर, लेकिन होली के कारण नहीं हुई । जैसे कहीं पर नहर से पानी लेने पर झगड़ा हुआ । कहीं पर मोटर साइकिल दुर्घटना में चोट लग गयी, कहीं पर खेत से चना उखाड़ने पर झगड़ा हुआ तो कहीं पर पुरानी रंजिश के कारण झगड़ा हुआ । इस तरह से व्यक्तिगत कारणों से कई झगड़े हुए । हुए होली के अवसर पर, लेकिन होली के कारण नहीं हुए । होली से सम्बन्धित नहीं हुए । आम तरीके से जो झगड़े होते हैं, उसी तरह से हुए । जो उस दिन जब आप पीठ पर विराजमान थे, करीब 18 घटनाओं के बारे में पूछा था उन 18 घटनाओं का विवरण आज मैंने जवाब में लिखा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बताया, पहला वक्तव्य था कि 66 वारदातें होली के अवसर पर हुई, अब कहते हैं कि होली के अवसर पर कोई वारदात नहीं हुई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी का पहला वक्तव्य झूठा था या श्रीमन् यह वक्तव्य झूठा है । दोनो में से कौन सा वक्तव्य सही है । श्रीमन् आप भी समझ रहे होंगे मेरा निवेदन आपसे यह है कि क्या इस वक्तव्य को संशोधित वक्तव्य कहें । एक बात करवायें । या तो इस वक्तव्य को संशोधित वक्तव्य कहें वरना यह बतावें कि आपकी पहले वाली सूचना झूठी है या यह ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए मैं इस सवाल की इजाजत नहीं देता । मेरा यह फर्ज है कि उनकी बात साफ-साफ आपको बताऊं और आपके सवाल उनको बताऊं । उनका कहना है कि केसेज हुए । जितने लिस्टेड हैं, इत्तफाक से होली के समय हुए, लेकिन होली से सम्बन्धित या उस पर आधारित नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

श्रीमन्, आप उनकी मदद कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, यह तो कहना पड़ेगा कि वक्तव्य संशोधित कर रहे हैं । आप पिछली कार्यवाही देख लें । आपने स्पष्ट कहा था कि होली के अवसर पर 66 झगड़े हुए थे । मैं जानना चाहता हूं कि होली . . .।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, होली के अवसर पर झगड़े हुए, आज भी कह रहा हूं, लेकिन होली के कारण नहीं हुए। किसी ने जैसे होली के कारण रंग डाल दिया और आपने उसको पत्थर मार दिया तो यह झगड़ा होली के कारण माना जायगा।

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद में कुल कितने थाने हैं और उनमें से कितने थानों में होली के 2-3-4 दिनों में कुल कितनी घटनाएं हुई ? मान्यवर, हमारे पूछने का आशय यह था कि, इस सूचना के देने का आशय यह था कि उसका कोई कारण रहा होगा। कोई सदस्य जो यहां पर सूचना देता है चाहे नियम 51 में दे या नियम 56 में दे, उसमें अन्तर्निहित उद्देश्य होता है। उसमें कुछ न कुछ कारण अन्तर्निहित होता है। माननीय मनोहर लाल जी ने जो सवाल उठाया है, उसमें इस बात का खुलासा है कि घटनायें होली के अवसर पर घटित हुई। अब चाहे मकान का बटवारा रहा हो, सिंचाई की बात रही हो या नहर की बात रही हो या अन्य कोई बात रही हो या शराब की दुकान खुलने की बात रही हो, वहां होली के अवसर पर झगड़े हुए हैं। माननीय गृह राज्य मन्त्री जी ने भी इसे स्वयं स्वीकार किया है घटनायें घटी। माननीय मनोहर लाल जी ने 7 थाने गिनाये थे जहां झगड़े हुए थे। माननीय मन्त्री जी ने 9 थाने बताये हैं, जहां सूचनायें हुई हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप स्पष्टीकरण कर लें।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। मान्यवर, 9 थानों में 1-1 थाने ऐसे हैं, जिनमें 2-2, 3-3, 4-4 घटनायें दर्ज हुई हैं। माननीय मन्त्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि होली के अवसर पर यह घटनायें हुई। होली के 3-4 दिन के अन्दर यह घटनायें घटी, चाहे किसी विषय को लेकर घटना हुई हो। होली जैसे अवसर पर तो यह अपेक्षा की जाती है कि पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क रहेगा और सक्रियता दिखाकर किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होने दी जायेगी। होली, ईद, मोहर्रम यह ऐसे त्यौहार हैं, जिन में कोई मामूली सी घटना भयंकर वर्गीय संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। ऐसे त्यौहारों पर तो अपेक्षा की जाती है पुलिस से और जिला प्रशासन से कि जनधन की सुरक्षा के लिये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे अवसर पर किसी प्रकार की घटनायें घटित न होने दी जाये। यह जो घटनायें घटित हुई इससे सिद्ध होता है कि पुलिस प्रशासन वहां निष्क्रिय रहा उसकी सक्रियता न होने के कारण ही यह सब घटनायें हुई। ऐसी भयंकर घटनाओं के परिपेक्ष्य में वहां के एस0 एस0 पी0 को वहां से हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जो घटनायें घटित हुई, उसमें ज्यादातर तो ऐसी हैं, जो नान-कांग्नी-जेबिल आफेंस हैं, अहस्तक्षेपीय हैं। 18 घटनाओं में से 13-14 तो 323/504/506 की हैं। ब्रीच आफ पीस की एक-दो घटनायें हैं। किसी ने झापड़ मार दिया, ईंट मार दी, मारपीट हुई है चोटें भी 323 तक की हैं। होली के अवसर पर थोड़ा बहुत हो भी जाता है। इसी मजाक में भी बात गर्मी में आ जाती है। माननीय राणा जी कह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे थे कि ऐसे भयंकर मामले हो गये होली के अवसर पर पुलिस प्रशासन सक्रिय नहीं था, वहां का। मान्यवर, वहां कोई वर्गीय संघर्ष या कोई बड़ी बात हुई ही नहीं। मान्यवर, यह जो सब मामले हैं, इन सब में कार्यवाही हो रही है और होगी। अगर कहीं कोई बड़ी घटना हुई है और उसे कम करके दिखाया गया है, तो उसकी बाबत माननीय सदस्य बतायें। मान्यवर, अस्पताल में 63 लोग दाखिल किये गये थे। पुलिस द्वारा इनजर्ड 23 लोग दाखिल किये गये। मान्यवर, यह जो कहा जा रहा है कि 200 घटनायें घटित हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की बात गलत है।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मेरा मकसद यह नहीं था कि मैं यह सरकार को बताऊं कि होली के अवसर पर कितने झगड़े हुये ? मेरा मकसद तो यह था कि होली जैसे सेन्सटिव त्योहार पर, वहां की पुलिस निष्क्रिय थी। मैंने नियम 51 के अन्दर भी जो सूचना दी थी, उसमें भी यही लिखा था कि उन्नाव जनपद में पुलिस की निष्क्रियता से दो सौ लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह था कि जो सरकार है, प्रशासन है, वह यह साबित कर रहे हैं कि यह झगड़े होली से सम्बन्धित नहीं हैं और मैं साबित कर रहा हूं कि यह झगड़े होली के अवसर पर हुये। अधिष्ठाता महोदय, अब जबकि यह बात साबित हो गयी कि होली के दिन हो, चाहे ईद का दिन हो या बकरीद हो, ऐसे सेन्सटिव त्योहारों पर पुलिस को सक्रिय रहना चाहिये। इसी तरह 4 तारीख को गृह मन्त्री ने कहा था कि प्रदेश में आतंकवादी नहीं हैं और उसके अगले ही दिन कांग्रेसी विधायक कत्याल को मार दिया गया। हम गृह राज्य मन्त्री से यह कहना चाहते हैं कि वहां के जो एस0 एस0 पी0 हैं, वह जब बदायूं में थे, तो उनके खिलाफ तमाम चार्जेज लगे थे लेकिन गृह राज्य मन्त्री ने उनको अपने जनपद में बुला लिया और ऐसे में 9 थानों में झगड़ा हो जाये, यह कोई ठीक बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि होली के दिन या दीवाली के दिन अगर कोई बच्चा जन्म ले लें, तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होली की वजह से हुआ, या दीवाली की वजह से हुआ। यह तो चांस की बात है कि उस दिन होली पड़ गयी। माननीय मनोहर लाल जी का कोई बच्चा होली के दिन जन्म ले लें, तो यह होली के कारण हुआ तो नहीं कहा जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा--

स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बड़े तरीके से अपने बच्चे को समझाया, लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता--

मेरा ख्याल है कि समय समाप्त हो गया है, इसे समाप्त करें।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, अगर मन्त्री जी के यहां 15 अगस्त या 26 जनवरी को लड़का पैदा हो जाये, तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि महात्मा गांधी पैदा हो गये हैं। मेरा कहने का मतलब तो यह था कि होली के अवसर पर, अगर कोई झगड़ा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि सरकार निष्क्रिय है और वहां की पुलिस निष्क्रिय है। जबकि ऐसे अवसरों पर अलग से आदेश दिये जाते हैं, कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय रहे।

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह राज्य मन्त्री अपने दोनों वक्तव्यों को देखते हुये क्या कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे, जिससे उन्नाव जनपद के अन्दर जो पुलिस निष्क्रिय हो गयी है, उसको सक्रिय किया जा सके और अपराधों को कम किया जा सके ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, सरकार का सदैव यही प्रयास रहता है और मैं निश्चित तौर से चाहता हूं कि आपकी भावना का पालन किया जाये और कार्यवाही सुनिश्चित हो ।

महात्मा गांधी डिग्री कालेज, सम्भल, मुरादाबाद में उर्दू, हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षायें खोलने की इजाजत न मिलने से छात्रों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

[1--माननीय सदस्य ने सम्भल, मुरादाबाद के महात्मा गांधी डिग्री कालेज में छात्रों के आन्दोलनरत होने के कारण एम0 ए0 स्तर पर हिन्दी व उर्दू की कक्षायें खोलने की मांग की है ।

2--प्रदेश के कालेजों को स्नातकोत्तर स्तर की अस्थायी सम्बद्धता हेतु क्लियरेन्स प्रदान करने हेतु शासन द्वारा सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का गठन किया गया है और उक्त बोर्ड की संस्तुति पर ही शासन द्वारा कुलाधिपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त अनुमति प्रदान की जाती है ।

3--स्नातक स्तर के महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकरण करने हेतु शासन द्वारा निम्नांकित मानक निर्धारित हैं :--

(क) स्नातक स्तर के समस्त विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुये 5 वर्ष बीत चुके हों ।

(ख) विगत पांच वर्षों का परीक्षा फल अविच्छिन्न रूप से उच्च कोटि का रहा हो तथा महाविद्यालय में परीक्षा संचालन विश्वविद्यालय के नियमानुसार होता रहा हो ।

(ग) विकास की दृष्टि से महाविद्यालय वायबिल हो अर्थात् छात्रों की न्यूनतम संख्या केवल कला संकाय होने पर महिला महाविद्यालय की दशा में 250 तथा सहशिक्षा की दशा में 450, दो संकाय होने पर महिला महाविद्यालयों में 350, सहशिक्षा महाविद्यालयों में 550, दो से अधिक संकाय

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

होने पर महिला महाविद्यालय की दशा में 400 तथा सहशिक्षा महाविद्यालय की दशा में 700 से कम न हो। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं से सम्बन्धित आवर्तक व्यय न्यूनतम रूप में क्रमशः रु0 15 तथा 60 प्रति छात्र की दर से व्यय किया जा रहा हो।

(घ) महाविद्यालय में उच्च शैक्षिक उपलब्धियों वाले शिक्षक नियुक्त किये गये हों जिनके शोध कार्य का स्तर उत्तम हो और वे प्रार्थित विषय में शोध कार्यक्रमों को संचालित करने में भली-भांति सक्षम हों।

(ङ) कला, वाणिज्य, शिक्षा तथा विधि संकाय की दशा में न्यूनतम 25 छात्र और विज्ञान संकाय में न्यूनतम 15 छात्र प्रार्थित स्नातकोत्तर विषय की कक्षा के लिए उपलब्ध हों।

(च) प्रार्थित स्नातकोत्तर विषय के लिए व्याख्यान कक्ष तथा पृथक् शिक्षक कक्ष और प्रयोगात्मक विषयों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भवन की व्यवस्था कर ली गई हो तथा]

(छ) पुस्तकालय और प्रयोगशाला के सम्बन्ध में स्नातकोत्तर स्तर के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानक की पूर्ति कर ली गई हो और इसके अतिरिक्त विश्व-विद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति करने में प्रबन्धतंत्र समर्थ हो।

4--प्रश्नगत महाविद्यालय स्नातक स्तर का है अतः स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकरण हेतु इस कालेज के प्रकरण पर सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की बैठक दिनांक 30 अप्रैल, 1985 में विचार किया गया था किन्तु इस कालेज की कुल छात्र संख्या 319 अर्थात् निर्धारित मानक के अनुसार 450 से कम होने के कारण प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। बोर्ड की मीटिंग दिनांक 15 मई, 1986 में पुनः इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और छात्र संख्या मानक से कम होने के कारण प्रस्ताव पुनः अस्वीकृत कर दिया गया।

5--उक्त बोर्ड की मीटिंग दिनांक 22 दिसम्बर, 1987 में पुनः इस प्रकरण पर अन्य 21 महाविद्यालयों के उच्चीकरण के प्रकरणों सहित विचार किया गया। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों एवम् महाविद्यालयों में लागू हो जाने के उपरान्त इस बात की समीक्षा की जाय कि इसका पोस्ट ग्रेजुएट इनरोलमेन्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके उपरान्त ही औचित्य पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उच्चीकरण के प्रस्तावों पर भविष्य में सहमति दी जाय। सम्प्रति उच्चीकरण के सभी 22 महाविद्यालयों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की बोर्ड ने संस्तुति की है। वैसे भी इस महाविद्यालय की छात्र संख्या महाविद्यालय की सूचनानुसार 329 है जो कि निर्धारित मानक से कम है इस दृष्टि से भी महाविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकरण का औचित्य नहीं पाया गया।

6--सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की संस्तुति पर मुरादाबाद में हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज मुरादाबाद को एम0 ए0 उर्दू एवं हिन्दी दोनों में अस्थायी सम्बद्धता हेतु क्लियरेन्स प्रदान की जा चुकी है और कालेज को उक्त विषय में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जा चुकी है। अतः मुरादाबाद में एम0 ए0 उर्दू में शिक्षण की अनुमति शासन द्वारा उक्त महाविद्यालय के मानक के अनुसार अर्ह होने पर दी जा चुकी है।]

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सम्भल में महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज सन् 1971 में कायम हुआ है और जैसा कि इन्होंने शर्तें बताई हैं कि स्नातक स्तर के

समस्त विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुए 5 वर्ष बीत चुके हों, यह शर्त वहां पर पूरी हो चुकी है। दूसरी शर्त जो विगत पांच वर्षों के उच्चकोटि के परीक्षाफल के बारे में है, पिछले पांच वर्षों के कालेज का रिजल्ट मेरे पास है। यानी वर्ष 1982 में 75.65 प्रतिशत वर्ष 1983 में 94.54 प्रतिशत, वर्ष 1984 में 87.61 प्रतिशत वर्ष 1985 में 81.42 प्रतिशत, वर्ष 1986 में 85.58 प्रतिशत, वर्ष 1987 में 86.87 प्रतिशत परीक्षाफल रहा है। इस प्रकार यह शर्त भी पूरी है और तीसरी शर्त जो है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज में को एजुकेशन है अगर उसमें पोस्टग्रेजुएट क्लासेज खोलने की जरूरत पड़े तो उसके लिए 450 छात्रों की स्ट्रेन्थ चाहिए लेकिन हमारे इस डिग्री कालेज में 329 छात्र हैं।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य में यदि आपको कोई बात ऐसी लग रही हो जो आपके हिसाब से सही नहीं है तो उसे आधार मानकर आप प्रश्न करें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारी सारी शर्तें पूरी हैं केवल एक शर्त छात्रों की स्ट्रेन्थ की पूरी नहीं है। सम्भल, जिसकी आबादी डेढ़ लाख से भी ज्यादा है और तालीमी इतबार से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हम एम0 ए0 में उर्दू व हिन्दी क्लासेज खोलना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 3-4 साल से उर्दू के लिए 71 हजार रुपये जमा हैं और हिन्दी के लिए 45 हजार रुपये जमा हैं, बुक्स पूरी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाविद्यालय खोलने के लिए अगर छात्रों की संख्या का मानक अनिवार्य अंग है, जिसकी पूर्ति के बिना पोस्ट ग्रेजुयेट क्लासेज नहीं खोले जा सकते हैं तो फिर उर्दू शिक्षा के विकास एवम् विस्तार संबंधी सरकारी नीति, आश्वासन तथा माननीय प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शिक्षा के संबंध में जो परियोजनायें हैं, उनका महत्व क्या है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, परम आदरणीय बर्क साहब ने जो बात कही नियम पढ़े और खुद ही उन्होंने कहा कि तीसरी जो शर्त है, वह पूरी नहीं है, इसलिए विकास की दृष्टि से वाइएबिल नहीं है। छात्र पूरे नहीं हैं। क्योंकि यहां पर उच्चीकरण का मामला था स्नातक से स्नातकोत्तर खोले जाने का मामला था। 30 अप्रैल, 1985 में सोशल सर्विस इनवेस्टमेंट बोर्ड की बैठक हुई तब आपके पास 319 विद्यार्थी थे, 15 मई, 1986 को फिर अस्वीकृत हो गया, उसके बाद 22 दिसम्बर, 1987 को 21 महाविद्यालयों के साथ-साथ आपके मामले पर भी गौर किया गया, बोर्ड ने फिर इसे अस्वीकार कर दिया। श्री बर्क साहब ने यह फर्माया कि घोषणा कर देते हैं, उर्दू की मदद की बहुत बात करते हैं। मैं उन्हें बतला दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही बसीह नजरिया रखती है। बी0 ए0 में अन्य विषयों जैसे हिन्दी, अंग्रेजी आदि विषय को खोलने के लिए 25 छात्र की जरूरत होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी छूट दे रखी है कि उर्दू विषय खोलने के लिए केवल 15 छात्र चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि 15 छात्र उर्दू में होने पर बी0 ए0 में मान्यता मिलती है। दूसरा यह है कि बाकी सब मामलों में तो उत्तर प्रदेश शासन में प्रपोजल भेजना पड़ेगा लेकिन उर्दू के मामले में यह है कि सीधे कुलाधिपति जी को भेज दीजिये। इतनी बड़ी छूट दे रखी है, इतना बसीह नजरिया है हमारा। इस पर भी अगर

आप कहें कि तंग नजरी है, तो इतनी उम्मीद नहीं है आपसे । आप कहें कि सम्भल में ऐसी कोई सहूलियत नहीं है तो यह बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद जिले में हिन्दी में एम0 ए0 6 कालेजों में है, उर्दू में 2 कालेजों में है, सम्भल वहां से ज्यादा दूर भी नहीं है, 35-36 कि0 मी0 लगाया होगा । मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं है ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े ही यतीम भाव से अपना वक्तव्य पढ़ा और उत्तर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि जो मानक आपने निर्धारित किया कि छात्र संख्या कम से कम 450 हो और जिस विषय में मान्यता लेनी हो, उसमें 25 छात्र कम से कम हों तब आप मान्यता देंगे । इस प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र हैं और शिक्षा का अभाव है, तो क्या जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं उन्हें शिक्षा सुलभ हो सके, इसको देखते हुए मानक में ढील देने की व्यवस्था करेंगे ? मांगा सम्भल, आपने वक्तव्य में दे दिया कि मुरादाबाद, मुरादाबाद में एम0 ए0 हिन्दी और उर्दू दोनों की संख्या दी है तो छात्र संख्या क्या है, यह भी बता दें ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

जो माननीय माता प्रसाद जी ने कहा कि नियमों को शिथिल करेंगे, वह तो मैंने सुना ही दिया कि उर्दू के लिये तो शिथिलता दे रखी है । हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज में 15 मई, 1986 को दिया है, उसमें ज्यादा छात्र संख्या है, इसीलिये दिया है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

छात्र संख्या क्या है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज में जब दिया था, 492 छात्र संख्या थी ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मैं माननीय मंत्री जी से इस आधार पर कि सम्भल अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर 75 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं, वहां शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है चूंकि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि क्या महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज, सम्भल में उर्दू व हिन्दी एम0 ए0 पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की परमीशन दिलाने की कृपा करेंगे और क्या इसमें ढील देकर इस बात को कराया जायेगा ताकि सम्भल जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है उसके छात्रों को शिक्षा हो सके ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जनाब बर्क साहब ने जो फरमाया है उनकी चिन्ता सही है । इसमें हम यह कहना चाहते हैं जितने अधिक से अधिक सुविधा उर्दू के लिये हम दे सकते थे, वह दी गयी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी संख्या में महाविद्यालय नानवायबिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(अर्थ अक्षम) चल रहे हैं। शिथिलता जो हम दे सकते थे, वह दी गयी है। अब महा शिथिलता की बात करने का उनको हक है जिसके लिये मान्यवर, मैंने बतलाया कि उर्दू को बहुत सुविधा है। उर्दू जुबान सीखने के लिये बड़ी समझदारी चाहिये। जो छात्र हैं हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज में वह इसे पढ़ रहे हैं, "समझना नहीं है इसका हंसी खेल यारों। कि आती है उर्दू जुबां आते-आते"।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

"मेरी बर्बादियों पर मुस्कराओं न चमन वालो,

गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है"

श्री अधिष्ठाता--

अब जो प्रश्न था उसका उत्तर आ गया है और शेर का भी जवाब हो गया है। अब बर्क साहब आप बैठें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, मेरी गुजारिश है कि सम्भल जैसी जगह पर यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की परमिशन नहीं देते हैं तो यह आपकी तंगनजरी है और आप वहां की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लालफीता शाही के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार द्वारिका प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेनीपुर, जनपद फैजाबाद से सम्बन्धित.....

श्री अधिष्ठाता--

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

[वर्ष 1978 की हाईस्कूल परीक्षा के पंजीकृत 73 छात्रों में से 39 छात्र उत्तीर्ण हुये थे तथा 33 छात्र फेल थे एवं 01 छात्र अनुपस्थित था। उत्तीर्ण 25 छात्रों के परीक्षाफल परीक्षा शुल्क अप्राप्त होने के कारण रोके गये थे। उनमें से 14 छात्रों के प्रमाण-पत्र पूर्व में ही परिषद् के पत्रांक : मा0 शि0 प0/सत्रह/हाई-1620, दिनांक 13 जून, 1984 रजिस्टर्ड पार्सल संख्या 011, दिनांक 18 जून, 1984 द्वारा प्रधानाचार्य को भेज दिये गये थे तथा 24 उत्तीर्ण छात्रों के परीक्षाफल दिनांक 19 अप्रैल, 1988 को घोषित कर उनके प्रमाण-पत्र परिषद् पत्रांक : मा0 शि0 प0/33/हाई/238-88-89, दिनांक 20 अप्रैल, 1988 रजिस्टर्ड पार्सल संख्या 1115, दिनांक 20 अप्रैल, 1988 द्वारा प्रधानाचार्य द्वारिका प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेनीपुर, फैजाबाद को भेज दिये गये हैं। अब केवल एक छात्र अनुक्रमांक 245472 का

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परीक्षाफल निर्धारित शुल्क जमा न होने के कारण अभी भी रुका है और जिसके कारण प्रमाण–पत्र भेजना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

(2) इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पोस्ट मास्टर जी0 पी0 ओ0, लखनऊ को परिषद् कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक : सत्यापन/30/16/86–87/572, दिनांक 21 अप्रैल, 1988 तथा पत्रांक : सत्यापन/30/1097/83–84/266, दिनांक 16 अप्रैल, 1988 द्वारा अन्तरिम उत्तर भेजा गया कि प्रकरण में जांच चल रही है और उसके उपरान्त उन्हें शीघ्र अवगत कराया जायेगा । यह ज्ञातव्य है कि डाकपाल जी0 पी0 ओ0, लखनऊ से संदर्भित प्रकरण में केवल दिनांकित 21 मार्च, 1984, 25 नवम्बर, 1986, 20 मई, 1987, 27 अगस्त, 1987, 6 अक्तूबर, 1987, 5 जनवरी, 1988 तथा 28 जनवरी, 1988 के पत्र प्राप्त हुये । इन सन्दर्भों का सम्बन्ध परीक्षार्थी शेषमणि, अनुक्रमांक 245524 के हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के सत्यापन से है और इसी प्रसंग में परिषद् ने प्रधानाचार्य, द्वारिका प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेनीपुर, फैजाबाद को वर्ष 1978 में परिषद् के कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक : परीक्षा (क)/14/848, दिनांक 14 जुलाई, 1978 को फोटो स्टेट की मूल प्रति मंगाने हेतु निम्न रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किये :

1––रजिस्टर्ड पत्रांक : मा0 शि0 प0/हाईस्कूल परीक्षा/3266, दिनांक 29 अक्तूबर, 1985 ।

2––रजिस्टर्ड पत्रांक : मा0 शि0 प0/हाईस्कूल परीक्षा/3686, दिनांक 24 फरवरी, 1986 ।

3––रजिस्टर्ड पत्रांक : मा0 शि0 प0/हाईस्कूल परीक्षा/5, दिनांक 1 अप्रैल, 1987 ।

4––रजिस्टर्ड पत्रांक : मा0 शि0 प0/हाईस्कूल परीक्षा/123, दिनांक 6 मई, 1987 ।

5––रजिस्टर्ड पत्रांक : मा0 शि0 प0/हाईस्कूल परीक्षा/979, दिनांक 28 अक्तूबर, 1987 ।

6––रजिस्टर्ड पत्रांक : मा0 शि0 प0/हाईस्कूल परीक्षा/1216, दिनांक 13 दिसम्बर, 1987 ।

7––रजिस्टर्ड पत्रांक : मा0 शि0 प0/हाईस्कूल परीक्षा/14, दिनांक 7 अप्रैल, 1988 ।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य को इस सन्दर्भ में ही दिनांक 14 अक्तूबर, 1986, 21 मार्च, 1987 और दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 को तार भी भेजे गये ।

परन्तु दिनांक 14 अप्रैल, 1988 तक प्रधानाचार्य से उत्तर एवं मूल प्रति प्राप्त न होने के कारण विशेष वाहक भेज कर स्पष्ट एवं मूल प्रति प्रधानाचार्य, द्वारिका प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेनीपुर, फैजाबाद से मंगायी गयी, जिसके आधार पर परीक्षाफल घोषित कर 24 परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्र विद्यालय को भेज दिये गये हैं, जिसमें से परीक्षार्थी शेषमणि का प्रमाण–पत्र भी सम्मिलित है ।

(3) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । जब तक परीक्षार्थी अथवा विद्यालय द्वारा वांछित औपचारिकतायें

पूर्ण नहीं कर दी जातीं, तब तक प्रमाण-पत्र निर्गत करना नियमानुसार सम्भव नहीं हो पाता है। अतः लालफीता शाही अथवा भ्रष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता।

(4) यह उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से सन् 1923 से अब तक कई करोड़ छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं, जिनके सत्यापन हेतु सन्दर्भ विभिन्न राज्यों एवं सेवायोजन कार्यालयों से प्राप्त होते रहे हैं और होते रहते हैं। ऐसे सन्दर्भों के निस्तारण में विलम्ब तो हो सकता है परन्तु ऐसा नहीं है कि उनका उत्तर ही न दिया जाता हो। परिषद् स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रतिबन्ध यह है कि नियमानुसार निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी जाय।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सम्बन्धित कालेज से 11 जुलाई, 1978 के पत्र की जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् से गया था, उसकी फोटो स्टेट कापी मांगी थी, इसलिये सम्बन्धित छात्रों का परीक्षाफल नहीं आ सका। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को मानती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् को अपने ही पत्रों की फोटो स्टेट कापी दूसरी जगह से मांगनी पड़ती है। क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद् में जो भी अभिलेख मेन्टेन होते हैं, वहां उसकी अपने पत्र की प्रति नहीं मिली ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, मद संख्या 25 पर जो आइटम है इसमें लिखा है केवल वक्तव्य के लिये, लेकिन जो यह मामला है जिसको परम आदरणीय तिवारी जी ने उठाया है यह इंगलिश विषय के बारे में है यह विषय वहां अमान्य था। कुछ लड़के परीक्षा में बैठ गये थे लेकिन उस समय बोर्ड ने छात्रों के हित को ध्यान में रख कर उनसे कह रखा था कि छात्रों को तकलीफ न हो। तो अतिरिक्त शुल्क देकर वह इस परीक्षा में बैठ जायं। इसके लिये 24 छात्रों ने अतिरिक्त परीक्षा शुल्क जमा किया था और केवल एक छात्र ने परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया था जिसका रोल नं0 था 245472। मैं इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि इस बोर्ड ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने अपना इतना बड़ा कार्य का बैक-लाग पूरा किया है। मैं उसकी कुछ फीगर्स देना चाहूंगा, हालांकि माननीय तिवारी जी की चिन्ता जो है वह बहुत ही अपनी जगह पर सही है और जो बात उन्होंने कही है, मैं उससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं लेकिन साथ ही एक बात मैं और भी उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा। हो सकता है उससे इनकी दया दृष्टि शायद मुझ पर हो जाये कि कितना बैक-लाग इन सर्टीफिकेट्स का था....

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न केवल इतना था कि जिन 24 छात्रों के रिजल्ट रोक दिये गये थे और फिर उसके बाद 14 जुलाई, 1978 को एक पत्र बोर्ड की तरफ से भेजा गया जिसमें परीक्षाफल घोषित कर यह कहा गया कि उक्त 24 छात्र उत्तीर्ण मान लिये गये तो जब इस परीक्षाफल का सर्टीफिकेट्स जो छात्रों से सम्बन्धित थे, उनके मांगे गये तो उस पत्र को ही काफी समय तक उपलब्ध नहीं कर पाये फिर उनसे यह कहा गया कि उस पत्र की फोटो स्टेट प्रति ही भेज दीजिये तो दसियों साल के प्रयास के बाद वह फोटो प्रति उपलब्ध हो सकी। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि

माध्यमिक शिक्षा परिषद् में जो दुर्दशा अभिलेखों की हो रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि वह अपने अभिलेख भी कार्यालय के मेनटेन नहीं कर पा रहे हैं जिससे बच्चों का दसियों साल तक भविष्य अधर में पड़ा रहा है, मेरा यह प्रश्न था कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार के कार्यों की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैं वही बतलाने जा रहा था और इस मामले में गलती जो थी वह छात्रों की तरफ से और विद्यालय वालों की तरफ थी बोर्ड की तरफ से किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बर्ती गयी, मैंने वक्तव्य में भी इस बात को दिया है कि वांछित सूचना जो थी, वह रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गयी थी । एक तो बोर्ड स्वयं में बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी संख्या छात्रों की भी है, सबके लिए खुद जाकर तो लाया नहीं जा सकता है वहां से । फिर भी जो सूचना मांगा गयी वह रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दी गयी, उसी के आधार पर उनके सर्टीफिकेट्स भी दे दिये गये वह समस्या भी उनकी हल कर दी गयी फिर भी लापरवाही की बात कहना कहां तक उचित होगा । बोर्ड इसके लिये और क्या कर सकता था ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, इस वक्तव्य के दूसरे पैराग्राफ के अंतिम में आप देखें जिसमें स्वयं कहा गया है कि परिषद् ने प्रधानाचार्य, द्वारिका प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेनीपुर, फैजाबाद को वर्ष 1978 में परिषद् के कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक परीक्षा हेतु 7-8 रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किये और तीन तार भेजे । तो श्रीमन्, यह स्थिति है आप स्वयं देखें कि एक रिजल्ट बोर्ड ने डिक्लेयर किया और उस मूल प्रति की फोटोस्टेट प्रति मंगाने में जब दसियों साल लगे तो इसमें लापरवाही छात्र की ओर से या विद्यालय की ओर से कही जाये, यह कहां तक उचित है । अभिलेख सारे इनके यहां मेनटेन होते हैं । सूचना इन्हें परिषद् ही वालों को देनी थी....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इस मामले को माननीय मंत्री जी दिखवा लें कि फोटोस्टेट प्रति कब भेजी गयी और कब उपलब्ध हुई ? इस मामले में जो सही जानकारी हो उसे उपलब्ध कर उचित कार्यवाही करें ।

श्री नरेन्द्र देव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं । मान्यवर, जब भी आप किसी भी सेंटर पर जायें और वहां पर अगर आप देखें तो छात्रों का जीवन अंधकार में ही नजर आयेगा । प्रदेश में बहुत से ऐसे छात्र और छात्रायें हैं जिनका भविष्य प्रधानाचार्य और बोर्ड की लापरवाही के कारण अंधकार में है । तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो दोषी लोग हैं, उनको सजा दी जायेगी ?

श्री अधिष्ठाता--

जो सवाल था और जिस पर वक्तव्य दिया गया है, उससे यह सवाल परे है ।

ग्राम बनगवा, थाना टिकैत नगर, जिला बाराबंकी में पुलिस की साजिश से एक वृद्ध महिला की हत्या तथा उसके पुत्र को मुल्जिम बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

जिनकी सूचना पर यह वक्तव्य दिया जाता है उनमें से कोई भी नहीं है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार तारीख 28 जनवरी, 1988 को प्रातः टिकैतनगर थाने पर श्रीमती सम्पत्ता के पति श्री विपत यादव द्वारा यह मौखिक सूचना दी गयी कि एक दिन पूर्व चारा लेने गयी हुई उसकी पत्नी वापिस नहीं लौटी । उसकी तलाश में वह स्वयं और उसके दोनों लड़के गये, तब वह खेत में मरी हुई मिली । श्रीमती सम्पत्ता के शरीर पर जेवर नहीं पाये गये । इस आधार पर थाने में धारा 302 भा0 दं0 वि0 इत्यादि का मुकदमा अपराध संख्या 6/88 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । इसकी विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा प्रारम्भ की गयी ।

2--विवेचना में यह ज्ञात हुआ कि मृतक के परिवार में दो लड़के दुखी राम और सतगुरू हैं सतगुरू व उसकी पत्नी दोनों ही अन्धे हैं । दुखी राम की पहली पत्नी उसकी मां के व्यवहार के कारण घर छोड़ कर चली गयी थी दुखीराम गत 8-9 वर्ष से अपनी दूसरी पत्नी के साथ अन्यत्र रहकर मेहनत और मजदूरी कर जीवन-यापन करता था । दुखी राम ने अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए जमीन के बंटवारे की मांग की जिस पर पैत्रिक भूमि में से केवल 2 बीघा मात्र भूमि उसे मिली । मृतक श्रीमती सम्पत्ता सतगुरू के परिवार को प्रेमपूर्वक चला रही थी किन्तु दुखी राम से उसका दुराव था । दुखी राम अपने हिस्से के भूमि की मांग करता था, जिसके लिए उसके पिता और अन्धे भाई सहमत थे, किन्तु उसकी मृतक मां सहमत नहीं थी । घर में इस प्रश्न पर विवाद होता था और मार-पीट भी होने लगी थी । मृतक श्रीमती सम्पत्ता का कथन था कि सतगुरू के 5-6 माह के लड़के के बड़े होने पर तथा मृतका के मर जाने के पश्चात् ही दुखी राम को जमीन मिल सकेगी । घटना के एक दिन पूर्व दुखी राम और उसकी माता में झगड़ा हुआ था ।

3--विवेचना से यह भी ज्ञात हुआ कि हत्या के दिन दुखी राम ईंट पाथ रहा था तब उसे अपनी मां चारा लेने के लिए जाती हुई दिखाई पड़ी । लगभग तीन बजे वह खेत पर गया और अपनी मां से अपने हिस्से की जमीन मांगी । इस पर उसकी मां ने स्पष्ट इन्कार कर दिया । क्रोध में आकर दुखी राम ने मां के गाल पर थप्पड़ मारा और क्रोधावेश में मां का गला दबा कर उसके आभूषण उतार लिये । चश्मदीद गवाहों ने दुखी राम को घटना स्थल की ओर जाते हुए, वहां से घबड़ाहट में लौटते हुए और मृतक के शरीर से आभूषण उतारते हुए देखा है, दुखी राम को 31 जनवरी, 1988 को गिरफ्तार किया गया । उसके निशान देही पर उसकी मां की टडिया व कनफूल गवाहों के समक्ष बरामद किया

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गया । अपने पिता के सामने दुखी राम ने घटना क्रम को स्पष्ट किया । दुखी राम को जेल भेजा जा चुका है । यह कहना सही नहीं है कि दुखी राम को 27 जनवरी 1988 से 1-2 फरवरी, 1988 तक अनावश्यक रूप से थाने में रखा गया । विवेचना पूर्ण होने के पश्चात आरोप पत्र संख्या 10 के द्वारा दुखी राम का चालान किया गया जो इस समय न्यायालय के विचाराधीन है । यह आरोप सही नहीं है कि पुलिस ने घरों में घुसकर लूट-पाट की अथवा महिलाओं को अपमानित किया । यह हत्या का प्रकरण है ।]

बरेली जनपद में स्थित विमको फैक्ट्री के मजदूरों द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन व उनकी गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मेसर्स विमको लिमिटेड, बरेली माचिस उद्योग के अन्तर्गत....।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, यह वक्तव्य कैसे पढ़ सकते है ?

श्री अधिष्ठाता--

अगर कोई मंत्री नहीं आया है, तो उसकी सूचना पहले आनी चाहिए । यह जरूर है कि कलेक्टिव रेसपान्सिबिल्टी है, लेकिन यह पहले से आना चाहिए । इसको स्थगित किया जाता है ।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैं आ गया हूं । इसे आप ले लें । 27 को ले लें :

श्री अधिष्ठाता--

अब मैंने इसको स्थगित कर दिया है । अगले दिन ले लेंगे ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, इसको कल ले लें ।

श्री अधिष्ठाता--

इसको जल्दी ही ले लिया जायेगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

20 बीघा जमीन हड़प कर ली गई है...।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

कुछ नहीं लिखा जाएगा। आप बेबुनियादी बात के आधार पर कहते हैं इसलिए मैं आपको अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं।

(श्री भगवान दीन कुशवाहा के बोलते रहने पर)

कुछ नहीं लिखा जाएगा।

दिनांक 26 मार्च, 1988 को पूर्णागिरि (नैनीताल) के मेले में हुई दुखद घटना एवं मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

(मद संख्या 28 पुकारे जाने पर तथा गृह राज्य मंत्री के द्वारा वक्तव्य पढ़ना प्रारम्भ करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

[पूर्णागिरि मन्दिर जनपद पिथौरागढ़ के पर्वत की एक चट्टान पर स्थित है जो मुख्य मार्ग से लगभग 22 कि0 मी0 की दूरी पर है। इस मार्ग का अन्तिम 250 मी0 का रास्ता सीढ़ीनुमा चट्टान की चढ़ाई का है। अन्तिम 60 मीटर का फासला दो भागों में विभक्त है--एक यात्रियों को मन्दिर में आने तथा दूसरा यात्रियों को मन्दिर से बाहर जाने के लिए है। 250 मीटर लम्बा यह मार्ग सकरा है तथा इस पर खाई (खड्ड) की ओर सुरक्षार्थ लोहे की एंगलों व उसके ऊपर लोहे के पाइप की मजबूत रेलिंग लगी है।

2--दिनांक 26 मार्च, 1988 रामनवमी के दिन दोपहर करीब 1-10 बजे ऊपर मन्दिर की ओर चढ़ते हुए एक महिला की गोद से उनकी लापरवाही से एक बच्चा नीचे की ओर गिर गया, जिससे उक्त महिला एक दम मदद के लिए चिल्लाई उक्त स्थान पर नियुक्त एक कान्स्टेबिल व प्रादेशिक विकास दल के कर्मचारी तुरन्त बच्चे को बचाने के लिए चट्टान के नीचे उतरे और बच्चे को सुरक्षित ले आये परन्तु महिला तथा आसपास के व्यक्तियों द्वारा चिल्लाने के कारण मन्दिर में आने जाने वाले यात्रियों में भय फैल गया और वे बचने के लिए भागने लगे। इसी भाग दौड़ में तीन महिलायें, एक लड़की व एक आदमी भीड़ में दब कर घटनास्थल पर ही मर गए। दुर्घटना की सूचना पर मेला में नियुक्त पुलिस दल तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचा। मेलाधिकारी तथा परगना मैजिस्ट्रेट लोहाघाट भी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर 5 लाशें पाई गई। पांच में से दो (एक महिला तथा एक लड़की) की शिनाख्त उनके रिश्तेदारों द्वारा घटनास्थल पर ही कर ली गई। पांचों व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो चुकी थी। आवश्यक कानूनी कार्यवाही के बाद लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। उपरोक्त घटना में किसी घायल व्यक्ति की सूचना नहीं मिली। किसी की गुमशुदगी के बारे में कोई सूचना मेले में तैनात अधिकारी को नहीं मिली।

3--मेले की व्यवस्था हेतु परगना मैजिस्ट्रेट, लोहाघाट मेलाधिकारी के रूप में नियुक्त थे। मेले में पुलिस स्टेशन एक राजस्व पुलिस चौकी तथा चिकित्सा विभाग के भी रिलीफ पोस्ट स्थापित थे। इस प्रकार मेले में सभी आवश्यक प्रबन्ध किए गए थे।

4--घटना की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिए गए हैं।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मंत्री जी का जवाब जो उन्होंने दिनांक 26 मार्च, 1988 को दिया था और आज जो जवाब उन्होंने दिया है, इन दोनों में कितना विरोधाभास है, इसे आप देख लें ।

(व्यवधान)

(श्री भगवान दीन कुशवाहा के बिना आज्ञा के बोले जाने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा इसलिए जवाब का प्रश्न नहीं उठता । कृपया बैठे ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि 26 मार्च, 1988 को मंत्री जी ने कहा था 3 लोग मरे हैं । एक आदमी जो तीर्थ यात्री था, चट्टानों पर चढ़ रहा था, वह गिर पड़ा और उससे जो भगदड़ मची थी उससे 3 लोग मरे हैं । आज जो मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि एक बच्चा गोदी से गिर गया और इस तरह से 5 लोग मर गये हैं । इन दोनों बक्तव्यों में विरोधाभास है । मान्यवर, जिस दिन मैंने यह कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था उस दिन मंत्री जी ने बिना किसी जानकारी के जवाब दिया था वरना यह विरोधाभास न होता । मैंने दो बातें इस सम्बन्ध में कहीं थीं । एक तो यह कि पूर्णागिरी में हर साल हजारों की संख्या में लोग जाते हैं जिसमें नागा बाबा भी होते हैं । क्या उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था सरकार ने की है ताकि आगे इस तरह की कोई दुर्घटना न होने पाये । दूसरी बात यह है कि जहरीला प्रसाद खिलाकर वहां पर 10/12 लोगों को लूटा गया, इसके लिए कोई जांच की व्यवस्था की गई है और तीसरी बात यह है कि जो 15 लोग मरे हैं जिन पर मंत्री जी कहते हैं कि 5 लोग मरे हैं उसकी क्या आप जांच करायेंगे और चूंकि यह बहुत बड़ा मेला लगता है, उसमें मंत्री जी ने क्या-क्या व्यवस्थायें की हैं, उसकी जानकारी देंगे ?

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इसकी मजिस्टीरियल जांच चल रही है । इसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है । दो की शिनाख्त भी हो गई है । व्यवस्था वहां पर ठीक थी । जौहरी साहब ने नागा बाबाओं के लिए अलग से व्यवस्था करने की बात कही है । मान्यवर, नागा बाबाओं के बारे में आप भी जानते होंगे ....

(व्यवधान)

वे नंगे चलते हैं और उसका मैं बयान करने में असमर्थ हूं । वहां पर एक इनके लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था प्रचलित है जो कि आश्चर्यचकित करती है । वे अश्लील और भाणें तरीके से चलते हैं जिसे प्रशासन को सम्हालना मुश्किल है । यह जो घटना हुई है उसमें एक बच्चा गोद से गिर पड़ा और फौरन हमारे होम गार्ड उसको बचा पाये, किन्तु इसी भगदड़ में यह घटना हो गई । फिर भी इसकी मजिस्ट्रीरियल जांच चल रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

जिस दिन इस विषय में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया था जिसमें कहा गया था कि एक आदमी चढ़ता हुआ गिर पड़ा था और आज मंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं तो मैं किस बात को सही मानू । इस मेले में फिर कोई ऐसी घटना न हो, इसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता--

कोई चीज गिरी जरूर थी । मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

जो लोग उसमें मरे हैं । उनमें से कुछ के नाम पते आदि की जानकारी अभी तक शासन नहीं कर पाया है । इस घटना को घटे एक महीना हो गया । इनके स्टेटमेन्ट में कहा गया है कि दो आदमियों की शिनाख्त हो पाई है और पांच आदमी मरे हैं तो उनकी शिनाख्त के क्या उपाय किये हैं और मृतकों को कितना मुआवजा दिया अगर नहीं दिया तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जैसा सभी जानते हैं ऐसे मेलों के अवसरों पर न जाने कितने अनजाने लोग इकट्ठा होते हैं कहां के रहने वाले हैं नहीं मालूम होता कोई दक्षिण भारत का है तो कोई कन्या कुमारी का है । बहरहाल चारों तरफ जानने का प्रयास किया गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

उनकी फोटो लेकर अखबारों में छापनी चाहिये थी । लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं किया गया । सरकार ने उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जो भी सरकारी कर्मचारी वहां पर थे पुलिस या रेवेन्यू के उनके द्वारा चारों तरफ इस बात का प्रयास किया गया, बकायदा एनाउन्समेन्ट कराया गया, बहुत से लोग शिनाख्त करने के लिए आये लेकिन नहीं कर सके । जहां तक शाही जी का दूसरा प्रश्न है मुआवजे के सम्बन्ध में तो उस पर शासन विचार कर रहा है । यह कोई दैवी आपदा थी नहीं जो तुरन्त कोई व्यवस्था की जाती ।

(व्यवधान)

डाक्टर दिनेश जौहरी--

यह दैवी आपदा नहीं तो और क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

कोई साम्प्रदायिक दंगे होते हैं या बस दुर्घटना होती है, उसमें मुआवजा देते हैं । यहां पर एक बच्चे के गिरने से अचानक स्टैम्पपीड हो गया और 4, 5 आदमी मर गये । फिर भी शासन आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रहा है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि स्टैम्पीड हुआ उसमें पांच लोग मर गये लेकिन कोई घायल नहीं हुआ । जब इतनी बड़ी घटना हुई स्टैम्पीड हुआ तो उससे लोगों को चोटें आईं । इसको मंत्री जी दिखवा लें और सही रिपोर्ट कम से कम सदन में दें । मैं जानना चाहता हूं कि कितना मुआवजा दिया जायेगा और वह कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, शासन विचार कर रहा है, हम प्रयास करेंगे कि कुछ दिया जाय। वैसे यह उस श्रेणी में नहीं आता है, किसी माप दंड में नहीं आता है जिसके अन्तर्गत मुआवजा दिया जाता है। लेकिन फिर भी विचाराधीन है। उदारतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

सरकार का रवैय्या इस मामले में उपेक्षापूर्ण और हठवादिता का है इसलिए हम सदन का त्याग करते हैं कि मृतकों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

(श्री सूर्य प्रताप शाही और डाक्टर दिनेश जौहरी सदन त्याग कर चले गये)

जनपद जौनपुर के रूहट्टा मोहल्ले में स्थित गोपाल कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस पाइप फटने से जनता में असन्तोष एवं रोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

(कृषि राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिव बालक पासी)--

[गोपाल कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, जौनपुर, जौनपुर-मिजोपुर राजमार्ग पर स्थित पालीटेक्निक चौराहे से लगभग 150 मीटर उत्तर तथा ओलन्दगंज चौराहे से 300 मीटर दक्षिण तरफ स्थित है, जिसके उत्तर तरफ राजकमल चित्र मन्दिर, आबादी, पूर्व दिशा में कृषि योग्य भूमि तथा उत्तर तरफ नगरपालिका गर्ल्स स्कूल एवं अन्य आबादी तथा पश्चिम तरफ जौनपुर मिजोपुर राजमार्ग स्थित है।

उक्त शीतगृह के अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद जनवरी, 1976 से कार्य करना प्रारम्भ किया। इस शीतगृह की भंडारण क्षमता दिनांक 1 जनवरी, 1976 से 2 अप्रैल, 1979 तक 7022 घन मीटर थी। दिनांक 3 अप्रैल, 1979 से 4438 घन मीटर के अतिरिक्त क्षमता की अनुज्ञप्ति मिल जाने के कारण शीतगृह की क्षमता 31 दिसम्बर, 1987 तक 11460 घन मीटर हो गयी। दो कक्ष वाले शीतगृह के लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 दिसम्बर, 1987 तक वैध रहा और वर्ष 1988 के नवीनीकरण के लिये शीतगृह स्वामी ने अक्तूबर, 1987 में आवेदन किया, परन्तु अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के अभाव में शीतगृह के लाइसेन्स का नवीनीकरण अभी तक नहीं हुआ है। शीतगृह के तीसरे कक्ष जिसकी भण्डारण क्षमता 11064 घन मीटर है, के निर्माण की अनुज्ञा 11 मार्च, 1986 को जारी की गई और उसका निर्माण 16 जनवरी, 1987 को पूरा हो गया। शीतगृह स्वामी ने तीकरे कक्ष को चलाने की अनुमति मांगी जिसके फलस्वरूप जिला उद्यान अधिकारी ने जनवरी, 1987 में समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के आदेश शीतगृह स्वामी को दिये। परन्तु शीतगृह स्वामी ने बिना औपचारिकतायें पूरी किये मार्च, 1988 के प्रथम सप्ताह में तीसरे कक्ष में भी भण्डारण किया। इस समय गोपाल कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता 22524 घनमीटर है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोपाल कोल्ड स्टोरेज में दुर्घटना की तिथि दिनांक 17 मार्च, 1988 तक अमोनिया गैस के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण–पत्र दिया जाना था उसे शीतगृह स्वामी ने प्राप्त नहीं किया । उल्लेखनीय है कि प्रमाण पत्र अन्य वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ लाइसेन्स के नवीनीकरण के सम्बन्ध में पहले भी मांगे गये थे । अमोनिया गैस पाइप फटने से रिसाव लगभग 12.40 बजे प्रारम्भ हुआ था, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 284/287/336/337 के तहत उसी दिन 3.30 बजे थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक, श्री रामेश्वर पाण्डे द्वारा अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था एवं जिलाधिकारी, जौनपुर ने दिनांक 17 मार्च, 1988 को ही परगनाधिकारी श्री सी0 आर0 यादव को इस दुर्घटना के कारण एवं परिस्थितियों के सम्बन्ध में जांच के आदेश दिये और यह भी आदेश दिया कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक लाइसेन्सी द्वारा सम्बन्धित नियमों/अधिनियमों के प्राविधानों का समुचित पालन किया गया है अथवा नहीं । और दुर्घटना के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये ।

अमोनिया गैस के रिसाव से भण्डारित आलू को किसी भी प्रकार की क्षति न होने की पुष्टि जिला उद्यान अधिकारी द्वारा आलू की जांच के उपरान्त की गई है ।

जहां तक दिनांक 17 मार्च, 1988 को अमोनिया गैस के रिसाव का प्रभाव सिनेमाघर तथा कृषि योग्य भूमि पर पड़ने एवं व्यक्तियों के घायल होने का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि सिनेमाहाल में कोई दर्शक घायल नहीं हुआ था । शीतगृह से संलग्न एक गृह वाटिका में बोई गई सब्जी गैस से प्रभावित हुई है, किन्तु बड़ी मात्रा में उसमें कोई फसल नहीं थी, जिसकी क्षति हुई हो । कोल्ड स्टोरेज के केवल पांच कर्मचारी घायल हुये थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

नाम	पिता का नाम	ग्राम	थाना	जिला
1—श्री श्याम सुन्दर	श्री द्वारिका	नोनहरा	शाहगंज	जौनपुर
2—श्री राम चन्दर	श्री हरखू	गौरीडीह	दीदारगंज	आजमगढ़
3—श्री फरई	श्री धनई	नियार	गोराबाद	जौनपुर
4—श्री हीरा लाल	श्री देऊ	सोहीपुर लाइन बाजार	दयापूर	जौनपुर
5—श्री मुमताज	श्री मुस्ताक	उर्दू बाजार	कोतवाली	जौनपुर

उक्त घायल व्यक्तियों को तत्काल जिला चिकित्सालय जौनपुर में उपचारार्थ भेजा गया ।

चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सकों के निर्देश पर उक्त घायल व्यक्तियों में से तीन व्यक्तियों को उसी रात्रि विशेष चिकित्सा हेतु इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी में स्थानान्तरित किया गया । दूसरे दिन दो में से एक घायल व्यक्ति को भी वहीं भेजा गया । इन चार घायल व्यक्तियों में से एक श्री रामचन्दर पुत्र श्री हरखू की मृत्यु दिनांक 24 मार्च, 1988 को हो गई, एक और घायल व्यक्ति श्री श्यामसुन्दर की मृत्यु दिनांक 5 अप्रैल, 1988 को हो गई । मृतक श्री रामचन्दर के परिवार को दाह संस्कार के लिए 1000 रूपये दे दिया गया है ।

फायर ब्रिगेड द्वारा स्रावित गैस को तत्काल निष्प्रभावी कर दिया गया था । शीतगृह में तालाबन्दी कराकर उसकी चाबी प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट जौनपुर को दे दी गई थी ।

शीतगृह संचालन की पूर्ण तकनीकी जांच करके समस्त कमियां दिनांक 22 मार्च, 1988 तक दूर करा दी गई, जिसका प्रमाण-पत्र श्री एच0 एल0 मौर्या, अभियन्ता ने दिनांक 22 मार्च, 1988 को प्रस्तुत किया, और शीतगृह स्वामी ने भी इस आशय का एक शपथ पत्र दिया कि अब शीतगृह में किसी भी प्रकार की यांत्रिक गड़बड़ी नहीं रह गई है और शीतगृह के कक्ष का तापमान काफी बढ़ गया है जिससे उसमें भण्डारित आलू के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है ।

जिलाधिकारी जौनपुर के निर्देश पर उप निदेशक, उद्यान, वाराणसी, प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, जौनपुर की उपस्थिति में पूरे सयंत्र की जांच दिनांक 23 मार्च, 1988 को की गई और इन सबकी उपस्थिति में शीतगृह की मशीन को चलाकर देखा गया, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी अथवा कमी नहीं पाई गई । परिणाम स्वरूप कृषकों के भण्डारित आलू की क्षतिग्रस्त न होने के हित को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जिलाधिकारी ने 23 मार्च, 1988 को रात्रि 11-00 बजे शीतगृह चलाने की अनुमति दे दी तथा साथ ही साथ शीतगृह स्वामी द्वारा वर्ष 1988 के लिए लाइसेन्स के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में शीतगृह अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

कोल्ड स्टोरेज अधिनियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि आबादी के मध्य कोई शीतगृह न स्थापित किया जाय । अतः इस शीतगृह को लाइसेन्स देने में कोई अनियमितता नहीं हुई, इसलिए लाइसेन्सिंग अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।]

*श्री पारस नाथ यादव--

मान्यवर, 17 मार्च, 1988 को जौनपुर में गोपाल कोल्ड स्टोरेज से गैस का रिसाव हुआ । माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा है कि 12-40 बजे गैस रिसाव हुआ और कोल्ड स्टोरेज के मालिक के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 284, 287, 336, 337 के तहत उसी दिन 3-30 बजे मुकदमा कायम कर दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि जो मुकदमा कायम किया गया उसमें उसके मालिक को आज तक गिरफ्तार किया गया है या नहीं, क्या वह जेल चला गया है । उसकी जमानत किस तारीख को हुई कृपया यह बता दें ?

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, 17 मार्च, 1988 को जब यह दुर्घटना हुई तो जिला अधिकारी, जौनपुर ने 17 मार्च को ही वहां के सदर परगना मजिस्ट्रेट को उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये जांच के आदेश दिये ।

श्री पारस नाथ यादव--

जो मुकदमा दायर किया गया उसके तहत क्या मालिक गिरफ्तार हो गया, यदि हां, तो उसके जमानतदार कौन-कौन लोग थे और जेल से कब रिहा हुआ ?

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, माननीय सदस्य को आगाह कर दें कि वह हमारी बात को धैर्य से सुनें ।

मैं कह रहा था कि जांच का आदेश दे दिये गये हैं और जांच अभी हो रही है । जब तक उनकी तरफ से रिपोर्ट नहीं आती, हमारे पास सूचना नहीं है कि चालान किया गया है कि नहीं ? जब जांच हो जायेगी, तो कार्यवाही की जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पारस नाथ यादव--

अमोनिया गैस रिसाव से जो दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई वह हैं--श्री रामचन्द्र और श्री श्याम सुन्दर जो उसमें कार्यरत कर्मचारी थे। इनके परिवार वालों को एक-एक हजार रुपये दिये गये। इन कर्मचारियों के छोटे-छोटे बच्चे हैं और लड़की की शादी होनी है। एक हजार रुपया उनके दाह संस्कार के लिये दिया गया है इससे उनको कोई राहत नहीं है। तो क्या मंत्री जी कोल्ड स्टोरेज के मालिक से उचित मुआवजा एक लाख रुपये दिलाने के आदेश देंगे ?

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज का संचालन और उनका नियंत्रण उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के तहत किया जाता है। मान्यवर, इस अधिनियम में श्रमिकों को प्रतिकर देने का कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, जितनी सहानुभूति माननीय सदस्य को श्रमिकों से है उससे कम शासन को भी नहीं है, इसीलिये एक-एक हजार रुपये उनके दाह संस्कार के लिये जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया है और मुआवजे के लिये उनके आश्रितों को लेबर डिस्प्यूट ऐक्ट के तहत जाना होगा और उसमें प्राविधान है कि उनको मुआवजा दिया जाये।

*श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज उस स्थान पर निर्माण होता है जहां कोई आबादी और भवन नहीं होता है, तो जब यह खतरा था कि अमोनिया गैस की पाइप फट सकती है, तो उनको लाइसेंस कैसे दिया ? भोपाल गैस कांड हो चुका है इसलिये उत्तर प्रदेश में इस गैस रिसाव के सम्बन्ध में प्रिकाशन क्यों नहीं लिया गया और प्रिकाशन न लेने से दो व्यक्तियों की जानें चली गयीं, तो जो एक-एक हजार रुपये सहायता के रूप में दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किस तरह से भोपाल गैस कांड में मुआवजा हुआ था उसी तरह से यहां मुआवजा देगी ?

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने ध्यान से नहीं सुना क्योंकि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस कोल्ड स्टोरेज अधिनियम के तहत मआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है। मालिक पर दबाव डाल नहीं सकते हैं। एक-एक हजार रुपये दाह संस्कार के लिये दिया गया है। लेबर डिस्प्यूट ऐक्ट के तहत कोर्ट में जायेंगे तो जितनी सहानुभूति हो सकेगी वह की जायेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मंत्री जी ने कहा कि 1976 के अधिनियम के तहत कोई सहायता देने का प्राविधान नहीं है, कोल्ड स्टोरेज पर कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं, यह बातें मान लिया, लेकिन जिलाधिकारी ने बिना इनकी अनुमति के महसूस करते हुए अहेतुक सहायता एक-एक हजार रुपये देना आवश्यक समझा तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी मानवीयता के आधार पर इस बात को महसूस करते हुए कि दो श्रमिकों की मृत्यु हुई है, क्या दस हजार या बीस हजार रुपये की अहेतुक सहायता दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, मैं पहले ही यह निवेदन कर चुका हूं कि जिले में अहेतुक सहायता के लिये ऐसी धनराशि जिलाधिकारी के पास उपलब्ध होती है। उसी के तहत उपयुक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझते हुए एक हजार का मुआवजा उनको नियमों के तहत दिया गया । इसके बाद वे कोर्ट में जायेंगे, तो शासन को उनसे सहानुभूति होगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नियमों के अन्तर्गत इससे ज्यादा अहेतुक सहायता इस धनराशि के नहीं दिलवा सकते । मैं जानना चाहता हूं कि उन श्रमिकों को जिस स्थिति में मृत्यु हुई उससे सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी तमाम अपने विवेकाधीन कोष से धन देते हैं तो क्या उन श्रमिकों को भी वह राशि दिलाने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनका परिवार जीवन-यापन कर सके ।

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर रहा हूं कि नियमों के अन्तर्गत नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी सारी सहानुभूति होगी ।

श्री पारस नाथ यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत जो क्षेत्र रहने के लिये होता है, उस पर कोई उद्योग या इस तरह की और कोई चीज नहीं लगाई जा सकती । यह जो कोल्ड स्टोरेज है, आबादी से पूर्णरूपेण घिरा हुआ है, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि उसका लाइसेंस 1987-88 तक बंध था । यह चौथा महीना चल रहा है, आज तक उसके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है । मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि और आपसे आग्रह करूंगा कि जो यह आबादी से घिरा हुआ कोल्ड स्टोरेज है, क्या उसके लाइसेंस को निरस्त करके दूसरी जगह के लिये अनुमति देने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि कोल्ड स्टोरेज का रखरखाव जो शासन का उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 है उसके अन्तर्गत होता है । उसमें कहीं ऐसा प्राविधान नहीं है कि आबादी के अन्दर कोल्ड स्टोरेज नहीं लगा सकते हैं । इसी के तहत माननीय सदस्य को वक्तव्य में स्पष्ट सूचना दी गई है कि आबादी के बाहर लगाने का कोई प्राविधान नहीं है । आप जो कह रहे हैं कि उससे लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ तो 23-3-88 को जिलाधिकारी, उप निदेशक उद्यान, वाराणसी, जिला उद्यान अधिकारी और प्रभारी अधिकारी, थाना कोतवाली तथा परगना अधिकारी, सदर की मौजूदगी में उपयुक्त अधिकारी से प्रमाण-पत्र लेकर संचालित करने की परमीशन दी गयी है, इसलिये उसको कैन्सिल करने का सवाल नहीं उठता है ।

देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में संग्रह अमीनों द्वारा मारपीट किये जाने से 25 अधिवक्ताओं के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[1—श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री रामधारी पाण्डेय, निवासी ग्राम जमुई, तहसील सलेमपुर, जनपद देवरिया, जो पेशे से वकील हैं—ने दिनांक 31-3-82 को तहसील सलेमपुर से रु0 3500.00 का ऋण प्राप्त किया था। इसकी अन्तिम किश्त दिनांक 28-3-84 तक देय को निर्धारित अवधि तक श्री पाण्डेय द्वारा अदा नहीं किया गया।

2—श्री पाण्डेय द्वारा बकाया अदा न करने पर दिनांक 2-3-88 को साईटेशन जारी किया गया। यह दिनांक 3-3-88 को उन पर तामील हुआ। इसके बाद भी बकाये की अदायगी तिथि तक श्री पाण्डेय द्वारा न करने पर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 281 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा दिनांक 14-3-83 को तहसील सलेमपुर द्वारा नियमानुसार गिरफ्तारी का अधिपत्र जारी किया गया।

3—क्षेत्रीय अमीन तथा नायब तहसीलदार द्वारा उक्त वारन्ट के आधार पर ता0 17-3-88 को श्री पाण्डेय को राजस्व हवालात में बन्द कर दिया गया। इस पर कुछ अधिवक्तागण आक्रोश में आ गये तथा इकट्ठा होकर तहसील हवालात पर पहुंचकर चपरासी से सम्बन्धित वकील श्री पाण्डेय को लाकअप से निकालने के लिए दबाव डाला। चपरासी द्वारा यह कहने पर कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वह लाकअप का ताला खोलकर बाकीदार को रिहा नहीं कर सकता—अधिवक्तागण सम्बन्धित चपरासी से लाकअप की चाभी छीनने का प्रयास करने लगे। अधिवक्तागणों द्वारा बल प्रयोग कर सरकारी कर्मचारी श्री नूरुलहुदा अमीन एवं उसके चपरासी को मारना शुरू कर दिया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस सम्बन्ध में थाना सलेमपुर में श्री नूरुलहुदा संग्रह अमीन की लिखित सूचना के आधार पर मु0 अ0 सं0 48/88 धारा 147/353/332/506 भा0 दं0 वि0 वकीलगण के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। बन्दी बनाये गये बकायेदार श्री पाण्डेय के परिवारजनों द्वारा समस्त बकाये की अदायगी शाम को कर दी गयी। उसी समय श्री पाण्डेय को हवालात से रिहा कर दिया गया।

4—दिनांक 18-3-88 को वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया था परन्तु स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखा और कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। उभयपक्ष ने परगनाधिकारी, सलेमपुर के समक्ष खेद व्यक्त करते हुए आपस में समझौता कर लिया है।

5—यह कहना सही नहीं है, कि घटना में 25 अधिवक्ता घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गम्भीर है। यह भी आरोप गलत पाया गया है कि अमीनों द्वारा हिंसक हमला किया गया, जिसके विरोध में जिले के वकीलों ने न्यायालयों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर दिया है। वास्तविकता यह है कि दिनांक 19 मार्च, 1988 को देवरिया तहसील में राजस्व लोक अदालत का आयोजन था जिसमें तहसील सलेमपुर, देवरिया एवं रुद्रपुर आदि से सम्बन्धित लगभग 2500 से भी ज्यादा मुकदमें निस्तारित हुए कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी करके गिरफ्तार करने की शिकायत भी सही नहीं है। जांच से यह बात भी सच नहीं पाई गयी कि अधिवक्ताओं द्वारा बकाये को जमा करने के लिए दो घंटे का समय तहसीलदार से मांगा।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6—इस समय राजस्व कर्मियों तथा अधिवक्ताओं के बीच कोई तनाव नहीं है। स्थिति सामान्य है तथा किसी भी न्यायालय परिसर में पुलिस बल तैनात नहीं किया गया है। अधिवक्ताओं के सहयोग से न्यायालयों म न्यायिक का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।]

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी का यह वक्तव्य सत्य से बिलकुल परे है और एक पक्षीय है।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

आप दूसरा वक्तव्य दे दीजिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

वक्तव्य देने की जिम्मेदारी मैं आपको मानता हूं। आप कितनी जिम्मेदारी से दे पा रहे हैं? माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय, एडवोकेट, देवरिया पर 3,500 रुपया बकाया था। उसके लिये दिनांक 14-3-88 को तहसील सलेमपुर द्वारा नियमानुसार गिरफ्तारी का अधिपत्र जारी किया गया।

(समय 5 बजकर 20 मिनट पर)

और इतने बड़े अभियुक्त थे वह श्री कृष्णचन्द्र पान्डेय कि 3,500 रुपये के बकाये के लिए 27 तारीख को पूरा अमला पहुंच गया उनको गिरफ्तार करने के लिए और देवरिया सिविल कोर्टस उनको गिरफ्तार करके ले गये। मैंने स्पष्ट सूचना दी थी कि देवरिया सिविल कोर्ट से पकड़ कर अमीन जीप में बिठाकर उन्हें ले गया किन्तु इस तथ्य को मंत्री जी ने जानबूझकर अपने वक्तव्य में छिपाया है कि उनको कहां से पकड़ कर ले गये। उन्हें कचहरी ड्रेस पहने हुए ही, कचहरी ड्रेस में ही उनको ले गये। यह जिस विभाग के वह मंत्री हैं उस विभाग का भी खुला अपमान है। यह इतनी शर्मनाक घटना को जिस तरह से छुपाया गया है, उसका हमें अत्यन्त अफसोस है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कृष्ण चन्द्र पान्डेय को गिरफ्तार कहां से किया गया? क्या यह सही है कि उनको कचहरी ड्रेस में ही ले जा कर लाकअप में बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो इसकी इतनी जल्दी क्या थी? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि अमीनों के साथ वकीलों के मारपीट की घटना हुई, जिसमें 25 वकील शामिल हैं और तीन वकील गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, जिसकी सूचना उन लोगों ने इनके एस0 पी0 को भी दिया, किन्तु फिर भी किन कारणों से उन वकीलों की ओर से एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की गई? और इसकी नोटिस आने पर इसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई है?

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, उन पर 28-3-84 को यह धनराशि बकाया हो जाती थी। 85 गया, 86 गया और 87 गया और 88 में आकर यानी चौथे वर्ष में यह कार्यवाही की गई। जहां तक बकाया देयों के रोकने का सम्बन्ध है, सूखे की वजह से लगान और आबपाशी जैसे बकाया देयों को ही स्थगित किया गया था और जहां पर 50 फीसदी से अधिक नुकसान था, 70 फीसदी था वह भी माफ किया गया था, किन्तु यह इनका लोन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था, ऋण था और यह भी नहीं कि यह इस वक्त मार्च, 1988 में आकर ही ड्यू हो गया, यह मार्च, 1984 में ही ड्यू था और 1987 तक नहीं दिया, तब 1988 में जाकर यह कार्यवाही की गई है । जहां तक इस बात का प्रश्न है कि कहां से गिरफ्तार किया गया, इसके लिए विधिवत साइटेशन जारी किया गया था जो उन पर तामील भी हो गया था और तब जाकर 17 तारीख को वारण्ट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था । जहां तक गिरफ्तारी की बात होती है, जहां उपलब्ध होता है, वहां से गिरफ्तार करते हैं । हां, इससे मैं अवश्य सहमत हूं कि उन्हें सीधे वकील की वेशभूषा में नहीं पकड़ना चाहिये था, लेकिन जहां तक पकड़ने का सम्बन्ध है, जब पकड़ना है, जहां पकड़ा जाने वाला मिलेगा वहां से ही उसे पकड़ कर बन्द कर दिया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वहां के अधिवक्ताओं ने इसके लिए दो घंटे का समय मांगा था कि दो घंटे का आप समय दे दें और इस बीच वह 3500 रुपया, और उसका ब्याज अदा कर देंगे, पर ऐसा न करके वहां के वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबरदस्ती की गई और मारपीट की गई तथा उन पर हमला बोला गया जिसमें तीन वकील लोग घायल हो गये । इसके लिए उन्होंने एस0 पी0 को दरखास्त दिया है, तो उनकी एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं दर्ज की गई । आपने कहा कि यह सत्य नहीं पाया गया कि वकीलों ने कोई मोहलत मांगी थी । तो आपने इसकी जांच किससे कराई ? उस दिन राजस्व मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि पूरे प्रकरण की जांच कमिश्नर, गोरखपुर से कराई जायेगी, एक महीने से ज्यादा समय व्यतीत हो गया है, तो क्या आपने इसकी जांच आयुक्त, गोरखपुर से कराई है ? वहीं कराई, तो क्यों नहीं कराई ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा । यदि रिजवी साहब ने कमिश्नर से इस बात की जांच कराने को कहा है तो निश्चित रूप से जांच कराई जायेगी और उसमें शीघ्रता से जांच कराई जायेगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, यह जो जांच कराई गई है यह किससे कराई गई है, बता दें ?

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, आप मंत्री जी को बचा रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, वक्तव्य में कहा गया है कि जांच से यह बात सच नहीं पाई गई कि अधिवक्ताओं द्वारा बकाये को जमा करने से लिए दो घंटे का समय मांगा । तो बतायें कि यह जांच किससे करवाई गई ? दूसरी बात अपने वक्तव्य में कहा है कि उभयपक्ष ने परगनाधिकारी, सलेमपुर के समक्ष खेद व्यक्त करते हुए आपस में समझौता कर लिया है तो इससे साबित होता है वहां वारदात हुई है और जब यह प्रकरण यहां उठाया गया तो अपने को बचाने के लिए समझौता करा लिया ।

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने कहा है कि कमिश्नर की जांच सुनिश्चित करने जा रहे हैं ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

एक महीने हो गये हैं । मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच कमिश्चर से करायेंगे । तो इन्क्वायरी अभी तक क्यों नहीं कराई गई । क्या इन्क्वायरी एक सप्ताह के अन्दर करा देंगे यदि नहीं तो क्यों ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

मद्य निषेध मुख्यालय द्वारा वर्ष 1987-88 में प्रचार सामग्री तथा सदन में वितरण हेतु पुस्तिका के मुद्रण में लाखों रुपये का घोटाला करने के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या-31 स्थगित हो गई है ।

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, विधान सभा में नियम 56 के अन्तर्गत....

श्री अधिष्ठाता--

इसको पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

[विधान सभा में नियम 56 के अन्तर्गत प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप के सम्बन्ध में डाक्टर दिनेश जौहरी तथा अन्य सदस्य गण द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि मस्तिष्क ज्वर (जापानी इन्सेफलाइटिस) का प्रकोप प्रदेश में नहीं है । इस बीमारी के फैलने का समय जुलाई माह के बाद होता है ।

मार्च, 1988 में शाहजहांपुर जनपद व पीलीभीत जनपद में इस बीमारी से पीड़ित कोई केस नहीं हुए । शाहजहांपुर जनपद के तिलहर, निगोही व रोजा क्षेत्रों में इस रोग के फैलने की कोई सूचना नहीं है ।

मस्तिष्क ज्वर (जापानी इन्सेफलाइटिस) मच्छरों द्वारा पशु अथवा पक्षियों से मनुष्यों में संचरित होता है । मच्छरों के रोकथाम के लिए शाहजहांपुर व पीलीभीत में नगरीय फाइलेरिया इकाइयां कार्यरत हैं । शाहजहांपुर में फागिंग भी करादी गई है व घरों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करा दिया गया है । दिनांक 23 मार्च, 1988, को मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर ने जनसाधारण की सूचना हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उपचार हेतु व्यवस्थाओं का प्रचार किया है और सर्वसाधारण से यह अपेक्षा की है कि मस्तिष्क ज्वर के लक्षण प्रकट होने पर मरीजों को तुरन्त निकटतम चिकित्सालयों में पहुंचायें और अफवाहों से बचें ।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में इस समय 14 नगरीय मलेरिया नियन्त्रण इकाईयां और 24 फाइलेरिया नियन्त्रण इकाईयां कार्यरत हैं। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप में विगत वर्षों में निरन्तर गिरावट आई है। वर्ष 1986 में 2,28,244 मलेरिया के केसेज की तुलना में वर्ष 1987 में केवल 1,24,454 केसेज हुये। जनवरी–फरवरी, 1987 में कुल 8412 केसेज हुये थे और उनकी तुलना में इस वर्ष जनवरी–फरवरी माहों में केवल 5204 केसेज हुये।

जनपद शाहजहांपुर में इस वर्ष मेननजाइटिस (मस्तिष्क शोथ) से 27 व्यक्ति ग्रसित हुये जिनमें से 5 की (1 की जनवरी, 1988 में 2 की फरवरी, 1988 में और 2 की मार्च, 1988 में) मृत्यु हो गई। परन्तु यह रोग मस्तिष्क ज्वर (जापानी इन्सेफलाइटिस) से भिन्न है और मच्छरों से नहीं फैलता है। इस जनपद में मेननजाइटिस (मस्तिष्क शोथ) की रोकथाम के लिए समुचित उपाय कर दिये गये हैं और जनता को सावधान करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 19 मार्च, 1988 के बाद अब्त मेननजाइटिस का कोई केस सूचित नहीं हुआ।]

*डाक्टर दिनेश जौहरी––

मान्यवर, वैसे मन्त्री जी को 8 साल हो गये हैं। एम0 डी0 कर चुके होंगे। मान्यवर, इन्सेफलाइटिस और मेननजाइटिस में फर्क उन्होंने अच्छी तरह से बतलाया है। मैं दो बातें जानना चाहता हूं एक तो यह कि इस वर्ष मच्छरों का इतना ज्यादा प्रकोप है, मलेरिया हो या न हो, इनसफलाइटिस हो या न हो लेकिन मच्छर पूरे प्रदेश में छाये हुये हैं और आम जनता इनसे त्रस्त है। रात को सो नहीं सकते हैं। बरामदे में बैठ नहीं सकते हैं। यहां भी आधे से ज्यादा लोग औंघाया करते हैं विधायक लोग रात को सो नहीं पाते हैं। तो मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं यदि नहीं उठाये गये हैं तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी––

मान्यवर, मच्छरों का प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित नहीं है। मच्छरों का प्रश्न खाली भारत वर्ष से सम्बन्धित नहीं है, मच्छरों का प्रश्न इस समुचित एशियायी भू–भाग से सम्बन्धित है। पश्चिमी पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत, चीन जिनकी सीमायें भारतवर्ष से मिलती हैं, से यह सम्बन्धित है। इस मसले को वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन के सुपुर्द किया गया है और विगत 8 वर्षों से इस पर कार्य चल रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि मच्छर उन्मूलन का कार्यक्रम पुनः उत्तरीय, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व, दक्षिण एशियायी महाद्वीप में पुनः प्रारम्भ किया जाय। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, 15 मई से उन जनपदों में जो मलेरिया कन्ट्रोल यूनिट के अन्तर्गत आते हैं अथवा उन नगरों में जो फाइलेरिया कन्ट्रोल यूनिट के अन्तर्गत आते हैं, वहां पर डी0 डी0 टी0 का स्प्रे होता है। यह सही है कि पंखा तेज चलायें तो भी मच्छर नहीं भागते, कछुआ छाप अगरबत्ती जलायें, तो भी मच्छर नहीं भागते। शाहजहांपुर, बदायूं और नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है मच्छर समाप्त करने का, जिस पर इक्सपेरीमेंट चल रहा है, उसमें कुछ सफलता भी मिली है, अगर भारत सरकार को इसमें सफलता मिलेगी, तो वह अन्य जिलों में भी लागू करने की बात सोचेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, यह वक्तव्य, मेरे और माननीय अनुग्रह नारायण सिंह के नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, दिया गया है। यह हमने बुन्देलखंड रीजन के बुन्देलखंड क्षेत्र के बांदा, बारा, ललितपुर शंकरगढ़, मेजा और इलाहाबाद के बारे में सूचना दी थी और यह कहा था कि जापानी इन्सेफलाइटिस का प्रकोप इन जनपदों में अत्यधिक है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जवाब में जो आया है, वह एक कथा के तौर पर केवल शाहजहांपुर के बारे में आया है। मेरा निवेदन है कि इसे आज स्थगित कर दें, क्योंकि माननीय मन्त्री जी देखें कि मस्तिष्क ज्वर जो होता है, उससे बीन टी0 बी0 भी हो जाती है। हमारे इलाहाबाद जनपद में मोती लाल अस्पताल में एक अयूब नामक व्यक्ति की मृत्यु इसी बीमारी से हो गयी। मान्यवर, जो विभाग ने माननीय मन्त्री जी को उत्तर भेज दिया, वही उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दे दिया। यह उत्तर मान्यवर, ठीक नहीं है और अधूरा उत्तर है। इसलिये मान्यवर, इसे आज स्थगित कर दें। जो शंकरगढ़ बारा, ललितपुर, मेजा, इलाहाबाद में मैनजाइटिस फैली हुयी है, उसके लिए अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मन्त्री जी इस बीमारी की रोक-थाम के लिये वहां के अस्पतालों में कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि मैनेजाइटिस का प्रकोप इस समय उत्तर प्रदेश में किसी जगह पर है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मच्छर का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर गोपाल दास जी को कुछ ज्यादा बोलने की ख्वाहिश है। मस्तिष्क ज्वर (जापानी इन्सेफलाइटिस) मच्छरों द्वारा पशु अथवा पक्षियों से मनुष्यों में संचरित होता है।

श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, डी0 डी0 टी0 के छिड़काव से मच्छरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल एक दिन के लिये थोड़ी राहत मिल जाती है। क्या इस पर ध्यान देकर कोई और फारमूला अपनायेंगे, जिससे यह ज्यादा अफेक्टिव हो सके ?

(इस समय 8 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री कौशिक रमा शंकर पीठासीन हुये।)

डाक्टर रजनी कान्त दत्त—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मच्छर की कौन-कौन सी किस्में वेक्टर के रूप में रिकगनाइज की गयी हैं, दूसरी क्या किस्म पहले की प्रचलित किस्में हैं या कोई नई उपजातियां हैं, तीसरा सेलिब्रल ज्वर के साथ क्या मैनजाइटिस या इन्सेफलाइटिस नहीं होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उत्तर दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

डाक्टर दत्त जी । हम बाध्य नहीं कर सकते हैं । आप टेक्निकल सवाल पूंछेंगे तो इसका जवाब वह कैसे देंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, यह जो वक्तव्य है, इससे सम्बन्धित मेरा प्रश्न है । इतने विस्तार से इसका जवाब दिया गया है कि कई अनुपूरक प्रश्न स्वयं खड़े हो गये हैं । डाक्टर दत्त ने पूंछा मच्छरों के बारे में, वह इसी उत्तर के सम्बन्ध में पूंछा है । मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो मस्तिष्क शोथ की रोकथाम के लिये इन्होंने चर्चा किया है कि समुचित उपाय किये गये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये क्या-क्या उपाय किये गये हैं क्योंकि यह खाली शाहजहांपुर की बीमारी नहीं है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में बस्ती, देवरिया, गोरखपुर और बुन्देलखंड में भी है । इसमें प्रदेश स्तर पर क्या उपाय किये गये हैं इस बीमारी को रोकने के लिये और यह किन कारणों से पैदा हो रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर की बीमारी गोरखपुर, देवरिया, बस्ती जिले के खजीलाबाद तहसील यह मुख्य केन्द्र है । 1986-87 में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर यहां पर भी कुछ प्रकोप हुआ । 1987-88 में पीलीभीत और मुरादाबाद में प्रकोप हुआ और बिजनौर में भी प्रकोप हुआ, बाराबंकी, लखनऊ में भी थोड़ा-थोड़ा प्रकोप हुआ । इस समय उत्तर प्रदेश में 17 जनपद हैं जिनको मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित मान सकते हैं । भारत सरकार से हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश शासन ने यह प्रयास किया था और अन्य प्रदेशों ने भी प्रयास किया था कि मस्तिष्क ज्वर को मलेरिया कन्ट्रोल यूनिट के बाहर किया जाय, उसको अभी भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है । उत्तर प्रदेश में जिन जनपदों में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप होता है । अथवा जहां सम्भावना है वहां 4 सूचनायें दी गयी हैं प्रथम यह है कि अगर मस्तिष्क ज्वर किसी को है तो 24 घन्टे के अन्दर उसको लक्षण यह बता दिया गया है कि जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और 15 नवम्बर तक इसका प्रकोप होता है । जुलाई से प्रारम्भ होता है उसके पहले नहीं होता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैंने मैननजाइटिस के बारे में पूंछा है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैननजाइटिस अगर आपने पूछा है तो वह मच्छर से नहीं होता है । वह वायरल है, यह भ्रम है कि मच्छर काटने से होता है । यह वायरल है और वायरल का कोई इलाज नहीं है । जिस समय जल्दी मैननजाइटिस पकड़ में आ जाय तो इलाज हो जाता है और देर होने पर सम्भावना उसकी मृत्यु की है ।

तो मान्यवर, उसमें 4 लक्षण बताये गये हैं, शाही जी को इसकी जानकारी नहीं है, ये हैं देवरिया के लेकिन रहते नहीं हैं । तो मान्यवर, आंख लाल हो, तेज बुखार हो और सर में दर्द हो तो यह 3 सिमटम्स हैं । इसमें बिना अधिक इन्तजाम

किये हुये उसको जिला मुख्यालय पर पहुंचा दिया जाय। उसके लिये सम्बन्धित पी0 एच0 सी0 पर अथवा बगल के पुलिस थाने पर कोई वहां पर न हो तो वाहन से ले जाया जाय, उसका व्यय शासन करेगा। और अगर 24 घन्टे मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित व्यक्ति अस्पताल पहुंचा दिया जाता है तो उसके मरने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है, 95 प्रतिशत व्यक्ति निरोग हो जाते हैं। 48 घन्टे के ऊपर हो जाय तो मृत्यु दर 40 प्रतिशत हो जाती है और अगर 72 घन्टे की देरी हो गयी तो बचने की कोई सम्भावना नहीं रहती। मूल चीज यह है कि व्यक्ति जल्दी से जल्दी हास्पिटल पहुंचा दिया जाय। यह कहा गया कि कैसे होता है, सूअर और भैंस इनके ऊपर जो मच्छर रहते हैं, इनके काटने से मस्तिष्क ज्वर होता है। यह महामारी नहीं है। जहां तक अनुपात की बात है, उत्तर प्रदेश में अन्य प्रान्तों के मुकाबले मृत्यु संख्या का उत्तर प्रदेश में प्रति 35 से 40 प्रतिशत है, विगत वर्ष में 30 प्रतिशत है, अन्य प्रदेशों में 60 से 85 प्रतिशत है।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त--

जो मलेरिया निवारण प्रोग्राम था, जो वर्ल्ड हेल्थ आरगनाइजेशन के माध्यम से चल रहा था, उसकी क्या स्थिति है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

वर्ल्ड हेल्थ आरगनाइजेशन ने मलेरिया प्रोग्राम समाप्त कर दिया है।

श्रीमती शशि शर्मा--

अभी प्रिवेनशन की बात हो रही थी, अभी आपने बताया कि मेननजाइटिस वायरल है। इसकी वैक्सीन आ गयी है और आपके एपेडेमिक ब्रांच के जरिये यह डिस्ट्रिक्ट्स में सी0 एम0 ओज0 को सप्लाई हो रही है। मेननजाइटिस से बचाव के लिये हमारे जिले देवरिया में यह वैक्सीन पहुंची है या नहीं, यह मैं जानना चाह रही हूं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जो-जो जनपद प्रभावित हैं, वहां यह वैक्सीन पहुंचायी जा रही है।

कानपुर में नकली दवाओं की भरमार से उत्पन्न भयावह स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, 29 मार्च को विधान सभा के अन्दर नियम 56 के अन्तर्गत हमने, माननीय विजय सिंह राणा और माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने नकली दवाओं की भरमार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में यह विषय रखा था, उसके तहत आज चर्चा हो रही है। मान्यवर, आजकल सिर्फ कानपुर में ही नहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में नकली दवाओं का निर्माण हो रहा है और आज इन नकली दवाओं के जरिये आम आदमी की जान को खतरा पैदा हो रहा है। मान्यवर, जो जीवन रक्षक दवाइयां होती हैं वह आदमी की जान की रक्षा के लिये होती हैं। हर आदमी डाक्टर के पास या अस्पताल में इसलिये जाता है इस उम्मीद से जाता है कि इलाज से वह ठीक हो जायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नकली दवाओं के निर्माण की वजह से आज सिर्फ कानपुर के अंदर ही नहीं प्रदेश के अंदर ही नहीं हिन्दुस्तान के तमाम सूबों में लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है। हिन्दुस्तान के अन्य सूबों में भी खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में नकली दवाओं का निर्माण होता है। खासतौर पर कानपुर की नकली दवाओं को वहां पर भेजा जाता है, वहां से सप्लाई होती है। नकली दवाओं को जो बनाने वाले लोग हैं उनको किस तरह से छूट होती है? 1940 में एक-एक कानून बना था श्रृंगार और औषधि नियंत्रण कानून। 1940 के इस कानून के तहत केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि केन्द्र सरकार औषधि नियंत्रक नियुक्त करें और उनके जरिये से नकली दवाओं की रोकथाम का प्रयास करें।

यह जो 1940 का केन्द्रीय सरकार का कानून था, वह तो अपनी जगह रखा रह गया और घूसखोरी रिश्वतखोरी की वजह से किसी भी जगह पर इस कानून का पालन नहीं हो रहा है और नकली दवाओं का निर्माण पूरे जोर-शोर से हो रहा है। अस्पतालों के माध्यम से, डाक्टरों के माध्यम से उनको रोगियों को दिया जाता है और पैसे ऐंठे जाते हैं। मैं इस समय यहां पर 21 दवायें इकट्ठा करके लाया हूं जो असली और नकली दोनों ही हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री श्री गोपी नाथ दीक्षित हैं, इनके दो मेडिकल स्टोर हैं एक कानपुर में शिवली गांव में है, दूसरा हैलट अस्पताल के पास है और उन्हीं के स्टोर से यह नकली दवायें मैंने इकट्ठा की हैं और असली दवायें मैं दूसरी जगह से ले कर आया हूं।

श्री अधिष्ठाता--

रसीदें आपके पास हैं?

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो 21 दवायें मेरे पास मौजूद हैं उनमें कैपसूल भी हैं, टैबलेट भी हैं। मान्यवर, गृह मंत्री जी के दोनों ही मेडिकल स्टोरों में नकली दवायें बेची जाती हैं और मैं पूरी तरह से सच्ची जानकारी के आधार पर, भगवान को हाजिर नाजिर जानकर मानकर, मैं यह बात यहां पर कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इतने बड़े-बड़े मंत्री लोग नकली दवाओं का निर्माण करते हैं, तो आप स्वयं समझ लीजिये कि असली दवायें कहां से मिलेगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

यह नकली दवायें कैसे बनती हैं? नकली दवाओं के निर्माण के लिये जो तमाम बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, मल्टी परपज कम्पनियां हैं, उनको लाइसेन्स दिया जाता है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में ड्रग कन्ट्रोलर की एक पोस्ट होती है और यह पद पिछले कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ है और पैसे के बल पर अस्थाई ड्रग कन्ट्रोलर बना दिया जाता है। इस प्रकार एक ड्रग कन्ट्रोलर को जो नकली दवाओं की चेकिंग, निम्न स्तर की दवाओं की चेकिंग, लाइसेन्स की चेकिंग, जो होनी चाहिये, वह नहीं हो पाती है। इसके अलावा बहुतों के पास लाइसेन्स भी नहीं होता है, वह भी नकली दवायें बनाते हैं। जब हमारे यहां ड्रग कन्ट्रोलर है ही नहीं, तो हमारे यहां नकली दवाओं के निर्माण को रोकने का काम हो ही नहीं सकता।

दूसरा मेरा कहना यह है कि जो सरकारी मशीनरी है, वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है नकली दवायें जो कम्पनियां बनाती हैं, वह पैसे के बल पर निम्न स्तर की दवाओं को एप्रूव करा लेते हैं और इस तरह थोड़े पैसे के लालच में दवाओं में हेरफेर करके सरकार स्वयं इसको बढ़ावा देती है। तो फिर आप अन्दाजा लगा लें कि केवल

कानपुर के अन्दर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर नकली दवाओं का निर्माण होता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे कोई मरीज अस्पताल में भरती होता है डाक्टर द्वारा उसको पर्चा लिखकर दवा लेने के लिये दे दिया जाता है, जब वह आदमी दवा लेने जाता है तो जैसे कि डाक्टर ने सेपट्रान लिखा है तो मेडिकल स्टोर वाला उसको सुपट्रान दे देता है, जो कि नकली दवाई है। इस प्रकार थोड़ा सा हेरफेर करके दवाओं के नाम मिलते-जुलते रख कर नकली दवायें तैयार की जाती हैं। जैसे सेपट्रान की स्पेलिंग है "एस ई पी टी आर ए न" और सुपट्रान की स्पेलिंग है "एस यू पी टी आर ए एन"। इस प्रकार नकली दवा लेकर मरीज चला जाता है और जब वह उस दवा को पाता है, तो उसको कोई फायदा नहीं होता ग्लोकोज अक्सर लोगों को दिया जाता है। ग्लूकोन डी असली है और यह ग्लोकोस पाउडर नकली है। अगर इसी मरीज को दिया जायेगा तो यह असर नहीं करेगा। मान्यवर, कानपुर के अन्दर इसी ग्लूकोप के कारण 20 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, माननीय मंत्री जी भी उससे अवगत होंगे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री मनोहर लाल क्या आप इन दवाइयों को माननीय मंत्री जी को देना चाहेंगे? यदि हां तो इन पर सील लगाकर आप मंत्री जी के पास भिजवा दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, इन्हें वह आपके ही पास भिजवा दें।

श्री अधिष्ठाता--

इन दवाईयों को तो आप ही जांच करायेंगे।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, आप ही के माध्यम से ये दवाईयां मेरे पास आयेंगी।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, आजकल तो असली बच्चा भी पैदा नहीं होता है, दवाईयां तो छोड़िये। हालडा ब्रान्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं। गृह मंत्री जी न मालूम कैसे बच्चा पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रभावशाली लोग हैं, वे निदेशक, स्वास्थ्य एवम् चिकित्सा सेवाओं को घूस देकर अपना फार्मूला एप्रूव करवा लेते हैं और उनको लाईसेन्स दे दिया जाता है तब उसके बाद वह नकली दवाईयां बनाना शुरू कर देते हैं। आज कानपुर में ही नहीं उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में नकली दवाइयां बन रही हैं, जो मरीज के लिये खतरे की घन्टी बनी हुयी हैं। जब 29 मार्च को यहां पर विधान सभा में यह मामला उठाया गया तो मुख्य चिकित्साधिकारी ने छापे मारे। उनका एक पत्र है, जिसे मैं लाया हूं। उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि विगत दिनों में नकली दवाईयों के संबंध में विभिन्न अखबारों में छपे समाचारों के संदर्भ में जो तथ्य प्रकाश में आये थे, उसके अनुसार कानपुर स्थित मेरे अधीनस्थ कार्यरत औषधि नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय-समय पर विक्रय संस्थाओं पर आकस्मिक छापे मारे। विभिन्न दवाईयों को एकत्रित करके, जब उनका परीक्षण किया गया तो उसमें 14 दवाईयां नकली व 28 दवाईयां निम्न स्तर की पाई गई। यहां पर प्रश्न करने के

बाद में उनसे मिला और पूछा कि इन पर आपने कोई कार्यवाही की । तब उन्होंने कहा कि मैंने छापे मारे और 14 दवाईयां नकली पायी और 28 नमूने निम्न स्तर के पाये । यह मेरा कथन नहीं है, यह आपके मुख्य चिकित्साधिकारी का पत्र है । मुख्य चिकित्साधिकारी खुद मानते हैं कि कानपुर में नकली दवाईयां बन रही हैं और सप्लाई हो रही हैं ।

यह एक गम्भीर मामला है । मेरे पास कुछ दवाइयों के नाम हैं, उनको मैं इस आदरणीय सदन में पढ़ रहा हूं जो इस प्रकार हैं ।

इनको मैं लाया हूं ।

1--"डेक्सोरेंज" असली है नकली है "डेक्सोरेंज" ।

2--"आंक्सलजीन" असली है नकली है "आंक्साजीन" ।

3--"एनालजिन" असली है नकली है "एनलजिन" ।

4--"न्यूरोबिआन" असली है "न्यूरोलांन" नकली है ।

5--"एण्ट्रोविवनाल" असली है नकली है "इकोनाल" ।

6--"सेपट्रान" असली है नकली है "सुपट्रान" ।

7--"सल्फा-गैनोडीन" पेट की दवा होती है यह असली है नकली है "फयूरासिन" । इसी प्रकार, मैं 21 दवाओं के नमूने लाया हूं, जो असली भी हैं और नकली भी हैं । मैं चाहता हूं कि आपको सौंप दूं । मेरी पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश में स्थायी ड्रग कण्ट्रोलर की नियुक्ति की जाय, जो हो जायगा तो मैं समझता हूं कि जो आपका कानून है, सख्ती से उसका पालन किया जायगा । उसकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है, यह तो आप ही जानते होंगे । दूसरी तरफ जो डायरेक्टरेट है, स्वास्थ्य सेवाओं का विभाग, वह प्रभावी ढंग से काम नहीं करता है । उत्तर प्रदेश में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को नकली दवाओं से खतरा पैदा हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें । इन दवाओं के सम्बन्ध में, जो आप लाये हैं मेरा निवेदन है कि इनकी लिस्ट बनाकर सील करके भेज दीजिये, माननीय मन्त्री जी उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री मनोहर लाल--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि नकली दवाओं के इस मामले को उत्तर प्रदेश की सरकार गम्भीरता से लें और नकली दवायें बनाने वालों को फांसी की सजा भी दी जाय तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी संक्षिप्त बात कह लें तो ठीक है, उसके बाद आप कहें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी---

यह बात जो कही गयी सत्य है, इसमें कोई विवाद नहीं है । उत्तर प्रदेश में नकली दवा मिलती है, इसमें कोई विवाद नहीं है । प्रदेश से भी आती है और देश के अन्य प्रदेशों से भी आती है ।

यह भी सही है कि परमानेन्ट ड्रग कन्ट्रोलर नहीं है । सुप्रीमकोर्ट का डायरेक्शन है कि जब तक ड्रग डायरेक्टर चयनित न हो, आई0 ए0 एस0 को रखिये, आई0 ए0 एस0 हैं । दवा के निर्माण में डायरेक्टर, मेडीकल एण्ड हेल्थ को कोई पहल नहीं है । दवा की खोजबीन में ड्रग डायरेक्टरेट का हाथ है । इसमें तीन परेशानियां हैं । दवाओं की जांच करने की केवल एक लेबोरेटरी है, जहां कि 3000 सैम्पिल लम्बित हैं, उसकी क्षमता महीने में 10 सैम्पिल तथा वर्ष में 300 सैम्पिल की है । इस कार्य के लिये अब मेरठ और वाराणसी में दो लेबोरेट्री और स्थापित की जा रही हैं । ताकि जो दवाइयां मिलती हैं उन पर रोक लगे । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात कई बार उठायी जा चुकी है कि नकली दवाइयों का धन्धा करने वाले जो लोग हैं उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये । उनके लिये कोई दण्ड निकाला जाना चाहिये जिससे कि लोग डरें । 28 तारीख को फिर हमारी बैठक है भारत सरकार में, मैं सदन की भावना से फिर उनको अवगत कराऊंगा अभी हमारे गृह राज्य मंत्री जी यहां बैठे हुए थे वह कह रहे थे कि ऐसा क्यों होता है ? मैंने कहा कि आपका कसूर है । जब तक एफ0 आई0 आर0 लाज नहीं होगी, पुलिस ऐक्शन में नहीं आयेगी ।

हमारे प्रदेश में 57 जिले हैं जिसमें केवल 17 अधिकारी हैं दवाइयों पर रेड डालने के लिये । यह मामला लम्बित है और इसमें प्रयास किया जा रहा है । इसके लिये ड्रग इंस्पेक्टरों की 50-60 की संख्या में भर्ती की जायेगी । बी0 फार्मा0 इसकी क्वालीफिकेशन है । हम इसमें बचाव नहीं करना चाहते हैं । हम कसूरवार हैं कि हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं । जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री हुआ हूं, हमारी बराबर कोशिश रही है कि इसमें कड़ाई हो और इस चीज को रोका जाय ।

जहां तक सैम्पिल का सम्बन्ध है, यह आपके माध्यम से आ जांय । माननीय सदस्य इसे सचिव, विधान सभा को भेज देंगे और जिस दूकान का नाम होगा मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय मंत्री जी ने जिस गम्भीरता से स्वीकार किया कि नकली दवाइयों का निर्माण न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि देश के बाहर भी हो रहा है, मैं उनकी स्वीकृति की प्रशंसा करता हूं । इसमें तीन बातें हैं कि जो कम्पनियां दवा निर्माण कर रही हैं और उनका जो फारमूला है वह उनके द्वारा प्रकाशित होता है और तीसरी बात यह कि ड्रग इंस्पेक्टर जो कि इसको देखने का काम करता है । जो औषधि नियंत्रक दवाओं की छानबीन करके घटिया दवाओं का निर्माण कराता है ।

हमारे प्रदेश यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 में स्वयं में, अपने आप में कोई निर्माता नहीं है । आई0 डी0 पी0 एल0 भारत सरकार की है उसमें भी स्वयं में कोई निर्माता नहीं है । वह कम्पनियों को ठेका देती हैं । इसमें दो जगह पर बेईमानी होती है । सरकार की संस्था दूसरी कम्पनियों से दवाइयों का निर्माण कराती है । वहां पर बहुत बड़ी जो जीवन रक्षा की दवाइयां हैं उनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है और जो जीवन के विनाश का कारण बन जाती हैं । उसी का परिणाम है कि हमारे बीच में नकली दवाइयों का परिचलन जोरों पर चल रहा है ।

ड्रग इंस्पेक्टर जो जिले में नियुक्त हैं उनका इन कम्पनियों से ताल-मेल होता है, केवल कुछ नोटों के आदान-प्रदान पर वह इन पर मोहर लगा कर पास कर देते हैं, यह नैतिक स्तर की गिरावट है ।

हमारे प्रदेश में जो गरीब लोग हैं उन्हें सस्ते दाम पर यदि दवाइयां मुहैय्या हो जाती हैं एक ही नाम की दो दवायें तो वे इसे सस्ता होने के कारण से ले लेते हैं बाजार से क्योंकि गरीब आदमी अपनी परिस्थिति से मजबूर होता है और एक ही नाम की जो सस्ती दवा मिलती है उसे वह स्वीकार कर लेता है। कभी-कभी वह दवा फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान कर देती है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ड्रग इंस्पेक्टर और निदेशक स्तर पर जब तक आप कोई प्रबन्ध नहीं करेंगे तो जैसा कि आपने बताया है उसमें मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि ड्रग इंस्पेक्टर का कंट्रोल कैसे इफेक्टिव हो, इसको सी0 एम0 ओ0 के थ्रू रखेंगे या यह कि जो सी0 एम0 ओ0 प्रमाण-पत्र देते हैं कि आप केमिस्ट की दूकान खोल ल, जिसकी वजह से यह हो रहा है कि जो आदमी केमिस्ट की दुकान खोलने का अधिकृत नहीं होता है उसे भी खोलने की इजाजत दे दी जाती है और ड्रग इंस्पेक्टर्स जब कहीं चेकिंग को जाते हैं तो उनको पहले ही यह बता दिया जाता है कि अमुक-2 दुकान हमारी हैं और फलां-2 दुकान आपकी हैं, यही कारण है जिसकी वजह से नकली दवाओं का प्रकरण हर जगह चल रहा है और इसी की वजह से बिमारी हर जगह फैल रही है लोगों के जीवन खतरे में पड़े हुए हैं।

यू0 पी0 डी0 एल0 के अन्तर्गत जो कम्पनियां प्रदेश से बाहर दवाएं सप्लाई कर रही हैं सरकार को इस ओर यह व्यवस्था करनी होगी कि बिना परीक्षण कराए कोई दवाएं नहीं बिकेंगी और जो भी दवा बिना परीक्षण के बिके उनके खिलाफ सख्त व सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी सरकार की जिम्मेदारी है और जैसे यह व्यवस्था होगी आपको तो निश्चित रूप से इस ओर नियंत्रण आप कर सकेंगे साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भी दवाएं नकली व फर्जी होती हैं उनमें सही दवाओं के लेबल लगे हुए होते हैं, लेकिन वह दवा उस कम्पनी की नहीं होती है, होता यह कि यह नकली कम्पनी वाले उन असली कम्पनी वालों से मिल लेते हैं कि यह-यह दवाएं तुम्हारे लेबल पर हम बनाएगें, आपस में एक समझौता कर लिया जाता है, इस वाह से भी नकली व फर्जी दवाएं बढ़ रही हैं, इसलिए इस ओर भी आपको विशेष कार्यवाही करनी होगी और ऐसी कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाने होंगे।

दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर दवाओं की खरीद उत्तर प्रदेश सरकार करती है और दूसरे केमिस्ट भी करते हैं, इनमें अच्छी दवाओं के साथ घटिया दवाएं भी शामिल हो जाती हैं, इसको भी देखना होगा और यही दवाएं हास्पिटल में जाकर बड़े पैमाने पर नकली रूप धारण कर लेती हैं, इसमें बीच में या शुरू में कहीं पर गड़बड़ी हो जाती है, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है क्योंकि श्रीमन्, जब दवाएं खरीदी जाती हैं, तो समस्त प्रकार से चेकिंग अवश्य की जाती होगी और यह बात उस समय पकड़ में न आए और बाद में जब यह दवाएं हास्पिटल चली जाएं वहां यह नकली साबित हों, इस गड़बड़ी पर आप और इस लूट पर जब तक आपकी ओर से कोई सशक्त कंट्रोल नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है इसीलिये मैं कहना चाहूंगा कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जो चेकिंग की जाती है, उसे आप और इफेक्टिव बनायें और इसी प्रकार से नकली दवाओं के वितरण पर कम से कम रोक लगाई जाये और दवायें परीक्षण शुदा बाजार में बिकें और यदि कहीं कोई बिना परीक्षण के दवायें बेंच रहा है तो उस पर सम्पूर्ण कार्यवाही की जाये और फर्जी दवाओं के बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जाये और इस प्रकरण की पूरी तरह से जांच की जाये तब जाकर इस ओर कुछ सुधार अवश्य हो सकता है।

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय रघुवर दयाल वर्मा आदि माननीय सदस्यों ने जिन-जिन बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और उस पर माननीय मन्त्री जी ने भी अपनी मोहर लगा दी है कि देश और प्रदेश में किस प्रकार से नकली व फर्जी दवायें बन व बिक रही हैं जो प्रदेश के नागरिकों के हित में नहीं हैं और सामान्य रूप से इस प्रदेश में आज भी 60 प्रतिशत गरीब लोगों की आबादी है मुफलिसों की आबादी है, जहां सस्ती दवायें ही अधिक प्रयोग में लायी जाती हैं ।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह कह दिया कि प्रदेश में नकली दवाओं का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उनका उत्पादन क्यों हो रहा है, उस पर रोक क्यों नहीं लगायी जाती है, इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि नकली दवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, उसके पीछे सरकार अप्रत्यक्ष रूप से दोषी है । कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके कारण ही नकली दवाओं का उत्पादन हो रहा है । इस देश में जो दवाओं के बनाने की कम्पनियां हैं, जिनको लाइसेंस दिया गया है, वह उसके अनुकूल दवायें नहीं बना पा रही हैं ।

असली दवाओं में भी बहुत-सी ऐसी दवायें हैं, जो टेक्नालाजी के आधार पर, उनके माप-दण्ड के आधार नहीं होती हैं । जो बड़ी कम्पनियां हैं, वह बहुत ही कम हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जो बड़ी कम्पनियां हैं, वह दवाओं की मांग को पूरा करने के लिये छोटी कम्पनियों से दवायें बनवाती हैं और तब उनको बाजार में भेजती हैं और अपने नाम से दवा बनवाती हैं और अपने ही नाम से दवायें बेचती हैं, जबकि उनका निर्माण किसी दूसरी कम्पनी में होता है । जो हमारी बड़ी कम्पनियां हैं, वह बड़ी मात्रा में दवाओं का उत्पादन नहीं कर पाती हैं । दूसरी बात यह है कि सरकार ने यह सोचा कि छोटी कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया जाये और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सी कम्पनियों ने लाइसेंस ले लिये और नकली दवायें बनाना शुरू कर दिया और नकली दवायें बाजार में आ गयीं । स्वास्थ्य की दृष्टि से जिस माप-दण्ड से उनका निर्माण होना चाहिये था, उससे नहीं निर्माण किया गया ।

मान्यवर, अभी मनोहर लाल जी ने कहा कि सेपट्रान और सुपट्रान दो दवायें हैं । इसमें भ्रम हो जाता है और नकली दवा लोगों तक पहुंच जाती है । दवाओं के दाम में बहुत समानता है, एक ही नाम की एक ही पैक की और एक ही तरह की दवायें बाजार में आ रही हैं, जिससे भ्रम पैदा हो रहा है, तो मेरा कहना है कि आप इनको रोकते क्यों नहीं हैं ? एक और बात है कि बहुत-सी ऐसी दवायें हैं जो पंसारी की दुकान पर बिकती हैं, जैसे दाद और खुजली की दवा पंसारी की दुकान पर बिकती है, उनका दूसरी प्रकार से प्रयोग नहीं हो सकता है । उन पर आप नियंत्रण क्यों नहीं करते हैं । तीसरी बात यह है कि अभी तक दवाओं के लिये जो आपने कानून बनाया है वह इफेक्टिव नहीं है । अभी आगरे में एक चौरसिया के दवाओं के भंडार में छापा मारा गया था । वह न तो दवाओं का बिक्रेता था और न ही निर्माता था । वहां पर दवाओं का बड़ा भंडार पाया गया ।

अब समस्या यह आती है कि उन्हें पुलिस किस ऐक्ट में बन्द करे । यही नहीं, जितनी भी ऐसी दवायें पायी जाती हैं, जितनी भी ऐसे निर्माता या बिक्रेता पाये जाते हैं उनको किस कानून के तहत पकड़ा जाये । यह सवाल पैदा होता है । किस धारा के तहत उन्हें बन्द किया जाये । इसीलिये आपका ड्रग कंट्रोल ऐक्ट प्रभावी नहीं है । उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर कोई धारा लागू नहीं होती । इसलिये मेरा सुझाव है कि नकली दवाओं के निर्माता और बिक्रेता को क्रिमिनल ऐक्ट के तहत बन्द किया जायेगा तभी आपका ड्रग कंट्रोल ऐक्ट प्रभावी हो सकेगा ।

मान्यवर, बन्दूक से तो एक आदमी या अपराधी मारा जा सकता है लेकिन यह तो बन्दूक से भी ज्यादा खतरनाक है । राइफल से तो एक आदमी मारा जायेगा जिससे दुश्मनी हो, जिसका कारण हत्या हो लेकिन नकली दवायें बनाना तथा बेचना तो ऐसी हत्या है जो अकारण अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये छोटे-छोटे बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की और नौजवानों की हत्या करते हैं । सारे देश का इतिहास पलट जायेगा । यह जो ड्रग कंट्रोल ऐक्ट है वह उन अपराधियों को जो समाज के सबसे बड़े अपराधी हैं, उनके लिये इसमें पकड़ने के लिये कोई कानून का प्राविधान नहीं है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस ड्रग कंट्रोल ऐक्ट में ऐसी धारा जुड़नी चाहिये जिससे ऐसे लोग बन्दी बनाये जा सके ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय वर्मा जी ने माननीय राणा जी ने बहुत ही विस्तार से इस सम्बन्ध में चर्चा की है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह एक गम्भीर प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

संक्षेप में ही कहें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं संक्षेप में ही कहूंगा । यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और चिन्ता का विषय है । राणा जी ने जो बात कही उसमें सख्ती की जरूरत है और वह एक प्रकार से एन्टी नेशनल ऐक्टिविटी है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है । मान्यवर, किसी ने कहा है कि "आई हैव फेद इन एवरी मेडिसिन बट नोट इन एवरी डाक्टर" । जब यह बात पता होती है कि यह मेडिसिन स्पुरियस है तो कैसे फर्क किया जायेगा कि कौन जेन्युइन है और कौन स्पुरियस है, इस तरह से तो जो जेन्युइन मेडिसिन है उस पर से भी लोगों का विश्वास नहीं रह पायेगा । जब किसी का नेचुरल डैथ हो जायेगा तो उस पर भी यह विश्वास होगा कि सही दवा नहीं मिला इसलिये फलां की डेथ हो गई । सवाल इस बात का है कि कैसे इसको रोका जाये । क्वेश्चन आफ क्वेश्चन इज दिस । माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि यह सेन्ट्रल ऐक्ट है । लेकिन मेरा कहना तक ख्याल है कि यू0 पी0 स्टेट भी अपना ऐक्ट इस सिलसिले में बना सकता है । कोई रोक नहीं है । आई0 पी0 सी0 में इसके मुत्तालिक कानून है । इस सम्बन्ध में सख्त कदम उठाया जाना चाहिये जिससे दवाओं के सम्बन्ध में जो अविश्वसनीयता है, वह दूर हो जाये ।

एक दूसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो डाक्टर आज देहातों में घूम रहे हैं जो बोगस और फेक डाक्टर्स हैं, जिनके पास लाइसेन्स नहीं है, वे दवायें इस्तेमाल कर रहे हैं । देहातों में इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट पर)

ऐसी दवायें देहात और शहरों में आ गयी हैं क्योंकि यह थोड़े दाम में मिलती हैं। लोग यह समझते हैं कि बड़ी चीज है और सस्ती है इसलिए उसे ले लेते हैं। इसलिए इस पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके पहले भी ऐसे मामले यहां आ चुके हैं कानपुर में लोग मरे और दूसरी जगहों में लोग मरे। बम्बई में एक जस्टिस को इस पर इनवैस्टीग्रेट करने के लिए कहा गया उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि स्पूरियस दवाओं का इस्तेमाल लोग करते हैं इस पर सख्ती से काम होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा के माध्यम से कोई न कोई सख्त कदम उठाया जायेगा और उसका नतीजा आवश्यक होगा और उन लोगों के लाइसेंस कैंसिल होंगे जो यह काम करते हैं और इस बात पर भी कदम उठाया जायेगा कि जो फेक डाक्टर काम कर रहे हैं वह प्रैक्टिस नहीं कर पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण जो डाक्टर हैं उन सभी को मौका देना चाहता हूं।

श्री भगवान दीन कुशवाहा---

हमें भी मौका दें हम आप के साथ रहे हैं।

*डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं हमेशा से ही जब से यहां आया हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान फर्जी डाक्टरों और नकली दवाओं की ओर आकर्षित करता रहा हूं। फर्जी डाक्टरों की बात भी अपनी जगह पर है लेकिन वह आज चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन नकली दवाओं की भरमार गाजियाबाद और दिल्ली से होती है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी कृपा कर सुनें।

श्री लोक पति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं सुन रहा हूं।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मैं बताना चाहता हूं पिछले वर्ष का ही आप देख लें आप के ड्रग इंस्पेक्टरों ने कितने केसेज पकड़े हैं शायद नगण्य ही होंगे। यही कारण है कि नकली दवाओं का प्रचलन बढ़ रहा है। वैसे भी आपके यहां ड्रग इंस्पेक्टर बहुत कम हैं लेकिन उनमें भी कैमिस्ट से माहवारी उनका बंधा हुआ है दो सौ तीन सौ जितना भी हो कैमिस्ट को देना होता है उसके बाद वह चाहे जो दवा बेचे। पैसा उनके पास आ जाता है फिर वह कभी चैक नहीं करते हैं। हमारे बरेली में ही करीब डेढ़ हजार कैमिस्ट हैं साल में एक से ज्यादा मामला नहीं पकड़ा होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर एक जिले में एक मामला एक महीने में पकड़ लें तो कम से कम 6 महीने के लिए फर्जी दवाओं का आना जाना बंद हो जायेगा। थोड़ी कड़ाई अगर ड्रग इन्स्पेक्टर करे एट्रेन्डम चैकिंग करे तो यह रुक जायेगा। अगर सही माने में चेकिंग की जाय तो 10 में से 6 दवायें नकली निकलेंगी।

माननीय मनोहर लाल जी ने ठीक ही बात कही मैं भी डाक्टर हूं ऐसा होता है कि डाक्टर दवा भी ठीक दे रहा है डाइग्नोसिस भी ठीक है लेकिन उसे फायदा नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि 4, 5 दिन हो गये मरीज को फायदा नहीं हो रहा है

तो हमें कहना पड़ता है कि किसी दूसरे अच्छे कैमिस्ट के यहां से दवा लाओ और फिर उसका असर हो जाता है। इससे डाक्टरों की बदनामी अलग होती है। जब 4, 5 दिन तक मरीज ठीक नहीं होता है तो मरीज का भी विश्वास डाक्टर से उठ जाता है। कभी-कभी तो उसका एडवर्स इफैक्ट भी होता है और मरीज मर जाता है तो उसका दोष भी डाक्टर पर लगता है। लेकिन कैमिस्ट नहीं पकड़ा जाता है। जब तक इस पर कड़ा कदम नहीं उठायेंगे यह बड़े पैमाने पर चलता रहेगा।

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी 28 तारीख को सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं वह इस बात का प्रयास करेंगे और हमारे यहां ड्रग इंस्पेक्टर बढ़ायें जांय। यह भी होना चाहिए कि महीने में वह इतनी चैकिंग जरूर करेंगे और उनका निरीक्षण होगा। अन्यथा जैसा राणा जी कहा बंदूक से मारने वाले से ज्यादा कड़ी सजा नकली दवाओं को बेचने वालों को होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश को हो रहा है यह देशद्रोही हैं ऐसी दवाओं को बेचने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिये।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह अपने आप में चिंतनीय विषय है। हमारे साथी जो उधर बैठे हैं उन्होंने विस्तार से उस पर रोशनी डाली है। श्रीमन् मैं बहुत सूक्ष्म में इस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। अभी मैं सुन रहा था श्री विजय सिंह राणा जी के भाषण को, मेरा यह अनुभव है कि नकली दवाइयों का कारोबार छोटी कम्पनियों तक ही सीमित नहीं है, मैं तो यह मानता हूं कि यह बहुत बड़ा एक षडयंत्र है कि जो बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल्स कम्पनियां हैं वह नहीं चाहती हैं कि हिन्दुस्तान और प्रदेश छोटी-छोटी दवाइयां बनाने वाली कम्पनियां विकसित हों। अब तक का इतिहास देखें तो मल्टी नेशनल्स, बड़ी-बड़ी फर्मों की दवाइयां सब-स्टैन्डर्ड और स्पूरियस निकली हैं। मैं मिसाल के लिए बताना चाहता हूं कि ब्यूरोबियान इंजेक्शन, जो कीमती है, जिस समय वह इंजेक्शन पकड़ा गया उनके कम्पनी के पर्सनल मैनेजर तक पता नहीं लगा सके कि असली कौन है और नकली इंजेक्शन कौन है। नकल उसकी होती है जो दवा बाजार में ज्यादा चलती है और ज्यादा कीमती होती है उसमें नकल करने में फायदा होता है।

श्रीमन् सबसे बड़ी समस्या डाक्टर की बदनामी तो होती ही है लेकिन जो जीवन से खिलवाड़ होता है व्यक्ति को दुबारा जिन्दगी नहीं दे सकते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की बात को मानता हूं कि इसमें सेन्ट्रल ऐक्ट लागू होता है लेकिन जो बना हुआ ऐक्ट है उसको प्रभावी तरीके से लागू करें तो काफी हद तक इसमें रोकथाम हो सकती है। अब सवाल यह है कि हमारे प्रदेश में ड्रग कंट्रोल विभाग है, जो नजर रखता है कि दवाइयां सही बनें वह लाइसेन्स भी देता है लेकिन पिछले तीन सालों से हमारा प्रदेश बिना ड्रग कंट्रोलर के चल रहा है, तो इसमें नकली और सब-स्टैन्डर्ड दवाओं पर किस प्रकार आप रोक लगा सकेंगे।

मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स एक जिले में कम से कम एक होना चाहिए, आज 58 जिले हैं जिनमें 30-35 जिले ऐसे हैं जहां ड्रग इंस्पेक्टर है ही नहीं। कुल जमा 34-35 इंस्पेक्टर्स हैं और यदि एक-एक जिले में एक-एक नियुक्त कर दें तो 30-35 जिलों में काम हो जाता है लेकिन कहीं-कहीं एक-एक जिले में 4-6 ड्रग इंस्पेक्टर्स तैनात कर दिये गये हैं, तो इस तरह से काफी जिले बिना ड्रग इंस्पेक्टर के चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जो सेक्शंड पोस्टें हैं उनको ही आप

आज पूरा करवा दें और एक जिले में जहां ज्यादा दवाइयां बन रही हैं वहां एक से ज्यादा जो व्यक्ति लगा दें तो प्रभावी कार्यवाही हो सकेगी। यह तो प्राइवेट कम्पनियों की बात हुई।

श्रीमन, यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 एक संस्था है जो यू0 पी0 में दवाइयां बना रही है। अपेक्षा की जाती है कि पब्लिक सेक्टर स्टेट का है, अच्छी दवाइयां और स्टैंडर्ड दवाइयां मिलेंगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पिछली आडिट रिपोर्ट देखें यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 की तो उसमें कम से कम एक दर्जन से ज्यादा जैसे प्रेडनो-सिलोन लाइव सेविंग ड्रग है वह भी सब-स्टैंडर्ड पायी गयी, एन्टी बायोटिक दवायें सब-स्टैंडर्ड पायी गयीं। तो यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 की दवायें सब-स्टैंडर्ड निकलीं तो आप देखें कि दूसरी कम्पनियों की क्या स्थिति होगी? तब आप प्रदेश में मल्टी नेशनल्स को कंट्रोल कैसे कर पायेंगे। छोटी कम्पनियों को तो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और उनके लाइसेन्स निरस्त कर देते हैं लेकिन यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 की दवायें सब-स्टैंडर्ड और स्पूरियस निकलीं तो आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के सचिव उसके चेयरमैन हैं।

एक मामूली ड्रग इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं है कि यह यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 की बनी हुई दवाओं का कोई सेम्पुल ले सके और यदि उसने इस बात की किसी तरह हिम्मत भी कर ली और विश्लेषण रिपोर्ट भी आ गई तो उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सके, यह उसके लिए असम्भव बात है। तो मैं निवेदन करूंगा कि करोड़ों रुपये की दवायें जो उत्तर प्रदेश सरकार यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 से खरीदती है, वह भी काफी हद तक खराब और सब-स्टैन्डर्ड होती हैं। अब तो यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 बाटा कम्पनी की तरह काम कर रहा है, दवायें लुधियाना से बनवाता है, और उस पर लेबल अपना लगवा देता है। यदि यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 यही करने लगा तो इसका महत्व ही क्या रह गया, इसकी आवश्यकता ही क्या रह गई। इससे एक मिडिलमैन या बिचौलिये के तौर पर काम करने की आशा नहीं की गई थी। उससे आशा तो यह की गई थी कि वह आवश्यक दवाएं, आम जनता के इस्तेमाल की दवाएं सही प्रकार से और कम रेट पर तैयार कर जनता को उपलब्ध करायें। उनके पास दवायें भी नहीं हैं और जो हम उनसे खरीदते हैं वह उनकी अपेक्षा बाहर की बनी हुई ज्यादा होती हैं।

11 करोड़ का हमारा दवाओं का बजट है, दवाओं के सम्बन्ध में अब आदेश हो गये हैं कि सारी की सारी दवायें यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 से ही खरीदी जायें।

(व्यवधान)

हां उनका घाटा भी बहुत है क्योंकि बनाने वाले (बेचने वाले) और खरीदने वाले एक ही हैं। हमारे उद्देश्य को पूरा करने में यह जरा भी सक्षम नहीं है। जो सब-स्टैन्डर्ड दवायें बन रही हैं और नकली दवायें बन रही हैं उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 के विरुद्ध भी वैसी ही कार्यवाही होनी चाहिए। जिस बजट में आप उससे दवायें खरीदते हैं, उतने बजट में आप उससे दुगुनी दवाएं खरीद सकते हैं। मैं वर्तमान कानूनी व्यवस्था के चलते हुए आपसे मांग करता हूं कि प्रदेश में ड्रग कन्ट्रोलर की जगह भरी जाय, जो पिछले तीन साल से खाली पड़ी है, प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाय जिससे कम से कम प्रत्येक जिले के लिए एक हो सके और तब तक इनकी हर जगह समान स्ट्रेन्थ कर दें, इनका सभी जगह पर समानरूप से वितरण कर दें, इससे ही प्रदेश का और इस देश का बहुत बड़ा भला होगा।

श्री अधिष्ठाता--

6'42 पर इस चर्चा को हम लोग समाप्त कर देंगे आपसे अनुरोध यह है कि यहां पर कई सम्मानित सदस्य डाक्टर्स हैं और कुशवाहा जी भी बहुत महत्वपूर्ण वार्ता करते हैं, इसलिए उनको भी सुनना है, अतः आप लोग अपनी बात को बहुत संक्षेप में ही कहें ।

*डाक्टर बंगाली सिंह--

मान्यवर, मैं नकली दवाओं के बारे में मंत्री जी को कुछ सुझाव मात्र दूंगा । एक तो आप चेकिंग के ऊपर कुछ क्रास चेकिंग करवा लीजिए । यह होगा तो लोग डरेंगे और सही काम करेंगे । जितने डी फार्मा हैं और उनके जो फार्मिसिस्ट्स हैं उनके नाम से सारे दवा की दुकानें चल रही हैं, जबकि उनके मालिक लोग वास्तव में दूसरे लोग हैं, जो दवाओं के नाम आदि के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं । इसलिए उस पर रोक लगनी चाहिए ।

आयुर्वेदिक दवाएं भी बहुत सारी नकली बेची जाती हैं और सरकार का ध्यान कभी आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ गया ही नहीं है । मैं आयुर्वेद से सम्बन्धित हूं, बी0 एच0 एम0 एस0 हूं । मेरा अपना अनुभव यह है कि आयुर्वेद में जितनी दवाएं हैं, उनमें 99 फीसदी दवाएं नकली होती हैं । चाहे आसव हो, चाहे रस हो और भस्म हो । आज 80 फीसदी गांव के आदमी आयुर्वेद की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और जो आयुर्वेद के रस-भस्म हैं, वह सब नकली हैं । वह अच्छा काम नहीं हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा । मैं अभी परसों की आपको घटना बताऊं, एक आदमी को एलर्जी थी उसको मैंने एविल टैबलेट दिया, किन्तु उसकी तकलीफ घटी नहीं घटने के बजाए बढ़ गई । तो मैंने फिर उसे डिकाड्रान का इंजेक्शन लगा दिया तो इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है । तो मान्यवर, आप नकली दवाओं पर रोक लगायें और आप क्रास चेकिंग कराने की व्यवस्था करें । केमिस्टों के लिये लाइसेंसिंग प्रणाली करने से समस्या का हल निकल सकेगा । बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, नकली दवाओं और नकली इंजेक्शन बनने और जनता द्वारा उसका प्रयोग करने से प्रदेश के हजारों लोग बीमार हो जाते हैं । माननीय त्रिपाठी जी आपको भी खुदागंज जाना है । आप इन नकली दवाओं और नकली इंजेक्शन पर रोक लगायें । आपकी नजर उस कुर्सी पर है । आप अपने विभाग को तो सम्भाल नहीं पा रहे हैं तो उस कुर्सी पर बैठकर प्रदेश को कैसे सुधारेंगे [× × ×]

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय भगवान दीन कुशवाहा जी ने यह जो कहा है यह लिखा नहीं जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, जो सदन का सदस्य नहीं है उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता । इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने पहले ही कह दिया है कि यह नहीं लिखा जायगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

यह जो नकली दवायें और नकली इंजेक्शन बन रहे हैं इनको आप रोकें । आप रोक नहीं पा रहे हैं तो विभाग को क्यों नहीं छोड़ देते ?

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठिये ।

*श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, आज नकली दवायें तो बन ही रही हैं उसके साथ-साथ दवाओं के नामों में जो डुप्लीकेसी है उससे समाज के अन्दर भ्रामक प्रचार पैदा होता है । नकली दवाओं को छोड़ दीजिये । हाथी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया है कि 200 दवाइयां हैं लेकिन उनको आज 20 हजार कम्पनियां बना रही हैं । टेट्रासाइक्लीन, पैरासीटामाल आदि जो स्पेसिफिक नाम की दवाइयां हैं उनकी जगह पर उससे मिलती-जुलती दवाइयां बेची जा रही हैं । इसलिये दवाओं के जोडिक नेम्स होने चाहिये । सेप्ट्रान की बाजार में गुडविल है लेकिन ट्राईमिथाइलप्राक्सीप्रिम को बेचा जा रहा है । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी अरबपति कम्पनी एस0 के0 एफ0 है यह पहले आयोडेक्स एलोपैथिक फारमूले से बनाती थी लेकिन अरबों रुपयों की ड्यूटी बचाने के लिये इतने आयोडेक्स को आयुर्वेदिक फारमूले से बनाना शुरू कर दिया । जबकि इसकी कीमत 9 रुपये ही रही । इससे जनता को तो कोई लाभ नहीं पहुंचा लेकिन इस कम्पनी को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ क्योंकि इसको इक्साइज ड्यूटी नहीं देना पड़ता है ।

इसी तरह से विजय लेबोरेट्रीज लखनऊ ने एक 420 का काम यह किया है । यह कम्पनी डेक्साओरेंज तथा हेप्टोग्लोबिन बनाती है जो दूसरी कम्पनी बनाती है । यह विजय कम्पनी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती है । इसने तो आयोडेक्स की तरह दवाई बनायी और उसका नाम लोडेक्स रखा है (माननीय सदस्य ने दोनों दवाइयां सदन में दिखायी ।) इस कम्पनी ने एल को बड़ा कर दिया जिससे आयोडेक्स का धोखा होता है तो इस तरह से लोडेक्स को आयोडेक्स समझ कर जनता खरीदती है । इसकी रोकथाम करने में शासन असहाय है । दोनों कम्पनियों को हम नहीं छू सकते हैं क्योंकि उनके पास लाइसेंस हैं ।

मान्यवर, 1976 में हाथी कमीशन की रिपोर्ट आयी और उसको लागू नहीं किया गया वरना आज जो दवाओं में डुप्लीकेसी हो रही है वह नहीं हो पाती । यह एक रिपोर्ट इसलिये लागू नहीं हो पायी क्योंकि बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने सरकार को रुपया देकर हाथी कमेटी की रिपोर्ट को दबवा दिया । अगर हम ड्रग कंट्रोल को सशक्त कर दें तो अपने ही प्रदेश में गुणात्मक दवायें बन सकती हैं लेकिन सरकार ऐसा करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं चाहती है क्योंकि कमीशन मिलता है । मान्यवर, आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक के लिये निदेशालय बनाया गया है इसी तरह से एक औषधि बनाया जाना चाहिये । जसा कि कौशल साहब ने कहा लाखों रुपयों की दवाइयां खरीदी जाती हैं ड्रग इंसपेक्टर सी0 एम0 ओ0 के अंडर में होता है उसको हिम्मत नहीं है कि वह अस्पतालों में दवाओं की सैंपलिंग कर सके । मान्यवर, जो अस्पतालों में दवा मिलती है, आप उसकी सैम्पलिंग करायें, तब जाकर मालूम होगा कि दवा कहां पर असली है, दवा किस स्तर की बनी है ? गाजियाबाद, दिल्ली के अन्दर आप देख लें, जहां पर ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया बैठता है, वह वहां पर लाइसेंस दिया करता है, जहां पर डुप्लीकेसी दवाओं की भरमार है और डुप्लीकेट दवाओं के लाइसेंस दिये जाते हैं और डुप्लीकेट दवाइयां बनाई जाती हैं । बड़ी दवा की कम्पनियों की नकल छोटी कम्पनियां इसलिए करती हैं कि उन्हें भी बड़ी कम्पनियों की तरह फायदा हो, वरना दवा की मात्रा और दवा एक ही होती है । यह रेप्टाकास की हेप्टाग्लोबिन और डेक्सोरेज की लागत 2 रु0 होती है, आती है और 20 रु0 में बिकती है, इसीलिए डुप्लीकेसी आयुर्वेद में दवा तैयार की जाती है, डुप्लीकेसी को रोकें, दवायें सब बराबर होती हैं, कंटेट में अगर 500 मिलीग्राम की टैटरासाइक्लिन है, तो हर जगह उतनी ही मात्रा में टैटरासाक्लिन होगी, लेकिन उनका नाम अलग-अलग होगा । जो टेटरासाइक्लिन सब जगह चलती है, उसी की डुप्लीकेसी के द्वारा अधिक से अधिक कम्पनियां लाभ कमा रही हैं ।

अनालजिन पैरासिटामाल, ऐंटीबाइटिक आवश्यक दवाइयों की जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां दवायें बनाती हैं, वे उसका बहुत काफी लाभ उठाती हैं । छोटी कम्पनियां, छोटे दवा निर्माता भी जो दवा बनाते हैं, तो वह भी गुणात्मक दवा होती है, किन्तु दाम कम होने से लोग शक करते हैं कि क्या दवा नकली है, जब कि ऐसा नहीं होता है । इस डुप्लीकेसी को रोकिये और उत्तर प्रदेश में जो करोड़ों रुपये की दवा बाहर के प्रदेशों से मंगाई जाती है, उसे न मंगा कर अपने ही प्रदेश में दवा निर्माताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए । ड्रग इंस्पेक्टर बढ़ाये जायं, कम से कम हर जिले में तीन ड्रग इंस्पेक्टर हों और एक अलग औषधि निदेशालय हो, जिससे स्वतंत्रता पूर्वक यह विभाग कार्य कर सके और अस्पताल और दूकानों की स्वतंत्र रूप से नमूने इकट्ठा करके उसकी जांच करा सकें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् मैंने पहले भी अनुरोध किया था आपके माध्यम से कि यह बहुत ही शर्मनाक चीज होती है । श्रीमन् मैं यह भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में नकली दवा नहीं बिकती है । उत्तर प्रदेश में दवा जो हमारे चिकित्सालयों के लिए ली जाती हैं, उनका एक नियम बना है और इसी विधान सभा द्वारा 1981-82 में स्वीकार हुआ और श्रीमन् यह हमारे सम्मानित सदस्य विरोधी पक्ष ने इस बात को रखा था । उस समय प्रोवर काण्ड की उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा थी और हमारे चीफ हिप (लोकदल) श्री मोहन सिंह ने जो इस विधान सभा के सदस्य थे, प्रस्ताव रखा था, मैंने स्वीकार कर लिया था । उत्तर प्रदेश में जो दवायें दी जाती हैं चिकित्सालयों में वितरण के लिए वह 60 परसेंट दवायें यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 और आई0 डी0 पी0 एल0 से दी जाती हैं । पहले वे 90 प्रतिशत दी जाती थीं, मगर उत्तर प्रदेश के जो दवा निर्माता हैं, उन्हों ने अनुरोध किया और हमने एक कमेटी बनाई थी डा0 कौशल की अध्यक्षता में सी0 एम0 एस0 डी0 को जांच करें और इन्होंने कुछ सुझाव दिया था । उसमें उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश के दवाओं के जो निर्माता हैं, उसमें उत्तर प्रदेश शासन बिलकुल तवज्जह नहीं देता है, जो अनुचित है ।

तो 30 प्रतिशत दवा उत्तर प्रदेश के दवा निर्माताओं से ली जाती है और 10 प्रतिशत दवा उत्तर प्रदेश के बाहर बड़ी-बड़ी कम्पनियों से, जो उत्तर प्रदेश की आई0 डी0 पी0 एल0 या यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 आदि कम्पनी नहीं बनाती है, तो उनसे लिया जाता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अस्पताल से ही मरीजों का रख-रखाव नहीं होता है जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, मनोहर लाल जी ने कहा, राणा जी ने कहा, वर्मा जी ने कहा। दवा विक्रेता जो हैं केमिस्ट उसके लिये लाजिमी है कि उसके पास एक फर्मासिस्ट सम्बद्ध रहे। अगर किसी विक्रेता के पास फर्मासिस्ट नहीं है तो वह दवा नहीं बेच सकता। लेकिन इसमें भी दवा बेचने वालों ने एक लकुना निकाल लिया, उन्होंने होलसेल लाइसेंस लेना शुरू किया और होलसेल का लाइसेंस लेकर रिटेल का काम करने लगे। उसमें यह प्राविधान किया गया है कि अगर एक क्षेत्र में 10 रिटेल शाप हैं अर्थात् 10 फर्मासिस्ट दुकानों से सम्बद्ध हैं तो वहां एक होलसेल का लाइसेंस दिया जायेगा, यह प्राविधान किया गया। लेकिन कानून तोड़ने वाले कानून में से कुछ न कुछ निकाल ही लेते हैं इसको अवश्य रोकना है। मुझे माननीय अधिष्ठाता जी के माध्यम से जो सूची मिलेगी उसमें असली-नकली सारी दवाओं पर असली पर भी रेड करायेंगे और नकली पर भी रेड करायेंगे और यह दिखायेंगे निर्माता का, जिनका भी नाम लिखा है, जैसा कि, हमारे माननीय डा0 कौशल जी ने कहा बड़ी कम्पनियां यह करती हैं, हो सकता है, इसको भी दिखवा लेंगे।

इस सारे मसले पर जो वह चर्चा इस सदन में आज हो रही है इससे एक फायदा उत्तर प्रदेश को अवश्य होगा कि भारत सरकार के मानक के अनुसार हमारे पास ड्रग इंसपेक्टर नहीं हैं और हमारे अधिष्ठाता जी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, यह भी प्रयास किये होंगे अपने जमाने में कि ड्रग इंसपेक्टरों की संख्या बढ़े पर नहीं बढ़ पाई। चूंकि आज यह चर्चा हो रही है, सदन इससे चिन्तित, है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर नकली दवायें क्यों बिक रही हैं और प्रशासन की यह कमजोरी है कि रोक नहीं पा रहा है। सदन इससे चिन्तित है कि ड्रग इंसपेक्टरों के खाली पद हैं, शीघ्र ही उनको भरने का प्रयास अवश्य हो जायेगा आपकी इस चर्चा से ड्रग इंसपेक्टर का मसला लोक सेवा आयोग को गया हुआ है, मगर आज की जो यह चर्चा हो रही है इस चर्चा के अन्तर्गत मुझे विश्वास है कि लोक सेवा आयोग भी कुछ सोचेगा और शीघ्र ही ड्रग डाइरेक्टर हमको ड्रग विभाग के लिये देगा और अगर विलम्ब होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जायेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह है कि जब तक ड्रग डाइरेक्टर नियुक्त न हो तब तक आई0 ए0 एस0 को ड्रग डाइरेक्टर बनाया जाय। तो आई0 ए0 एस0 ड्रग डाइरेक्टर हैं। हम लोक सेवा आयोग से सम्बन्ध स्थापित करेंगे, अगर वहां से जल्दी हमको ड्रग डाइरेक्टर देने की बात हो जायेगी तब तो ठीक है, अन्यथा हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि वह शासन को यह अधिकार दें कि ड्रग से सम्बन्धित किसी वैज्ञानिक की एडहाक नियुक्ति कर लें, जब तक लोक सेवा आयोग से ड्रग डाइरेक्टर न मिल जाय।

तीसरा लाभ आज की चर्चा से इस प्रदेश को यह होगा कि यह मसला हम केन्द्र सरकार पर भी ले जायेंगे। वैसे केन्द्रीय सरकार ने कुछ प्राविधान किया है। अब नकली दवा बेचने वाले को और नकली दवा बनाने वाले को, अगर वे पकड़े जाते हैं तो 10 हजार रुपये का जुर्माना और 10 वर्ष की सजा केन्द्रीय सरकार ने कर रखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य से, मैं न्यायालय की अवमानता की बात नहीं कह रहा हूं, मैं न्यायालय के मान-सम्मान के विपरीत कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं सत्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज तक जो भी सजा उत्तर प्रदेश के न्यायालयों से मिली है, अधिकतम जुर्माना एक हजार रुपये और

अधिकतम सजा 6 महीने की हुई है, जो नाकाफी है। तो आज सदन में यह चर्चा होने से मुझे विश्वास है कि भविष्य में अगर इस तरह के मुकदमें न्यायालय में जायेंगे तो न्यायालय सजा देने के पूर्व इस सदन की इस चर्चा की भावनाओं का आदर करेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मसले को उठाया जो उत्तर प्रदेश की 13 करोड़ जनता और देश की 80 करोड़ जनता से सम्बन्धित है।

जनपद आगरा की नहरों में पानी की आपूर्ति न होने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा। प्रदेश में चीनी में प्रति कुन्तल चीनी की उत्पादन लागत एवं सरकार द्वारा गन्ने के निर्धारित समर्थन मूल्य में विसंगति के सम्बन्ध में चर्चा तथा प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में हो रही सामूहिक नकल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या 35 के सम्बन्ध में सूचना देनी है कि इसको माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया है। मद संख्या 34 और 36 के सम्बन्ध में लोगों का सुझाव है कि इसको भी अब कल ले लिया जाय।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 8 सुचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें से आगरा कालेज, आगरा के केशव देव छात्रावास के वार्डन के निवास पर हथगोले फेंके जाने विषयक श्री विजय सिंह राणा तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 51 की जो सूचना दी गयी है उसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। शेष सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 53 मिनट पर मंगलवार, अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

आज्ञा से,
भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
25 अप्रैल, 1988 ई0

नत्थी "क"

[देखिये नियम 38 (2) के ता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर]

शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण

क्रम-सं०	छात्रवृत्ति का नाम	छात्रवृत्ति देने का आधार	छात्रों की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
				रु०
1	राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति	योग्यता/आय के आधार पर	4382	42,85,000
2	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति	आय एवं योग्यता के आधार पर	2659	30,00,000
3	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्रवृत्ति	योग्यता के आधार पर प्रत्येक विद्यालय में एक छात्रवृत्ति	5103	15,11,000
4	एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा	एकीकृत परीक्षा के सूची "क"	15	61,000
		आधार पर सूची "ख"	4497	24,68,000
		"ख" में प्रत्येक ब्लाक की उक्त पांच छात्र-सूची "ग" वृत्तियों में से एक भूमिहीन श्रमकों के बच्चों के लिये और एक अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये आरक्षित होगी	2376	8,55,000
5	अनुसूचित आवासीय विद्यालयों की छात्रवृत्ति	योग्यता/आय के आधार पर	39	भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता।
6	अध्यापक सन्तान योग्यता छात्रवृत्ति	तदेव	102	1,20,000
7	मध्यम वर्ग छात्रवृत्ति	आय के आधार पर	680	1,73,000
8	निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति	तदेव	377	63,000
9	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को छात्र वृत्ति	प्रतिभा के आधार पर	2135	5,28,000

टिप्पणी :—उपरोक्त छात्रवृत्तियां आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आय को दृष्टि में रखकर दी जाती हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 8वें सो0 के लिये निर्धारित श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 20 का संलग्नक :

विकास खण्ड बेतालपुर में की गई अनियमितताओं के फलस्वरूप दोषी पाये गये उन कर्मचारियों की सूची जिन्हें निलम्बित किया गया था :

सर्वश्री--

1--रामचीज सिंह यादव	खण्ड विकास अधिकारी
2--भरद्वाज तिवारी	ग्राम विकास अधिकारी
3--हनुमान प्रसाद गुप्त	तदेव
4--बाल मुकुन्द लाल	तदेव
5--जगदीश प्रसाद मिश्र	तदेव
6--राम सुमेर राम	तदेव
7--बंश नारायन पाण्डेय	तदेव
8--राम लखन प्रसाद यादव	लेखा लिपिक
9--मधु सूदन मणि त्रिपाठी	कनिष्ठ लिपिक
10--रमेश चन्द्र	सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई)
11--अयोध्या प्रसाद सिंह	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)
12--स्वामी नाथ	ग्राम विकास अधिकारी
13--तारा पति मिश्र	एवंरक लेखा लिपिक
14--महेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी	सहायक विकास अधिकारी (कृषि)
15--हरिहर प्रसाद तिवारी	ग्राम विकास अधिकारी
16--राम सरीखा यादव	सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के लिए निर्धारित कुंवर मानवेन्द्र सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न पत्र 35 के उत्तर का संलग्नक ।

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्राम जहां कार्य हेतु	कार्य का विवरण	कार्यदायी अधिकारी/विभाग
1	2	3	4	5
1	विकास खण्ड–बामोर	परसुआ	समरजेन्स बन्धी एवं गली प्लानिंग	भूमि संरक्षण अधिकारी
		बछेह	,,	,,
		टुरखुरू	,,	,,
		रंघोली	,,	,,
		भदरवारा खुर्द	,,	,,
		गढ़वई	,,	,,
		जखौरा	,,	,,
		बरगांव	,,	,,
		रंपुरा	गली प्लानिंग	,,
		वीरपुरा	,,	,,
		करगवां खुर्द	कूप निर्माण–5 तालब म र0	1 अल्प सिंचाई विभाग है ।
		भदरवारा	,, – पूर्ण	1 ,,
		भसनेह	,, 5 ,,	1 ,,
		टुरखुरू	,, 5 ,,	1 ,,
		गढ़बई	,, – ,,	2 ,,
		सिया	,, – ,,	1 ,,
		धनौरा	,, – ,,	1 ,,
		अस्ता	,, – ,,	1 चैक–1
		परसुआ	,, – ,,	1 1
		बरमाईन	,, – ,,	1
		गुरसरांय	खिरयाघाट रोड	वृक्षारोपण वन विभाग
		गरौठा	ककरबई रोड	,, ,,

1	2	3	4	5
	विकास खण्ड-बामोर (क्रमशः)	गुरसराय कुरैठा रोड	भूमि सृजन कार्य	वन विभाग
		ककरवई-पूर्वी	,,	,,
		शीला	कृषि प्रदर्शन-1	कृषि विभाग
		हैबतपुरा	,, 1	,,
		नुनार	,, 13	,,
		वीरपुरा	,, 5	,,
		रघौली	,, 2	,,
		भवरवारा	,, 9	,,
		रगौली	,, 4	,,
		गरौठा	पशु चिकि0 भेड़ों को दवादान 771	पशुपालन विभाग
		गरौठा	,, 100 भेड़ों का टीकाकरण	,,
		गरौठा	,, 250 के0 जी0 मिनीकिट चरी वितरण	,,
		गरौठा	,, 100 लुबीया	,,
		गरौठा	,, 700 के0 जी0 डी0 ए0 वी0 खाद वितरण	,,
	2--विकास खण्ड-गुरसराय	बंका पहाड़ी	समरजेन्स बंधी एवं गली प्लानिंग	भूमि संरक्षण विभाग
		नुनार	,, वाटर हार्वे बंधी	,,
		शीला	,, ,,	,,
		सिर्वो	,, ,,	,,
		करनपुरा	,, ,,	,,
		माधौपुरा	,, ,,	,,
		बसा चक पहाड़ पहाड़पुरा	गली प्लानिंग	,,
		रघौली	कूप निर्माण-4 तालाब भर 1	अल्प सिंचाई विभाग
		नुनार	,, 5 ,, 1	,,
		चौकरी	,, 5 ,, 1	,,
		हैबतपुरा	,, — ,, 1	,,
		बंका पहाड़ी	,, 6 ,, 1	,,
		शीला	,, 5 ,, 1	,,
		बंकारा	वृक्षारोपण 40 हे0	वन विभाग
		मसनेह	पौधशाला नई पौध तैयार करना	,,

1	2	3	4	5
विकास खण्ड गुरसहाय (क्रमशः)	चौकरी	कृषि प्रदर्शन	3	कृषि विभाग
	माधोपुरा	,,	3	,,
	डोडिया	,,	6	,,
	बंका पहाड़ी	,,	1	,,
	आमली	,,	2	,,
	पशु चिकि0 गुरसराय पशुओं की चि0		82	पशुपालन विभाग
	,,	बांझ पशुओं की चिकि0	48	,,
	,,	पशुओं की शल्य चिकि0	10	,,
	,,	पशुओं को इस्टिंग हाल्स अप	15	,,
	,,	भेड़ों को दवा दान	911	,,
	,,	भेड़ का बन्ध्याकरण	1	,,
	,,	मिनीकिट वितरण एम0 पी0 चरी0 25 के0 जी0		,,
		लुबीया 100 के0 जी0		,,
		डी0ए0पी0 खाद 200 के0 जी0		

मध्य प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

क्रय योजना वर्ष 1981-82 (झांसी मण्डल)

क्रम-सं0	पुस्तकालय/विद्यालय का नाम	पुस्तकों की संख्या
1	2	3
1	विपिन बिहारी उ0 मा0 वि0, झांसी	40
2	हाफिज सिद्दीकी नेशनल उ0 मा0 वि0, झांसी	40
3	एस0 एस0 बी0 इण्टर कालेज, कालपी, जालौन	39
4	छत्रसाल इण्टर कालेज, उरई, जालौन	39
5	इस्लामिया इन्टर कालेज, हमीरपुर	39
6	गायत्री विद्या मंदिर इण्टर कालेज, सुमेरपुर, हमीरपुर	39
7	शान्ति निकेतन इण्टर कालेज, महरौनी, ललितपुर	39
8	मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, गुढ़ा, ललितपुर	39
9	आदर्श इण्टर कालेज, मानिकपुर, बांदा	39
10	सरस्वती पुस्तकालय, राजेन्द्र नगर, उरई, जालौन	132
11	हिन्दी विद्यार्थी पुस्तकालय, हिन्दी भवन, कालपी, जालौन	132
12	श्री सेवा समिति व्यास पुस्तकालय, कालपी, जालौन	132
13	राजकीय जनपथ पुस्तकालय, झांसी	110
14	श्री काशीनाथ अड़जरिया पुस्तकालय, रानीपुर, झांसी	110
15	महिला आदर्श पुस्तकालय, सोकरी बाजार, झांसी	110
16	तुलसी स्मारक सभा पुस्तकालय, राजापुर, कर्वी, बांदा	94
17	सेवा समिति पुस्तकालय, धामपुर, बांदा	94
18	श्री नागरी प्रचारक पुस्तकालय, बांदा	94
19	भवानीदीन लाइब्रेरी, गौरहरि, हमीरपुर	66
20	श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय, हमीरपुर	66
21	राजकीय महाविद्यालय, हमीरपुर	111
22	राजकीय महाविद्यालय, बरखारी, हमीरपुर	112
23	राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा	112
24	बुन्देलखण्ड डिग्री कालेज, झांसी	25
25	विपिन बिहारी डिग्री कालेज, ललितपुर	25
26	डी0 बी0 कालेज, उरई, जालौन	25
27	गांधी महाविद्यालय, उरई, जालौन	25
28	बी0 एन0 डी0 डिग्री कालेज, हमीरपुर	24

1	2	3
29	अतर्रा डिग्री कालेज, अतर्रा, बांदा	24
30	जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, बांदा	24
31	आर0 कन्या महाविद्यालय सीकरी बाजार, झांसी	24
32	पं0 जवाहर लाल नेहरु डिग्री कालेज, बांदा	94

क्रय योजना वर्ष 1982–83 (झांसी मण्डल)

1	बुन्देलखण्ड डिग्री कालेज, झांसी	53
2	डी0 बी0 कालेज, उरई, जालौन	53
3	बी0 एम0 बी0 डिग्री कालेज, हमीरपुर	53
4	अतर्रा डिग्री कालेज, अतर्रा, बांदा	53
5	महर्षि बाल्मीकि उ0 मा0 वि0, बबीना, झांसी	70
6	कस्तूरबा कन्या इण्टर कालेज, प्रेमनगर, झांसी	70
7	जनता विद्या मंदिर उ0 मा0 वि0, उरई, जालौन	70
8	नगरपालिका कन्या इन्टर कालेज, कालपी जालौन	70
9	आदर्श किसान इन्टर कालेज, मभुवा, बांदा	70
10	भगवती साद ओयर बालिका उ0 मा0 वि0, बांदा	70
11	आनन्द उ0 मा0 वि0 बिलवई, हमीरपुर रोड	70
12	सी0 बी0 गुप्ता उ0 मा0 वि0, महरोली, ललितपुर	70
13	डा0 अम्बेदकर लाइब्रेरी ग्रा0 व पो0 रेन्टर, जालौन	63
14	श्री काशीनाथ अड़जड़िया, पुस्तकालय, ग्रा0 व पो0 रानीपुर, झांसी	63
15	श्री तुलसी संस्कृत पुस्तकालय, ग्रा0 व पो0 राजापुर, बांदा	72
16	श्री भवानीदीन स्मारक पुस्तकालय ग्रा0 व पो0 गौरहरी हमीरपुर रोड	74

क्रय योजना वर्ष 1983–84 तथा 1984–85 (झांसी मण्डल)

1	श्री कृष्ण आदर्श इन्टर कालेज, बड़ागांव, झांसी	93
2	आर्य कन्या इण्टर कालेज, सीकरी बाजार, झांसी	93
3	कर्नल ईश्वरी सिंह, इण्टर कालेज, जालौन	93
4	आर्य कन्या इण्टर कालेज, उरई, जालौन	93
5	आदर्श बजरंग इण्टर कालेज, बांदा	93
6	जनता सेवा इण्टर कालेज, करवी, बांदा	93
7	अध्याल सत्संग लाइब्रेरी, राजमार्ग, उरई, जालौन	112
8	नागरी प्रचारक पुस्तकालय, बांदा	101
9	सार्वजनिक पुस्तकालय, नगरपालिका, ललितपुर	105
10	राजकीय जिला पुस्तकालय, झांसी	110

1	2	3
	क्रययोजना वर्ष 1985–86 (झांसी मण्डल)	
1	विपिन बिहारी महाविद्यालय, झांसी	55
2	गांधी महाविद्यालय, उरई, जालौन	55
3	अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा, बांदा	55
4	बी0 एन0 बी0 महाविद्यालय, राठ, हमीरपुर	55
5	एस0 आर0 पी0 इण्टर कालेज, कोंच, जालौन	55
6	डी0 ए 0वी0 इण्टर कालेज, बांदा	55
7	जी0 आर0 वी0 इण्टर कालेज, राठ, हमीरपुर	55
8	स्वामी विवेकानन्द पुस्तकालय एवं वाचनालय, पटेलनगर, कोंच जालौन	55
9	हिन्दी साहित्य परिषद्, कालो कवि मार्ग, उरई, जालौन	55

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

श्री राम सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड नदी गांव को निर्माण कार्यों हेतु दिये गये अग्रिम अनुदान का विवरण, विगत तीन वर्ष (1984-85 व 1985-86 एवं 1986-87)

क्रमांक	योजना का नाम	गांव सभा का नाम	दिया गया अग्रिम धनराशि	चेक नं0	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	हरिजन आवास स्थल विकास	पीपरीकलां	6,000·00	052032	15-6-84
			750·00	052040	26-6-84
		,,	6,000·00	053400	13-11-84
		,,	6,000·00	055956	7-12-84
		,,	4,000·00	055966	19-12-84
		,,	8,000·00	49/3533	7-2-85
		,,	10,000·00	22/223	25-3-85
		,,	1,000·00	46/223	19-4-85
		,,	2,000·00	46/223	19-4-85
		सिकरी बुजुर्ग	10,000·00	053362	5-9-84
		,,	10,000·00	053384	15-10-84
		,,	5,000·00	053370	26-9-84
		राजीपुरा	10,000·00	27/3959	9-9-85
		,,	15,000·00	28/3959	2-10-85
		,,	8,000·00	34/3959	18-10-85
		,,	10,000·00	42/3959	5-11-85
		जरा	3,000·00	29/3959	9-10-85
		,,	3,000·00	35/3959	18-10-85
		,,	600·00	41/3959	5-11-85
		त्रिलोकपुरा	4,800·00	30/3959	9-10-85
		,,	2,000·00	35/3959	18-10-85
		,,	2,000·00	43/3959	5-11-85

1	2	3	4	5	6
1	हरिजन आवास स्थल विकास	कैलिया खुर्द	9,600·00	31/3959	9-10-85
		,,	4,000·00	35/3959	18-10-85
		,,	4,000·00	40/3959	5-11-86
		कनासी	10,000·00	055976	22-8-86
	योग	..	1,54,750·00		
2	वनीकरण योजना	परावर	10,000·00	32/3959	9-10-85
		,,	8,000·00	33/3959	18-10-85
		,,	10,000·00	39/3959	5-11-85
		,,	10,000·00	45/3959	13-11-85
		लहदीलगाम	12,000·00	01/5026	9-1-86
		पुरा	10,000·00	04/5926	29-1-86
		,,	10,000·00	02/5993	5-2-86
	योग	..	70,000·00		
3	स्कूल मरम्मत	रूपपुरा	10,000·00	03/5026	29-1-86
		,,	1,616·00	30/5026	27-2-86
		तूमरा	10,000·00	13/5026	5-2-86
		,,	2,840·00	30/5026	27-2-86
		कटकरी	10,000·00	14/5026	5-2-86
		,,	4,160·00	30/5026	27-2-86
		बसीठ	15,000·00	24/5026	20-2-86
		घिलौर	10,000·00	31/5026	27-2-86
		,,	5,620·00	39/5026	6-3-86
		कन्हरी	8,000·00	44/5026	12-3-86
	योग	..	84,274·00		
4	खड़ंजा निर्माण	सदुपुरा	10,000·00	822922	28-3-84
		,,	5,000·00	822933	30-3-84
		,,	2,000·00	822942	21-4-84
		,,	5,000·00	822945	9-5-84
		,,	500·00	053371	26-9-84

1	2	3	4	5	6
4	खड़ंजा निर्माण	भेंड	8,000·00	822935	8-4-84
		,,	10,000·00	822939	18-4-85
		,,	3,500·00	822946	9-5-84
		,,	833·50	22/3959	17-7-85
		अकनौवा	1,195·00	955975	22-8-86
	योग	..	46,028·00		
5	गूल निर्माण	लोहई	1,900·00	053393	13-11-85
		बसीठ	2,100·00	053394	13-11-85
		,,	4,000·00	18/3533	19.12-84
		,,	2,000·00	315939	25-5-86
		सिकरी	3,200·00	053395	13-11-85
		राजीपुरा	3,100·00	053396	13-11-85
		,,	4,000·00	17/3553	18-12-84
		,,	2,000·00	02/5939	25-3-86
		जरा	2,500·00	053397	13-11-85
		कनासी	2,000·00	053398	13-11-85
		तुमरा	4,000·00	40/5488	10-12-84
		,,	2,000·00	01/3959	20-4-85
	योग	..	32,800·00		
6	पुलिया	जरा	200·00	46/3959	13-12-85
		,,	12,000·00	055959	10-12-84
		अकनौवा	3,500·00	41/5488	19-12-84
		,,	2,000·00	48/229	20-4-85
	योग	..	17,700·00		
7	नाली निर्माण	सद्दूपुरा	4,000·00	42/5488	19-12-84
		,,	2,000·00	48/223	20-4-85
		जरा	12,500·00	21/3959	17-7-85
	योग	..	18,500·00		
	कुल योग	..	4,24,052·00		

पी० एस० यू० पी०--11 वि० सभा--1-8-88--813--(पी० डी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा